लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION
OF

4th
LOK SABHA DEBATES

[सातवां सत्र] Seventh Session

Preservation Unit
Fumigated
Parliament Library

[खंड 28 में अंक 41 से 50 तक हैं]
[Vol. XXVIII contains Nos. 41 to 50]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली
LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 48, शुक्रवार, 25 अप्रैल, 1969/5 वैशाख, 1891 (शक)

No. 48, Friday, April 25, 1969/Vaisakha 5, 1891 (Saka)

विषय	SUBJECT		पृष्ठ/PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
1322. जयन्ती शिपिंग कम्पनी लिमिटेड	Jayanti Shipping Company Ltd.	..	1—5
1325. पश्चिम बंगाल, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर बमों तथा विस्फोटकों के निर्माण का समाचार	Reported large scale manufacture of Bombs and Explosives in West Bengal, Kerala and Andhra Pradesh	..	5—9
1327. सड़क परिवहन निगम	Road Transport Corporation	..	9—12
1328. नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार	Police misbehaviour with pressmen at New Delhi	..	12—13
1329. भारतीय प्रशासनिक सेवा/भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी	I. A. S./I. P. S. Officers	..	14—17
1331. पाकिस्तान को जाने वाले व्यक्ति	Migrants to Pakistan	..	17—18
1332. हवाई अड्डों पर दर्शकों से लिए जाने वाला प्रवेश शुल्क	Entry fee charged from visitors at Air ports	..	18—19
अ० सू० प्र० संख्या			
17. छापी (गुजरात) में रेलवे मंत्री द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य	Reported statement made by the Minister of Railways at Chhapi (Gujarat)	..	19—25
प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS			
ता० प्र० संख्या			
S. Q. Nos.			
1321. मध्य प्रदेश में एक कैथोलिक विश्वविद्यालय की स्थापना	Establishment of a Catholic University in Madhya Pradesh	..	25—26

*किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था ।

* The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that Member.

ता० प्र० संख्या

S. Q. Nos.

1323.	विदेशों में बसे भारतीय नागरिकों के बच्चों के लिए भारतीय शिक्षा संस्थाओं में निर्धारित कोटा	Quota in Indian Education institutions for children of Indian citizens settled abroad ..	26
1324.	केन्द्रीय सरकार के अस्थायी कर्मचारी	Temporary Central Government Employees ..	26
1326.	कुतुब मीनार, दिल्ली	Qutab Minar, Delhi ..	27
1330.	अशोक होटल के उपभवन तथा रिवाल्विंग टावर के निर्माण के बारे में जांच	Enquiry into construction of Ashoka Hotel Annexe and Revolving Tower ..	27
1333.	इंजीनियरिंग कालेजों में स्थान कम करना	Reduction of seats in Engineering Colleges ..	28
1334.	दिल्ली में सड़क दुर्घटनाएं	Road Accidents in Delhi ..	28
1335.	दिल्ली में तम्बुओं में स्कूल तथा कालेज	Schools and Colleges in tents in Delhi ..	28—29
1336.	ईसाई धर्म प्रचारकों की गतिविधियां	Activities of Christian Missionaries ..	29
1337.	भारत में निरक्षरता	Illiteracy in India ..	29—31
1338.	बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति	B. H. U. Enquiry Committee ..	31—32
1339.	विश्वविद्यालयों में विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए आयु सम्बन्धी प्रतिबन्धों का हटाया जाना	Removal of age restriction for admission of students in Universities ..	32
1340.	राज्य सड़क निधि	State Road Fund ..	32—33
1341.	फूलपुर के संसदीय उप-चुनाव में विदेशियों की रुचि	Foreigners' interest in Phulpur Bye-election ..	33
1342.	शैक्षिक पुस्तकालयों में पुस्तकाध्यक्ष	Librarians in Academic Libraries ..	33
1343.	रूसी विमान	Soviet Aircrafts ..	34
1344.	भारतीय केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा पूंजी विनियोजन	Investment by central Inland water Transport Corporation of India ..	34

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.		
1345. विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़	Encounter with Naga Hostiles ..	34—35
1346. सेवारत सरकारी कर्मचारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने का अवसर देना	Opportunities to serving Government Employees for appearing in I. A. S. Examination ..	35
1347. एशिया के लिये यूनेस्को की पुस्तक प्रकाशन योजना	UNESCO's Books production Plan for Asia ..	36
1348. जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय, नई दिल्ली का उप-कुलपति	Vice-chancellor of Jawaharlal Nehru University, New Delhi ..	36—37
1349. कलात्मक तथा प्रदर्शनीय वस्तुओं का संग्रह	Collection of Art Pieces and Exhibits ..	37
1350. राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार दिये जाने की मांग	Demand for more Financial Powers to States ..	37—38
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7574. भारी इंजीनियरी निगम रांची में आग लगने के मामलों में "खुफिया तंजीम" का हाथ	Hand of Khufia Tanzim in HEC, Ranchi Arson Cases ..	38—39
7575. भारत में काम कर रही गैर-सरकारी सेनाएं	Private Senas working in India ..	39
7576. ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा जासूसी	Spying by a Christian Missionary ..	39—40
7577. सहायकों तथा अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति	Promotion of Assistants and Section Officers ..	40—41
7578. आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठ	Pak Infiltration in Assam ..	41—42
7579. दिल्ली पुलिस अधिकारियों की सेवाकाल समाप्त होने से पूर्व सेवा-निवृत्ति	Premature retirement of Delhi Police Officials ..	42—43
7580. भारत तथा श्रीलंका अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड	Inter University Board of India and Ceylon ..	43

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7581.	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद द्वारा अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	Short Terms training courses by NCERT ..	43—44
7582.	राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग द्वारा आयोजित अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	Short term training course conducted by Department of Curriculum and Evaluation of NCERT ..	44—45
7583.	मानव विज्ञान में फैलोशिप	Fellowships in Anthropology ..	45—46
7584.	1969 में राज्यों द्वारा शुरू की गई लाटरियां	Lotteries floated by States in 1969 ..	46—47
7585.	मानव विज्ञान में फैलोशिप	Fellowship in Anthropology ..	47—48
7586.	कांडला पत्तन पर माल का लादा-उतारा जाना	Goods handled at Kandla Port ..	48
7587.	अधिक कामर्स कालेज खोलना	Opening of more Commerce Colleges ..	48—49
7588.	रविवार तथा छुट्टी के दिनों में दिल्ली परिवहन की बसों का चलाया जाना	Operating of DTU Buses on Sundays and Holidays	49
7589.	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के यातायात कर्मचारियों को वर्दी का दिया जाना	Issue of uniforms to IAC Traffic Staff ..	50
7590.	इण्डियन एयर लाइन्स कारपोरेशन के आरक्षण और बुकिंग कार्यालयों में टेलीफोन का खाली न रहना	Telephone remaining busy in IAC Reservation and Booking Office ..	50—51
7591.	गुजरात में डांग क्षेत्र के लिये पृथक् आदिवासी राज्य	Separate state for adivasis of Dange in Gujarat ..	51
7592.	आई० सी० एस० अधिकारी जिन्हें पौंड स्टर्लिंग में वार्षिकी दी गई थी	ICS Officers who were granted Annuity in Pound sterling ..	51—52
7593.	तटीय नौवहन का विस्तार	Expansion of Coastal Shipping ..	52
7594.	मानचित्र अधिकारी के पद का अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण	Reservation of Post of Map Officer for Scheduled Caste Candidates ..	52—53

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7595.	केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम	Central Road Transport Corporation ..	53
7596.	कनाट प्लेस नई दिल्ली में इनर सर्किल का पुनः निर्माण	Reconstruction of inner Circle in Connaught place, New Delhi ..	53—54
7597.	नेफा में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी	I. A. S. Personnel in NEFA	54
7598.	विदेशियों के विरुद्ध अभियोग	Cases against Foreigners ..	54—55
7599.	केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम	Central Inland Water Transport Corporation ..	55—56
7600.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावलि आयोग	Commission for Scientific and Technical Terminology ..	56
7601.	कुतुब मीनार, दिल्ली	Qutab Minar, Delhi ..	56—57
7602.	केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा संचार विभाग की नियमपुस्तिकाओं तथा पत्रों का अनुवाद	Translation of Forms and Manuals of Communications Department by Central Hindi Directorate ..	57
7603.	सरकारी कर्मचारियों को स्थायी बनाने के बारे में नियम	Rules re : Confirmation of Central Government Employees ..	57
7604.	दिल्ली में ग्रीन फील्ड्स कालोनी के प्लाट होल्डर	Plot Holders of Greenfields colony in Delhi	58
7605.	केन्द्रीय सड़क समिति	Central Road Committee ..	58
7606.	विभिन्न मंत्रालयों तथा विभागों के लिये भर्ती योजना	Planning in Recruitment to various Ministries and Departments ..	58—59
7607.	अशोक होटल्स लिमिटेड के चेयरमैन को सुविधाएं	Facilities to Chairman, Ashoka Hotel Ltd. New Delhi	59
7608.	चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण	Road construction in Rural Areas during Fourth Five Year Plan ..	59—60

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.		
7609. जम्मू तथा कश्मीर में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिए राष्ट्र विरोधी पाठ्य पुस्तकें	Anti National Text Book for post Graduate students in Jammu and Kashmir ..	60
7610. चण्डीगढ़ का भविष्य	Future of Chandigarh ..	60
7611. शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन	Radical Changes in Education system ..	61
7612. भारत की जहाजों सम्बन्धी आवश्यकता	India's Requirements of Ships ..	61—62
7613. चण्डीगढ़ में औद्योगिक प्लाटों का आवंटन	Allotment of Industrial plots in Chandigarh ..	62
7614. छात्र आंदोलन	Students' Agitations ..	62
7615. कार्यालयों में हिन्दी का प्रयोग	Use of Hindi in Offices ..	63
7616. जवाहरलाल नेहरू स्मारक संग्रहालय पर खर्च	Expenditure on Nehru Memorial Museum..	63
7617. पाकिस्तानियों द्वारा अपहृत भारतीय लोग	Indians Kidnapped by Pakistanis ..	63—64
7618 एयर इंडिया तथा इण्डियन एयर लाइन्स	Air India and Indian Airlines ..	64
7619. विद्रोही नागाओं तथा मिजों लोगों द्वारा मारे गये सुरक्षा दल के कर्मचारियों को वित्तीय सहायता	Financial Assistance to Security Force Personnel killed by Hostile Nagas and Mizos ..	64
7620. हथियारों तथा गोलाबारूद की बरामदगी	Recovery of Arms and Ammunition ..	64—65
7621. बरामद किये गये विदेशी हथियार	Foreign Arms Unearthed ..	65
7622. विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध	Cultural relations with Foreign countries ..	65—66
7623. काश्मीर में मुस्लिम युवक लीग द्वारा जिहाद के लिये आह्वान	Muslim Youth League's call for Jehad in Kashmir ..	66—67

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7624.	विदेशी जासूसों की गिरफ्तारी	Arrest of Foreign Spies ..	67
7625.	विधि विरुद्ध क्रियाकलाप निरोध अधिनियम 1967 के अन्तर्गत कार्यवाही	Action under Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967	67—68
7626.	दिल्ली पुलिस के लिये विभागीय नियम बनाना	Drafting of Departmental Rules for Delhi Police ..	68
7627.	केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले राज्य सरकारों के कर्मचारी	State Governmental Employees working in Central Government Offices ..	68—69
7628.	केरल में पाकिस्तान समर्थक नारे	Pro Pak slogans in Kerala ..	69
7629.	राज्यों में नक्सलवादी गतिविधियां	Naxalite activities in States ..	69—70
7630.	शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये जम्मू तथा काश्मीर सरकार को वित्तीय सहायता	Financial assistance to Jammu and Kashmir Government for resettlement of Refugees ..	70
7631.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विस्तार के बारे में टाटा समिति का प्रतिवेदन	Tata Committee Report on Expansion of International Airports ..	70—71
7632.	विद्रोही मिजो	Mizo Hostiles ..	71
7633.	दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों के लिए पुनरीक्षित वेतनमान	Revised Pay scales for Laboratory Assistants in Delhi Higher Secondary Schools ..	72
7634.	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी	Arrest of Pak Nationals ..	72
7635.	अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विकास	Development of Andaman and Nicobar Islands ..	73
7636.	शक्तिचालित स्टीमर सम्बन्धी आवश्यकता	Requirement of powered steamers ..	73
7637.	क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें	Meetings of Zonal Councils ..	73—74

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7638.	न्यायालयों में हड़ताल सम्बन्धी अनिर्णीत मुकदमे	Strike cases pending in Courts ..	74
7639.	इंजीनियरों की सेवा-निवृत्ति की आयु	Re-tirement age of Engineers ..	74—75
7640.	अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा के किराये में कटौती	Fare Reduction in International Plane Service ..	75
7641.	"मौरल री-आर्ममेंट" नामक संगठन	Moral Re-armament ..	75—76
7642.	उत्तर प्रदेश में हरिजनों की एक बारात पर आक्रमण	Attack on Harijan Marriage Party in U. P. ..	76—77
7643.	दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में फर्नीचर	Furniture in the Higher Secondary Schools of Delhi ..	77
7644.	अवरस्नातक विद्यार्थियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम	Correspondence cources for under-Graduate Students ..	77
7645.	शिक्षा आयोजन की आवश्यकता	Need for Educational Planning ..	78
7646.	लोकपाल की नियुक्ति	Appointment of Lok Pal ..	78—79
7647.	मुकदमों सम्बन्धी कानूनों का सरलीकरण	Simplification of Trial Laws ..	79
7648.	दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरण	Transfer of Municipal Corporation schools to Delhi Administration ..	79
7649.	जम्मू तथा काश्मीर में शिक्षकों की पदावनति	Demotion of teachers in Jammu and Kashmir ..	80
7650.	गोरखपुर के सिनेमाघरों में राष्ट्रीय ध्वज का दिखाया जाना	Display of National Flag in Cinema Houses in Gorakhpur ..	80
7651.	उच्च न्यायालयों में विचाराधीन याचिकाएं और अपीलें	Writs and appeals pending in High Courts ..	80—81
7652.	मध्य प्रदेश में नक्सलवादी	axalites in Madhya Pradesh ..	81
7653.	ग्रामीण सड़क समिति की सिफारिशों की क्रियान्विति	Implementation of Recommendation of Rural Roads Committee ..	81

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
7654. मध्य प्रदेश में पर्यटकों के लिये सस्ता आवास	Cheap Lodging for Tourists in Madhya Pradesh ..	81—82
7655. पूर्व-हड़प्पा काल की खोज	Discoveries of Pre-Harappa Age ..	82
7656. पृथक विदर्भ राज्य की मांग	Demand for separate Vidarbha State ..	82—83
7657. बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासन-हीनता को समाप्त करने के लिए नई प्रणाली	New System to check indiscipline among students in BHU ..	83
7658. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने के लिए व्यवस्था	Machinery to Deal with Grievances of Central Government Employees ..	83—84
7659. डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों का गिरफ्तार किया जाना	Arrest of P and T Employees	84
7660. पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के निवासियों को काश्मीर में बसने की अनुमति	Permission for setting down in Kashmir to residents of Pak. occupied Kashmir ..	84
7661. विदेशी पर्यटकों द्वारा लायी गई विदेशी मुद्रा की चोर बाजारी	Black market in foreign exchange brought by foreign tourists ..	84—85
7662. मनीपुर के पशु चिकित्सा के अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही	Proceedings against Veterinary Officers of Manipur ..	85
7663. रांची में युवक को छुरा घोंपना	Youth stabbed in Ranchi ..	85—86
7664. कवि गालिब का स्मारक	Memorial for poet Ghalib ..	86
7665. भारतीय जहाजों द्वारा ढोया गया निर्यात माल	Exports transported by Indian Ships ..	87
7666. उच्च तिब्बती अध्ययन संस्थान वाराणसी को अनुदान	Grants to institutes of Higher Tibetan Studies, Varanasi ..	87
7667. सिरसका मृगोद्यान में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस	C.R.P. in Siraska Game Sanctuary ..	88

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या		
U. S. Q. Nos.		
7668. पृथक तेलंगाना राज्य के लिये सम्मेलन	Convention for separate Telengana State ..	88
7669. सरकारी अधिकारियों को हिन्दी सिखाना	Teaching of Hindi to Government Officers..	89
7670. केरल के लोगों के पूर्ववृत्त का सत्यापन	Verification of Antecedents of Kerala people ..	89
7671. भारत में विघटनकारी प्रवृत्तियां	Tendency of disintegration in India ..	90
7673. युवक सेवाएं	Youth Services ..	90—91
7674. पालम हवाई अड्डे पर सुविधाएं	Facilities at Palam Airport	91—92
7675. मनीपुर में सेटलमेंट आफिसरों को विशेष भत्ता	Special allowance to Settlement officers in Manipur ..	92—93
7676. मनीपुर में बस दुर्घटना का शिकार होने वाले व्यक्तियों को मुआवजा	Compensation to victims of bus accidents in Manipur ..	93
7677. मनीपुर में सरकारी कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति	Retirement of Government Employees in Manipur ..	94
7678. सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये प्राथमिकता	Preference for employment to relatives of Government Servants ..	94—95
7679. पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के घेराव की घटनाएं	Incidents of Gheraos of Central Government office in West Bengal ..	95
7680. पुरी में एक आदिवासी गांव पर आक्रमण	Attack on an Adivasi Village in Puri ..	95—96
7681. पटना में भाषा गोष्ठी	Language Seminar in Patna ..	96—97
7682. दिल्ली में अपराधों के बारे में जांच अधिकारियों की रिपोर्टें	Investigating officers reports on crime in Delhi ..	98
7683. कोडाइकनल खगोल वेधशाला के लिये एक मीटर रिफ्लेक्टर वाली दूरबीन	One Metre Reflector Telescope for Kodaikanal Astrophysical observatory ..	98

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7684.	दीक्षान्त अभिभाषण के समय दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन	Demonstration by students during convocation address of Delhi University ..	98
7685.	पहाड़गंज में एक लड़की की मृत्यु	Death of Girl in Paharganj ..	99
7686.	बम के भय के कारण एयर इंडिया के विमान का आधे रास्ते से वापिस आ जाना	Cutting short of A.I. Flight due to Bomb Scare	99
7687.	तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र कोटा (राजस्थान)	Technical Training Centre, Kota (Rajasthan) ..	100
7688.	केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी संस्था	Central Government Employees Consumer Cooperative Society ..	100
7689.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को क्षति पहुंचाना	Damage to HEC Ranchi	101
7690.	दिल्ली में क्लबों में जुआ	Gambling in Clubs in Delhi ..	101
7691.	अन्तरिक्ष इंजीनियरी तथा राकेट विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम	Post-Graduate course in space Engineering and Rocketry ..	102
7692.	बिड़ला इन्स्टीट्यूट आफ टैक्नोलोजी, रांची	Birla Institute of Technology, Ranchi	102—103
7693.	"आई० ए० सी० डीनाइस क्रेडिट टू इन्वेन्टर" शीर्षक के अन्तर्गत समाचार	I.A.C. Denies Credit to Inventors ..	103
7694.	डालर कारपोरेशन आफ इण्डिया द्वारा ट्रांजिस्टर रेडियो की बिक्री	Sale of Transistor Radios by Dollar Corporation of India ..	103—104
7695.	चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को शायिका (स्लीपर) शुल्क का भुगतान	Payment of sleeping charges to class IV Employees ..	104
7696.	राज्यपालों की नियुक्ति	Appointment of Governors ..	104—105
7697.	पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमें वापिस लेना	Withdrawal of cases against employees by West Bengal Government ..	105

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7699.	मैथोडिस्ट चर्च के विशापों को मिली हुई विदेशी मुद्रा	Foreign aid received by Bishops ..	106
7700.	लुमुम्बा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए समाचार-पत्रों में विज्ञापन	Advertisements in Newspapers for Admission in Lumumba University ..	106—107
7701.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के मुख्य प्रकाशन अधिकारी के विरुद्ध जांच	Enquiry against Principal Publication Officer of CSTT	107
7702.	वैज्ञानिक तथा तकनीकी शब्दावली आयोग के मुख्य प्रशासन अधिकारी द्वारा जारी किये गये निमंत्रण पत्रों का रद्द किया जाना।	Cancellation of invitation issued by Chief Publication Officer of CSTT ..	107—108
7703.	जूनियर हाई स्कूलों में दक्षिण भारतीय भाषाओं/हिन्दी को लागू करना	Introduction of South Indian Languages/ Hindi in Junior High Schools ..	108
7704.	संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभायें	Legislative Assemblies in Union Territories	108—109
7705.	बेरोजगारी के विरोध में विद्यार्थियों तथा नवयुवकों द्वारा अनशन	Fast by students and young people against unemployment ..	109
7706.	अखिल भारतीय कृषि और शिक्षा सेवायें	All India Agriculture and Education Services ..	110
7707.	विश्व पर्यटन आन्दोलन	World Tourists Explosion	111
7708.	इंडियन ओलम्पिक एसोसियेशन को निदेश	Directive to Indian Olympic Association ..	112
7709.	दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को वेतन का भुगतान	Payment of Salaries to Teachers of Aided Schools in Delhi ..	112—113
7710.	सिन्धु घाटी की लिपि को पढ़ना	Deciphering of Indus Valley Script	113
7711.	राजस्थान में शिक्षा का प्रसार	Promotion of Education in Rajasthan ..	113—114

विषय	SUBJECT	पृष्ठ/PAGES
अता० प्र० संख्या **U. S. Q. Nos.**		
7712. केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की बहाली	Reinstatement of Central Government Employees ..	115
7713. उच्च स्तरीय पदों पर राजनैतिक नेताओं की नियुक्ति	Appointment of Political Leaders on top level posts ..	115—116
7714. महिला कालेज, देवनगर, नई दिल्ली के लेखों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच	Investigations by CBI in Accounts of Women's College, Devnagar, New Delhi	116
7715. वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसन्धान परिषद के स्टोर विभाग में अनियमिततायें	Irregularities in Store Department of CSIR	116—117
7716. विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में विद्यार्थियों को शामिल किया जाना	Association of students in Management of University ..	117
7717. साहित्य एकादमी द्वारा भाषाओं को मान्यता	Recognition of Languages by Sahitya Akademi ..	117—118
7718. मुहर्रम के दिन अश्रु गैस का छोड़ा जाना	Firing of Teargas shells on Mohurram day	118—119
7719. दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर अग्नि कांड	Fire on Delhi U. P. Borders ..	119—120
7720. फ्लाइंग क्लब	Flying Clubs ..	120
7721. सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी	Second Marriage of a Government Servant	120—121
7722. पूर्व एशिया पर्यटन का साझा बाजार बनाने के लिए प्रस्ताव	East Asia Tourism move for a common market	121
7723. शिक्षा विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय	Per Capita expenditure of Educational Development ..	121—122
7724. भारत द्वारा बैंकाक में एशियाई युवक फुटबाल प्रतियोगिता में भाग लेना	Participation by India in Asian Youth Soccer at Bangkok ..	122—123
7725. फ्लाइंग क्लब	Flying Clubs	123
7726. उपूसी सीमा विवाद	NEFA BOUNDARY Dispute ..	124

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7727.	बंगलौर विश्वविद्यालय के प्रबन्ध के अधिकार का लिया जाना	Taking over of Bangalore University ..	124—125
7728.	राज्यों की लाटरियों के बारे में शिकायतें	Complaints about State Lotteries ..	125
7729.	तकनीकी विशेषज्ञों तथा साधारण स्नातकों में बेरोजगारी	Unemployment amongst Technical Experts and ordinary Graduates ..	125—126
7730.	मरवांथे में पर्यटन केन्द्र की स्थापना	Establishment of Tourist Centre at Marvanthe ..	126—127
7731.	महाजन आयोग का प्रतिवेदन	Mahajan Commission Report ..	127
7732.	अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिये स्वतंत्र हवाई अड्डा प्राधिकार	Independent Airport Authority for International Airport	127
7733.	हुगली जिले में दंगे	Clashes in Hooghly ..	128
7734.	ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन द्वारा दमदम हवाई अड्डा पर कैन्टीन खोलने के लिए प्रार्थना	B.O.A.C's requests for a Catering Unit at Dum Dum Airport ..	128
7735.	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्लि के प्रिंसिपल के विरुद्ध आरोप	Allegations against Principal of Regional Engineering College, Tiruchirapalli ..	129—130
7736.	रामेश्वरम पत्तन के कर्मचारियों को दिये जाने वाले द्वीप भत्ते में कटौती	Curtailment in island allowance given to employees of Rameshwaram Port ..	130
7737.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन में आग	Fire in Heavy Engineering Corporations ..	130—131
7738.	त्रिपुरा का राजनीतिक दर्जा बढ़ाये जाने की मांग	Demand for Upgrading of Political Status of Tripura ..	131—132
7739.	त्रिपुरा में पाकिस्तानी घुसपैठिये	Pak infiltrators in Tripura ..	132—133
7740.	संगकार्क की गतिविधियां	Activities of Sanghark	133

अता० प्र० संख्या
U. S. Q. Nos.

7741.	उत्तरी बिहार पर्यटन केन्द्रों का विकास	Development of Tourist centres in North Bihar ..	133
7742.	तिब्बती शरणार्थियों के लिए शैक्षिक संस्थाएं	Educational Institutions for Tibetan Refugees ..	134
7743.	हिमाचल प्रदेश को प्रति-नियुक्ति पर भेजे गए कर्मचारी	Employees of deputation to Himachal Pradesh ..	134—135
7744.	होटल पुनरीक्षण और सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन	Hotel Review and Survey Committee's Report ..	135
7745.	पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में पर्यटन	Tourism in West Bengal and Maharashtra ..	135—136
7746.	भवनों के विस्तार, उपकरणों तथा संग्रहालय के कर्म-चारियों के प्रशिक्षण हेतु पश्चिम बंगाल को सहायता	Assistance to West Bengal for building Extension, equipment and training of museum staff ..	136
7747.	भाषाओं के विकास के लिए पश्चिम बंगाल को सहायता	Assistance to West Bengal for Develop-ment of Languages ..	137
7748.	तमिलनाडु में सड़क और पुल परियोजनायें	Road and Bridge Projects in Tamil Nadu ..	137
7749.	बिहार तथा उत्तर प्रदेश में उर्दू का अध्ययन	Study of Urdu in Bihar and U. P. ..	138
7750.	दमदम हवाई अड्डे पर टर्मिनल इमारत	Terminal Building at Dum Dum Airport ..	138
7751.	दमदम हवाई अड्डे पर रडार की स्थापना में विलम्ब	Delay in installation of a Radar at Dum Dum Airport ..	139
7752.	गैर-सरकारी क्षेत्र में जहाज बनाने का कारखाना	Shipyard in Private Sector ..	139
7753.	सैक्शन अफसर के संवर्ग में पदोन्नति	Promotion to the Cadre of Section Officer ..	140
7754.	बी० ओ० ए० सी० के विमान चालकों द्वारा हड़ताल के कारण एयर इंडिया को हानि	Loss suffered by Air India due to strike by BOAC Pilots ..	140—141

अता० प्र० संख्या U. S. Q. Nos.	विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
7756.	दिल्ली के कालेजों में दाखिले की समस्या	Problem of Admission in Delhi Colleges ..	141—142
7757.	सस्ती पाठ्य पुस्तकें	Cheap Text books ..	142—143
7758.	साम्प्रदायिक दंगे	Communal disturbances ..	143
7759.	पश्चिम बंगाल में बम बिस्फोट	Bomb explosions in West Bengal ..	143—144
7760.	राष्ट्रीय स्कूल पाठ्य पुस्तक बोर्ड का सम्मेलन	Conference of National Boards of School Text Books ..	144
7761.	गुजरात में सिक्का में जहाज निर्माण कारखाना	Shipyard at Sikka in Gujarat ..	144—145
7762.	इण्डियन एयरलाइंज कारपोरेशन के विमानों की बैंकोक को उड़ानें	IAS Flights to Bangkok ..	145
7763.	भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में सीनियर स्टेनोग्राफरों के वेतनमान	Pay scales of senior stenographers in the various Ministries of Government of India	145—146
7764.	क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचेरापल्लि	Regional Engineering College Tiruchirapalli ..	146
7765.	नेफा, मनीपुर तथा त्रिपुरा के आदिवासी लोगों की समस्याओं के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	ARC Recommendations on Tribal problems of NEFA, Manipur and Tripura ..	147
7766.	वैज्ञानिक विभागों तथा नेहरु स्मारक पुस्तकालय को अनुदानों में वृद्धि	Increase in Grants to Scientific Departments and Nehru Memorial Library ..	147—148
7767.	शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद	National Council of Educational Research and Training	148
7768.	सांस्कृतिक कार्यों पर व्यय	Expenditure on Cultural Activities ..	148—149
7769.	दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ	Delhi Police Non-Gazetted Karamchari Sangh	149
7772.	अस्पृश्यता के सम्बन्ध में शंकराचार्य के विचार	Shankarachary's views on untouchability ..	149—150
7773.	केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी	Section officers in CSS ..	150

विषय	Subject	पृष्ठ/Pages
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to Matter of Urgent Public Importance—	
परिवहन मार्गों के लिए शाह ईरान की भारत को कथित पेशकश	Shah of Iran's reported offer to India of transit routes	.. 150—153
सभा-पटल रखे गये पत्र	Papers laid on the Table—	.. 153—154
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—	Committee on Public Undertaking—	
44वां तथा 48वां प्रतिवेदन	Fourty-fourth and fourty-eighth Reports	.. 155
प्राक्कलन समिति—	Estimates Committee—	
(1) 77वां, 80वां, 83वां तथा 84वां प्रतिवेदन और (2) 52वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा भेजे गये उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण	(i) Seventy seventh, eightieth, eighty third and eighty fourth Reports and (ii) statement showing Replies Government to recommendations in Fifty Second Report	.. 155
सभा का कार्य	Business of the House	.. 156—158
अनुदानों की मांगें	Demands for Grants	.. 158—175
इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय	Ministry of Steel and Heavy Engineering	.. 158—175
श्री नन्द कुमार सोमानी	Shri N. K. Somani	.. 158, 159—162
श्री प्रेम चन्द वर्मा	Shri Prem Chand Verma	.. 168, 169
श्री योगेन्द्र शर्मा	Shri Yogendra Sharma	.. 169—170
श्री लखन लाल गुप्त	Shri Lakhan Lal Gupta	.. 170—171
श्री भगवान दास	Shri Bhagban Das	.. 171—172
श्री कृष्ण चन्द्र पंत	Shri K. C. Pant	.. 172—175
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	Committee on Private Members' Bills and Resolutions—	
48वां प्रतिवेदन	Forty eighth Report	.. 176
राज्यपाल की शक्तियों तथा उसके कृत्यों के बारे में संकल्प—अस्वीकृत	Resolution re. Powers and Functions of Governor—Negatived	.. 176—181
श्री के० एस० रामास्वामी	Shri K. S. Ramaswamy	.. 177—178
श्रीमती सुशीला रोहतगी	Shrimati Sushila Rohatgi	.. 178—181
बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों के विरुद्ध लगाये गये आरोपों की जांच करने के लिए एक आयोग की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव	Resolution re. Appointment of Commission to go into charges against Birla Group of Concerns	.. 182—192

विषय	Subject		पृष्ठ/Pages
श्री विश्वनाथ मेनन	Shri Viswanath Menon	..	182—184
श्री शान्ति लाल शाह	Shri Shantilal Shah	..	185—186
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye	..	186—187
श्री रा० ढो० भण्डारे	Shri R. D. Bhandare	..	187
श्री लोबो प्रभु	Shri Lobo Prabhu	..	187—188
श्री रणधीर सिंह	Shri Randhir Singh	..	189
श्री एस० कन्डप्पन	Shri S. Kandappan	..	190—191
श्री अमृत नाहाटा	Shri Amrit Nahata	..	191
श्री ही० ना० मुकर्जी	Shri H. N. Mukerjee	..	192
श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	Shri Tenneti Wiswanatham	..	
आधे घन्टे की चर्चा—	Half an Hour Discussion—		
विस्थापित व्यक्तियों की पिछली सरकारी सेवा को मान्यता देना	Recognition of Past Government Service of Displaced persons	..	193
श्री बे० कृ० दासचौधरी	Shri B. K. Daschowdhury	..	193

लोक-सभा
LOK SABHA

शुक्रवार, 25 अप्रैल, 1969/5 वैशाख, 1891 (शक)
Friday, April 25, 1969/Vaisakha 5, 1891 (Saka)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Jayanti Shipping Company Ltd.

+

*1322. **Shri Shri Gopal Saboo :**
Shri Onkar Singh :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the names and addresses of such persons who had at any time deposited Rs. 5,000 or more in the Jayanti Shipping Company of Dr. Dharam Teja or had purchased shares worth Rs. 5,000 or more of that company ;

(b) the amount of loan given by Government to that Company year-wise and the nature of security obtained therefor ; and

(c) the amount of money outstanding against the said Company and the action being taken by Government to recover the same ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) अपेक्षित सूचना संलग्न अनुबंधों क और ख में दी गयी है । [**पुस्तकालय में रखे गये । देखिये संख्या एल० टी० 885/69**]

(ख) कम्पनी को दी गयी ऋण राशियां वर्षवार नीचे दी जा रही हैं :—

वर्ष	राशि
1962-63	21,44,452.50
1963-64	1,31,99,528.50
1964-65	1,91,12,017.48
1965-66	2,45,04,144.06
1966-67	3,67,34,850.58
1967-68	4,06,84,852.10
1968-69	4,08,45,967.53
अप्रैल, 1969	38,88,310.60
	18,11,14,123.35

इस ऋण सहायता से खरीदे गये प्रमाप 11 जहाजों के प्रथम और द्वितीय बंधक के रूप में जमानत ली गई ।

(ग) उपरोक्त ऋण के विरुद्ध अब 15,68,14,296.26 रुपये की राशि बाकी है । चूंकि अगस्त, 1966 से मार्च, 1968 तक की अवधि के लिये सरकार द्वारा मंजूर स्थगन-काल की समाप्ति के बाद कम्पनी नियमित रूप से पुनर्भुगतान किस्तों को चुका रही है, अतः इस राशि की वसूली के लिये किसी विशिष्ट कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है ।

Shri Shri Gopal Saboo : May I know whether Government propose to bring a legislation for giving any kind of guarantee to those persons who purchase shares of such companies or deposit money with them in case these companies go into liquidation? May I also know whether a fresh security was obtained from the company every time when a loan was given to them and if so, the details thereof and if not the reasons therefor ?

Shri Iqbal Singh : The money deposited by the people amounted about Rs. 35 lakh and 53 thousand and the whole amount has been given back to the depositors. The money of only three depositors—two thousand each—is yet to be returned. Therefore the question of not returning the money of depositors does not arise. The money was returned to the depositors in one year after the Corporation took over the management of Jayanti Shipping Company.

Shri Shri Gopal Saboo : What is the present position of the Company? Have the Government yet to take some dues from the Company and if so how much and how much amount will be written off?

Shri Ipbal Singh : Loan was given to the company by the Shipping Development Fund Committer for the purchase of ships under an agreement concluded for the purpose and the loan is being repaid in instalment. They were allowed moratorium for a period of two years and after its expiry they are again paying the instalments.

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : जयन्ती शिपिंग कम्पनी के बारे में इस सभा में वर्षों चर्चा होती रही थी और सरकार ने श्री धर्म तेजा को भारत वापिस लाने के लिये प्रयत्न किये थे। उसका क्या परिणाम निकला ? मार्च, 1969 में समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों के अनुसार श्री धर्म तेजा की पत्नी ने कोस्टारिका में एक शिशु को जन्म दिया था। कोस्टारिका के नियमों के अनुसार कोस्टारिका में शिशु का जन्म होने से वह वहां का नागरिक बनने का अधिकारी बन जाता है। क्या प्रत्यर्पण कार्यवाही करने में कोई कठिनाई होने की संभावना है तथा सरकार इस मामले में क्या कर रही है ?

श्री इकबाल सिंह : प्रत्यर्पण सम्बन्धी कार्यवाही कोस्टारिका के उच्चत्तम न्यायालय में चल रही है। यह सच है कि श्रीमती धर्म तेजा ने शिशु को जन्म दिया था किन्तु इसका इस मामले से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : क्या श्रीमती धर्म तेजा द्वारा शिशु को जन्म दिये के कारण श्री धर्म तेजा कोस्टारिका के नागरिक बनने के अधिकारी हो जायेंगे ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : वर्तमान जानकारी के अनुसार कोस्टारिका में जन्म लेने वाला शिशु वहां का नागरिक दर्ज कराया जा सकता है किन्तु मुझे इस समय यह जानकारी नहीं कि क्या इसका शिशु के पिता की स्थिति पर भी कुछ प्रभाव पड़ता है अथवा नहीं। हमें आशा है कि कोस्टारिका सरकार द्वारा इस महीने की 30 तारीख तक प्रत्यार्पण के सम्बन्ध में निर्णय दे दिया जायेगा।

Shri Madhu Limaye : According to the statement a loan of more than Rs. 18 crores was given to this Company by the Government out of which an amout of more than Rs. 15 crores and 50 lakh is still outstanding against the company. Mr. Dharam Teja used to give reception to high officials and Ministers in the Intercontinental when he used to come to India. Is it a fact that Dr. Dharam Teja and his wife say that the Government of India cannot do any harm to them because Dr. Dharam Teja had given money to Prime Minister's two sons while they were studying in England for which he obtained receipts? Is it also a fact that he says that all the receipts are with him therefore he is in a position to blackmail the Government and the Government cannot do any harm to him and neither the extradition proceedings would be completed nor he would be called back nor a case would be filed against him ? Have you inquired into the matter ?

श्री रघुरामैया : इस मामले में प्रधान मंत्री को बीच में लाना खेद की बात है।

Shri Madhu Limaye : I am not dragging the Prime Minister, I am simply referring their views.

श्री रघुरामैया : भारत सरकार श्री धर्म तेजा के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये यथासंभव कदम उठा रही है, चाहे धरम तेजा की पत्नी कुछ भी कहे।

Shri Madhu Limaye : There is a scope for doubt. Last time I had proved that inspite of the suggestion made by the Enforcement Directorate for impounding his passport and

arresting him no action was taken in this regard. It was decided at the residence of Shri Nanda that neither he should be arrested nor his passport be impounded because there were no adequate proofs and he was allowed to go abroad.

Shri Iqbal Singh : I can reply to this question only when the Hon. Member gives a separate notice for it. At present a number of cases are in progress, one of which is that extradition proceedings are in progress in the Supreme Court of Costa Rica and if the Hon. Member wants some information about it, I may give him.

Shri Madhu Limaye : Why they are allowed to black-mail the Government ?

Shri Ipbal Singh : Every possible action will be taken under the law.

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम : यह ऋण कब दिया गया था, ऋण की इस राशि से कितने जहाज सप्लाई किये जाने थे और वास्तव में कितने सप्लाई किये गये ?

श्री इकबाल सिंह : जयंती शिपिंग कम्पनी के पास 18 जहाज थे और वे सब के सब सरकार ने अपने नियंत्रणाधीन ले लिये हैं। यह कम्पनी जहाज रानी निगम ने अपने नियंत्रणा धीन ले ली है।

प्रश्न संख्या 1325 के बारे में
Re: Question No. 1325

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, आपको किसी प्रश्न को ग्राह्य करने का पूरा अधिकार है किन्तु इस प्रश्न को पढ़िये। प्रश्न इस प्रकार है :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि माओवादी तरीकों तथा सिद्धान्तों के अनुसार अव्यवस्था उत्पन्न करने तथा किसानों में सशस्त्र क्रांति करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, केरल और आन्ध्र प्रदेश में, बड़े पैमाने पर बमों तथा अन्य विस्फोटकों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

किसी सरकार विशेष अथवा दल विशेष को बदनाम करने के लिये यदि ऐसे प्रश्न पूछे जायें....

अध्यक्ष महोदय : माओवादी तरीकों के अतिरिक्त उन्होंने किस दल का उल्लेख नहीं किया है।

श्री स० मो० बनर्जी : चाहे प्रश्न का उत्तर यह हो कि हमें कोई जानकारी नहीं है और फिर अनुपूरक प्रश्नों की भरमार होगी।

अध्यक्ष महोदय : इसमें आन्ध्र प्रदेश भी शामिल है क्योंकि वहां भी हाल में दो-तीन बम फैंके गये थे। उन्होंने न तो किसी दल को बदनाम किया है और न ही किसी दल का

उल्लेख किया है । उन्होंने केवल माओवादी तरीके कहा है और मैं नहीं समझता कि हम में से किसी को माओ के प्रति लगाव है ।

पश्चिम बंगाल, केरल तथा आन्ध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर बमों तथा विस्फोटकों के निर्माण का समाचार

*1325. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इन समाचारों की ओर आकर्षित किया गया है कि माओवादी तरीकों तथा सिद्धान्तों के अनुसार अव्यवस्था उत्पन्न करने तथा किसानों में सशस्त्र क्रान्ति करने के उद्देश्य से देश के विभिन्न भागों में, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल, केरल और आन्ध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर बमों तथा अन्य विस्फोटकों का निर्माण आरम्भ कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है और उसका क्या परिणाम निकला है ?

गृह कार्य मंत्री (श्री यशवन्त राव चह्वाण) : (क) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को इस प्रकार की जानकारी नहीं है ।

(ख) प्रश्न ही पैदा नहीं होता ।

अध्यक्ष महोदय : श्री बनर्जी सरकार के विचारों से अच्छी तरह परिचित हैं ।

श्रीमती इला पालचौधरी : आज के समाचार-पत्रों में भी यह समाचार छपा है कि प्रेजीडेंसी कालेज की प्रयोगशाला में बम पाये गये हैं और ये बम बहुत खतरनाक हैं । मैं नहीं जानती कि केन्द्रीय सरकार को इसकी जानकारी है अथवा नहीं और वह प्रयोगशाला में पाये गये बमों के मामले में जांच करायेगी अथवा नहीं ।

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मुझे इस नवीनतम घटना के बारे में मुझे राज्य सरकार से और तथ्य मालूम करने पड़ेंगे ।

श्रीमती इला पालचौधरी : बंगाल के तत्कालीन राज्यपाल श्री धर्मवीर ने संवाद्दाताओं से कहा था यद्यपि नक्सलवादी पोस्टर और विभिन्न नारे लगाना देश द्रोह नहीं है । फिर भी केन्द्रीय सरकार को इस बात का ध्यान रखना होगा कि राज्य सरकार तोड़-फोड़ की कार्यवाही करने वाले लोगों के प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाती है । क्या सरकार ने उसके अनुसार कोई कार्यवाही की है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं कि उनके विचार का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री हेम बरुआ : देश के कुछ भागों में, विशेषत: केरल में, नक्सलवादियों की हिंसक गतिविधियां बढ़ गई हैं और उन्होंने लोगों को मारना आरम्भ कर दिया है । कांग्रेस के शासन में लोगों का मारा जाना बुरी बात है । साम्यवादी शासन में लोगों का मारा जाना भी उतनी ही बुरी बात है । तात्पर्य यह है कि एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति का मारा जाना ही बुरा है । पश्चिम बंगाल में हिंसक गतिविधियों के बढ़ जाने से गृह मंत्री का चिंतित होना स्वाभाविक है । हाल ही में ज्योति बसु ने यह कहा है आज के समाचारपत्रों में यह समाचार छपा है कि कलकत्ता में प्रेसीडेंसी कालेज की रसायनशास्त्र-प्रयोगशाला में बम पाये गये हैं । कालेजों में बमों का बनाया जाना चिन्ता की बात है । सरकार ने इस बात के लिये क्या कार्यवाही की है कि देश में हिंसक गतिविधियां न फैलें और माओ के विचारों को हिंसक गतिविधियों का आधार न बनाया जाये ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य ने फिर प्रश्न को विस्तृत करने का प्रयत्न किया है । हमने यह कभी नहीं कहा कि नक्सलवादियों की गतिविधियां नहीं फैल रही हैं । वे पश्चिम बंगाल तथा देश के विभिन्न भागों में अपना प्रभुत्व जमा रहे हैं । हम इस मामले की ओर ध्यान दे रहे हैं । जिन राज्यों में ये लोग अधिक सक्रिय हैं, वहां की राज्य सरकारें इस सम्बन्ध में उचित कार्यवाही कर रही हैं । पश्चिम बंगाल में भी सरकार उनकी गतिविधियों के प्रति सतर्क है । इस प्रकार की गतिविधियों का सामना दृढ़तापूर्वक किया जायेगा ।

श्री श्रद्धाकर सूपकार : उड़ीसा जैसे अहिंसा वाले राज्य में भी बम बनाने का एक छोटा-सा कारखाना पाया गया है । क्या इसका भी इन गतिविधियों से, जिनका उल्लेख प्रश्न में किया गया है, कोई सम्बन्ध है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : केवल एक राज्य को ही अहिंसा में विश्वास रखने वाला राज्य कहना गलत है । सभी राज्य अहिंसा में विश्वास रखते हैं और संवैधानिक तरीके से कार्य कर रहे हैं । यह ठीक है कि हिंसा का मार्ग अपनाने की प्रवृत्ति भी है । इस सम्बन्ध में हमें राज्य सरकार से कोई जानकारी नहीं है । इससे अधिक इस सम्बन्ध में और क्या कहा जा सकता है ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि लोग बम बनायें । केवल आयुध कारखानों को ही बम बनाने चाहिए । क्या सरकार का ध्यान इन विभिन्न समाचारों की ओर दिलाया गया है कि सी० आई० ए० के एजेंट हिप्पी आदि भेषों में, राजनीतिक रूप से असंतुष्ट अथवा पराजित लोगों के साथ मिलकर केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों के लिये अव्यवस्था की स्थिति पैदा करने का प्रयत्न कर रहे हैं और यदि हां, तो क्या यह पूरा मामला

जांच के लिए किसी केन्द्रीय एजेंसी को सौंपा जायेगा तथा सी० आई० ए० के एजेंसी की जासूसी गतिविधियों के गढ़ का पता लगाया जायेगा ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य को जानकारी के लिये पृथक-पृथक प्रश्न पूछना चाहिए।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या सरकार यह मानने के लिये तैयार है कि नक्सलवादियों की तथा माओ के अनुयाइयों की गतिविधियों में समानता है और यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात का पता है कि बिहार में हाल में नक्सलवादियों की गतिविधियां फिर आरम्भ होकर बढ़ रही हैं तथा उन्होंने भूमि पर अनधिकृत कब्जा कर दिया है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : नक्सलवादी शब्द का प्रयोग एक विशेष घटना के, जो उत्तर बिहार में हुई थी, किया गया था। वास्तव में इसका अर्थ कुछ लोगों का एक दल है जो तुरन्त हिंसा का मार्ग अपना कर सशस्त्र क्रान्ति के सिद्धान्त में विश्वास करता है। मैं जानता हूं कि देश के कुछ भागों में कुछ दल इन तरीकों से कार्य कर रहे हैं। ये लोग आन्ध्र प्रदेश, बंगाल तथा बिहार के कुछ भागों में भूमि समस्याओं के सम्बन्ध में संघर्ष करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : क्या यह सच है कि नक्सलवादी माओ के नाम की पताका लेकर 'माओ जिन्दाबाद' कहते हैं और यदि हां, तो नक्सलवादियों और माओ के अनुयाइयों में क्या अन्तर है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैं समझता हूं कि इन दोनों में कुछ अन्तर नहीं है।

श्री प० गोपालन : कुछ लोग जानबूझ कर सशस्त्र क्रान्ति, देशी बमों और विस्फोटकों के निर्माण का प्रश्न उठाते हैं। उनका उद्देश्य देश के विभिन्न भागों में खेतिहर मजदूरों तथा आदिम जाति के लोगों पर जमीदारों के आतंक को छिपाना होता है। हमारे सामने तंजौर में बेनमती तथा श्रीकाकुलम जिले के इस प्रकार के उदाहरण हैं। जब दलित वर्ग जमीदारों के प्रति अपनी प्रतिक्रिया दिखाते हैं, तो उसे नक्सलवादी किस्म की गतिविधियां, बम निर्माण, हिंसक क्रान्ति आदि कहा जाता है। सरकार ने इस बात के लिए क्या कार्यवाही की है कि जमीदार लोग आदिम जाति के लोगों को तथा खेतिहर मजदूरों को इस बहाने से न दबा सकें ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : क्या माननीय सदस्य गम्भीरतापूर्वक कह सकते हैं कि देश में नक्सलवादी नहीं हैं। यदि वास्तव में यह समझते हैं तो वह बड़ी भूल कर रहे हैं। निःस्संदेह देश में जमीदारों और काश्तकारों की समस्या है। कुछ राज्यों में यह समस्या अन्य राज्यों की तुलना में अधिक गम्भीर है। किन्तु इनके हल अलग-अलग हैं। एक बात मैं नहीं समझ पाया हूं कि जिन राज्यों में तथाकथित वामपंथी लोगों की सरकारें हैं उनमें वे लोग भूमि कानून पास करके उसे गम्भीरतापूर्वक लागू क्यों नहीं करते ताकि यह समस्या हल हो जाये ? ये समस्याएं

हैं और निसन्देह मैं इन्हें हल करना चाहता हूं। हम चाहते हैं कि जमीदारों और काश्तकारों के बीच अच्छे सम्बन्ध हों। किन्तु प्रश्न यह है कि इस समस्या को हल करने के लिये क्या तरीके अपनाए जायें।

श्री चेंगलराया नायडू : क्या यह सच नहीं है कि साम्यवादी लोग खेतिहर मजदूर समस्या की आड़ में लोगों को आतंकित करके देश में उपद्रव कराना चाहते हैं ? क्या यह भी सच नहीं है कि चीनी एजेंट लोगों को प्रशिक्षण दे रहे हैं और उन्हें बम आदि बनाने का तरीका बता रहे हैं ? क्या यह भी सच नहीं है कि ये लोग उपद्रव कराने के लिये श्रीकाकुलम अथवा केरल के कुछ भागों में भेजे जाते हैं ? केरल में उन्होंने एक थाने पर आक्रमण किया था। पश्चिम-बंगाल सरकार ने नक्सलबाड़ी में दंगों के लिये उत्तरदायी लोगों को रिहा कर दिया है। जिन लोगों को राज्य सरकार ने रिहा कर दिया है, उन लोगों को देश में और उपद्रव करने से रोकने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : इन मामलों में, जबकि राज्य सरकारें निर्णय कर रही हैं, मैं नहीं समझता कि हम कुछ कर सकते हैं। मैं केवल यह चाहता हूं कि वे अपने विवेक का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग करें।

Shri Rabi Rai : The Home Minister has just stated some of the landless tribal people are working under the leadership of Naxalites and he has also made a mention of Andhra Pradesh, border of Orissa and Bengal. Landless people are fighting for land. We have to catch the main cause of the trouble. The main thing is that landless people should be given land. But we do not agree with the methods of violence, armed revolution or Maoist line adopted by these people. Feudalism is still prevalent in Orissa. Tribal people are purchased by **mahajans** there. Will the Government stress upon the State Governments to take steps and to bring legislation to end the feudal system there ?

This year is the Gandhi Centenary year. Gandhiji adopted the path of Satyagrah. Will the Government include satyagrah in the Statute Book so that people instead of adopting the way violence may adopt some other way for fighting against injustice ?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य ने सत्याग्रह के बारे में अनेक दार्शनिक प्रश्न पूछे हैं। निस्संदेह यह निर्णय करना माननीय सदस्य का काम है कि सत्याग्रह का उचित कार्य क्या है। जहां तक मैं समझता हूं कि प्रजातंत्रीय संवैधानिक अधिकारों के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति शान्तिपूर्ण सत्याग्रह कर सकता है। मैं नहीं जानता कि सत्याग्रह से उनका वास्तविक तात्पर्य क्या है। उनके द्वारा सत्याग्रह शब्द का प्रयोग किये जाने पर मुझे भय लगता है। माननीय सदस्य का यह कहना ठीक है कि भूमिहीन लोगों की समस्या को सर्वाधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। किन्तु फिर यह प्रश्न पैदा होता है कि इसके लिये क्या उपाय किये जाने चाहिए।

Shri Prem Chand Verma : The Hon. Minister has just stated that it is State subject.

Under the present situation prevailing in the country the people have a confidence in the Hon. Home Minister Shri Chavan and they have no worry so far Shri Chavan is there. But when he says it is a State subject they are somewhat worried. Naxalite activities are increasing on the Northern border from Garhwal to Lahaul. Can the Hon. Minister give an assurance in case the State Government are failed to curb their activities, the Central Government will take some firm steps in this regard?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : माननीय सदस्य सुझाव दे रहे हैं कि राज्य सरकारों के विरुद्ध कार्यवाही की जाये। वह एक बहुत बड़ी बात का सुझाव दे रहे हैं।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या सरकार को गड़बड़ उत्पन्न करने की इच्छा रखने वाले जमीदारों द्वारा भड़काने वाली कार्यवाही करने वाले एजेंटों के रखे जाने की सम्भावना की जानकारी है जिससे विद्यमान असंतोष कभी-कभी बढ़ जाता है ताकि किसान आन्दोलन सफल न हो अथवा सरकार ने इसका पता लगाया है? चूंकि नक्सलवादियों को लक्ष्य करके आक्रमण करना आसान है इसलिये यह स्वाभाविक है कई बार भड़काने वाली कार्यवाही करने वाले एजेंट अथवा अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाएं हमारी स्थिति उस समय संकटपूर्ण बना देते हैं जब कि समाजवादी नीतियां सामने आती हैं। क्या मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में कोई जानकारी है और यदि हां, तो क्या सरकार इस बात के लिये कार्यवाही कर रही है कि सदा ही नक्सलवादियों का ही खतरा सामने न रखा जाये अपितु किसानों में व्याप्त वास्तविक असंतोष का ध्यान भी रखा जाये?

श्री यशवन्त राव चह्वाण : मैंने कहा था कि जमीदारों और काश्तकारों के बीच कुछ तनाव है और यह स्वाभाविक है कि सरकार को भूमिहीन लोगों का और काश्तकारों का पक्ष लेना चाहिए। इस घटना विशेष के बारे में मेरे पास पूरी जानकारी नहीं है। यह संभव है कि माननीय सदस्य का कहना सही हो।

Road Transport Corporations

*1327. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the progress made so far in the setting up of Road Transport Corporations with one-third share of the Railways and two-thirds of the State concerned ; and

(b) the time likely to be taken to set up such Corporations in all the States?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है।

(ख) चूंकि सड़क परिवहन के सम्बन्ध में कार्यकारी दायित्व राज्य सरकारों का है अतः यह बताना सम्भव नहीं है कि जिन राज्यों/संघ प्रशासित क्षेत्रों में सड़क परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण हो चका है उनमें सड़क परिवहन निगम स्थापित करने की सम्भावना कब तक है।

विवरण

आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश (मंडी कुल क्षेत्र), केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मैसूर, पंजाब (पेपसू क्षेत्र), राजस्थान और पश्चिमी बंगाल (उत्तरी बंगाल क्षेत्र और कलकत्ता शहर) में सड़क परिवहन निगम स्थापित हो चुके हैं। दादरा और नगर हवेली, गोवा, डामन और दीव/लकादीव, मिनिकाय और अमनदिवी द्वीपों, नेफा, पांडिचेरी और त्रिपुरा में सड़क परिवहन सेवाओं का राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ है। अंडमान और निकोबार द्वीपों में सड़क परिवहन सेवाओं के विस्तार की व्याप्ति सीमित है और फलस्वरूप संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का विचार है कि सड़क परिवहन निगम बनाने का अभी समय नहीं हुआ है, दिल्ली परिवहन उपक्रम को निगम में बदलने का प्रश्न केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन है। तामिलनाडू की सरकार ने सूचित किया है कि उसका सड़क परिवहन निगम को नियुक्त करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। उड़ीसा में सड़क परिवहन निगम बना था परन्तु 1.6.1968 से परिसमाप्त कर दिया गया है। राज्य सरकार का इस समय विषय को पुनः खोलने का विचार नहीं है। आसाम हरियाणा, हिमाचल प्रदेश (मंडी-कुलु क्षेत्र के अलावा), पंजाब (पेपसू क्षेत्र के अलावा, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश सरकार और चण्डीगढ़ प्रशासन सड़क परिवहन निगमों के गठन के प्रश्न पर विचार कर रहा है। 1968 में परिवहन विकास परिषद के 1968 के इस निष्कर्ष के अनुसार कि जिन राज्य सरकारों ने सड़क परिवहन निगम नहीं बनाये हैं वे यथाशीघ्र ऐसे निगमों का गठन कर लें, उनसे इस विषय में लिखा-पढ़ी की जा रही है।

2. परिवहन विकास परिषद की 1968 में हुई बैठक इस बात पर भी सहमति हुई कि केन्द्रीय सरकार का राज्य सड़क परिवहन निगमों की पूंजी में अंशदान 33/3 प्रतिशत के समान स्तर पर होना चाहिए और जहां वर्तमान निगमों में ऐसा अंशदान कम हो वहां बढ़ाकर 33⅓ प्रतिशत कर देना चाहिए। रेल मंत्रालय जो केन्द्रीय सरकार की ओर से राज्य सड़क परिवहन निगमों को अंशदान देता है, ने दान की उपलब्धता के अधीन प्रत्येक मामले में कुल के 33⅓ प्रतिशत के समान स्तर पर देना स्वीकार किया है। वर्तमान निगमों में रेल का अंशदान बढ़ाने के प्रश्न पर, जहां इस समय यह 33⅓ प्रतिशत से कम है चौथी योजना को अन्तिम रूप दिये जाने पर वह मंत्रालय विचार करेगा।

Shri Maharaj Singh Bharati : It has been asked clearly in the question that how much progress has so far been made in the setting up of Road Transport Corporation with one-third share of the Railways and two-thirds of the State concerned, some mention of the Corporation has been made in the reply given but nothing has been said about the share of the Railway. It has been said at the end that the question of increasing the Railway's contribution in the existing Corporation where it is less than 33⅓ per cent at present, will be considered by that Ministry after the Fourth Plan is finalised. It some what evading reply.

Is it not a fact one of the arguments in support of the setting up of the proposed Corporation with one-third share of the Railway was that due to Rail-road competition, less number

of people travel by trains, therefore setting up of a Corporation in order to reduce the number of persons who travel by road transport and if so whether it is not a fact that it was one of the reasons for which the States did not agree to it?

Shri Iqbal Singh : The Hon. Member has not understood the thing properly. He has said that the Railway should contribute on third shares in all the Corporation of the country. These Corporations were set up on different dates in different circumstances. In some Corporations the Railway contribute the third share and in others it do not. In the meeting of the Transport Development Council held in Mysore it was recommended that Railway should contribute one-third share in all the Corporations and the Railway are considering the question. The Railway will contribute one third share in the Corporations to be set up in future but several States do not want to set up such Corporation and they want to run them as their own departments.

Shri Maharaj Singh Bharati : The fact is this that the purpose of the one-third contribution by the Railway was to check the Rail-Road competition and in this way more people may travel by trains.

Shri Iqbal Singh : So far as Railways are concerned, they will act according to the wishes of the States. The question of investment is a policy matter. So far as States are concerned, both Gujarat and Maharashtra have one-third share. Andhra, Bihar, Madhya Pradesh and Mysore have 25 per cent share. If the States want assistance from railways, they are willing to help. We want the railways to contribute more so that State Corporations could get more funds.

Shri Maharaj Singh Bharati : He has not followed my question and I do not think he will be able to follow it. I will now put another question. I would like to know the plans to provide transport facilities, whether by rail or road, around big cities during Fourth Five Year Plan?

संसद्-कार्य तथा परिवहन और नौवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मेरे सहयोगी ने प्रश्न का संतोषजनक उत्तर दिया है। प्रश्न यह था कि क्या रेलवे अपना हिस्सा बढ़ाकर एक-तिहाई करने के लिये तैयार हैं। उत्तर 'हां' में दिया गया था। जिन राज्यों में अभी तक एक तिहाई पूरा नहीं हुआ है, उसके सम्बन्ध में भी रेलवे ने धन उपलब्ध होने पर राशि बढ़ा मान लिया है। रेलवे द्वारा सहयोग न देने का कोई प्रश्न नहीं है। **(अन्तर्बाधायें)**

जहां तक परिवहन की व्यवस्था पर्याप्त न होने का सम्बन्ध है, सड़क परिवहन के बारे में जिम्मेवारी राज्य सरकारों पर है। कुछ ने यातायात सेवा का राष्ट्रीयकरण किया है और कुछ ने नहीं। हम यथासम्भव उन्हें मनवाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री लोबो प्रभु : परिवहन में राज्यों के भाग को बढ़ाने की उत्सुकता को मैं समझ नहीं पाया हूं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या कोई ऐसा राज्य परिवहन भी है जिसे लाभ हो रहा है और यदि हां, तो कितना? यदि राज्य परिवहन से लाभ नहीं होता, तो क्या हानि पहले करदाता से और फिर बसों का प्रयोग करने वालों से पूरी नहीं की जाती है।

श्री इकबाल सिंह : सौराष्ट्र सड़क परिवहन निगम तथा महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम लाभ कमा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश तथा उड़ीसा परिवहन निगमों को भी लाभ हो रहा है।

श्री रघुरामैया : 1965-66 में महाराष्ट्र सड़क परिवहन निगम को 58,95,000 रुपये का लाभ हुआ है तथा 1966-67 में 50,00,888 रुपये और 1967-68 में 23,51,000 रुपये लाभ हुआ है। उड़ीसा राज्य परिवहन निगम को पहले तीन वर्षों में 12,41,476 रुपये, चालू वर्ष में 9,44,553 रुपये तथा तीसरे वर्ष में 10,50,578 रुपये लाभ हुआ है। कई अन्य निगमों को भी लाभ हो रहा है।

नई दिल्ली में पत्रकारों के साथ पुलिस का दुर्व्यवहार

*1328. **श्री क० लकप्पा** :
श्री ए० श्रीधरन :
श्री यशपाल सिंह :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री नई दिल्ली में पुलिस द्वारा पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार करने संबंधी 13 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4389 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डिप्टी कमिश्नर द्वारा सरकार को दी गई रिपोर्ट पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सम्बन्धित व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) तथा (ख). 15 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 121 तथा 18 दिसम्बर, 1968 को सभा में हुई चर्चा के दौरान सरकार द्वारा किये गये स्पष्टीकरण की ओर आपका ध्यान दिलाया जाता है। सरकार ने उपायुक्त के प्रतिवेदन की जांच की है और पुलिस के सहायक अधीक्षक श्री कोहली को पत्रकारों सम्बन्धी घटना के बारे में अपना आधार स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। केन्द्रीय सुरक्षित पुलिस के अधिकारियों के विरुद्ध भी विभागीय कार्यवाही की जा रही है। उपायुक्त के प्रतिवेदन में उनके आचरण के बारे में भी प्रतिकूल टिप्पण किये गये हैं।

श्री क० लकप्पा : 19 सितम्बर, 1968 भारतीय इतिहास में एक काला दिवस है। पुलिस तथा श्री चह्वाण ने अत्याचारी जैसा व्यवहार किया है। समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता का अपमान किया गया। प्रश्न का संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया है। यह नहीं बताया गया है कि इस घटना से सम्बन्धित व्यक्ति तथा पत्रकार कौन थे। मैं जानना चाहता हूं कि जहां तक पत्रकारों के बारे में पुलिस के दुर्व्यवहार का सम्बन्ध है, सरकार ने क्या जानकारी प्राप्त की है और उसमें कितने व्यक्ति सम्बन्धित हैं।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं यहां आंकड़े नहीं बता सकता। जैसाकि मैंने कहा है, उपायुक्त ने दो प्रक्रमों में दो प्रतिवेदन तैयार किये हैं, दूसरा प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है यह प्रश्न पुनः उठाया गया है कि श्री कोहली के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है। जैसाकि मैंने कहा है, मैं इसकी जांच करूंगा, मेरे विचार में उपराज्यपाल ने उनसे स्पष्टीकरण मांगा है और स्पष्टीकरण प्राप्त हो गया है।

जहां तक कुछ अधिकारियों की गलतियों तथा त्रुटियों के सम्बन्ध में उनके विरुद्ध कार्यवाही करने का सम्बन्ध है, श्री रामचन्द्र राव द्वारा विभागीय कार्यवाही की जायेगी। अन्य कार्यवाहियों के बारे में प्रश्न उठाया गया है, विशेष रूप से उस व्यक्ति के बारे में जिसकी वहां मृत्यु हुई थी। केन्द्रीय जांच ब्यूरो को इस मामले की जांच करने के लिये कहा गया है और मुझे उसके प्रतिवेदन की प्रतीक्षा है।

श्री क० लकप्पा : इस प्रश्न के उत्तर में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि उसमें कुछ सन्देह व्यक्त किये गये हैं और माननीय सदस्य उन्हें छुपा रहे हैं। तथ्यात्केषण जांच समिति द्वारा इन्द्रप्रस्थ भवन के अन्दर तथा आसपास की घटनाओं के बारे में मुख्य-मुख्य तथ्य पहले ही बताये जा चुके हैं। सरकार ने तथ्यों की विस्तारपूर्वक जांच करने के लिये कोई न्यायिक निकाय नहीं बनाया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि न्यायिक जांच अनिवार्य है, मैं जानना चाहता हूं कि अब तक पता लगे तथ्यों के आधार पर भारत सरकार ने कोई न्यायिक जांच समिति बनाई है ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं इस प्रश्न का उत्तर सदन में कई बार 'न' में दे चुका हूं। उपायुक्त द्वारा जांच कराई गई थी और प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया है।

श्री ए० श्रीधरन : माननीय सदस्य ने कहा है कि इन्द्रप्रस्थ भवन में हुई घटना हमारे लोकतंत्र के लिये शर्मनाक है तथा देश में नागरिक अधिकारों का उल्लंघन है, गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि कुछ पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध कुछ कार्यवाही की गई है। देश के विभिन्न भागों में पुलिस द्वारा अत्याचार किये गये हैं। क्या गृह-कार्य मंत्री ने कभी इस बात पर विचार किया है कि बड़े पैमाने के आन्दोलनों के बारे में पुलिस के व्यवहार सम्बन्धी एक आचार संहिता होनी चाहिये ताकि उन पर नियंत्रण करने के लिये कम से कम शक्ति का प्रयोग किया जाये।

श्री यशवन्तराव चह्वाण : न केवल आचार संहिता, बल्कि विधि के अन्तर्गत उनसे दृढ़ता, सूझ-बूझ तथा धैर्य की आशा की जाती है। इसमें कोई संदेह नहीं कि उनसे कम से कम शक्ति का प्रयोग करने की आशा की जाती है। परन्तु उन्हें किन परिस्थितियों में शक्ति का प्रयोग करना पड़ता है, परिस्थितियों, अवसर तथा घटना पर निर्भर करता है।

भारतीय प्रशासनिक सेवा /भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

*1329. **श्रीमती सावित्री श्याम :**
श्री अ० कु० गोपालन :
श्री के० एम० अब्राहम :
श्री सी० के० चक्रपाणी :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा संवर्गों के अधिकारियों की राज्यवार संख्या कितनी-कितनी है ; और

(ख) क्या अखिल भारतीय सेवाओं के लिये चयन में राज्यवार कोटा नियत करने के किसी प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है ।

(ख) जी नहीं ।

विवरण

पदावली का नाम	अधिकारियों की संख्या	
	भारतीय प्रशासनिक सेवा	भारतीय पुलिस सेवा
1. आंध्र प्रदेश	185	85
2. आसाम	116	65
3. बिहार	205	95
4. गुजरात	154	70
5. हरियाणा	90	39
6. जम्मू तथा काश्मीर	52	28
7. केरल	85	39
8. मध्य प्रदेश	213	173
9. महाराष्ट्र	225	131
10. मैसूर	136	78
11. उड़ीसा	156	90
12. पंजाब	125	52
13. राजस्थान	136	85
14. तमिलनाडु	160	67
15. उत्तर प्रदेश	288	191
16. पश्चिमी बंगाल	187	137
17. संघ राज्य क्षेत्र	133	68
कुल	2646	1493

श्री के० एम० अब्राहम : वक्तव्य से पता लगता है कि केरल जैसे छोटे राज्य में भी भारतीय प्रशासनिक सेवा में 85 तथा भारतीय पुलिस सेवा के 39 अधिकारी हैं। इन अधिकारियों पर राज्यों द्वारा किये जाने वाले भारी व्यय को देखते हुए क्या सरकार इन अधिकारियों को राज्यों में भेजना बन्द करेगी क्योंकि वे राज्य उन पदों पर अपने अधिकारी रख सकते हैं।

श्री विद्याचरण शुक्ल : भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार राज्यों में नहीं भेजती है। राज्य भारतीय पुलिस सेवा तथा भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी केन्द्र में भेजते हैं और राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानि होने का कोई प्रश्न नहीं है। वे अपने गुणों के आधार पर सेवा में आते हैं और वे बहुत अच्छा कार्य करते हैं।

श्री के० एम० अब्राहम : क्या कोई ऐसा प्रस्ताव है कि राज्य सेवा पदाली शुरू की जाये और राज्य पदालियों में से अखिल भारतीय सेवाओं के लिये व्यक्ति चुने जायें ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : इन सबका परीक्षा के आधार पर फैसला किया जाता है और कोई मतभेद नहीं होता है। उन्हें केवल गुणों के आधार पर भर्ती किया जाता है। कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

श्री कंडप्पन : यह दुर्भाग्य की बात है कि लोग इस बात के लिए दबाव डाल रहे हैं कि अखिल भारतीय सेवाओं के लिये राज्यों के आधार पर कोटा होना चाहिये। यदि इसे मान लिया जाये, तो अखिल भारतीय सेवा का आधार ही समाप्त हो जायेगा। यह प्रश्न इसलिये उठाया जा रहा है कि ऐसा अनुभव किया जा रहा है कि कुछ राज्यों का अखिल भारतीय सेवाओं में बड़ा हिस्सा है।

संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में भारत की सभी राष्ट्रीय भाषायें शुरू करने के भारत सरकार के निर्णय से यह प्रश्न प्रमुख हो गया है, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार अखिल भारतीय स्तर पर पदाली पहले की भांति बनाये रखेगी अथवा उसमें कोई परिवर्तन किया जायेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं पहले ही इसका उत्तर 'न' में दे चुका हूं।

श्री एस० कण्डप्पन : मेरा प्रश्न यह था कि जब सरकार ने निर्णय किया है कि सभी राष्ट्रीय भाषाओं में परीक्षा ली जायेगी तथा अंग्रेजी समाप्त कर दी जायेगी, तो यह आवश्यक हो जायेगा कि चयन राज्य के स्तर पर किया जाये।

श्री विद्याचरण शुक्ल : यह आवश्यक नहीं है कि राष्ट्रीय भाषायें शुरू होने के कारण अप्रत्यक्ष रूप से कोटा प्रणाली हो जायेगी। सभी कुछ उम्मीदवारों के गुणों पर निर्भर करेगा। भाषाओं के अनुपात पर निर्भर करने का कोई प्रश्न ही नहीं है।

Shri Nitiraj Singh Chaudhary : The statement laid on the Table shows the number of I. A. S. and I. P. S. officers needed in each State and Union territory. Does this number include the I. A. S. and I. P. S. officers coming to the Centre from the states.

श्री विद्याचरण शुक्ल : जो संख्या बताई गई है, उसमें सभी पद शामिल हैं ।

श्री गिरिराज शरण सिंह : क्या इन भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की सरकारी कार्यालयों में नियुक्ति से पहले उन्हें कुछ समय के लिये विदेशों में अपने दूतावासों में नियुक्त करने की सरकार की कोई योजना है ताकि उन्हें पता चल सके कि विश्व में क्या हो रहा है न कि वे किसी विशेष जिले अथवा तालुके के साथ ही बंधे रहें ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : उन्हें भारतीय परिस्थितियों तथा भारत के बारे में जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है न कि विदेशों के बारे में । इसी कारण हम किसी को विदेश में नहीं भेजते हैं ।

श्री वेदव्रत बरुआ : कई बार राज्य की पदालि में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का अनुपात अन्य अधिकारियों से अधिक होता है । इन कनिष्ठ अधिकारियों की तुलना में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को पदोन्नति आदि के बारे में कुछ विशेषाधिकार हैं । क्या यह सच नहीं है कि भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी राज्य सरकारों के सुझाव पर चुने जाते हैं । क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि आसाम जैसे छोटे राज्य में लगभग 116 भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं जबकि उत्तर प्रदेश में, जो आसाम से पांच गुना बड़ा है केवल 160 अधिकारी हैं । क्या कोई ऐसा सिद्धान्त है जिसके आधार पर यह वितरण किया जाता है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : ऐसा प्रत्येक राज्य की आवश्यकता के आधार पर किया जाता है । मुझे इस समय आसाम की विशेष आवश्यकताओं के बारे में जानकारी नहीं है । परन्तु किसी राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी फालतू नहीं हैं ।

Shri Shiv Charan Lal: I would like to know the percentage of Harijans in I. A. S. and I. P. S. and the time by which you intend to hold examinations for I. A. S. etc. in Indian languages.

Shri Vidya Charan Shukla : I cannot tell the percentage of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in those services. However, I can say that the quota fixed for Harijans and tribals is being filled by those classes for the past 6 or seven years. Previously the candidates belonging to those classes did not get through those examinations because they did not have necessary training for the same. Now two institutes at Allahabad and Madras have been established to impart training to the candidates of Scheduled Castes and Scheduled Tribes before appearing in the examination. As a result thereof all the posts reserved for them are filled by the candidates belonging to those castes. The Members will be pleased to know that the candidates belonging to Scheduled Castes and Scheduled Tribes obtained first and second position in the last one or two examinations.

Shri Shiv Charan Lal : What about examination in Indian languages ?

Shri Vidya Charan Shukla : Examination in two compulsory papers in 15 Indian languages will be held since October to begin with. Efforts will be made to take further steps every year.

Shri Ram Charan : The States and the Centre have separate cadres. The Ministers bring their own men on deputation from the States for posts created in the Centre. I would like to know whether those people will be appointed on the basis of seniority.

Secondly, the Officers belonging to Scheduled castes are totally neglected in the matter of deputation. I would like to know whether they will be appointed on deputation on the basis of their percentage.

Shri Vidya Charan Shukla : It is wrong to say that appointments are made on personal connections. The name of officers for deputation are sent by State Governments. They are selected on the basis of ability. There is no question of favouritism.

Shri Ram Chandra : I can quote names.

Shri Vidya Charan Shukla : If there is any such case we are willing to look into them.

Shri Prakash Vir Shastri : The Deputy Chief Minister of West Bengal has told the press correspondents in Calcutta that the Home Minister has accepted in principle the question of amending the constitution to end All India Services. I would like to know how far it is correct.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं जानता कि उन्होंने ऐसा कहा है अथवा नहीं परन्तु मैंने ऐसा कोई वक्तव्य नहीं दिया है ।

Migrants to Pakistan

*1331. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5274 on the 20th December, 1968 and State :

(a) whether the Central Government have since considered the request of the Rajasthan Government for taking action against the persons who had gone to Pakistan during the Indo-Pak conflict in 1965 ;

(b) if so, the decision taken thereon ; and

(c) if not, the time by which a decision in this regard is likely to be taken ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) to (c). On careful examination it transpires that the existing provisions of law are sufficient to deal with the problem. Suitable instructions have been sent to the State Government and the other authorities concerned.

Shri Ram Swarup Vidyarthi : The Government of Rajasthan had written to the Central Government during 1965 conflict with Pakistan that a number of persons on Rajasthan border had gone over to Pakistan and they had helped that country which resulted in loss to

us. That Government also pleaded to terminate their rights of citizenship. Now the Minister says that they can be prosecuted under the existing laws and there is no need to terminate their rights of citizenship. I would like to know the reasons therefor.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैंने नागरिकता समाप्त करने के बारे में विचार व्यक्त नहीं किये हैं । प्रश्न यह है कि क्या इस सम्बन्ध में विद्यमान कानून पर्याप्त है अथवा नहीं ? हमारा उत्तर 'हां' में है ।

Shri Ram Swarup Vidyarthi : What decision have you taken on the request of Government of Rajasthan to terminate citizenship rights of the persons who had left for Pakistan ?

श्री यशवन्तराव चह्वाण : मैं नहीं जानता कि क्या कार्यवाही की गई है ?

Shri Ram Swarup Vidyarthi : Sir, I would like to know whether any scheme will be formulated to evacuate all the border areas and resettle retired military personnel in such areas so that they could protect the country during war and the area could be cleared of the persons who are likely to hit the security of the nation.

श्री यशवन्तराव चह्वाण : यह सुझाव कई बार दिया गया है और कई स्थानों पर आजमाया भी गया है । मैं नहीं कह सकता कि सभी क्षेत्रों में समान नियम बनाया जा सकता है।

Entry Fee Charged from Visitors at Airports

+

*1332. **Shri Prakash Vir Shastri :**

Shri Deven Sen :

Shri Shiv Kumar Shastri :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether Government have received some letters to the effect that the entry fee charged from visitors at airports is excessive ;

(b) whether the said entry fee has been imposed to reduce overcrowding at airports or to make it a source of income ; and

(c) whether the said entry fee would be utilized for increasing facilities for the visitors ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्रालय में उपमंत्री (डा० सरोजिनी महिषी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रवेश शुल्क यात्रियों तथा उनके सामान की शीघ्रता से यातायात व्यवस्था की दृष्टि से हवाई अड्डों पर यात्री-लाउंजों में अत्यधिक भीड़ के एकत्रित होने को निरुत्साहित करने के लिये चालू किया गया है ।

(ग) राजस्व भारत की संचित निधि में जमा कर दिया जाता है तथा उसे किसी विशेष प्रयोजन के लिए निर्धारित नहीं किया जाता । परन्तु चौथी योजना में हमारे चारों अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर जहां कि यह प्रवेश शुल्क लिया जाता है, काफी सुधारों की व्यवस्था की गयी है ।

Shri Prakash Vir Shastri : Has this decision of the Ministry of Tourism and Civil Aviation been taken to increase the income of the Department or to discourage overcrowding at the airports and in which of the above aims success has been achieved ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : Both the view points were involved in it. Firstly it was to avoid large gathering at the airports and secondly to make it a source of income to meet the huge expenditure on Fourth Five Year Plan. I hope that we would be earning about one to one and a half crores of rupres from this source. In this way we have achieved success from both points of view.

Shri Prakash Vir Shastri : Initially, it was proposed to levy entry fee of four or eight annas but now it has been fixed at Re. 1. Why do not you term it as tax instead of entry fee when the purpose behind it is to enhance the income ?

Dr. Karan Singh : We have fixed Re. 1 because it facilitate calculation.

As far as the question of difficulty to the passenger is concerned, he need not pay the entry fee but other persons who accompany him to the airport must pay something.

Shri Deven Sen : The hon. Minister should be aware that there is no system of entry fee in big airports of the world. There is no entry fee in Pakistan as well. May I know from the hon. Minister whether this does not lead to air mindedness in the gathering at airports and whether it is resulting in an advantage or not ?

Dr. Karan Singh : There are many countries where this fee is charged. So far as the question of air mindedness is concerned, there is a free passage where people can go and see the aeroplanes. They are not charged any fee. The fee is charged from only those persons who go inside and make use of the facilities of the terminal building.

अल्प सूचना प्रश्न

SHORT NOTICE QUESTION

छापी (गुजरात) में रेलवे मंत्री द्वारा दिया गया कथिक वक्तव्य

+

अ०सू०प्र०सं० 17 श्री नन्द कुमार सोमानी : **श्री इरास्मो डी० सेक्वीरा :**

श्री रणधीर सिंह : **श्री समर गुह :**

श्री शिवाजीराव शं० देशमुख :

क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने छापी (गुजरात) में एक चुनाव सभा में भाषण देते हुए मेल गाड़ियों के रुकने, नई गाड़ियां चलाने, स्थानीय रेलवे कालोनी के लिये अतिरिक्त सुविधायें प्रदान करने आदि के बारे में कुछ वचन दिये थे;

(ख) यदि हां, तो क्या एक कांग्रेसी प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनाव सभा में भाषण देते समय नीति सम्बन्धी इस प्रकार की घोषणा करना उनके लिए उचित था ; और

(ग) क्या यह बनसकंठा के मतदाताओं पर प्रभाव डालने के लिये पद का दुरुपयोग किया जाना है ?

रेलवे-मंत्री (डा० राम सुभग सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). प्रश्न ही नहीं उठते ।

श्री नन्द कुमार सोमानी : कल ही इस विषय पर श्री नाथ पाई ने ध्यान दिलाने वाली सूचना दी थी । आज फिर इन कदाचारों के बारे में यह अल्प सूचना प्रश्न आ गया है । इस तरह की बातें शर्मनाक हैं ।

मेरे पास पांच ब्रिटिश मामले हैं जिनके बारे में माननीय डा० राम सुभग सिंह ने गत सप्ताह बनसकंडा निर्वाचन क्षेत्र में वचन दिये हैं । यह शिकायत चुनाव आयुक्त के पास भेजी गई है और चुनाव आयुक्त ने मुझे यह उत्तर दिया है कि कागजात डा० राम सुभग सिंह के पास भेज दिये गये हैं । यह भला किस प्रकार का न्याय है ? मैं इन पांचों मामलों को बताऊंगा । पहला है कि छापी में डाकगाड़ी रुकेगी; दूसरा है कि मेहसाना और पालनपुर के बीच एक अतिरिक्त गाड़ी चलेगी; तीसरा है कि पालनपुर में एक ऊपरी पुल की व्यवस्था की जायगी; चौथा है कि पालनपुर में रेलवे कालोनी के लिये पानी की व्यवस्था की जायेगी और पांचवां है कि राजनपुर और हारजी के बीच एक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण किया जायेगा । रेलवे मंत्रालय की ओर से ऐसे अवसर पर इस प्रकार की विस्तृत जांच करने का क्या औचित्य है ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान, माननीय सदस्य ने इस प्रश्न के भाग (क) में पूछा है कि क्या मैंने छापी में हुई बैठकों में डाक गाड़ी के रुकने के बारे में कुछ वायदे किये थे और उन्होंने कदाचारों का उल्लेख किया । वे उन कदाचारों से पूर्णतया परिचित होंगे जिनमें वे लगे हुये हैं....

श्री नन्दकुमार सोमानी : कौन ?

डा० राम सुभग सिंह : स्वयं वह—श्री सोमानी (**अन्तर्बाधाएं**)

श्री नन्दकुमार सोमानी : श्रीमन् मैं इसमें किस प्रकार आता हूं । (**अन्तर्बाधाएं**)

कुछ माननीय सदस्य उठे ।

डा० राम सुभग सिंह : मैं जवाब दे रहा हूं । आप इतने अधीर क्यों हो रहे हैं । किसी भी व्यक्ति ने मुझसे ये प्रश्न नहीं पूछे और न ही मुझसे इन सुविधाओं की मांग की । छापी में दो सभायें हुई थीं । मेरी समझ में नहीं आता कि स्वतंत्र दल के इन सदस्यों ने कहां से ये बातें गढ़ी हैं । ये पूर्णतया निराधार और गलत हैं ।

Shri Madhu Limaye : I have a point of order. Why the hon, member is making election speech here and making false allegations against others ? He has no right to do so ?

Shri Randhir Singh : This is election strategy.

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति । यह अल्प-सूचना प्रश्न है । सदस्य केवल प्रश्न पूछ सकते हैं ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : उत्तर देते समय डा० राम सुभग सिंह ने ऐसी बातें कही हैं जिनसे इस सभा की व्यवस्था का उल्लंघन होता है क्योंकि उन्होंने एक सदस्य के विरुद्ध इस प्रकार के आरोप लगाये हैं जो अक्षम्य हैं।

श्री नन्दकुमार सोमानी : उनका व्यवहार अत्यधिक अनुत्तरदायी है। वह इन शब्दों को वापस लें।

डा० राम सुभग सिंह : क्यों ? आप अपने झूठे आरोपों को वापस लें।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। जिस समय डा० राम सुभग सिंह ने यह कहा था कि वह स्वतंत्र दल के सदस्य को जानते हैं, रंगा जी ने इस पर आपत्ति की थी और पूछा था कि वह क्या जानते हैं। या तो श्री सोमानी कह सकते हैं कि श्री रंगा के प्रश्न का उत्तर दिया जाना चाहिये अथवा वह स्वयं प्रश्न पूछ सकते हैं अथवा डा० राम सुभग सिंह स्वयं स्पष्टीकरण दे दें।

श्री हेम बरुआ : नियमों के अनुसार प्रश्न काल का प्रयोजन यह है कि उसमें जानकारी मांगी जाय और मंत्री जी जानकारी प्रदान करें। उन्हें आरोप लगाने का अधिकार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : वस्तुतः श्री रंगा की यही तो आपत्ति है। हमें उन्हें उत्तर देने का मौका देना चाहिए।

श्री हेम बरुआ : यदि नियमों का पालन न किया जाय, तो क्या आपका यह कर्तव्य नहीं है कि हमें संरक्षण दिया जाय ?

अध्यक्ष महोदय : बात बिल्कुल साधारण है। डा० राम सुभग सिंह ने कहा है कि डाक गाड़ी आदि के रुकने के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। परन्तु एक प्रत्युत्तर के रूप में उन्होंने कहा ....

श्री नन्द कुमार सोमानी : श्रीमन्, यह किस प्रकार का प्रत्युत्तर है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास कोई जानकारी है ? श्री सोमानी ने क्या किया है ?

डा० राम सुभग सिंह : उन्होंने कहा कि इस प्रकार के कदाचार किये गये। अतः मैंने कहा "मैंने कुछ नहीं कहा ; कदाचारों में रत रहना आपका एकाधिकार हो सकता है।"

श्री रंगा : वह यह कह सकते थे कि उन्हें इनकी जानकारी नहीं है अथवा वे सही नहीं हैं। परन्तु उनका यह कहना गलत था कि श्री सोमानी के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है। मैं इस बात को रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि मुझे उनके अनावश्यक टिप्पणों पर बहुत अधिक आपत्ति है जो कि पूर्णतया निराधार हैं। चूंकि वे सरकार में हैं, अतः उन्हें उत्तर देना है। हमें उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है। हम इस बात को सिद्ध करने के लिये तैयार हैं कि श्री सोमानी ने कोई गलत क्रियाकलाप अथवा गलत ढंग से चुनाव प्रचार अथवा इस प्रकार की कोई अन्य बात नहीं की है।

डा० राम सुभग सिंह : पहिले उन्होंने ही "कदाचार" शब्द का प्रयोग किया है और यदि वह यह चाहते हैं कि मैं इसको मान लूं तो मैं इसके लिये तैयार नहीं हूं ।

Shri Mudhu Limaye : The Court has given its verdict that Shri Somani has not adopted any malpractice while now he hon. Member is making allegation that he had indulged in malpractice, The hon. Member has insulted the Court. This is my point of order No. 1.

My second point of order is this. The allegation has been published in "Gujarat Express" If at all it has been manufactured it has been done by the "Gujarat Express." Shri Somani is not the owner of 'Gujarat Express. Allegations should be levelled against this paper.

अध्यक्ष महोदय : हमें इस बात को अधिक नहीं बढ़ाना चाहिये । श्री रंगा ने आपत्ति की है और यह रिकार्ड पर है कि उन्होंने आपत्ति की है । आप इन बातों को कार्यवाही वृत्तान्त में तब तक नहीं निकाल सकते जब तक कि ये असंसदीय अथवा इस प्रकार की न हों ।

श्री ही० ना० मुकर्जी : क्या इस प्रकार के आरोप, चाहे वे माननीय मंत्री ने लगाये हों अथवा माननीय सदस्य ने, कार्यवाही वृत्तान्त में इसी प्रकार से शामिल हो जायेंगे । मेरे विचार से सभा के नियमों के अन्तर्गत सभा में इस प्रकार के आरोप नहीं लगाये जा सकते । इसलिये इस मामले में आप के हस्तक्षेप की आवश्यकता है ।

अध्यक्ष महोदय : नियमों में यह व्यवस्था है कि कौन-कौनसी बातों को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला जाना चाहिये । ऐसा नहीं है कि सभा में लगाये गये प्रत्येक आरोप को कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया जाये । प्रश्न करने से पहिले सम्बन्धित माननीय सदस्य आरोप लगाने में 5 मिनट लगाते हैं । क्या मैं उन सब आरोपों को निकाल दूं । मैं अब इस विषय पर और अधिक चर्चा की अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री नन्दकुमार सोमानी : मैं इन शब्दों को सभा की कार्यवाही से निकलवाना नहीं चाहता इसी के साथ-साथ मैं पुनः कहना चाहूंगा कि ये खबरें मेरी ओर से नहीं निकली हैं और न ही मेरा उन समाचारपत्रों से कोई सम्बन्ध है जिन्होंने इनको प्रकाशित किया है । मुझे डा० राम सुभग सिंह द्वारा लगाये गये आरोप पर कड़ी आपत्ति है । क्या सदस्यों को प्रकाशित कागजातों और समाचारपत्रों के आधार पर इस सभा में बातों को उठाने का अधिकार नहीं है । खैर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है । क्या उन्होंने श्री एस० के० पाटिल के साथ वाणिज्य मंडल की एक बैठक में ये सब वायदे किये थे अथवा क्या उन्होंने यह कहा था कि वह इन मामलों की विस्तृत जांच करेंगे जिसका आशय बनसकंठा के मतदाताओं के दिल में यह धारणा पैदा करना था कि यदि श्री पाटिल जीत गये, तो रेलवे मंत्री इन सब बातों को कार्य रूप देंगे ?

डा० राम सुभग सिंह : यह पूर्णतया गलत है । इसका कोई आधार नहीं है ।

श्री रणजीत सिंह : क्या माननीय मंत्री जी का दौरा सरकारी था अथवा गैर-सरकारी ? दूसरे क्या चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार, श्री एस० के० पाटिल, दौरे के दौरान उनके साथ

थे ? तीसरे, क्या दौरे के दौरान किसी व्यक्ति ने ये मांगें रक्खी थीं जिनका माननीय सदस्य ने सभा में उल्लेख किया है ? चौथे क्या यह सच नहीं है कि भ्रष्ट तरीकों के आधार पर चुनाव याचिका प्रस्तुत करने के लिये चुनाव में हारे स्वतंत्र दल के उम्मीदवार द्वारा चुनाव याचिका के लिये सामग्री एकत्र करने के लिये ये सब निराधार आरोप लगाये जा रहे हैं ?

डा० राम सुभग सिंह : मेरा दौरा पूर्णतया गैर-सरकारी था। यदि कोई सदस्य चाहे, तो वे दौरे के कार्यक्रम की प्रति देख सकते हैं। श्री पाटिल मेरी किसी भी चुनाव सभा में उपस्थित नहीं थे। तीसरे, चुनाव सभाओं में, जहां तक रेलवे का सम्बन्ध है, किसी भी व्यक्ति ने सुविधाओं की मांग नहीं की।

श्री रणधीर सिंह : मेरे अन्तिम प्रश्न का क्या हुआ ?

डा० राम सुभग सिंह : वह श्री सोमानी की नीति हो सकती है।

श्री कण्डप्पन : मुझे इस बात का बहुत खेद है कि विरोधी दलों के अनेक नेताओं की आपत्तियों और आपके टिप्पण के बाद भी माननीय मंत्री ने खेद प्रकट नहीं किया है। यदि माननीय मंत्रियों को समाचार-पत्रों में प्रकाशित खबरों का हवाला देने पर हमारे विरुद्ध आरोप लगाने की अनुमति दी जायेगी, जैसा कि श्री सोमानी के मामले में किया गया है, तो हमारे लिये प्रश्न पूछना बहुत कठिन हो जायेगा। मैं एक सीधा प्रश्न पूछना चाहूंगा। क्या केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों और देश के प्रमुख राजनैतिक दलों के साथ विचार-विमर्श करके इस बात के लिये तैयार है कि एक स्वथ्य परम्परा स्थापित की जाय जिसके अन्तर्गत मंत्रीगण उपचुनावों में चुनाव अभियान में न जायें और समूचा मंत्रिमंडल आम चुनावों से तीन महीने पहिले त्याग-पत्र दे दे ?

डा० राम सुभग सिंह : मुझे किसी भी प्रकार का खेद नहीं है जो मैं व्यक्त करूं।

Shri S. M. Banerji : Is it a fact that when the Hon. Minister reached the meeting place, nobody turned up there to listen him and the people had told him to give the assurance, without which they were not prepared to hear him.

Dr. Ram Subhag Singh : As regards attendance in meetings we have no experience of this kind. I had gone to Kanpur also where the gathering was unprecedential and the people came on camels and bullock-carts.

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether the Ministers of their party, whenever their Government exist, have not gone to those places where by-elections have been held ?

Shri Ram Murti : No, Sir (**Interruptions**)

Shri Bibhuti Mishra : Last time Shri Karuna Nidhi had gone to defeat Sri Kamraj. Is Shri Jyotirmay Basu not proceeding to Midnapore ? Is Government going to formulate any rule to the effect that whenever any Minister whether he belongs to Congress Party or any other party, goes any where in connection with elections, he should not speak anything about the grievances and demands put forth by the resident of that area ?

श्री कण्डप्पन : मैंने तो चुनौती दी है। केन्द्र नियम और विनियम तैयार करे और संविधान में भी संशोधन करे। हम इसके लिये तैयार हैं।

Shri Madhu Limaye : Sir, Is he putting a question or giving an answer ?

Shri Bibhuti Mishra : May I know whether Government is going to form any code of conduct for the Ministers, whether they belong to congress Party or any other party, who talk of interest of the people ?

Dr. Ram Subhag Singh : You have asked a very good question for them that they should follow this ethics.

Shri Prakash Vir Shastri : May I know whether healthy traditions would be established in this House by not making this Parliament a forum to discuss such things at a time when general elections or bye-elections are going on which may have a favourable effect on one party and an adverse effect on the other ?

Dr. Ram Subhag Singh : Nobody should have raised such a question in the house.

श्री हेम बरुआ : क्या मैं जान सकता हूं कि जब विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र में मंत्री जी के कदाचारों और उनके द्वारा दिये गये अनेक प्रकार के आश्वासनों के बारे में समाचार-पत्रों में समाचार प्रकाशित हुये थे तो उन्होंने उसी समय इन समाचारों का खंडन क्यों नहीं किया ?

डा० राम सुभग सिंह : सत्यता यह है कि मैंने अभी तक समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचार नहीं देखा है । जब मैं दिल्ली वापस आया, तो राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक चल रही थी । उसके बाद, मैं विहार चला गया था और कल ही लौटा हूं । कल आते ही मुझे यह अल्प-सूचना प्रश्न मिला । मुझे इस बात पर आश्चर्य हुआ कि मेरे विरुद्ध इस प्रकार की कहानी क्यों गढ़ी गई । जिस समय मैं इस प्रकार के कदाचारों में रत हो जाऊंगा, उस समय मैं इस सभा का सदस्य नहीं रहूंगा । मैंने छापी में हुई बैठक में ऐसी कोई बात नहीं कही जिसका अप्रत्यक्ष रूप से भी यह अर्थ निकलता हो कि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की रेलवे रियायत दी जायेगी ।

Shri Madhu Limaye : From his reply, it has become evident that he did not give any assurance of this sort. Will the hon. Minister find out whether there was some under standing to publish electorate such news in Western times and Gujarat Express which may give an impression to the electorate that these things are being provided and they may vote for Patil ? Will he issue a statement to the press to the effect that he neither gave any assurance nor Shri Patil was present in the meeting ?

Dr. Ram Subhag Singh : I would like to say in clear terms that Shri Patil was not present in any meeting, especially in meetings which took place in Chapi and I in any meeting.

Shri Madhu Limaye : I have accepted it

Dr. Ram Subhag Singh : I never gave any assurance about Railway in any meeting and nobody asked about it in any meeting.

Shri Madhu Limaye : What is the guarantee that he will publish it ? It has been the practice on the part of the Government that whenever such false news are published the Public Relations Officer writes a letter to the concerned newspaper that the news published in it is wrong ?

Dr. Ram Subhag Singh : It has never been my habit to take anybody's help for myself.

श्री सु० कु० तापड़िया : जब वैदेशिक कार्य मंत्रालय ने प्रतिरक्षा मंत्री की बात का खंडन किया था, तो उसका स्पष्टीकरण किया गया था। फिर रेलवे मंत्रालय स्पष्टीकरण क्यों नहीं कर सकता ?

श्री अ० सि० सहगल : माननीय सदस्य द्वारा दी गई खबर का आधार क्या है ? इस प्रश्न को कैसे स्वीकार किया गया है ? क्या यह माना गया है कि जो कुछ समाचारपत्रों में प्रकाशित होता है, वह सही होता है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह पूर्णतया गलत है। यह प्रश्न गलत धारणा पर आधारित है।

श्री क० लकप्पा : लोकतन्त्र में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। चुनावों के दौरान उन्होंने मतदाताओं को किन्हीं बातों के लिए बचन दिया है या नहीं और ऐसा करना कदाचार है अथवा नहीं, इसका पता लगाया जाना चाहिये।

जहां तक अन्य पहलुओं का सम्बन्ध है, उनके पास उनका उत्तर नहीं है और इस सभा को वह इनका उत्तर नहीं दे सकते।

सभा में भी यह कहा गया है कि देश में निष्पक्ष चुनाव होने चाहिए। परन्तु दुर्भाग्यवश इस सरकार ने कोई भी आश्वासन नहीं दिया है। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि हमारे दल ने भी नागरकोइल चुनावों में प्रचार किया है। विरोधी राजनैतिक दल केन्द्रीय सरकार के साथ इसके लिए बातचीत करने के लिये तैयार हैं कि चुनावों के दौरान पालन करने के लिए कुछ सिद्धान्त और आचरण संहिता तैयार की जाय और क्या एक मंत्री, जिसको इतने अधिकार प्राप्त हैं, चुनाव अभियान में भाग ले सकता है ? क्या भारत सरकार देश में कुछ स्वस्थ परम्परायें स्थापित करने के लिये राजनैतिक दलों से बातचीत करने के लिये तैयार है ?

डा० राम सुभग सिंह : यह बातचीत पहिले ही हो चुकी है। माननीय गृह मंत्री जी ने एक बैठक बुलाई थी जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे। इसका उद्देश्य आचरण संहिता तैयार करना था। अब मैं दूसरी बातों पर आता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि मैंने कोई वायदा नहीं किया, कोई रियायत नहीं दी और मैं कोई स्वीकारोक्ति करने के लिये तैयार नहीं हूं।

Shri D. N. Tiwari : As a result of her tour, those people who were of waivering mind decided to vote for Congress. This made the members of opposition party nervous and they began to publish baseless news. Is this correct ?

Dr. Ram Subhag Singh : I cannot say that it was a result of my tour but it is a fact that they became nervous.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

Establishment of a Catholic University in Madhya Pradesh

*1321. **Shri Jagannath Rao Joshi** : **Shri Suraj Bhan** :
Shri Ranjit Singh : **Shri Brij Bhushan Lal** :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the foreign missionaries have decided to establish biggest

Catholic University in Asia in the backward and tribal areas of Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) the preventive measures taken to ensure that the funds of the said University and the management thereof are not utilized for religious conversions ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) No, Sir.

(b) and (c). Do not arise.

Quota in Indian Education Institutions for Children of Indian Citizens Settled Abroad

*1323. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that Indian citizens settled in foreign countries want to send their children to India for Medical and Engineering Education because of their regard for India and certain circumstances but the students have to return disappointed as the quota for foreign students is very small ;

(b) if so, whether Government propose to increase the quota, keeping in view the sentiments and circumstances of the Indians settled in foreign countries ; and

(c) if so, by how much and, if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (c). The demand for admissions to engineering colleges from all eligible foreign students including those of Indian origin is being met practically in full.

As for medical colleges, the number of seats reserved for such students is smaller than the demand, since the facilities available for medical education in our country are limited and the demand from students within the country is increasing. The question of whether the number of seats reserved for foreign students could be increased is under consideration.

Temporary Central Government Employees

*1324. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the total number of the Central Government employees ;

(b) the number of temporary employees out of them ;

(c) the number of employees who are being treated as temporary even after putting in more than 20 years, 15 years, 10 years and 5 years of service, separately ;

(d) the action being taken in this connection ; and

(e) the disadvantages suffered by the employees on account of remaining temporary for a long period ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e). A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-886/69]**

Qutab Minar, Delhi

*1326. **Shri Balraj Madhok :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Starred Question No. 1383 on the 26th July, 1967 and state :

(a) the total amount of expenditure incurred on the Committee appointed by Government in 1964 to go into the defects in the foundations of the Qutab Minar;

(b) whether it is a fact that no concrete steps have so far been taken for carrying out repairs to the Qutab Minar although three years have elapsed after the submission of the report of the aforesaid Committee whereas it was admitted that the foundation of the Qutab Minar had become weak and a scheme of Rs. 10,20,000 was drawn up for the repair work of the Qutab Minar; and

(c) the purpose of appointing such Committees if the recommendations of such Committees are not to be implemented or if their implementation is to be delayed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) No expenditure has been incurred on the Committee.

(b) and (c). The work of covering the area around the base of the Qutab Minar with brick work to prevent seepage of water into the foundation has been executed. No further repairs could be taken up during the past years due to non-availability of funds. It is, however, proposed to take up the work of strengthening the foundation during 1969-70.

अशोक होटल के उपभवन तथा "रिवाल्विंग टावर" के निर्माण के बारे में जांच

*1330. **श्री यज्ञदत्त शर्मा :**
श्री जुगल मण्डल :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 13 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4363 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक होटल के उपभवन तथा रिवाल्विंग टावर के निर्माण में हुई अनियमितताओं के बारे में की गई जांच के प्रतिवेदन पर इस बीच विचार कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन का ब्योरा क्या है तथा इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख) : जी, हां; रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तथा उस पर कार्रवाई की जा रही है।

इंजीनियरी कालेजों में स्थान कम करना

*1333. **श्री वेदव्रत बरुआ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंजीनियरों में विद्यमान बेरोजगारी को देखते हुये सरकार ने इंजीनियरी कालेजों में स्थान कम करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या सरकार का यह मत है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में जिस दर से विकास करने की योजना है उसके आधार पर भविष्य में इंजीनियर फालतू रहेंगे ; और

(ग) क्या इंजीनियरी कालेजों में स्थान कम करने के प्रस्ताव को तुरन्त लागू किया जायेगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). 1968-69 के शैक्षिक सत्र से, इंजीनियरी कालेजों में दाखिले की संख्या में चयनात्मक आधार पर कमी कर दी गई है। कम किये दाखिलों को अगले शैक्षिक सत्र में जारी रखा जाना चाहिए या नहीं, यह प्रश्न विचाराधीन है।

चौथी आयोजना के लिये इंजीनियरों की जरूरत होगी, इसका पुनः मूल्यांकन किया जा रहा है।

Road Accidents in Delhi

*1334. **Shri Raghuvir Singh Shastri :** Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the number of road accidents and the number of casualties have been increasing every year in Delhi :

(b) the figures of the last three years in this regard ; and

(c) the action Government propose to take to stop road accidents and to make the road Traffic safe ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : (a) to (c). A statement giving the information required is laid on the Table of the Sabha. [**Placed in Library. See No. L. T. 887/69**]

Schools and Colleges in Tents in Delhi

*1335. **Shri Kanwar Lal Gupta :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of schools which are run in tents and the number of Government Colleges which do not have their own buildings in Delhi at present ;

(b) the number of Schools which will remain running in tents and the number of colleges which will have their own buildings after the Fourth Five Year Plan ; and

(c) the steps being taken by Government to see that all the schools and colleges possess their pucca buildings and the time by which this would be done ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bakht Darshan) : (a) 118 Schools are being run in tents, in addition to 68, which are being run partly in tents. Ten Colleges sponsored by the Delhi Administration, do not have their own buildings.

(b) According to the information supplied by the Delhi Administration no existing School is expected to be without a building by the end of the Fourth Five Year Plan. Half the number of the existing colleges may have their own buildings.

(c) Efforts are being made by the Delhi Administration to provide pucca buildings to all the existing schools and colleges during the Fourth Plan. No definite time can, however, be given in this respect.

Activities of Christian Missionaries

*1336. **Shri Om Prakash Tyagi**: Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question 1777 on the 23rd February, 1968 and state :

(a) Whether Government have received any details from the Madhya Pradesh Government to the effect that the Christian Missionaries are trying to get the Government run schools closed in Madhya Pradesh ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, whether Government propose to investigate into the matter ; and

(d) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Complaints were received by the Government of Madhya Pradesh from the Adivasi area of Raigarh District that some teachers of Christian Missionary schools are persuading/intimidating adivasi children to leave Government schools and get themselves enrolled in Christian schools.

The State Government have issued instructions to heads of institutions run by Christian Missionaries to stop these activities failing which grant-in-aid being given to them by the State Government will be stopped and their recognition cancelled.

(c) and (d). Do not arise.

भारत में निरक्षरता

*1337. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले पन्द्रह वर्षों में देश में वर्षवार निरक्षर व्यक्तियों की संख्या तथा प्रतिशतता कितनी थी ;

(ख) देश में बढ़ रही निरक्षरता को कम करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ग) क्या आगामी पांच वर्षों में देश में निरक्षरता दूर करने के लिये देश के शिक्षित युवकों का 'साक्षरता दल' बनाने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) निरक्षर व्यक्तियों की संख्या और निरक्षरता की प्रतिशतता सम्बन्धी आंकड़े प्रति दस वर्ष की जाने वाली जनगणना के समय ही एकत्रित किये जाते हैं। 1951 और 1961 के वास्तविक आंकड़े और 1969 के अनुमान इस प्रकार हैं :—

वर्ष	निरक्षर व्यक्तियों की संख्या	निरक्षरता की प्रतिशतता
1951 (जनगणना)	29.8 करोड़	83
1961 (जनगणना)	33.4 करोड़	76
1969 (अनुमान)	34.9 करोड़	67

प्रत्येक वर्ष के अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) से (घ). निरक्षरता को शीघ्र समाप्त करने के लिये सभी बच्चों के लिये यथासम्भव शीघ्र अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था करना आवश्यक है। साथ ही प्रौढ़ व्यक्तियों में साक्षरता आंदोलन चलाना भी आवश्यक है। ये दोनों राज्यों के उत्तरदायित्व हैं। वित्तीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकारें प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की व्यवस्था कर रही है ; और चौथी योजना में प्राथमिक स्तर पर 124 लाख और बच्चों के स्कूलों में नाम दर्ज करने तथा आयु वर्ग 6—11 के बच्चों की प्रतिशतता, जिनके नाम स्कूलों में दर्ज हैं, 1968-69 में 78 प्रतिशत से बढ़ाकर 1973-74 में 85 प्रतिशत करने का विचार है। प्रौढ़ व्यक्तियों में साक्षारता को बढ़ाने के लिये प्रस्तावित कार्यक्रम इस प्रकार है :—

(1) एच्छिक प्रयास और स्थानीय सामुदायिक संसाधनों को गतिशील बनाना ;

(2) चुने हुये क्षेत्रों में अग्रिम परियोजनाएं चलाना और उनके अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उन्हें अन्य क्षेत्रों में लागू करना ;

(3) किसान शिक्षा और दस लाख किसानों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने का कार्यक्रम ;

(4) राष्ट्रीय सेवा योजना के भाग के रूप में विद्यार्थियों की सहायता से साक्षरता कक्षाओं का आयोजन ; और

(5) कार्यक्रमों के विकास के बारे में सलाह देने और सभी सम्बन्धित हितों और विभिन्न एजेन्सियों का सहयोग प्राप्त करने के लिये एक राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा बोर्ड की स्थापना ।

तथापि समस्या के विशाल स्वरूप और सीमित साधनों को देखते हुए आगामी पांच वर्षों में निरक्षरता को समाप्त करना संभव न हो ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति

*1338. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय जांच समिति बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद् के इस निर्णय से सहमत हो गई है कि उप-कुलपति अपने नाम निर्देशित व्यक्ति को परिषद की बैठकों में भाग लेने के लिए भेज सकता है ;

(ख) इस सम्बन्ध में विधि मंत्रालय ने क्या सलाह दी है ; और

(ग) क्या यह सलाह जांच समिति को बता दी गई है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद ने दिनांक 20 दिसम्बर, 1968 के अपने संकल्प के द्वारा विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5 (3) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय के उपकुलपति डा० ए० सी० जोशी को जांच समिति में अपना प्रतिनिधि मनोनीत किया था और जांच के समय उनके उपस्थित न हो सकने पर एक प्रतिनिधि मनोनीत करने का उप-कुलपति को अधिकार दिया था । विधि मंत्रालय ने विचार व्यक्त किया था कि कार्यकारी परिषद् द्वारा इस प्राधिकार को उप-प्रतिनिधान के आधार पर चुनौती दी जा सकेगी । तथापि बाद में उक्त मंत्रालय ने मत व्यक्त किया कि यद्यपि यह विवाद का विषय है कि जहां तक उप-कुलपति को प्रतिनिधि मनोनीत करने का सम्बन्ध है, क्या कार्यकारी परिषद् द्वारा पारित संकल्प वैध और कार्यकर है, संकल्प को वैध और अवैध भागों में बांटने का सरकार का प्रयास उचित नहीं होगा ।

तथापि विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद् ने 7 मार्च, 1969 को हुई अपनी बैठक में अपने पहले संकल्प में निम्नलिखित रूप में संशोधन किया :

"संकल्प किया गया कि विश्वविद्यालय के संविधि संख्या 15 (अठारह) के अन्तर्गत कार्यकारी परिषद् 25 जनवरी, 1969 के अपने संकल्प संख्या 374 (क) का संशोधन करते हुए निम्नलिखित सीमाओं के साथ 'विजिटर' की जांच समिति के प्रयोजनों के लिये एक वैकल्पिक प्रतिनिधि नियुक्त करने की शक्ति का उप-कुलपति को प्रतिनिधान करती है :

(1) कि वैकल्पिक प्रतिनिधि 'विजिटर' की जांच समिति की केवल ऐसी बैठक अथवा बैठकों अथवा कार्यवाही के भाग के लिये नियुक्त किया जायेगा, जिसमें विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि डा० ए० सी० जोशी किसी कारण से उपस्थित न हो सके ; और

(2) कि वैकल्पिक प्रतिनिधि निम्नलिखित व्यक्तियों में से कोई एक होगा, अर्थात्

(1) पद्म भूषण डा० मोहन सिंह मेहता
(2) पद्म भूषण डा० घनानन्द पाण्डे
(3) पंडित के० डी० तिवारी
(4) श्री हृदय नारायण सिंह
(5) प्रोफेसर आनन्द जी
(6) श्री बलराम उपाध्याय

और वैकल्पिक प्रतिनिधि, जो कुछ भाग लेता है, वह बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 5 (3) के प्रयोजनों के लिये विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि होगा । "

कार्यकारी परिषद् के संशोधित संकल्प को देखते हुए विधि मंत्रालय की राय जांच समिति को भेजने का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं हुआ ।

Removal of Age Restriction for Admission of Students in Universities

*1339. **Shri Bibhuti Misra :**
Shri R. K. Sinha :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the University Grants Commission has recommended to remove the age restriction for admission of students in the Universities ; and

(b) if so, the decision taken by the Universities thereon ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The University Grants Commission has suggested to all Universities that no rigid age limit be prescribed for entry to degree courses. This is in conformity with the recommendations of the Education Commission (1964—1966).

(b) A statement is laid on the Table of the Sabha. **[Placed in Library. See No. LT-888/69]**

राज्य सड़क निधि

*1340. **श्री सीताराम केसरी :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परिवहन विकास परिषद को सड़क संबंधी स्थायी समिति ने राज्य सड़क निधि बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य, नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) और (ख). जी नहीं। समिति ने केन्द्रीय सड़क निधि के ढांचे पर प्रत्येक राज्य में राज्य सड़क निधि को बनाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये राज्य सरकारों से केवल सिफारिश की है।

Foreigners' Interest in Phulpur Bye-Election

*1341. **Shri Hukam Chand Khachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in the daily 'Hindustan' dated the 4th February, 1969 to the effect that some foreigners also showed interest in the Phulpur Parliamentary bye-election and indulged in the election propaganda against a candidate ;

(b) whether Government have conducted any enquiry to ascertain the authenticity of this report ; and

(c) if so, the facts regarding this report and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of Home Affairs (Shri Y. B. Chavan) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). According to information furnished by the state government there was no factual basis for the news-item.

शैक्षिक पुस्तकालयों में पुस्तकाध्यक्ष

*1342. **श्री हरदयाल देवगुण** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शैक्षिक पुस्तकालयों में पुस्तकाध्यक्ष के पद के लिये निर्धारित योग्यताओं में परिवर्तन करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विश्वविद्यालयों/कालेजों में पुस्तकाध्यक्षों के वेतनमानों के पुनरीक्षण किये जाने के बाद अर्हताओं में कुछ परिवर्तन किये गये हैं।

(ख) एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 889/69]

(ग) निर्धारित अर्हताओं में परिवर्तन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा नियुक्त की गई समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप किये गये थे। समिति का यह मत था कि विश्वविद्यालयों/कालेजों की अपने पुस्तकालयों में उच्च बौद्धिक क्षमता और अच्छी शैक्षिक अर्हता प्राप्त तथा सामान्य ज्ञान में प्रवीण व्यक्तियों को रखना चाहिए।

रूसी विमान

*1343. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के असैनिक उड्डयन विभाग के लिए बड़ी संख्या में रूसी विमानों के खरीदे जाने के प्रस्ताव में संशोधन किया गया है या उसे समाप्त कर दिया गया है ; और

(ख) रूस तथा अन्य देशों से विमानों के खरीदे जाने के वैकल्पिक प्रस्तावों के बारे में मंत्रीमंडल की उप-समिति की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). रूसी विमानों को खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है। इंडियन एयरलाइन्स ने, अपने यातायात के लिए सर्वाधिक रूप से उपयुक्त समझी गयी यात्री क्षमता वाले कई प्रकार के विमानों का तुलनात्मक मूल्यांकन करने के बाद यह सिफारिश की कि पांच डी० सी० 9-40 विमान खरीदे जाने चाहिए। इस सिफारिश की सरकार अभी जांच कर रही है।

भारतीय केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल-परिवहन निगम द्वारा पूंजी विनियोजन

*1344. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल-परिवहन निगम के आरम्भ से इसके द्वारा लगाई गई और पूंजी का राज्यवार ब्योरा क्या है ?

संसद् कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल-परिवहन निगम, कलकत्ता ने, जो पश्चिम बंगाल और आसाम राज्यों में कार्य करता रहा है, 1967 में उसकी स्थापना से अब तक आसाम में कोई नवीन पूंजी विनियोजन नहीं किया है। पश्चिमी बंगाल में दो क्रेनों की खरीद पर उसने 4,31,596 रुपये खर्च किये हैं। भारत सरकार ने कम्पनी को अपनी गोदी के विकास के लिये 25 लाख रुपए की राशि मंजूर की है।

विद्रोही नागाओं के साथ मुठभेड़

*1345. **डा० सुशीला नैयर** :
श्री क० मि० मधुकर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 15 फरवरी, 1969 को युद्ध-विराम रेखा के अन्तर्गत पड़ने वाले माओ सब-डिवीजन में लखेमी के निकट सीमा सुरक्षा दल और फैडरल नागा सेना के बीच एक मुठभेड़ हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस मुठभेड़ के फलस्वरूप कितने व्यक्ति हताहत हुए;

(ग) इसका ब्योरा क्या है; और

(घ) क्या विदेशों में बना कुछ गोला-बारूद भी पकड़ा गया था ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) से (घ). 15 फरवरी, 1969 को ऐसी कोई मुठभेड़ नहीं हुई। परन्तु इससे पहले 5 फरवरी को ऐसी मुठभेड़ हुई थी जिसमें कुछ शस्त्र और गोला-बारूद पकड़ा गया था। पकड़े गये गोला-बारूद में से कुछ चीनी मूल का था। उपलब्ध सूचना के अनुसार कोई हताहत नहीं हुआ था।

सेवारत सरकारी कर्मचारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने का अवसर देना

*1346. **श्री गाडिलिंगन गौड** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1962 में किसी समय सरकार ने सेवा कर रहे उन सरकारी कर्मचारियों को भारतीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में बैठने का अवसर देने का निर्णय किया था जिन्हें पहले कभी इसका अवसर नहीं मिल सका था;

(ख) यदि हां, तो उस निर्णय का ब्योरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिये ऐसी योजना आरम्भ करने का है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या इस संबंध में सेवा कर रहे सरकारी कर्मचारियों के लिये कोई अन्य योजना सरकार के विचाराधीन हैं; और

(च) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सरकार ने कुछ श्रेणियों के कार्य कर रहे उन सिविल कर्मचारियों के लिये, जिनका एक निश्चित न्यूनतम अनुभव है, कुछ सेवाओं में, सीधी भर्ती के कोटे के 10 प्रतिशत पदों की रिक्तियों को एक पृथक परीक्षा द्वारा भरने के लिये एक प्रस्ताव की जांच की थी। परन्तु कई राज्य सरकारों के विरोध को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव कार्यान्वित नहीं किया जा सका।

(ङ) जी नहीं श्रीमान्।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

एशिया के लिए यूनेस्को की पुस्तक प्रकाशन योजना

*1347. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सितम्बर, 1968 में सिंगापुर में हुए 'यूनेस्को' के विशेषज्ञों के एक सम्मेलन के अनुसार भारत में पुस्तकों की कमी है और इसके लिए त्रुटिपूर्ण प्रकाशन, वितरण की गलत व्यवस्था और इनमें पर्याप्त उन्नति में होना प्रमुख कारण हैं;

(ख) क्या यूनेस्को ने एशिया के लिए एक पुस्तक प्रकाशन योजना बनाई है; और

(ग) उससे इस मामले में भारत को किस सीमा तक सहायता मिलेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी नहीं । किन्तु, इसने 1969-70 के अपने बजट और कार्यक्रम में एशियाई पुस्तक विकास कार्यक्रम के लिए कुछ व्यवस्था की है ।

(ग) भारत को यूनेस्को से (i) उपस्कर, (ii) सेमिनारों तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए अधिछात्रवृत्तियां, (iii) विदेशी विशेषज्ञों की सेवाएं और (iv) बैठकें और वर्कशाप आदि आयोजित करने के लिए अनुदान के रूप में सहायता प्राप्त हो सकती है । इस स्तर पर, ऐसी सहायता की सम्भावित मात्रा बताना सम्भव नहीं है ।

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, नई दिल्ली का उप-कुलपति

*1348. **श्री मुहम्मद शरीफ :**
डा० रानेन सेन :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दो वर्ष के प्रयत्नों के बाद भी सरकार जवाहरलाल नेहरू विश्व-विद्यालय के उप-कुलपति पद के लिये कोई उपयुक्त व्यक्ति नहीं चुन सकी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 1966 के एक अधिनियम के अन्तर्गत बनाये जाने वाले और चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू होने वाले विश्वविद्यालय ने अभी तक अपना काम करना आरम्भ नहीं किया है; और

(घ) सरकार का विचार इस मामले में क्या ठोस कार्यवाही करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं । श्री जी० पार्थसार्थी को विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त किया गया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जी हां ।

(घ) दक्षिण दिल्ली में मुनीर्का गांव के पास विश्वविद्यालय के लिए लगभग 1000 एकड़ भूमि का अभिग्रहण किया गया है। शैक्षिक सलाहकार समिति, न्यायालय (कोर्ट), कार्यकारी परिषद और शैक्षिक परिषद नियुक्त करने के लिए, जैसी कि अधिनियम में व्यवस्था है, कार्रवाई की जा रही है।

कलात्मक तथा प्रदर्शनीय वस्तुओं का संग्रह

*1349. **श्री रा० बरुआ :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने समूचे विश्व से कलात्मक तथा प्रदर्शनीय वस्तुओं का संग्रह करने के लिये कोई योजना आरम्भ की है ताकि राष्ट्रीय संग्रहालय प्राचीन विश्व सभ्यता की व्यापक झांकी प्रस्तुत कर सके;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार यूनेस्को के माध्यम से अनेक यूरोपीय देशों के साथ भी बातचीत कर रही हैं; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : विदेशों में संग्रहालयों के साथ सीधे पत्र-व्यवहार के द्वारा और यूनेस्को के सहयोग और सहायता से राष्ट्रीय संग्रहालय विभिन्न देशों से कलात्मक और प्रदर्शनीय वस्तुएं एकत्र करने के प्रयास कर रहा है ताकि वह विश्व सभ्यता का एक व्यापक चित्र प्रस्तुत कर सके।

(ख) इन प्रयासों में दान, ऋण और विनिमय के द्वारा कलात्मक वस्तुओं का संग्रह सम्मिलित है। विनिमय करते समय यह सुनिश्चित किया जाता है कि आदान-प्रदान दोनों पक्षों के परस्पर लाभ के लिये होगा। केवल ऐसी वस्तुओं का आदान-प्रदान किया जाता है, जिनकी दूसरी प्रतियां होती हैं और जो आसानी से दी जा सकती हैं।

(ग) और (घ). यूनेस्को के सहयोग से नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय यूरोपीय देशों में कुछ संग्रहालयों से कलात्मक वस्तुओं के विनिमय के लिये बातचीत कर रहा है। ये बातचीत अभी चल रही हैं।

राज्यों को अधिक वित्तीय अधिकार दिये जाने की मांग

*1350. **श्री चेंगलराया नायडू :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मुख्य मंत्रियों ने केन्द्र से कहा है कि राज्यों को और अधिक वित्तीय अधिकार दिए जायें; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्री (श्री यशवन्तराव चह्वाण) : (क) केन्द्र से राज्यों को अधिक राजस्वों के हस्तांतरण के लिये तथा केन्द्र और राज्यों के मध्य वित्तीय सम्बन्धों के पुरीक्षण के लिये समय-समय पर अनुरोध किया गया है ।

(ख) राज्यों की योजनेतर आवश्यकताओं के सम्बन्ध में उनकी मांगों का वित्त आयोग अपनी सिफारिशों को ध्यान में रखता है । राज्यों की योजना-स्कीमों के कार्यान्वयन के लिये, राज्यों से परामर्श के बाद और साधनों की प्राप्यता को ध्यान में रखते हुए योजना आयोग द्वारा राज्यों को आवंटन किया जाता है । इस प्रबन्ध में लचीलेपन की व्यवस्था है जो ऐसे मामलों में आवश्यक है । तथापि सरकार प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करेगी, जो केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के सभी पहलुओं पर विचार कर रहा है ।

भारी इंजीनियरी निगम, रांची में आग लगने के मामलों में 'खुफिया तंजीम' का हाथ

7574. **श्री बाबूराव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सितम्बर तथा दिसम्बर, 1964 में भारी इंजीनियरी निगम में आग लगने के मामलों में एक अभियुक्त ने 9 मार्च, 1968 को रांची में मजिस्ट्रेट के सामने कबूल किया था कि पाकिस्तानी विचारों के मुसलमानों का एक संगठन जिसे 'खुफिया तंजीम' कहा जाता है, भारत में पाकिस्तान के उच्च आयुक्त के सीधे निर्देशन में भारत की औद्योगिक परियोजनाओं को नष्ट करने के लिये भारत में तोड़-फोड़ आगजनी आदि का काम करती थी;

(ख) क्या इस संगठन की गतिविधियों के बारे में और आगे जांच करने के लिये सरकार ने व्यावहारिक कार्यवाही की है;

(ग) यदि हां, तो उसके कुछ नेताओं के नाम क्या हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो पाकिस्तानी विचारधारा वाले मुसलमान तोड़-फोड़कर्ताओं से रांची तथा अन्य स्थानों में स्थित औद्योगिक परियोजनाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् । भारी इंजीनियरी निगम, रांची में 1964 के आगजनी के मामलों में एक अभियुक्त निसार अहमद ने मार्च, 1965 में कबूली बयान दिया था । कबूली बयान में फंसाये गये सभी व्यक्तियों के सम्बन्ध में जांच की गई थी । पांच व्यक्ति पहले ही 2 मार्च, 1969 को दोष सिद्ध किये जा चुके हैं और प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी गई है । निसार अहमद के कबूली बयान के परिणामस्वरूप की गई जांच से खुफिया तंजीम के कोई और कार्यकलाप प्रकट नहीं हुए ।

(ग) खुफिया तंजीम के नेताओं के नाम मालूम किये जा रहे हैं।

(घ) महत्वपूर्ण औद्योगिक अधिष्ठापनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जा रही है और सतत निगरानी रखी जा रही है।

भारत में काम कर रही गैर-सरकारी सेनाएं

7575. **श्री बाबूराव पटेल :** **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया : **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री रघुवीर सिंह शास्त्री : **श्री नाथूराम अहिरवार :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राज्य-वार कितनी गैर-सरकारी सेनाएं हैं, प्रत्येक सेना में लगभग कितने सैनिक हैं और प्रत्येक के उद्घोषित आदर्शों अथवा प्रयोजनों का संक्षिप्त ब्योरा क्या है ;

(ख) इन सेनाओं के बनाने में किन-किन राजनैतिक दलों का हाथ है ;

(ग) किन किन सेनाओं ने राज्य वार विधि तथा व्यवस्था की समस्या उत्पन्न कर दी है ; और

(घ) गैर-कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है और प्रत्येक सेना के कितने कर्मचारी अब तक नजरबन्द/गिरफ्तार किये गये हैं अथवा उन पर मुकदमे चलाये गये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित सूचना पर आधारित एक विवरण सदन के सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 890/69]

ईसाई धर्म प्रचारकों द्वारा जासूसी

7576. **श्री बाबूराव पटेल :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बेलगांव के एक ईसाई धर्म प्रचारक रेवरेन्ड डी० पीयर की तमिलनाडु के तिन्नावली जिले तथा उसके आस पास के क्षेत्रों में जासूसी तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों की जानकारी है ;

(ख) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि पूर्व पाकिस्तान के बहुत से लोगों का इस ईसाई धर्म प्रचारक से सम्बन्ध है तथा वे संयुक्त रूप से 'शान्ति द्वीप मिशन' नामक एक संस्था चला रहे हैं ;

(ग) गत पांच वर्षों में प्रति वर्ष रेवरेन्ड डी० पीयर अथवा 'शान्ति द्वीप मिशन' को किन-किन देशों से कितना कितना धन प्राप्त हुआ ; और

(घ) उक्त धर्म प्रचारक तथा उसके मिशन की गुप्त गतिविधियों को रोकने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) स्वर्गीय रेवरेन्ड डी० पीयर द्वारा जासूसी तथा तोड़-फोड़ की कार्यवाहियों के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) प्रायोजना के दो सदस्य नवम्बर, 1965 से मई, 1967 तक पूर्व पाकिस्तान में थे । वे पाकिस्तानी राष्ट्रिक नहीं हैं ।

(ग) 1965 से 1968 तक के वर्षों में कुछ नहीं । वर्ष 1964 के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि विभागीय नियमों के अनुसार सम्बन्धित अभिलेख नष्ट कर दिये गये हैं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

सहायकों तथा अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति

7577. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक सहायक तथा एक अनुभाग अधिकारी को अगले उच्च पद पर पदोन्नति, अर्थात् क्रमश: अनुभाग अधिकारी तथा अवर सचिव पद पर पदोन्नति पाने के लिये कितने वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है ;

(ख) क्या सरकार को हजारों सहायकों तथा अनुभाग अधिकारियों में व्याप्त निराशा तथा परेशानी की भावना की जानकारी है ; और

(ग) यदि हां, तो उनकी शिकायतों को दूर करने तथा अगले उच्च पद पर शीघ्र उनकी पदोन्नति के बारे में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) एक सहायक को वरिष्ठता के कोटा में अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में पदोन्नति के लिये पात्र होने के लिये सहायक के ग्रेड में कम से कम आठ वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर लेनी चाहिए । एक अनुभाग अधिकारी को अवर सचिव के पद पर पदोन्नति के लिये पात्र होने के लिये अनुभाग अधिकारी के ग्रेड में कम से कम दस वर्ष की अनुमोदित सेवा पूरी कर लेनी चाहिये ।

(ख) इस विषय में सहायकों तथा अनुभाग अधिकारियों की संस्थाओं से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ग) उच्चतर ग्रेडों में पदोन्नतियां रिक्तियों की स्थिति पर निर्भर रहती हैं और सम्बन्धित नियमों के अनुसार की जाती हैं । 1962 से अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में स्थायी रिक्तियों का 75 प्रतिशत और समस्त अस्थायी रिक्तियां एक चयन सूची द्वारा सहायकों की पदोन्नति द्वारा

भरी गई हैं। जहां तक अवर सचिव के ग्रेड में पदोन्नति का सम्बन्ध है केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारियों के लिए कोई कोटा नियत नहीं है क्योंकि अवर सचिव के पद विभिन्न स्रोतों से भरे जाते हैं। किन्तु पिछले कुछ वर्षों के दौरान बढ़ती हुई संख्या में अनुभाग अधिकारी अवर सचिव के रूप में पदोन्नत हुए हैं जैसा निम्नलिखित आंकड़ों से स्पष्ट है :—

1965	35
1966	45
1967	45
1968	55

इस प्रकार सहायकों तथा अनुभाग अधिकारियों की पदोन्नति के भविष्य को और आगे सुधारने के लिए जो कुछ सम्भव है पहले ही किया जा रहा है।

आसाम में पाकिस्तानी घुसपैठ

7578. **श्री बाबूराव पटेल :**
श्री रणजीत सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वेणीशंकर शर्मा :
श्री रामस्वरूप विद्यार्थी :
श्री भारत सिंह चौहान :
श्री बलराज मधोक :
श्री नारायण स्वरूप शर्मा :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1947 से लेकर 31 दिसम्बर, 1968 तक की अवधि में वर्ष वार आसाम में कुल कितने पाकिस्तानी घुस आये थे और उसी अवधि में वर्ष-वार कुल कितने पाकिस्तानी वहां से बाहर निकाले गये ;

(ख) वर्ष 1948 में आसाम में हिन्दू तथा मुसलमानों की समुदाय वार ठीक-ठीक आबादी कितनी थी और वर्ष 1968 के अन्त में उन दोनों की समुदाय वार आबादी लगभग कितनी थी ;

(ग) वर्ष 1968 के अन्त में आसाम में कुल कितने पाकिस्तानी रह रहे थे और उन्हें वहां से बाहर निकालने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ; और

(घ) यदि उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) असम में घुस पैठ करने वाले पाकिस्तानियों की सही संख्या ज्ञात नहीं है। 1966, 1967 और 1968 के दौरान जिन

पाकिस्तानियों का पता चला जिन्हें बाहर निकाला गया उनकी संख्या, जैसा राज्य सरकार ने बतलाया है, इस प्रकार है :—

वर्ष	पता लगने वालों की संख्या	बाहर निकाले जाने वालों की संख्या
1966	24664	14488
1967	4740	4063
1968	5962	4479

(ख) चूंकि जनगणना प्रति दस वर्ष में की जाती है अतः वह निकटतम समय जिनके लिये जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध हैं 1 मार्च, 1951 और 1 मार्च, 1961 हैं। अतः 1948 अथवा 1968 में असम में हिन्दुओं और मुसलमानों की जनसंख्या के आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ). 1968 के अन्त में आसाम में रह रहे पाकिस्तानी घुसपैठियों की सही संख्या निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है। फिर भी उपलब्ध जन सांख्यिकीय सामग्री के अध्ययन से उनकी संख्या का मोटेतौर से 71,500 होने का अनुमान है। पाकिस्तानी घुसपैठियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रखी गई है और सीमा सुरक्षा दल को सशक्त करने और सीमा के साथ-साथ तथा देश के भीतरी भाग में पड़ने वाले पाकिस्तानी घुसपैठियों द्वारा प्रभावित क्षेत्र में पुलिस का एक जाल बिछाने समेत विभिन्न निरोधात्मक उपाय किये गये हैं।

दिल्ली पुलिस अधिकारियों की सेवाकाल समाप्त होने से पूर्व सेवा-निवृत्ति

7579. **श्री चन्द्र शेखर सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में, वर्ष-वार दिल्ली पुलिस के कितने अधिकारियों को उनके सेवा काल की समाप्ति के पूर्व ही अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किया गया ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या आरोप लगाये गये थे अथवा उन्हें किन आधारों पर समय से पहले सेवा-निवृत्त किया गया ;

(ग) क्या उनमें कुछ मामले दिल्ली पुलिस के भूतपूर्व डी० आई० जी० द्वारा उत्पीड़न के स्पष्ट मामले हैं ;

(घ) क्या यह सच है कि दिल्ली में पुलिस अधिकारियों ने समय से पूर्व सेवा-निवृत्त किये गये कुछ अधिकारियों को, जिन्होंने इस आशय का वचन दिया था कि 'सरकार उन्हें फिर जब चाहे, तब सेवा-निवृत्त कर सकती है', पुनः सेवा में लेने की इच्छा प्रकट की थी ; और

(ङ) यदि हां, तो यह मामला इस समय किस स्थिति में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). 1966,1967 और 1968 के दौरान दिल्ली पुलिस के क्रमशः दस, चार और आठ पुलिस कर्मचारी सरकारी

सेवा में बनाये रखने के लिये अनुपयुक्तता के आधार पर समय पूर्व अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत्त किये गये थे।

(ग) और (घ). जी नहीं, श्रीमान्।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत तथा श्रीलंका अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड

7580. **श्री शशि भूषण** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत तथा श्रीलंका अन्तर्विश्वविद्यालय बोर्ड में सेवा शर्तें सन्तोषजनक नहीं हैं और कर्मचारियों में सामान्य असन्तोष व्याप्त है ;

(ख) इस बोर्ड में कितने कर्मचारियों को एक वर्ष से अधिक समय तक काम करने पर भी स्थायी नहीं किया गया है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) एक वर्ष से अधिक समय तक काम करने पर स्थायी न किये जाने के बाद कितने कर्मचारी इस संगठन को छोड़ कर चले गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) बोर्ड, जो एक स्वायत्तशासी संगठन है, से प्राप्त सूचना के अनुसार कर्मचारियों की सेवा की शर्तें भारत सरकार के कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के लगभग समान हैं। सरकार को कर्मचारियों में सामान्य असन्तोष की कोई शिकायतें प्राप्त नहीं हुई हैं।

(ख) गत तीन वर्षों में केवल दो कर्मचारियों को, जो एक वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे थे, स्थायी नहीं किया गया और उनका काम संतोषजनक नहीं पाये जाने के कारण उनका परिवीक्षा काल बढ़ाया गया था।

(ग) गत तीन वर्षों में ऐसे केवल एक कर्मचारी ने नौकरी छोड़ी है।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

7581. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी :**
श्री जी० एस० रेड्डी :
श्रीमती बी० राधाबाई :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न विभागों द्वारा कितने अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये गये ;

(ख) इन पाठ्यक्रमों में कितने व्यक्ति प्रशिक्षित किये गये ; और

(ग) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न विभागों द्वारा आयोजित एक से अधिक प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में (एक) चालू वर्ष में और (दो) 1966 के पश्चात् कितने व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् के विभिन्न विभागों ने 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक 22 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया और इन पाठ्यक्रमों में 719 व्यक्तियों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया। केवल दो व्यक्तियों ने 1 अप्रैल, 1968 से 31 मार्च, 1969 तक एक से अधिक पाठ्यक्रमों में भाग लिया और 1 अप्रैल, 1966 से अब तक केवल 7 व्यक्तियों ने एक से अधिक पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग द्वारा आयोजित अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

7582. **श्री पी० एन्थनी रेड्डी :**
श्री जी० एस० रेड्डी :
श्रीमती बी० राधाबाई :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् के पाठ्यक्रम तथा मूल्यांकन विभाग ने शैक्षिक मूल्यांकन में अब तक कितने अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किये हैं ;

(ख) इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित व्यक्तियों को प्रत्येक राज्य में कितनी संख्या में भेजा गया है ; और

(ग) परीक्षा सुधार में राज्यों द्वारा इन प्रशिक्षित व्यक्तियों की सेवाओं का लाभ किस प्रकार उठाया गया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) शैक्षिक मूल्यांकन में अभी तक पांच अल्पकालीन पाठ्यक्रम आयोजित किये गये हैं।

(ख) अपेक्षित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर प्रस्तुत है :

विवरण

क्रम-संख्या	राज्य का नाम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	8
2.	आसाम	8
3.	बिहार	4
4.	गुजरात	17

क्रम-संख्या	राज्य का नाम	प्रशिक्षित व्यक्तियों की संख्या
5.	हरियाणा	3
6.	जम्मू तथा काश्मीर	2
7.	केरल	8
8.	मध्य प्रदेश	11
9.	महाराष्ट्र	20
10.	मैसूर	14
11.	उड़ीसा	9
12.	पंजाब	6
13.	राजस्थान	21
14.	तमिलनाडू	6
15.	उत्तर प्रदेश	25
16.	पश्चिम बंगाल	6
17.	दिल्ली	7
18.	गोआ	1
19.	मनीपुर	2
20.	त्रिपुरा	3
	योग	181

(ग) इन पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षित व्यक्ति राज्य माध्यमिक शिक्षा बोर्डों, राज्य शिक्षा संस्थानों, राज्य मूल्यांकन एककों, राज्य शिक्षा विभागों और शिक्षक प्रशिक्षण कालेजों में परीक्षा सुधार के विभिन्न पहलुओं—ध्येय-प्रधान मूल्यांकन सामग्री तैयार करना, शैक्षिक मापदण्ड और मूल्यांकन के लिये प्रशिक्षण और विस्तार कार्यक्रम पर कार्य कर रहे हैं।

मानव विज्ञान में फैलोशिप

7583. **श्री प० मु० सईद :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति तथा फैलोशिप योजना के अन्तर्गत 1969-70 की अवधि के लिये मानव विज्ञान में फैलोशिप प्राप्तकर्ता व्यक्ति से इस आधार पर अपनी अध्ययन योजना का पुनरीक्षण करने को कहा गया था कि मेजमान देश उसे अपने देश में ऐसा अध्ययन करने की अनुमति नहीं देगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे मामलों को यहां उनके दूतावास से सम्बद्ध विशेषज्ञों के साथ समुचित परामर्श करने के बाद ही अन्तिम रूप दिया जाता है ;

(ग) क्या यह निर्णय विस्तार में व्यक्तिगत रूप से उम्मीदवारों को सूचित किये जाते हैं अथवा उन्हें गोपनीय रखा जाता है और भविष्य के लिये पूर्व उदाहरण के तौर पर माना जाता है ; और

(घ) यदि नहीं, तो उम्मीदवार को कैसे मालूम हो सकता है कि मेजमान देश सम्भवत: अपने देश में कोई ऐसा अध्ययन करने की अनुमति नहीं देगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता ।

(ग) जैसे ही किसी देश में किसी प्रत्याशी को अध्ययन के लिये मनोनीत किया जाता है, उसे अस्थायी रूप से सूचित कर दिया जाता है । छात्रवृत्ति देने वाली सरकार से सूचना प्राप्त होते ही उसे उसके अन्तिम चयन के परिणाम की तुरन्त सूचना भी दे दी जाती है । जिन प्रत्याशियों को नहीं चुना जाता है, उन्हें नहीं चुने जाने की शिल्पें भेजी जाती हैं ।

(घ) छात्रवृत्तियों के लिये आवेदन-पत्र देते समय प्रत्याशियों से वरण किये गये देश में उनके विषय क्षेत्र में उपलब्ध सुविधाओं के बारे में स्वयं जानकारी प्राप्त करने की आशा की जाती है । नामांकन करते समय चयन समिति भी विशिष्ट देशों में अध्ययन/अनुसंधान के लिये उपलब्ध सुविधाओं पर विचार करती है । प्रत्याशी भी अपने अध्ययन के ब्योरे के बारे में मंत्रालय से पूछताछ कर सकते हैं ।

1969 में राज्यों द्वारा शुरू की गयी लाटरियां

7584. **श्री देवराव पाटिल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों को 1969 में लाटरियां शुरू करने की अनुमति दी गई ;

(ख) 1969 में प्रत्येक राज्य में कुल कितनी लाटरियां शुरू हुईं, टिकटों की बिक्री में कितनी राशि प्राप्त हुई और कितनी बार लाटरियां निकाली गईं ;

(ग) 1969 में प्रत्येक लाटरी के बाद प्रत्येक राज्य में कितनी राशि के पहले दूसरे तथा तीसरे पुरस्कार दिये गये और कुल मिलाकर कितनी राशि के अन्य पुरस्कार दिये गये ;

(घ) सभी प्रकार के खर्च तथा पुरस्कार की राशि निकालने के बाद प्रत्येक राज्य को प्रत्येक लाटरी के बाद पृथक-पृथक कितनी राशि की बचत हुई ; और

(ङ) प्रत्येक लाटरी के बाद, राज्य वार, विजेताओं द्वारा दावे न किये जाने वाली पुरस्कार की कुल राशि कितनी थी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सभी राज्य सरकारों को सूचित कर दिया गया है कि यदि वे चाहे, तो राज्य लाटरियां इस शर्त को ध्यान में रखकर

चला सकते हैं कि किसी अन्य राज्य में ऐसी लाटरी के टिकट उस राज्य सरकार की स्पष्ट सहमति के बिना नहीं बेचे जायेंगे। अभी तक हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों की सरकारों ने राज्य लाटरियां चलाई हैं ;

(ख) से (ङ). हरियाणा, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सरकारों से प्राप्त जानकारी विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 891/69**] महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारों के उत्तर प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दिये जायेंगे।

मानव विज्ञान में फैलोशिप

7585. **श्री प० मु० सईद :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रमंडलीय छात्रवृत्ति तथा फैलोशिप योजना के अन्तर्गत 1969-70 की अवधि के लिये किसी उम्मीदवार को मानव विज्ञान में फैलोशिप प्रदान की गई थी ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के एक लेक्चरार जिसने आस्ट्रेलिया में अपनी अध्ययन योजना आरम्भ करने का प्रस्ताव किया था कि आवेदनपत्र को मंत्रालय ने इस धारणा पर अस्वीकृत कर दिया था कि आस्ट्रेलिया की सरकार उसे अपने प्रस्तावित अध्ययन करने की अनुमति नहीं देगी ;

(ग) क्या यह भी सच है कि बाद में उससे एक वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में न्यूजीलैंड के लिये नई अध्ययन योजना बनाकर आवेदन-पत्र देने के लिये कहा गया था ;

(घ) क्या न्यूजीलैंड के लिये उसकी पुनरीक्षित योजना की, इस विषय के विशेषज्ञों द्वारा जिसमें इस प्रयोजन के लिये न्यूजीलैंड दूतावास से सम्बद्ध विशेषज्ञ शामिल हैं, पूरी तरह जांच की गई थी और उसे उसके चयन के समय अनौपचारिक रूप से स्वीकार किया गया था ; और

(ङ) क्या मेजवान देश द्वारा उसका आवेदनपत्र अस्वीकृत किया गया था ; और यदि हां, तो किन कारणों से ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ). एक प्रत्याशी ने, जिसने न्यूजीलैंड की एक फैलोशिप के लिये आवेदन-पत्र दिया था और उसे उसके लिये मनोनीत कर दिया गया था, बाद में आस्ट्रेलिया में अध्ययन की योजना प्रस्तुत की उससे न्यूजीलैंड की फैलोशिप के अन्तर्गत अध्ययन के लिये एक संशोधित योजना प्रस्तुत करने के लिये कहा गया था। उसने ऐसा कर दिया था और सामान्य प्रक्रिया के अनुसार उसे सम्बन्धित प्राधिकारियों को भेज दिया गया था।

(ङ) तथापि छात्रवृत्ति देने वाली सरकार ने उसका चयन नहीं किया क्योंकि उसे भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा उसे भेजी गई प्रत्याशियों की सूची में किन्हीं व्यक्तियों का चयन के कोई कारण बताये बिना चयन करने का अधिकार है ।

कांडला पत्तन पर माल का लादा उतारा जाना

7586. **श्री सोमचन्द सोलंकी : क्या नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968 में किन किन वस्तुओं का आयात तथा निर्यात किया गया ; और

(ख) उपरोक्त अवधि में कांडला पत्तन से हमारे देश में कुल कितने टन माल का आयात किया गया और विभिन्न देशों को कुल कितने टन माल का निर्यात किया गया ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) 1968-69 में देश के विभिन्न प्रमुख पत्तनों पर लादी उतराई गई आयात और निर्यात की विभिन्न प्रमुख वस्तुओं के नामों सहित पत्तनवार ब्योरा दर्शाने वाला विवरण प्रस्तुत है । [**पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 892/69**]

(ख) 1968-69 में कांडला में विदेशी आयात कुल 1,129,632 टन का और विदेशों को निर्यात 172,965 टन था ।

अधिक कामर्स कालेज खोलना

7587. **श्री रामावतार शर्मा : क्या शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1969 में दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक परीक्षा में लगभग आठ हजार ऐसे छात्र बैठे हैं जिनका एक विषय कामर्स था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केवल एक या दो ही ऐसे कालेज हैं जहां डिग्री कक्षाओं में कामर्स पढ़ाया जाता है ; और

(ग) यदि हां, तो दिल्ली में और अधिक कामर्स कालेज खोलने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) 1969 में 7708 उम्मीदवारों ने उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (दिल्ली योजना) में वाणिज्य विषय लिया है ।

(ख) जी नहीं। दिल्ली विश्वविद्यालय के दस कालेजों में बी० काम० पाठ्यक्रम की व्यवस्था है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रविवार तथा छुट्टी के दिनों में दिल्ली परिवहन की बसों का चलाया जाना

7588. **श्री रामावतार शर्मा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रविवार तथा छुट्टियों के दिनों में दिल्ली परिवहन की बसों में यात्रियों की संख्या बहुत अधिक होती है परन्तु बसों की संख्या सामान्य दिनों जितनी होती है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) इन दिनों बस सेवाओं की पर्याप्त व्यवस्था करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

संसद-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) दिल्ली परिवहन के कथन के अनुसार यह तथ्य नहीं है कि रविवार तथा छुट्टी के दिनों पर यात्रियों की संख्या अन्य दिनों की तुलना में बहुत अधिक है। रविवार तथा छुट्टियों के दिनों में चलाई जाने वाली बसों की संख्या भी कुछ कम कर दी जाती है। मार्च, 1969 में रविवार तथा छुट्टियों के दिनों में यात्रियों की औसत संख्या 6,71,493 थी जबकि अन्य दिनों में औसत संख्या 8,65,224 थी। रविवार तथा छुट्टियों के दिनों चलाई गई बसों की औसत 1028 थी जबकि अन्य दिनों में औसत 1165 थी।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) दिल्ली परिवहन के कथन अनुसार रविवार तथा छुट्टियों के दिनों में यातायात की आवश्यकता के अनुसार बसों का प्रबन्ध किया जाता है। उन दिनों कार्यालय/शिक्षा, संस्थायें तथा कई क्षेत्रों में बाजार बन्द रहते हैं जिसके परिणामस्वरूप बस सेवाओं के ढांचे में आमूल परिवर्तन किया जाता है तथा उन्हें छुट्टियों के दिनों की आवश्यकता के अनुसार लगाया जाता है। बुद्ध जयंती पार्क, कुतुब, ओरक्ला, चिड़ियाघर आदि स्थानों के लिये बसों की संख्या बढ़ाने के लिये छुट्टियों के दिनों में विशेष प्रबन्ध किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कुछ मार्गों पर बस सेवाएं भी बढ़ाई जाती हैं।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के यातायात कर्मचारियों को वर्दी का दिया जाना

7589. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इंडियन एयरलाइन्स के यातायात कर्मचारियों को गत शीत-काल में सर्दियों की वर्दी नहीं दी गई थी और अब तक उन्हें गर्मियों की वर्दी नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स ने सूचित किया है कि 1968-69 में सर्दियों की वर्दी के कपड़े (मैटिरियल) के प्रकार में परिवर्तन कर दिया गया था और सूचना के अत्यल्प होने के कारण जिन वर्दी निर्माताओं को आर्डर दिया गया था वे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सके । उन्होंने फरवरी, 1969 के मध्य तक वर्दियों के वितरण का आश्वासन दिया था परन्तु उन्हें वर्दी का कपड़ा (मैटीरियल) लगभग मार्च, 1969 के मध्य तक प्राप्त हुआ ।

जहां तक गर्मियों की वर्दी के वितरण का सम्बन्ध है, कमीजों के लिये अपेक्षित टैरीन के कपड़े की कमी के कारण निर्माताओं से उक्त कपड़ा प्राप्त करने के विशेष प्रयत्न करने पड़े, इसके परिणामस्वरूप मिल से मैटीरियल की सप्लाई में विलम्ब हुआ । आवश्यक मैटीरियल अब प्राप्त हो चुका है और अब उसको वर्दी निर्माताओं को वितरण किया जा रहा है । पेन्ट (ट्रउजर्स) के लिये अपेक्षित मैटेरियल कुछ तकनीकी कठिनाइयों के कारण निर्माताओं द्वारा समय पर नहीं वितरित किया जा सका । अब वे उसके अधिकतर भाग का अप्रैल के अन्त तक और शेष मई, 1969 के मध्य तक वितरण करने के लिये सहमत हो गये हैं । इस प्रकार गर्मियों की वर्दी के वितरण में भी कुछ विलम्ब होने की संभावना है ।

इंडियन एयरलाइन्स कारपोरेशन के आरक्षण और बुकिंग कार्यालयों में टेलीफोन का खाली न रहना

7590. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बड़े नगरों में इंडियन एयर लाइन्स के बुकिंग तथा आरक्षण कार्यालयों में टेलीफोन 30 मिनट से 45 मिनट तक खाली न मिलने के कारण टेलीफोन पर सूचना मांगने वाले यात्रियों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). इंडियन एयरलाइन्स को टेलीफोन लाइनों के घिरे होने के कारण बुकिंग आफिसों के टेलीफोन से संपर्क न हो सकने के कारण उत्पन्न होने वाली असुविधा की पूरी जानकारी है। क्षेत्रों को टेलीफोन सम्बन्धी आवश्यकताओं का निरन्तर पुनरालोकन करते रहने की हिदायतें हैं तथा जहां कहीं आवश्यक होती है, अतिरिक्त टेलीफोनों की व्यवस्था की जाती है, बशर्ते कि टेलीफोन उपलब्ध हों।

गुजरात में डांग क्षेत्र के लिये पृथक आदिवासी राज्य

7591. **श्री ज० मं० काहानडोल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गुजरात राज्य द्वारा पर्वतीय डांग क्षेत्र के आदिवासियों की समस्याओं की उपेक्षा के कारण गुजरात विधान-सभा के एक प्रतिपक्षी सदस्य ने एक पृथक आदिवासी राज्य की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का वहां के पिछड़े लोगों के हितों की रक्षा करने तथा उनके कल्याण में वृद्धि करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

आई० सी० एस० अधिकारी जिन्हें पौंड स्टर्लिग में वार्षिकी दी गई थी

7592 **श्री चं० चु० देसाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आई० सी० एस० के ऐसे गैर-भारतीय तथा भारतीय अधिकारियों की संख्या कितनी है जो 15 अगस्त, 1947 के बाद और 26 जनवरी, 1950 से पहले सेवा निवृत्त हुए थे और जिन्हें पौंड स्टर्लिग में वार्षिकी दी गई थी;

(ख) आई० सी० एस० के उन गैर-भारतीय तथा भारतीय अधिकारियों की संख्या कितनी है जो 26 जनवरी, 1950 के बाद और 12 जून, 1956 से पहले सेवा निवृत्त हुए थे और जिन्हें पौंड स्टर्लिग में वार्षिकी दी गई थी;

(ग) ऐसे अधिकारियों की संख्या कितनी है जो 12 जून, 1956 के बाद सेवा निवृत्त हुए थे और उन्हें उपरोक्त भाग (क) और (ख) के अनुसार वार्षिकी दी गई थी; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार ने अप्रैल, 1957 के बाद आई० सी० एस० के किसी भारतीय अधिकारी को पौंड स्टर्लिग में दी गई वार्षिकी को रुपयों में बदल कर भुगतान किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). सिविल सेवा विनियमों के अनुच्छेद 974 के अनुसार एक आई० सी० एस० अधिकारी को वार्षिकी की स्वीकृति

के लिये उस राज्य सरकार को आवेदन करना पड़ता है जिसके संवर्ग का वह है और वार्षिकी उस राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत की जाती है। अत: आई० सी० एस० अधिकारियों को समय-समय पर दी गई वार्षिकी के बारे में भारत सरकार के पास कोई सूचना नहीं है। राज्य सरकारों व लेखा परीक्षा अधिकारियों से उन अधिकारियों के बारे में, जो इतनी लम्बी अवधि में सेवा निवृत्त हुए हैं सूचना एकत्र करने में जितना श्रम व खर्च होगा वह प्राप्त परिणामों के अनुरूप नहीं होगा।

तटीय नौवहन का विस्तार

7593. **श्री न० रा० देवघरे** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड की कई उप-समितियों तथा अन्य समितियों की सिफारिशों के बावजूद सरकार ने तटीय नौवहन के विस्तार की समस्या की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है और उसमें रुचि नहीं दिखाई है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) तथा (ख). जी नहीं। सरकार तट पर नौकाओं आदि की व्यवस्था करने के प्रश्न की ओर सदा ध्यान देती रही है। परन्तु समुद्र द्वारा ले जाये जाने वाले कोयले की अनिश्चितता के कारण विभिन्न समितियों की सिफारिशों के अनुसार तटीय नौवहन के विस्तार का कोई कार्यक्रम शुरू करना अभी तक सम्भव नहीं हो सका है। समुद्र द्वारा लाई ले जाने वाली सबसे बड़ी वस्तु कोयला ही है। रेल क्षमता में सुधार, तट से दूर के कोयले क्षेत्रों के विकास, रेलों के बढ़ रहे डीजलीकरण तथा विद्युतीकरण तथा कुछ उद्योगों के कोयले की बजाये भट्टी का तेल प्रयोग करने जैसे विभिन्न कारणों में यह अनुमान लगाया गया है कि 1971-72 के बाद समुद्र द्वारा ढुलाई के लिये कोयला उपलब्ध नहीं होगा। समुद्र द्वारा ले जाये जाने वाले अन्य शुष्क माल में भी कमी की प्रवृत्ति दिखाई दे रही है। परन्तु योजना आयोग तथा विभिन्न सम्बन्धित मंत्रालयों के परामर्श से समूचा मामला विचाराधीन है और आशा की जाती है कि शुष्क माल के लिये जहाजों के बारे में निर्णय शीघ्र हो जायेगा।

मानचित्र अधिकारी के पद का अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के लिये आरक्षण

7594. **श्री अ० श्री० कस्तूरे** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जून, 1962 में जब भारत के महापंजीयक के कार्यालय में मानचित्र अधिकारी के पद के लिए विज्ञापन दिया गया था तो उसे अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित किया गया था;

(ख) क्या इसी पद के लिए फरवरी, 1969 में सामान्य रूप में विज्ञापन दिया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस पद का आरक्षण न करने के क्या कारण हैं विशेषतः उस स्थिति में जब कि केन्द्रीय सिविल सेवा श्रेणी 1 में के सम्बन्ध में भारत के महापंजीयक के कार्यालय में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्धारित प्रतिशतता अभी तक पूरी नहीं हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). इस पद में रिक्ति का विज्ञापन जून, 1962 में अनुसूचित जातियों/आदिम जातियों के उम्मीदवार के लिये आरक्षित किया गया था और उसी पद में बाद की रिक्ति का फरवरी, 1969 में सामान्य रिक्ति के रूप में विज्ञापन दिया था।

(ग) किसी पद में रिक्ति के सन्दर्भ में आरक्षण किया जाता है और इस प्रकार, कोई पद आरक्षित नहीं माना जाता है। इस मामले में पद में उल्लिखित बाद की रिक्ति नवम्बर, 1968 में हुई थी और महापंजीयक तथा पदेन जन-गणना आयुक्त के कार्यालय में केन्द्रीय सिविल सेवा श्रेणी-1 पदों को भरने के लिये निर्धारित प्रक्रिया के अधीन रखे गये रोस्टर के अनुसार वह रिक्ति रोस्टर में अनारक्षित क्रमांक पर हुई थी इसलिए उसे सामान्य रिक्ति के रूप में बरता गया था।

Central Road Transport Corporation

7595. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Atal Bihari Vajpayee :
Shri Ranjeet Singh :
Shri Jagannath Rao Joshi :
Shri Suraj Bhan :

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the amount of capital invested so far in the Central Road Transport Corporation and its profit or loss, during the last three years, year-wise ; and

(b) the future plan of the said Corporation ?

The Minister of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Raghuramaiah) : (a) The total investment so far made in the Central Road Transport Corporation is Rs. 1,61,47,000/-. In 1965-66, the Corporation made a profit of about Rs. 0.63 lakhs. However, in 1966-67 and 1967-68, it incurred losses of about Rs. 16.52 lakhs and Rs. 16.69 lakhs respectively.

(b). The Fourth Five Year Plan with respect to the Corporation is under consideration.

कनाट प्लेस, नई दिल्ली में 'इनर सर्किल' का पुनः निर्माण

7596. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कनाट प्लेस, नई दिल्ली में 'इनर सर्किल' गोल के हाल ही

में किये गये पुनर्निमाण पर वहां के दुकानदारों तथा व्यापारियों ने व्यापार की दृष्टि से आपत्ति की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

संसद्-कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) कुछ व्यापारियों ने जिनकी दुकानें रेडियल रोड संख्या 6 पर खुलती हैं कनाट प्लेस के उत्तर सर्किल के पुनर्निर्माण पर आपत्ति की है और उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय में लेख याचिका भी दायर की है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

I. A. S. Personnel in NEFA

7597. **Shri Atal Bihari Vajpayee :** **Shri Jagannath Rao Joshi :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Suraj Bhan :**
Shri Ram Gopal Shalwale : **Shri Brij Bhushan Lal :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian Administrative Service personnel posted in NEFA at present ;

(b) their ratio as compared to other Union Territories ; and

(c) the time by which the ratio would be at par with others, if it is less ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) Ten senior scale (including super time scale) IAS officers have been posted in NEFA. Two junior scale IAS officers have also been posted against junior posts.

(b) A statement is laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No. LT-893/69]**

(c) As and when I. F. A. S. officers posted in NEFA are posted or absorbed elsewhere, or they retire, posts held by them would, as far as possible, be filled by the appointment of IAS officers. It is not possible, to indicate any time limit in this behalf.

Cases against Foreigners

7598. **Shri Atal Bihari Vajpayee** **Shri Suraj Bhan :**
Shri Ranjit Singh : **Shri Brij Bhushan Lal :**
Shri Jagannath Rao Joshi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of those foreigners against whom suits have been filed in the Indian Courts for criminal offences and the details regarding the charges levelled against them during 1967-68 ; and

(b) the names of those foreigners against whom cases were pending in the Courts and who left India during the pendency of such cases and the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम

7599. **श्री प्रेम चन्द वर्मा** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम को अनियमितताओं, चोरी, स्टाक में कमी, आग अथवा ऐसे अन्य कारणों से कितनी हानि हुई ; और

(ख) क्या इन मामलों की जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम के बारे में अब तक चोरी, अग्निकांड आदि के निम्नलिखित मामलों का पता लगा है :

(एक) 'तंजिक' नामक एक जहाज को 10 मई, 1967 को आग लग गई तथा उसकी क्षति इतनी अधिक हो गई कि उसकी मरम्मत नहीं हो सकती थी और वह बिल्कुल बेकार हो गया था। पुस्तकों में उसका मूल्य 4,94,250 रुपये दर्ज था। जांच से पता चला कि आग अचानक लग गई थी परन्तु यदि नाविक सतर्क होते तो उस पर समय पर काबू पाया जा सकता था। इस जहाज के कर्मचारी जिनमें मास्टर तथा ड्राइवर भी शामिल थे, रिवर्ज स्टीम नैवीगेशन कम्पनी लिमिटेड के 3 मई, 1967 तक कर्मचारी थे। केन्द्रीय अन्तर्देशीय जल परिवहन निगम द्वारा जहाज अपने अधिकार में लेने के बाद भी वे उसके प्रभावी अधिकारी थे। उनकी लापरवाही के कारण उन्हें नई कम्पनी में नहीं लगाया गया था।

(दो) 8 मई, 1968 को 'एलीपी' नामक एक जहाज में दरार पड़ गई और वह हुगली में बासबेरिया के स्थान पर डूब गया था। पुस्तकों में जहाज का मूल्य 94,743 रुपये दर्ज था। जांच से पता चला कि जहाज का डूबना बिल्कुल संयोगिक था।

(तीन) जुलाई, 1967 में जल प्रांगण के भंडारों में 3,829.26 रुपये के मूल्य के कांसे के पिण्डों की चोरी हो गई थी। पुलिस को मामले की सूचना दी गई थी और अब तक चोरी का कोई सुराग नहीं मिला है।

(चार) अक्तूबर, 1967 में कम्पनी की रोकड़ की जांच की गई थी और 42,408.24 रुपये की कमी पाई गई थी। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी जिसने कम्पनी के एक चपरासी से समूची राशि बरामद कर ली थी। मुकदमा सुनने वाले दडांधिकारी के चपरासी को दोषी ठहराया था।

Commission For Scientific and Technical Terminology

7600. **Shri Sharda Nand :**
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether the sittings of the subject panels constituted by the Standing Committee of Commission for Scientific and Technical Terminology for the production of Hindi books were held;

(b) if so, the recommendations made in those sittings ;

(c) whether a copy of the proceedings of each of the subject panels will be laid on the Table of the House ; and

(d) the number of sittings of the Standing Committee held so far and the date on which its next sitting is scheduled to be held ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (d). The various subject panels were constituted by the Standing Committee of the Conference of Vice-Chancellors and State Education Secretaries of Hindi Speaking States, and not by the Commission for Scientific and Technical Terminology. The necessary information is being collected and compiled and will be laid on the Table of the House in due course.

Qutab Minar, Delhi

7601. **Shri Bal Raj Madhok :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be plased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 853 on the 15th November, 1968 and state :

(a) the details of difference of opinion between the eminent historians and scholars in regard to the historical aspects of Qutab Minar, Delhi and the names of those eminent historians and scholars ;

(b) whether Government would consider the proposal of convening a symposium of these historians and scholars in order to ascertain the facts ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth, Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) The details of differences of opinion between eminent historians and scholars in regard to the history of the Qutab Minar are given in the Statement laid on the Table of the House. **[Placed in Library. See No L.T.-894/69]**

(b) and (c). No, Sir. Unless some new material bearing on the history of the Qutab Minar is found, a symposium is not likely to prove very fruitful.

Translation of Forms and Manuals of Communications Department by Central Hindi Directorate

7602. **Shri Bal Raj Madhok :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Narain Swarup Sharma : **Shri Om Prakash Tyagi :**
Kumari Kamala Kumari :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total number of translated forms and manuals received by the Central Hindi Directorate from the Department of Communications and its attached and subordinate offices for revision so far ;

(b) if so, the number of forms and manuals which have been returned to the offices concerned after having been revised ; and

(c) the position regarding the revision of the remaining translated forms and manuals and when it is likely to be completed ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) to (c). 3 Forms and 6 Manuals were received from the Ministry of Communication and its attached and subordinate offices for vetting and all of them have been returned duly vetted. Nothing is pending with the Central Hindi Directorate at present.

Rules Regarding Confirmation of Central Government Employees

7603. **Shri Narain Swarup Sharma :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether any new rules have been framed in regard to the confirmation of the Central Government employees ; and

(b) whether a copy each of the present orders pertaining to the confirmation of Government employees would be laid on the Table of the House ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The existing general principles and procedure relating to confirmation were given in reply to parts (a) and (b) of the Unstarred Question No. 5370, by S/Shri P. R. Thakur and Siddayya, answered in Lok Sabha on 20-12-68. A copy each of the following relevant orders is placed on the Table of the House .

O.M. No. 1/9/58-RPS, dated 16-5-59
O.M. No. 1/1/55-RPS, dated 17-2-55
O.M. No. 1/10/64-Estt (D), dated 14-1-65
O.M. No. 12/10/63-Estt (D) dated 27-12-63
O.M. No. F. 44/1/59-Ests (A) dated 15-4-59

[Placed in Library. See No. LT-895/69]

No new orders have been issued by the Ministry of Home Affairs.

Plot Holders of Greenfields Colony in Delhi

7604. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi : **Shri Ramachandra Veerappa :**

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5335 on the 20th December, 1968 and state ;

(a) whether Government have completed the enquiry in regard to the alleged cheating of the plot-holders of the Greenfields Colony near Delhi ;

(b) if so, the facts which have come to light and the action taken in the matter ; and

(c) if the enquiry has not been completed so far, the reasons for the delay ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla). (a) Yes Sir,

(b) In the circumstances and on the facts of the case, no offence of cheating or misappropriation could be established against the coloniser.

(c) Does not arise.

Central Road Committees

7605. **Shri Narain Swarup Sharma :** **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Kumari Kamla Kumari : **Shri Om Prakash Tyagi :**

Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5264 on the 20th December, 1968 and state :

(a) whether the question of constituting a Central Road Committee has been considered ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) if not, the reasons for delay in this regard ; and

(d) the time by which the said Committee would be constituted ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) to (d). The proposal to constitute a Central Road Committee is still under consideration.

Planning in Recruitment to various Ministries and Departments

7606. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5356 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the reaction of different Ministries and Departments to the communication addressed to them by his Ministry for assessing the number of vacancies required to be filled up during particular recruitment year ;

(b) the names of Ministries and Departments which have taken action in the matter ;

(c) whether Ministries' attention has already been drawn to the instructions of the Union Public Service Commission ;

(d) if so, the date and the details of the instructions issued to them ; and

(e) if not, the time by which these instructions are proposed to be issued ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (e). Instructions have been issued to the various Ministries/Departments on 13th March, 1969 in consultation with the Union Public Service Commission reiterating the earlier instructions on the subject and requesting them :

(a) to avoid bulk and sporadic recruitment ; and

(b) to assess carefully the number of vacancies required to be filled during a particular recruitment year and report them to the Union Public Service Commission in time for being notified by them in their notice for the information of the prospective candidates.

The administrative Ministries/Departments are expected to follow the instructions scrupulously and their reactions were therefore not called for.

Facilities to Chairman, Ashoka Hotels Ltd., New Delhi

7607. **Shri Ram Swarup Vidyarthi :**
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Om Prakash Tyagi :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5346 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the salary, allowances and other facilities given to the new Chairman of Ashoka Hotels Ltd., New Delhi ; and

(b) the general and special qualifications of the present Chairman of the Hotel, the factors kept in view while making selection for this post and the name of the Committee by which the selection is made ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) The present Chairman of Ashoka Hotels Ltd. is not in receipt of any salary, allowances or other facilities other than sitting fee payable to Directors for attending Board/Committee meetings.

(b) The present Chairman is an intellectual and journalist of 25 years' standing. Under the Articles of Association of the Ashoka Hotels Ltd., the Directors elect the Chairman from among themselves.

Road Construction in Rural Areas During Fourth Five Year Plan

7608. **Shri Maharaj Singh Bharati** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the budgetary provision for road construction during the Fourth Plan period has been raised from twenty to twenty-five per cent for the construction of roads in rural areas ; and

(b) if so, the steps taken to ensure that the amount given for rural roads is not utilised on other roads ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) and (b). Presumably the Hon'ble Member is having in mind the recommendations of the Transport Development Council made at its last meeting held in Mysore in June 1968 suggesting that the original limit of earmarking of funds of rural roads by the State Governments be raised from 20% to 25% of the State Plan Allocations for roads. This recommendation was communicated to the State Governments in August 1968 for keeping in view while formulating proposals for the development of rural roads under their Fourth Plan. Since the rural roads fall within the sphere of State activities, it is for the State Governments to ensure that the amount provided for rural roads is not utilised on other roads.

जम्मू तथा काश्मीर में स्नातकोत्तर विद्यार्थियों के लिये राष्ट्र विरोधी पाठ्य पुस्तकें

7609. **श्री यज्ञदत्त शर्मा** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू तथा काश्मीर विश्वविद्यालय द्वारा स्नातकोत्तर विद्यालयों के लिये निर्धारित-राष्ट्र विरोधी पाठ्य पुस्तकों की ओर केन्द्रीय सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

Future of Chandigarh

7610. **Shri Prakash Vir Shastri** : **Shri Beni Shanker Sharma** :
Shri Shiv Kumar Shastri : **Shri D. C. Sharma** :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the further progress made in regard to the future of Chandigarh ;

(b) whether it is a fact that in the absence of a solution for Chandigarh, the development of this city is being adversely affected ; and

(c) if so, the time by which a final decision will be taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) In the absence of agreement between the Government concerned, it has not been possible so far to make any further progress in regard to this matter.

(b) No, Sir.

(c) In the case of political issue of this nature it is not possible to lay down any time limit for arriving at a decision.

Radical Changes in Educational System

7611. **Shri Prakash Vir Shastri :** **Shri Shiv Kumar Shastri :**
Shri Raghuvir Singh Shastri : **Shri Yashwant Singh Kushwah :**

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government propose to make radical changes in the educational system in order to remove increasing unemployment in the country ;

(b) if so, the time by which a final decision will be taken in this regard ;

(c) whether any suggestions have been received from the State Governments also in this connection ; and

(d) if so, the details thereof ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) and (b). Some Universities have initiated proposals, on a pilot basis, for orienting their first-degree courses in Arts, Science and Commerce to purposive employment. There is also a proposal to start a college with this objective in Delhi.

(c) No, Sir.

(d) Does not arise.

भारत की जहाजों सम्बन्धी आवश्यकता

7612. **श्री श्रीचन्द गोयल :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश को प्रतिरक्षा तथा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये प्रतिवर्ष कुल कितने टन भार जहाजों की आवश्यकता है ;

(ख) हमारी आवश्यकता के कितने प्रतिशत जहाजों का निर्माण देश में पूरा हो जाता है ;

(ग) इस मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या देश में एक और जहाज निर्माण कारखाना स्थापित करने का सरकार का विचार है ; और

(ङ) यदि हां, तो कहां और उसके कब तक स्थापित हो जाने की सम्भावना है ?

संसद् कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) और (ख). देश के तटीय व्यापार तथा विदेश व्यापार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये नौवहन टन भार की आवश्यकतायें लम्बी अवधि के आधार पर आयोजित की जाती हैं, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की अवधि में 15 लाख जी० आर० टी० टन भार अतिरिक्त अर्जित करने का विचार है । इसमें से देश में 1 लाख जी० आर० टी० अर्जित करने का विचार है ।

(ग) तथा (घ). सरकार ने 66,000 डी० डब्ल्यु० टी० के बड़े जहाज बनाने के लिये कोचीन में एक पोत निर्माण कारखाना स्थापित करने का निर्णय किया है। मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज, जापान से हाल ही में प्राप्त हुए संशोधित परियोजना प्रतिवेदन की जांच की जा रही है। इस दौरान भूमि के सर्वेक्षण, भूमि के अर्जन, विद्युत तथा जल के उपबन्ध, सड़कों का निर्माण आदि जैसे आरम्भिक कार्य को शुरू करने के लिये कार्यवाही की जा रही है।

(ङ) इस समय यह बताना सम्भव नहीं है कि देश पोत निर्माण में कब तक आत्म-निर्भरता प्राप्त कर लेगा।

चंडीगढ़ में औद्योगिक प्लांटों का आवंटन

7613. **श्री श्रीचन्द गोयल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चंडीगढ़ में उद्योगपतियों को कुल कितने औद्योगिक प्लांट आवंटित किये गये हैं ;

(ख) उनमें से कितने प्लांटों का उपयोग किया गया है और ठीक समय पर निर्माण न होने के कारण कितने प्लांट वापस लिये गये हैं ; और

(ग) क्या वास्तविक उद्योगपति ऐसे प्लांटों की और मांग कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 357 (236 आवंटन द्वारा तथा 121 नीलामी द्वारा)

(ख) क्रमशः 186 और 19

(ग) जी हां, श्रीमान्।

Students' Agitations

7614. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Bal Raj Madhok :
Shri Narain Swarup Sharma :
Shri Ram Swarup Vidyarthi :
Shri Nathu Ram Ahirwar :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the loss of the Central Government properties in terms of money approximately during 1968 in the various States as a result of the students' agitations ; and

(b) the steps Government propose to take to protect such properties in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) A statement, based on the information received from the State Governments, is laid on the Table of the House [**Placed in Library. See No. LT-896/69**].

(b). The State Governments have taken steps to ensure protection of public property.

Use of Hindi in Offices

7615. **Shri Om PrakashTyagi :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that instead of giving encouragement to the use of Hindi in the offices, some high officers of the Central Secretariat try to block its use ;

(b) if so, whether Government propose to issue instructions to all the Central Government offices to the effect that action will be taken against persons who try to block the use of Hindi ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, such specific instance has come to notice.

(b) and (c). Do not arise.

Expenditure on Nehru Memorial Museum

7616. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukum Chand Kachwai :

Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the total expenditure incurred on the Nehru Memorial Museum from January, 1965 to date ; and

(b) the amount provided for expenditure on it during the financial year 1969-70 in view of its extension and development ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) The total expenditure incurred on the Nehru Memorial Museum and Library from 14th November, 1964, when it was inaugurated, to 31st March, 1969, has been Rs. 28,91,316.

(b) Rs. 22,14,000.

Indians Kidnapped by Pakistanis

7617. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of Indian nationals, Army Officers and jawans, kidnapped by the Pakistani nationals and armymen from the Indo-Pak border during the last three years ;

(b) the number of those out of them who have come back to India as a result of the action taken by Government during this period and the number of those who are still under the legal custody of the Pakistan Government ; and

(c) the number of those detained persons against whom cases have been filed and the action being taken by Government to bring the remaining persons to India ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) According to the information received from the Governments of West Bengal Tripura, Jammu and Kashmir, Punjab and Gujarat, the number of Indian nationals kidnapped by the Pakistani nationals and armymen from the Indo-Pak border during the period from the 1st January, 1966 to the 28th February, 1969 is 151. There was no officer or Jawan of the Army among them.

(b) and (c). Out of them, 125 have come back to India. The number of those Indian nationals who are still under the legal custody of Pakistan is not known. Protests at appropriate levels have been lodged with the Pak. authorities, who have been asked to arrange for the return of the Indian nationals. Efforts to secure their return are continuing.

The figures relating to Assam and Rajasthan, so far as parts (a) and (b) above are concerned, are being collected from the State Governments and will be laid on the Table of the House on receipt.

Air India and Indian Airlines

7618. **Shri Bharat Singh Chauhan :**
Shri Hukum Chand Kachwai :

Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state the amount of profit earned by Air-India and the Indian Airlines respectively during the financial years 1967-68 and 1968-69 ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : Air-India earned a profit of Rs. 349.30 lakh during 1967-68 and has budgetted for a profit of Rs. 283.00 lakh during 1968-69. Indian Airlines incurred a loss of Rs. 38.11 lakh during 1967-68. It has budgetted for a profit of Rs. 69.20 lakh during 1968-69 which is expected to be substantially exceeded.

Financial Assistance to Security Force Personnel Killed by Hostile Nagas and Mizos

7619. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to the Unstarred question No. 1758 on the 22nd November, 1968 and state the amount of financial assistance given by Government during the period from August, 1968 to November, 1968 to the families of the employees of the Security Force who were killed by the hostile Nagas and Mizos ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): Information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Recovery of Arms and Ammunition

7620. **Shri Hukam Chand Kachwai :**
Shri Bharat Singh Chauhan :
Shri Jugal Mondal :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1757 on the 22nd November, 1968 and State :

(a) whether the information in regard to the arms and ammunition recovered in

Jammu and Kashmir, Rajasthan, Assam and Naga Hills has since been collected ;

(b) if so, the details thereof ; and

(c) if not, the time by which the same will be collected and laid on the Table ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) to (c) . The information is being collected.

Foreign arms Unearthed

7621. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 2770 on the 29th November, 1968 regarding foreign arms and ammunition and state :

(a) the action taken by Government during this period against the 68 persons arrested in this connection ;

(b) the number out of them who were prosecuted and the number of those who were sentenced ;

(c) the number of foreigners among those who were arrested ; and

(d) the names of those countries whose markings were found on the arms and ammunition recovered ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla). (a) to (d) . The required information is being collected and will be laid on Table of the House on receipt.

विदेशों के साथ सांस्कृतिक सम्बन्ध

7622. **श्री समर गुह :**
श्री हरदयाल देवगुण :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डोनेशिया, मलाया, बर्मा, थाईलैंड और कम्बोडिया के भारत के साथ विशेष एतिहासिक एवं सांस्कृतिक सम्बन्ध हैं ;

(ख) यदि हां, तो इन देशों के साथ भारत के सांस्कृतिक सम्बन्ध सुदृढ़ बनाने के लिये सरकार द्वारा क्या सक्रिय कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या सरकार हमारे शोधकर्त्ताओं को विशेष छात्रवृत्तियां देकर इन देशों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करती रही है ताकि वे शीघ्र कार्य के द्वारा इन देशों के साथ भारत के एतिहासिक सम्बन्धों की अविज्ञात श्रृंखलाओं का पता लगा सकें ; और

(घ) क्या सरकार ने गत आय-व्ययक सत्र में यह वचन दिया था कि इन देशों के भारत के साथ प्राचीन सम्बन्धों के बारे में पुनः खोज करने तथा विद्वानों, छात्रों और कलाकारों एवं साहित्यकारों का आदान-प्रदान करके और संयुक्त रूप से सांस्कृतिक एतिहासिक तथा साहित्यक

अभियान चला कर इन देशों के साथ भारत के वर्तमान सम्बन्धों को और सुदृढ़ बनाने के लिये एक "दक्षिण पूर्व एशियाई अनुसन्धान तथा सांस्कृतिक संस्थान" स्थापित किया जायेगा और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) भारत का इण्डोनेशिया के साथ एक सांस्कृतिक करार है। मलयेशिया के साथ ऐसे ही करार के बारे में बातचीत चल रही है। इस मंत्रालय के अन्तर्गत वार्षिक सांस्कृतिक गतिविधियां कार्यक्रम इस क्षेत्र के सभी देशों के साथ सांस्कृतिक आदान प्रदान किया जाता है ।

(ग) एशियाई तथा प्राचीन भारतीय सभ्यता के बारे में एक पुस्तक तैयार करने की एक योजना 1969-70 में शुरू की जायेगी। योजना में एशियाई तथा भारतीय विद्वानों में सहयोग का उपबन्ध है और उसमें भारत तथा अन्य एशियाई देशों के बीच सांस्कृतिक तथा एतिहासिक सम्बन्धों के बारे में सामग्री एकत्र करने के लिए एक दूसरे देश में जाना भी शामिल है ।

(घ) जी नहीं, सरकार ने दक्षिण पूर्व एशियाई सांस्कृतिक संस्था स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार का ही वचन दिया था। विभिन्न सम्बन्धित अभिकरणों से विचार-विमर्श द्वारा प्रस्ताव की जांच की गई थी। इस समय संस्था की स्थापना के पक्ष में मत नहीं है। विभिन्न विश्वविद्यालयों के एशियाई अध्ययन विभागों को तथा इस क्षेत्र में कार्य कर रही अन्य संस्थाओं को सुदृढ़ करके अपेक्षित परिणाम प्राप्त किये जा सकते हैं ।

काश्मीर में मुस्लिम युवक लीग द्वारा जिहाद के लिए आह्वान

7623. **श्री बाबू राव पटेल** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि काश्मीर की मुस्लिम युवक लीग जो कि शेख अब्दुल्ला के जेल से रिहा होने के एक महीने पूर्व मार्च, 1964 में गठित की गयी थी खुले आम भारत के विरुद्ध जिहाद आरम्भ करने की बात कह रही है और वह आपत्तिजनक इश्तहार जारी कर रही है जिसका एकमात्र उद्देश्य साम्प्रदायिक तनाव पैदा करना है ;

(ख) क्या यह सच है कि लोग को पाकिस्तान द्वारा काफी धन दिया जा रहा है और यदि हां तो इसे रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिन्हें हाल में अधिक शक्ति वाली तारों वाले बिजली के खम्भ को काटते हुए पकड़ा गया था और जिसका उद्देश्य काश्मीर की कुछ बस्तियों में आग लगाना था ;

(घ) सरकार द्वारा लोग के विरुद्ध तथा देश के हितों के विरुद्ध की जा रही गतिविधियों द्वारा लीग को रोकने के लिये वस्तुतः क्या कार्यवाही की गई है और यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जम्मू व कश्मीर में कुछ युवक संगठन आपत्तिजनक इश्तिहार निकालने और साम्प्रदायिक पद्धति पर बोलने जैसे कार्य-कलापों के लिये ध्यान में आये थे।

(ख) सरकार के पास ऐसी कोई सूचना नहीं है।

(ग) अब तक बशीर अहमद नाजर और मूर दार गिरफ्तार किये गये बताये जाते हैं।

(घ) राज्य सरकार ऐसे संगठनों की गतिविधियों के बारे में, उन्हें रोकने की दृष्टि से, सतर्क है।

Arrest of Foreign Spies

7624. **Shri Raghuvir Singh Shastri :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State :

(a) the number of foreign spies arrested, State-wise during the last three years ;

(b) the countries with which they were connected ; and

(c) the steps taken to check the increasing activities of foreign spies ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Facts are being ascertained from the State Governments.

(c) Strict vigilance is being maintained, and action under the law wherever possible is being taken. Appropriate measures for counter espionage are also being taken.

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निरोध अधिनियम 1967 के अन्तर्गत कार्यवाही

7625. **श्री जार्ज फरनेन्डीज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन व्यक्तियों तथा संगठनों के विरुद्ध विधिविरुद्ध क्रियाकलाप निरोध विधेयक के अन्तर्गत कार्यवाही की गई है ;

(ख) उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) क्या इस बात को देखते हुए कि यह अधिनियम देश की वर्तमान स्थिति में मेल नहीं खाता है सरकार का विचार इसे निरस्त करने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मिजो राष्ट्रीय मोर्चे को विधि विरुद्ध कार्यकलाप (निरोध) अधिनियम, 1967 की धारा 3 के अन्तर्गत एक विधिविरुद्ध संस्था घोषित कर दिया गया है। केन्द्रीय सरकार ने इस अधिनियम की धारा 13 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के लिए कलकत्ते की एक बंगला पत्रिका 'इन्साफ' के मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक, श्री अहमद रशीद पर मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। असम सरकार

से प्राप्त सूचना के अनुसार लगभग 600 व्यक्तियों पर अधिनियम के अन्तर्गत अपराध के लिये मुकदमा चलाया जा रहा है। उन व्यक्तियों की सही संख्या तथा उनके नामों का पता किया जा रहा है।

(ग) अधिनियम, जिसकी उन संगठनों व व्यक्तियों से निपटने की आवश्यकता है जो भारतीय क्षेत्र के एक भाग के सत्तान्तरण अथवा भारतीय क्षेत्र के एक भाग का संघ से सम्बन्ध-विच्छेद करने का प्रयत्न कर रहे हैं, के निरसन करने का कोई विचार नहीं है।

दिल्ली पुलिस के लिये विभागीय नियम बनाना

7626. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस ने विभागीय नियम बनाने के लिये एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया है ;

(ख) क्या नियमों का प्रारूप तैयार करने में उनके मंत्रालय के किसी अधिकारी को भी सम्बद्ध किया गया है ; और

(ग) क्या इस प्रकार बनाये गये नियमों को सरकार द्वारा अन्तिम रूप से अनुमोदित किया जायेगा ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली पुलिस के लिए पुलिस नियम-पुस्तिका तैयार करने के लिये एक अधिकारी को नियुक्त किया गया है। अधिकारी द्वारा बनाये गये नियमों के प्रारूप की, अन्तिम रूप से स्वीकृति किये जाने से पूर्व, सरकार द्वारा जांच की जायगी।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में काम करने वाले राज्य सरकारों के कर्मचारी

7627. **श्री ओंकार लाल बेरवा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य सरकारों के बहुत से ऐसे कर्मचारी हैं जिनका केन्द्रीय सरकार के कुछ कार्यालयों में तबादला किया गया था और वे अभी तक वहीं काम कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उनमें से अधिकतर कर्मचारी सेवा निवृत्त होने वाले हैं, परन्तु केन्द्रीय सरकार द्वारा उन्हें अभी तक स्थायी नहीं किया गया है ; और

(ग) सरकार द्वारा उन कर्मचारियों को उनके राज्यों में वापस न भेजे जाने के क्या कारण हैं, जिससे राज्यों के अन्य कर्मचारियों को उनके स्थान पर बुलाया जा सके और केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में प्रशिक्षण दिया जा सके तथा इस प्रकार प्राप्त उनके अनुभव का लाभ उनके राज्यों को मिल सके ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल): (क) से (ग). राज्य सरकार के कर्मचारियों को, केन्द्र में, नौकरियों के लिए संबंधित पद को नियंत्रित करने वाले भर्ती नियमों के अनुसार या तो प्रतिनियुक्ति या तबादले द्वारा लिया जाता है। कार्यकाल-पदों और गैर-कार्यकाल पदों पर प्रतिनियुक्ति की व्यवस्था की जाती है। कार्यकाल-पदों की अवस्था में प्रतिनियुक्ति की एक निश्चित अवधि निर्धारित को जाती है। गैर-कार्यकाल पदों की अवस्था में राज्य सरकार के कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया एक बार एक वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए और सामान्यत: वह तीन वर्षों से अधिक नहीं होनी चाहिए। कार्यकाल पद की अवस्था में, विशिष्ट परिस्थितियों में जहां लोक हित में ऐसा अपेक्षित हो, उसी पद या किसी अन्य पद या एक श्रेणी के पद पर किसी एक अधिकारी का कार्यकाल उधार-दायी प्राधिकारी की सहमति से बढ़ाया और घटाया जा सकता है। गैर-कार्यकाल पदों की अवस्था में भी, ऐसी परिस्थितियों में ही उधार-दायी प्राधिकारी की अनुमति से प्रतिनियुक्ति-अवधि घटायी और बढ़ायी जा सकती है। कार्यकाल या उसकी बढ़ाई गई अवधि के पश्चात्, अधिकारियों का प्रत्यावर्तन राज्य सरकार को किया जाता है, अत: ऐसे अधिकारियों के केन्द्र में स्थायीकरण का प्रश्न नहीं उठता। फिर भी, जो व्यक्ति राज्य सरकार के कर्मचारियों से तबादले पर लिये जाते हैं, केन्द्रीय सरकार के नियमित कर्मचारी बन जाते हैं और उनका केन्द्रीय सरकार में स्थायीकरण अन्य बातों के साथ-साथ स्थायी रिक्तियों की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

Pro-Pak Slogans in Kerala

7628. **Shri Hukam Chand Kachwai**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have received a complaint to the effect that a big crowd of people had raised slogans 'Hindustan Murdabad', 'Pakistan Zindabad' 'Shere Kashmir Zindabad' and 'Marshal Ayub Zindabad' and staged a demonstration in Kerala in December 1968 as reported in the 'Organiser' dated the 18th January, 1969 ; and

(b) if so, the action taken in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) Yes Sir.

(b) According to information received from the State Government no such procession, as mentioned in the complaint, was taken out.

Naxalite Activities in States

7629. **Shri Nathu Ram Ahirwar :**
Shri Hukam Chand Kachwai :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State :

(a) the names of the States where violent disturbances were created by the Naxalite Communists during the last three months ;

(b) the number of persons killed in the said incidents of disturbances and the extent of property destroyed as a result thereof; and

(c) the number of persons arrested and punished in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). According to information received from the State Government/Union territory administrations of Assam, Gujarat, Haryana, Mysore, Nagaland, Andaman and Nicobar Islands, Chandigarh, Goa, Daman and Diu, Laccadive, Minicoy and Amindivi Islands, Manipur and Tripura no violent disturbances have been caused by extremists during the last three months. According to information received from Andhra Pradesh Government, in the violent disturbances caused by extremists in the agency area of Srikakulam district during the last three months three persons were killed and property worth about Rs 55,687/-was stolen. 262 persons were arrested in connection with these incidents. They are facing trails in courts. 84 extremists, concerned with two cases in 1968 have been convicted during 1969. Information from the remaining States/Union territories is awaited.

शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये जम्मू तथा काश्मीर सरकार को वित्तीय सहायता

7630. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जम्मू और काश्मीर सरकार ने शरणार्थियों के पुनर्वास के लिये केन्द्र से वित्तीय सहायता मांगी है ;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार ने कितनी राशि मांगी है ; और

(ग) इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). माननीय सदस्य का ध्यान इस विषय पर 14 मार्च, 1969 को अतारांकित प्रश्न संख्या 3140 के दिये गये उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विस्तार के बारे में टाटा समिति का प्रतिवेदन

7631. **श्री चेंगलराया नायडू** :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :
श्री सीताराम केसरी :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री बेणीशंकर शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बलराज मधोक :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों का विस्तार करने के बारे में टाटा समिति का प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसके मुख्य प्रस्ताव क्या हैं ; और

(ग) उनको क्रियान्वित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र समिति की, जिसने 106.12 करोड़ रुपये की कुल लागत से भारत में चार अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के विकास के लिये नाना प्रकार की सिफारिशें की हैं, रिपोर्ट की एक प्रति 24-4-1969 को सभा-पटल पर रख दी गई है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर, उनकी पूरी जांच कर लेने के बाद, शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

विद्रोही मिजो

7632. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बलराज मधोक :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री वेणी शंकर शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुरक्षा सेनाओं के साथ हुई मुठभेड़ों में सात विद्रोही मिजो मारे गये थे और चार घायल हुए थे ;

(ख) क्या उनसे बड़ी मात्रा में हथियार तथा गोलाबारूद और कई महत्वपूर्ण दस्तावेज पकड़े गये थे ;

(ग) क्या इस अवधि में सुरक्षा सेनाओं द्वारा 25 विद्रोहियों को पकड़ा गया था और 33 विद्रोहियों ने स्वयं आत्मसमर्पण कर दिया था ;

(घ) क्या सुरक्षा सेनाओं के कोई व्यक्ति हताहत हुये थे ; और

(ङ) उन विद्रोहियों के विरुद्ध जो पकड़े गये थे तथा जिन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया था, क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिसम्बर, 1968 और जनवरी, 1969 की अवधि में सुरक्षा दलों के साथ मुठभेड़ों में 12 मिजो विद्रोही मारे गये। घायल विद्रोहियों की संख्या के बारे में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) इस अवधि में 95 विद्रोहियों को पकड़ा गया और 158 ने आत्मसमर्पण किया।

(घ) सुरक्षा दलों के दो कर्मचारी घायल हुए थे।

(ङ) सक्रिय विद्रोहियों को, जो हथियारों सहित आत्मसमर्पण करते हैं, मुक्त कर दिया जाता है और पुरस्कार दिये जाते हैं। सत्यापन के पश्चात्, जिनके विरुद्ध अभिशंसी साक्ष्य नहीं पाये जाते हैं, मुक्त कर दिये जाते हैं और उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाती है। अन्य मामलों में कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

दिल्ली के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला सहायकों के लिये पुनरीक्षित वेतनमान

7633. **श्री महन्त दिग्विजय नाथ :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के 21 दिसम्बर, 1967 से पहले के प्रयोगशाला सहायकों की 21 दिसम्बर, 1967 को पुनरीक्षित किये गये वेतनमान अभी तक नहीं दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली में ऐसे प्रयोगशाला सहायकों की संख्या कितनी है ;

(ग) उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान न दिये जाने के क्या कारण हैं, जबकि अन्य अध्यापन कर्मचारियों को पुनरीक्षित वेतनमान दे दिये गये हैं ; और

(घ) कब तक उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान दे दिये जायेंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). दिल्ली प्रशासन से आवश्यक सूचना प्राप्त की जा रही है तथा यथासम्भव शीघ्र सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों की गिरफ्तारी

7634. **श्री चेंगलराया नायडू :**
श्री नि० रं० लास्कर :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी तथा फरवरी, 1969 में देश में बहुत से पाकिस्तानी राष्ट्रजन गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये पाकिस्तानी राष्ट्रजन किन-किन स्थानों में गिरफ्तार किये गये हैं ;

(ग) उनके विरुद्ध क्या-क्या मुख्य आरोप हैं ;

(घ) उन्हें क्या दण्ड दिया गया है ; और

(ङ) पाकिस्तान से इस देश में लोगों का इस प्रकार आना रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ङ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

अंदमान तथा निकोबार द्वीप समूह का विकास

7635. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के मुख्य पूर्व-पश्चिम समुद्री तथा वायु मार्गों पर स्थित होने के कारण उनको वाणिज्यिक समुद्री पत्तन तथा हवाई अड्डे के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर में पहले ही एक हवाई अड्डा है जिसे इण्डियन एयर लाइंस कारपोरेशन वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिये भी प्रयोग में लाता है। यातायात में वृद्धि को देखते हुए सुविधायें बढ़ाने हेतु उस पत्तन पर एक घाट बनाया जा रहा है। अन्तद्वीपीय यातायात के लिये कुछ द्वीपों में स्थायी जेटी की व्यवस्था भी की जा रही है।

शक्तिचालित स्टीमर सम्बन्धी आवश्यकता

7636. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री शक्तिचालित स्टीमरों के बारे में 6 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3509 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि इन स्टीमरों की कुल आवश्यकता कितनी है तथा वह कहां तक देश में निर्माण से पूरी हो रही है ?

संसद-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा बनाई गई चतुर्थ पंचवर्षीय योजनावधि में शक्तिचालित स्टीमरों की आवश्यकता के बारे में एक विवरण संलग्न है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 897/69]

उन पोतों की आवश्यकता देश के अन्दर पूरी की जा सकती है।

क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें

7637. **श्री यशपाल सिंह** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1967-68 में विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों की कितनी बैठकें हुईं ;

(ख) इन बैठकों पर परिषद्वार कुल कितनी राशि खर्च हुई ;

(ग) क्या इन बैठकों में कोई महत्वपूर्ण सुझावों और निर्णयों पर विचार किया गया ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) 1967-68 के वित्तीय वर्ष में दक्षिणी-पूर्वी, पश्चिमी तथा उत्तरी क्षेत्रीय परिषदों की एक-एक बैठक हुई है ।

(ख) राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 में बनाई गई क्षेत्रीय परिषदों की योजना के अन्तर्गत क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें बारी-बारी से राज्यों के क्षेत्र में की जाती हैं । सम्बन्धित राज्य सरकारें बैठकों के लिए आवश्यक प्रबन्ध करती हैं और इस सम्बन्ध में व्यय वे ही वहन करती हैं ।

(ग) और (घ). इन परिषदों की बैठकों की कार्यवाही की प्रतिलिपियां जिनमें वे मद, जिन पर चर्चा हुई तथा निर्णय किये गये, सदा की भांति माननीय सदस्यों की सूचना के लिये, संसद पुस्तकालय में रखी जाती हैं ।

न्यायालयों में हड़ताल सम्बन्धी अनिर्णीत मुकदमें

7638. **श्री श्रद्धाकर सूपकार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल सम्बन्धी कितने अपराधिक मुकदमें अभी न्यायालयों में अनिर्णीत पड़े हैं ; और

(ख) कितने मुकदमें निपटाये जा चुके हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : अब तक प्राप्त रिपोर्टों पर आधारित सूचना इस प्रकार है :—

(क) 974

(ख) 196

इंजीनियरों की सेवा-निवृत्ति की आयु

7639. **श्री बे० कृ० दासचौधरी :**
श्री अदिचन :
श्री एस० डी० सोमसुन्दरम :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में इंजीनियरों की सेवा-निवृत्ति की आयु कम करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो निर्णय कब से लागू किया जायेगा ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) इंजीनियरों की सेवा-निवृत्ति की आयु कम करने का कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) इंजीनियरों सहित केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की अधिवर्षता की आयु कुछ ही वर्ष पहले सभी सम्बन्धित तत्वों की विस्तृत जांच के बाद 55 वर्ष से बढ़ाकर 58 वर्ष की गई थी । इस निर्णय पर पुनर्विचार का औचित्य प्रमाणित करने के लिये परिस्थितियों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है ।

अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा के किराये में कटौती

7640. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार अन्तर्राष्ट्रीय विमान सेवा के किराये में कटौती के लिए प्रयत्न कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी पृष्ठ भूमि क्या है और इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर किरायों का विनियमन अन्तर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संस्था (आई० ए० टी० ए०) के संकल्पों द्वारा किया जाता है । फिलहाल अन्तर्राष्ट्रीय मार्गों पर सामान्य किरायों के घटाने की कोई चेष्टा नहीं है । परन्तु एयर इंडिया ने भारत को और अधिक पर्यटक यातायात आकृष्ट करने के लिये किरायों की निर्धारित दरों में उपयुक्त घटौती कराने के उद्देश्य से हाल ही में हुए एक आई० ए० टी० ए० सम्मेलन में विभिन्न प्रकार के पर्यटन अभिवृद्धि के लिये प्रोत्साहनकारी किराये चालू करने का प्रस्ताव किया । इन प्रस्तावों के बारे में सदस्य विमान कम्पनियों के बीच कुछ समझौता हुआ, परन्तु उसका अन्तिम रूप से अपनाया जाना सम्बन्धित सरकारों के अनुमोदन पर निर्भर करेगा ।

"मौरल री-आर्मामेंट" नामक संगठन

7641. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में "मौरल री-आर्मामेंट" नामक संगठन के कितने यूनिट सक्रिय रूप से काम कर रहे हैं ;

(ख) ये किन-किन राज्यों में काम कर रहे हैं ;

(ग) इस संगठन की गतिविधियों का स्वरूप क्या है ;

(घ) उसके प्रायोजकों के नाम क्या हैं ; और

(ङ) इसके वित्तीय साधन क्या हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार भारत में चार मौरल री-आर्मामेंट केन्द्र, बंगलौर, दिल्ली, पंचगनी (महाराष्ट्र) और कलकत्ता में एक-एक, कार्य कर रहे हैं। फिर भी पश्चिम बंगाल सरकार ने सूचित किया है कि इस समय उस राज्य में एम० आर० ए० की वस्तुतः कोई गतिविधि नहीं है।

(ग) राज्य सरकारों के अनुसार एम० आर० ए० की गतिविधियां अधिकांशतः सांस्कृतिक किस्म की हैं। किन्तु महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल और मैसूर की राज्य सरकारों ने यह भी सूचित किया है कि एम० आर० ए० साम्यवादी विचारधारा का विरोध करती है। पश्चिम बंगाल सरकार के अनुसार इसने साम्यवादी प्रचार का विरोध करने की कार्यवाही की है। महाराष्ट्र सरकार ने बताया है कि ऐसा मालूम पड़ता है कि एम० आर० ए० पश्चिमी गुट के पक्ष में एक लाबी बनाने का प्रयत्न कर रहा है।

(घ) बताया जाता है कि एम० आर० ए० की बंगलौर यूनिट दो आस्ट्रेलियन राष्ट्रिकों के मार्गदर्शन में काम कर रही है। श्री राज मोहन गांधी पंचगनी केन्द्र के कार्यभारी हैं। एम० आर० ए० की दिल्ली शाखा का पर्यवेक्षण श्री आर० डी० माथुर कर रहे हैं। श्री राज मोहन गांधी कलकत्ता केन्द्र के प्रायोजक हैं।

(ङ) राज्य सरकारों के अनुसार, बताया जाता है कि इस संगठन को भारत तथा विदेशों के व्यक्तियों और संस्थानों के निजी दानों से वित्त मिलता है।

बिहार सरकार से सूचना की प्रतीक्षा है।

Attack on Harijan Marriage Party in U. P.

7642. **Shri Ram Charan :**
Shri Molahu Prashad :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to State :

(a) whether Government's attention has been drawn to a news-item published in 'Aj' dated the 9th January, 1969, wherein it was stated that in Koti village of Tehri Garhwal District in Uttar Pradesh when the marriage party of the son of a Harijan was returning with the bride in the palanquin, about 100 caste Hindus appeared there with lathis in their hands surrounded the marriage party and started throwing brickbats and dust on the party ;

(b) whether it is also a fact that after mediation by some persons, they allowed the bride and the bride-groom to go after realising a fine of Rs. 250 from the marriage party ; and

(c) if so, the action taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). According to information furnished by State Government on 14. 12. 1968 a marriage party of village Koti patti hasyal went to near by village Goti and returned with the bride safely. No untoward incident occurred on the way.

The allegations that this party was surrounded and stoned by caste Hindus and was allowed to go only after a fine was realised were found to be incorrect.

(c) Does not arise.

Furniture in the Higher Secondry Schools of Delhi

7643. **Shri Molahu Prasad:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of items of furniture in each School in the beginning and at the end of academic Session 1968-69, respectively, in the Higher Secondary Schools under the Delhi Administration ;

(b) whether it is proposed to get the broken furniture in such schools repaired in the departmental workshop ; and

(c) if not, the reasons therefor and the amount spent each year in getting such repairs done from other workshops ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Youth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a) According to the Delhi Administration the number of items of furniture as per the list attached vary from school to school, depending upon the strength and requirements of each school. **[Placed in Library. See No. LT-898/69].**

(b) No, Sir;

(c) There is no departmental workshop with the Delhi Directorate of Education. Normally an amount of Rs. 100/- per school is sanctioned by the Delhi Administration for getting the repairs done by local carpenters.

प्रवर स्नातक विद्यार्थियों के लिये पत्राचार पाठ्यक्रम

7644. **डा० सुशीला नैयर :** **श्री क० लकप्पा :**

श्री मुहम्मद शरीफ : **श्री ए० श्रीधरन :**

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ करके का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि विद्यार्थी प्रवर स्नातक पाठ्यक्रमों के लिये गृहपाठी विद्यार्थियों के रूप में परीक्षा में बैठ सकें ।

(ख) यदि हां, तो किन-किन विश्वविद्यालयों में ये पाठ्यक्रम आरम्भ किये जायेंगे ; और

(ग) इस योजना का ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). दिल्ली, पंजाबी तथा राजस्थान विश्वविद्यालयों ने पत्राचार पाठ्यक्रम पहले ही शुरू कर दिये हैं । इन विश्वविद्यालयों में शुरू किये गये पाठ्यक्रम का ब्योरा संलग्न विवरण में दिया जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० 899/69]**

अन्य विश्वविद्यालयों में ऐसे पाठ्यक्रम शुरू करने का अभी कोई प्रस्ताव नहीं है ।

शिक्षा आयोजन की आवश्यकता

7645. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री बेणी शंकर शर्मा :
श्री रणजीत सिंह :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री बलराज मधोक :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग की उप-प्रधान ने 29 जनवरी, 1969 को नई दिल्ली में शिक्षा, शिक्षा आयोजन तथा प्रशासन के एशियाई संस्थान में शिक्षा आयोजकों तथा प्रशासकों, के लिये नवें पाठ्यक्रम का दीक्षान्त भाषण देते हुए विकासशील अर्थ व्यवस्था में शिक्षा आयोजन की आवश्यकता पर बल दिया था ;

(ख) क्या इस पहलू पर विचार कर लिया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस मामले में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव): (क) योजना के महत्व के बारे में योजना आयोग के उप-प्रधान ने निम्नलिखित विचार व्यक्त किये हैं :

"संसाधनों का सीमित होना सभी विकासशील देशों की स्थिति की वास्तविकता है तथा संसाधनों के सीमित होने से ही आयोजन को महत्व प्राप्त होता है । संसाधनों के सीमित होने के कारण ही इस बात की ओर सावधानीपूर्वक विचार करना आवश्यक होता है कि संसाधनों का प्रयोग किस दिशा में किया जाये तथा प्रत्येक दिशा में कितने संसाधनों का प्रयोग किया जाये ।"

योजना के अन्तर्गत शिक्षा सहित देश के विकास के सभी क्षेत्र आते हैं तथा यह विचार शिक्षा आयोजन पर भी लागू होते हैं ;

(ख) और (ग). सरकार इस विचार से सहमत है और इसी कारण 1951-52 से सरकार ने योजनाबद्ध विकास की प्रणाली अपनायी है ।

Appointment of Lok Pal

7646. **Shri Raghuvir Singh Shastri:**
Shri Y. A. Prasad:

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the names of the States which have agreed to the proposal of the Central Government for the appointment of Lok Pal to look into the charges against the persons holding high offices ;

(b) the nature of reply received from the remaining States ; and

(c) the action taken by Government to implement the said proposal ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). It was suggested to the State Governments that if the legislatures of any two or more States pass consenting resolutions, legislative competence for extending the Central Lokpal's jurisdiction to allegations against Chief Ministers can be acquired by Parliament under article 252 of the Constitution and a suitable provision inserted in the Lokpal and Lokayuktas Bill. So far, no State legislature has passed such a resolution.

मुकदमों सम्बन्धी कानूनों का सरलीकरण

7647. **श्री ज्योतिर्मय बसु** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति ने हाल में एक प्रेस इन्टरव्यू में मुकदमों की प्रक्रिया विनियमित करने वाले कानूनों के सरलीकरण की आवश्यकता पर बल दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इस बारे में आवश्यक कार्यवाही करने का विचार कर रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ समाचार देखे हैं ।

(ख) विधि आयोग आज कल दण्ड प्रक्रिया संहिता को, जो दण्डनीय अपराधों के मुकदमों के लिये प्रक्रिया विनियमित करता है, संशोधित करने में लगा हुआ है ।

दिल्ली नगर निगम के स्कूलों का दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरण

7648. **श्री बे० कृ० दासचौधरी** :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरण के प्रस्ताव को हाल में स्वीकृति दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने स्कूल दिल्ली प्रशासन को हस्तांतरित किये जायेंगे ; और

(ग) इन स्कूलों को चलाने के लिये दिल्ली प्रशासन को सरकार द्वारा कितनी सहायता दी जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी हां,

(ख) **माध्यमिक स्कूल**

निगम	413
नई दिल्ली नगर पालिका	2
नगर-पालिका से सहायता प्राप्त	52
उच्चतर माध्यमिक स्कूल निगम	11
नई दिल्ली नगर पालिका	3
कुल	481

(ग) दिल्ली प्रशासन को इस सम्बन्ध में व्यय का अनुमान लगाने के लिये कहा गया है ।

Demotion of Teachers in Jammu and Kashmir

7649. **Shri Prakash Vir Shastri:** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Supreme Court Judgement of the 23rd April, 1968, orders regarding the promotion of the junior teachers (who were declared petitioners in Writ Petition of 1965) to Gazetted posts on considerations of communalism and regionalism have been annulled, being in violation of the provisions contained in Articles 16 (1) and 16 (4) of the Constitution of India ;

(b) if so, whether such junior teachers have also been demoted as were similarly granted promotions since August, 1965 (from the date of filling the Writ Petition till the date of announcement of the decision thereon i. e. up to 23rd April, 1968) because such promotions were also against the aforesaid Constitutional provisions ; and

(c) if not, the reasons why the Jammu and Kashmir Government have not implemented the Supreme Court decision in toto ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao): (a) to (c). The State Government have informed that the orders of the Supreme Court were that the promotions granted to 81 persons are void and that the petitioners be paid costs. The State Government have reported that they had reverted all the 81 teachers in compliance of the orders of the Supreme Court in June 1968, and that the claims regarding costs were not preferred by the petitioners.

Display of National Flag in Cinema Houses in Gorakhpur

7650. **Shri Molahu Prashad:** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that unfurling of National Flag is displayed at the end of each show in most of the Cinema Houses in Gorakhpur District, Uttar Pradesh and in the flag, the green colour is shown at the top, white in the middle and the saffron at the bottom whereas the saffron colour should be at the top and the green should be at the bottom ; and

(b) if so, the steps being taken to rectify this mistake ?

The Deputy Minister in the Ministry of Home Affairs (Shri K. S. Ramaswamy): (a) The National Flag is displayed in correct position in all the Cinema Houses in Gorakhpur District.

(b) Does not arise.

Writ and Appeals Pending in High Courts

7651. **Shri Nitiraj Singh Choudhary ;**
Shri Onkar Lal Berwa :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) the number of first appeals, second appeals and writs, separately, pending in the High Courts ; and

(b) the cases other than the above pending in each High Court and the number out of them which are related to the cases referred to in part (a) above ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Naxalites in Madhya Pradesh

7652. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Naxalites are active in the Districts of Madhya Pradesh bordering Orissa ;

(b) Whether it is also fact that tribals and such other people in Chhatisgarh or near about are being trained on those lines because they know arrow-shooting and they are also landless; and

(c) if so, the reaction of Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) The State Government have no information that the extremists, as an organised group, are active in the districts bordering Orissa.

(b) The State Government have no such information.

(c) A close watch is being kept by the State Government on the activities of the extremists.

Implementation of Recommendations of Rural Roads Committee

7653. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) whether the Madhya Pradesh Government had been requested to keep in view the recommendations of the Rural Roads Committee at the time of formulating the Fourth Year Plan ;

(b) whether the Madhya Pradesh Government have implemented those recommendations ; and

(c) if so, the details of the recommendations implemented by the State Government ?

The Deputy Minister in the Ministry of Parliamentary Affairs and Shipping and Transport (Shri Iqbal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) and (c). The required information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha in due course.

Cheap Lodgings for Tourists in Madhya Pradesh

7654. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether his Ministry has drawn up schemes to make arrangements for cheap

lodgings at various tourist centres in Madhya Pradesh for tourists belonging to middle-income Group in the light of the recommendations of the India Tourism Development Corporation ;

(b) if so, the details of such schemes ;

(c) how and when these would be implemented ; and

(d) if no such schemes have been prepaired, the reasons therefor ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh) : (a) to (d). Presumably, the Honourable Member is referring to the recommendation made by the Tourist Development Council at its Simla meeting in 1967 for providing Youth Hostels and Holiday Homes for workers. Cheap lodging for middle income tourists have mainly to be provided by State Governments or the private sector. Due to limited resources, the Central Government is not in a position to do much in the matter. However, during the Fourth Plan period, a sum of Rs. 25 lakhs has been provided for Youth Hostels. Their locations are still to be worked out and will depend on inter-se priorities.

Discoveries of Pre-Harappa Age

7655. **Shri C. C. Dixit** : Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn towards the discoveries made by Dr. Sankalia (published in the Dharmayuga of 12th January) and whether it is a fact that in the course of these discoveries pre-Harappa age articles were found ;

(b) if so, the nature of the articles found ; and

(c) the light thrown by them on the history ?

The Deputy Minister in the Ministry of Education and Youth Services (Shrimati Jahanara Jaipal Singh) : (a) Yes, Sir.

(b) The objects found are comprised of tools belonging to early, Middle and Late Stone Ages, and some fossil remains of animals.

(c) The objects belong to pre-historic (Stone Age) period and throw the following light on the earliest cultures of India :

(i) Like other regions in India, the Narbada valley was the habitat of man right from the Early Stone Age.

(ii) Evidence of the existence of Middle Stone Age, in which tools were made on semiprecious stones, is also met with in this region.

(iii) The Late Stone Age comprising microliths is probably the logical development from the Middle Stone Age in India.

Demand for Separate Vidarbha State

7656. **Shri G. C. Dixit** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received a memorandum from the people of the Districts of the old Vidarbha region of Maharashtra regarding the demand for the formation of a separate State ;

(b) whether it has also been demanded therein that Burhanpur Tehsil, Multai Tehsil and Saunsar Tehsil of the present Madya Pradesh be merged with that separate State ;

(c) if so, the reaction of Government there to ; and

(d) if there aforesaid demands have not been found justified, whether Government propose to allocate some money separately for the development of these areas ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) No, Sir.

(b) to (d). Do not arise.

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता को समाप्त करने के लिए नई प्रणाली

7657. **डा० कर्णी सिंह** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ने विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता समाप्त करने की एक ऐसी प्रणाली तैयार की है जिसके अधीन एक अध्यापक 10 विद्यार्थियों को प्रांगण में अव्यवस्था की गतिविधियों से अलग रखने का जिम्मेवार होगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रणाली से विद्यार्थियों में अव्यवस्था फैलाने से रोकने में सहायता मिली है ; और

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर सकारात्मक है तो क्या सरकार का विचार इस प्रणाली को सभी सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षा संस्थाओं में लागू करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय को शैक्षिक परिषद् की स्थायी समिति ने 12 दिसम्बर, 1968 को हुई अपनी बैठक में विश्वविद्यालय कार्य सम्बन्धी कुछ मामलों पर विचार किया था और इसके साथ-साथ शिक्षक सलाहकारों के गठन की सिफारिश की थी, जिसका अनुपात 10-12 विद्यार्थियों के लिये एक अध्यापक का हो। संस्थाओं के विभिन्न प्रधानाचार्यों की टिप्पणियां प्राप्त होने के बाद विश्वविद्यालय द्वारा इस सिफारिश पर आगे कार्रवाई की जायेगी।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की शिकायतों से निपटने के लिये व्यवस्था

7658. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री 27 फरवरी, 1969 के तारांकित प्रश्न संख्या 226 के उत्तर के बारे में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की शिकायतों का निपटारा करने के लिये प्रस्तावित व्यवस्था को इस बीच अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मामला अभी तक विचाराधीन है।

Arrest of P & T Employees

7659. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Home Affair** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that some Posts and Telegraphs employees in Jamshedpur (Bihar) were arrested in connection with the token strike of the 19th September, 1968 ;

(b) if so, the number and names thereof;

(c) whether it is also a fact that they are still in jails;

(d) if so, the reasons therefor ;

(e) whether Government propose to release them without further delay ; and

(f) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) ; (a) to (f). The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर के निवासियों को काश्मीर में बसने की अनुमति

7660. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय ऐसे पाकिस्तानियों पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है कि जो पाकिस्तान अधिकृत काश्मीर से भारत आना चाहते हैं और काश्मीर में बसना चाहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार दी गई स्वतंत्रता से जासूसी और तोड़-फोड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है ; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की नीति को जारी रखना कहां तक देश की सुरक्षा के हित में है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). उचित यात्रा दस्तावेजों के बिना कोई भी पाकिस्तानी राष्ट्रिक न तो भारत में आ सकता है और न ही जम्मू व कश्मीर राज्य में बस सकता है। पाकिस्तानियों के अतिरिक्त पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर के निवासियों का युद्ध-विराम रेखा के आर-पार संचालन राज्य की सुरक्षा के हित में एक राज्य कानून से नियमित किया जाता है।

Black Market in Foreign Exchange Brought by Foreign Tourists

7661. **Shri Deven Sen** : Will the Minister of **Tourism and Civil Aviation** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that according to the surveys conducted by the Department of

Tourism, 25 per cent of the foreign exchange brought by the foreign tourists goes in the black-market ; and

(b) whether any concrete steps are proposed to be taken by Government to check such black marketing and, if so, when this would be done ?

The Minister of Tourism and Civil Aviation (Dr. Karan Singh (a) and (b). A high level Committee has been set up by Government to consider the problem of leakage of foreign exchange and to make recommendations. The Committee has submitted a preliminary report which is under consideration of the Government. The final report of the Committee is still awaited.

मनीपुर के पशु चिकित्सा अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

7662. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री, 13 दिसम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4473 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मनीपुर के पशु चिकित्सा विभाग के सम्बन्धित अधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने में क्या प्रगति हुई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1965 के अधीन एक राजपत्रित अधिकारी और दो कर्मचारियों के विरुद्ध भी एक जांच आरम्भ की गई है और आरोप लगाये गये हैं ।

रांची में युवक को छुरा घोंपना

7663. **श्री वेणीशंकर शर्मा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनवरी, 1969 के अन्तिम सप्ताह में एक युवक को उस समय छुरा घोंप कर हत्या कर दी गई थी जब वह सरस्वती देवी को प्रवाहित करने के लिये निकाले गये जलूस के साथ जा रहा था ;

(ख) क्या इसके कारणों की कोई जांच की गई है ; और

(ग) यदि हां, तो जांच अधिकारियों ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं और क्या एक बार फिर नगर की शान्ति को भंग करने का यह एक संगठित प्रयत्न था ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 23 जनवरी, 1969 को रांची में सरस्वती की मूर्ति को जल में विसर्जन के लिये ट्रक में ले जाया गया । जब ट्रक दर्जी मोहल्ले के पास रुका तो कुछ स्थानीय लड़के वहां जमा हो गये और ट्रक के गली में से गुजरने पर उन्होंने आपत्ति की । एक लड़के को जिसने ट्रक से नीचे उतर कर विरोध किया था, छुरा घोंप दिया गया बाद में उसकी मृत्यु हो गयी।

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147/148/149/342 और 302 के अधीन एक आपराधिक मामला दर्ज किया गया और उसकी जांच की जा रही है। अब तक की जांच से यह प्रतीत होता है कि घटना नगर की शांति भंग करने के लिये किसी सुनियोजित प्रयास के परिणामस्वरूप नहीं थी।

कवि गालिब का स्मारक

7664. **श्री वेणीशंकर शर्मा :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने उर्दू के महान कवि गालिब के सम्मान में स्मारक के निर्माण के लिये 20 लाख रुपये की राशि दान दी है ;

(ख) क्या स्वतंत्र भारत के इतिहास में इस प्रकार का दान पहली बार दिया गया है अथवा पहले भी इस प्रकार के दान दिये गये हैं ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ;

(घ) क्या राशि की बजट में व्यवस्था की गई थी ; और

(घ) क्या सरकार ने हिन्दी के किसी कवि, या किसी अन्य कवि की स्मृति को अमर बनाने के लिये ऐसी राशि दान में दी है, अथवा देने का प्रस्ताव है जिसे समूचे भारत में गालिब के समान सम्मान प्राप्त है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां। कुल 20 लाख रुपये का अनुदान स्वीकार किया गया है जिसमें से 15 लाख रुपया स्मारक के निर्माण के लिये तथा शेष 5 लाख रुपये गालिब शताब्दी समिति की सामान्य गतिविधियों के लिये है।

(ख) और (ग). जी नहीं। हमने महात्मा बुद्ध की 2500वीं जयंती, रविन्द्रनाथ टैगोर शताब्दी तथा महात्मा गान्धी शताब्दी मनाने के लिये भी अनुदान दिये हैं। स्मारक के निर्माण के लिये प्रयोग किये गये अनुदान के बारे में ब्योरा राज्य सरकारों तथा सम्बन्धित समितियों/निकायों से एकत्र किया जा रहा है और प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दिया जायेगा।

(घ) 1968-69 में गालिब शताब्दी समिति को दिये गये 15 लाख रुपयों का उपबन्ध 1968-69 के आयव्ययक में नहीं किया गया था परन्तु चालू वित्तीय वर्ष में दिये जाने वाले 5 लाख रुपये का उपबन्ध चालू वर्ष के आयव्ययक में कर दिया गया है।

(ङ) जी हां। पहले भी अनुदान दिये जाते रहे हैं तथा धन की उपलब्धि पर अन्य प्रार्थनाओं पर विचार किया जायेगा।

भारतीय जहाजों द्वारा ढोया गया निर्यात माल

7665. **श्री श्रद्धाकर सूपकार :** क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्य देशों को निर्यात किया जाने वाला कितना प्रतिशत माल भारतीय जहाजों द्वारा ढोया गया ; और

(ख) क्या लौह अयस्क और मैंगेनीज अयस्क का निर्यात भारतीय जहाजों के द्वारा किया जाता है और यदि हां, तो वह कितने टन है ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : (क) 1967-68 में 16.58 प्रतिशत ।

(ख) 1967-68 में कुल 144.1 लाख मीटरिक टन लौह अयस्क का निर्यात किया गया था । लौह अयस्क का निर्यात अधिकांशतः जहाज पर्यन्त निःशुल्क के आधार पर किया जाता है । अतः जहाजों का प्रबन्ध करने और भाड़ा देने की जिम्मेवारी विदेशी ग्राहकों पर होती है तथा विदेश अथवा भारतीय जहाजों द्वारा ढुलाई की मात्रा के बारे में अधिकृत आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु अनुमान है कि भारतीय जहाजों पर केवल 10 प्रतिशत माल ले जाया जाता है और शेष 90 प्रतिशत विदेशी जहाजों पर ले जाया जाता है ।

1968-69 में कुल 14.7 लाख मीटरिक टन मैंगनीज अयस्क का निर्यात किया गया था । इस मामले में भी भारतीय नौवहन समवायों द्वारा ढुलाई किये माल के बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं । परन्तु भारतीय जहाजों द्वारा केवल छोटे पार्सल ले जाये जाते हैं और अधिकांशतः विदेशी कम्पनियां ही माल की ढुलाई करती हैं ।

Grants to Institute of Higher Tibetan Studies in Varanasi

7666. **Shri Kushok Bakula :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the amount of annual grants given by the Central Government to the Institute of Tibetan Studies, Varanasi, during the last two years ;

(b) whether Government propose to increase the quantum thereof ; and

(c) if so, the extent thereof and the date from which such increase would be effected ?

The Minister of State in the Ministry of Education and Yonth Services (Shri Bhakt Darshan) : (a). The following grants have been given to the Institute of Higher Tibetan Studies. Varanasi during the last two years :—

1967-68	Rs. 55,000/-
1968-69	Rs. 2,04,297/-

(b) and (c). The matter is under consideration.

सिरसका मृगोद्यान में केन्द्रीय आरक्षित पुलिस

7667. **श्री देवकी नन्दन पाटोटिया :**
श्री रामावतार शर्मा :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री बे० कृ० दासचौधरी :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में सिरसका मृगोद्यान के निकट स्थित केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बड़े पैमाने पर चोरी से शिकार करते हैं जिसके फलस्वरूप लगभग सभी अन्य जन्तु मृगोद्यान से भाग गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या अपराध के लिये दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का प्रस्ताव है और क्या सरकार का प्रस्ताव सिरसका के पास से पुलिस के कैम्प को हटाने का है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार से सूचना मांगी गई है तथा सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी ।

(ख) सेंक्चुअरी में स्थित सेन्ट्रल रिजर्व पुलिस की टुकड़ी यथाशीघ्र और कहीं हटा ली जायगी ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

पृथक तेलंगाना राज्य के लिये सम्मेलन

7668. **श्री रा० कृ० बिड़ला :**
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैदराबाद में हाल ही में तेलंगाना के सभी जिलों के विधायकों, राजनीतिज्ञों, शिक्षा शास्त्रियों, मजदूर नेताओं और विद्यार्थियों के एक सम्मेलन ने अलग तेलंगाना राज्य की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो सम्मेलन में किन-किन पार्टियों के प्रतिनिधि थे ?

गृह-कार्य मंत्रालय के राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). राज्य सरकार द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार विद्यार्थियों के पृथक तेलंगाना वर्ग की कार्य संचालन समिति और प्रजा समिति द्वारा आयोजित तेलंगाना जन साधारण का एक सम्मेलन 8 और 9 मार्च, 1969 को हुआ था । उसने तेलंगाना के लिये राज्य के दर्जे की मांग करते हुये एक संकल्प पारित किया । इस सम्मेलन में किसी भी राष्ट्रीय राजनीतिक दल ने भाग नहीं लिया ।

Teaching of Hindi to Government Officers

7669. **Shri Onkar Lal Berwa**: Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that a large number of Central Government officers do not know Hindi ;

(b) if so, whether Government have made any survey in this respect ;

(c) whether it is also a fact that Government have continued their efforts to teach them Hindi ; and

(d) if so, the number of employees who learnt Hindi during 1968-69 ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). According to a recent survey made, about 3 lakh Central Government employees for whom training in Hindi is obligatory have yet to be trained in Hindi.

Efforts have been intensified to teach Hindi every year to as large a number of employees as possible.

(d) During 1968-69, 17,588 employees appeared in the Hindi examinations and out of them 12,523 passed.

केरल के लोगों के पूर्ववृत्त का सत्यापन

7670. **श्री वासुदेवन नायर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत सरकारी उपक्रमों को इस प्रकार की हिदायतें जारी की गई थीं कि अपने उपक्रमों के लिए भर्त्ती करते समय केरल राज्य से चुने गये सभी व्यक्तियों के नाम राज्य सरकार द्वारा सत्यापन करने के अतिरिक्त गृह मंत्रालय को भी उनके पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए भेजे जायें ; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि इस प्रकार के सत्यापन में अत्यधिक विलम्ब होता है और कई व्यक्तियों को रोजगार नहीं मिल पाता क्योंकि उपक्रम ऐसे राज्यों से लोगों को भर्ती कर लेते हैं जहां पर उक्त नियम लागू नहीं हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिये चुने गये उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के बारे में हिदायतों का पालन सरकारी उपक्रम इत्यादि द्वारा उनके अधीन पदों के लिये चुने गये उम्मीदवारों के बारे में भी किया जाता है। केरल सरकार ने केन्द्रीय सरकार के द्वारा अपनायी गयी संशोधित प्रणाली के आधार पर केन्द्रीय सरकार के अधीन पदों पर नौकरी के लिए चुने गये उम्मीदवारों के चरित्र तथा पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिये जिला अधिकारियों को हिदायतें जारी नहीं की हैं। अतः केन्द्रीय सरकार को स्वयं केरल के ऐसे उम्मीदवारों के चरित्र और पूर्ववृत्त के सत्यापन के लिए अपनी एजेन्सियों का इस्तेमाल करना पड़ता है। यह सरकारी उपक्रमों में नियुक्ति के लिये चुने उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होता है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

भारत में विघटनकारी प्रवृत्तियां

7671. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ समय से पृथक 'सिख होमलैंड', 'तेलंगाना', 'झाड़खण्ड' और छत्तीसगढ़' राज्यों की मांगें की जा रही हैं ;

(ख) क्या यह देश के विघटन की ओर बढ़ रहीं प्रवृत्तियों को प्रदर्शित नहीं करता ; और

(ग) इन प्रवृत्तियों को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश और बिहार में व्यक्तियों के कुछ वर्गों ने पृथक तेलंगाना और झारखण्ड राज्यों की क्रमशः मांगें उठाई हैं। शिरोमणि अकाली दल के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री कपूर सिंह ने पुनः सिख होम लैण्ड की मांग को उठाया है। परन्तु पंजाब सरकार किसी ऐसी मांगों के विरुद्ध है। छत्तीसगढ़ राज्य की मांग के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से सूचना प्रतीक्षित है।

(ख) और (ग). अलग तेलंगाना की मांग के बारे में सरकार की स्थिति पहले ही सदन में स्पष्ट कर दी गई है। झारखण्ड राज्य और सिख होल-लैण्ड की मांगें सम्बन्धित राज्यों के व्यक्तियों के हितों के विरुद्ध हैं। सरकार क्षेत्रीय शिकायतों और असन्तुलन को, जो ऐसी मांगों को उकसाते हैं, हटाने के प्रयत्न करती है।

युवक सेवाएं

7673. **श्री रा० कृ० सिंह :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने युवक सेवाओं का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम तैयार किया है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उसकी कार्यान्विति की दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग) . विश्व-विद्यालय तथा कालेज के विद्यार्थियों में राष्ट्रीय जागृति, अनुशासन की भावना तथा श्रम की गरिमा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सेवा दल तथा राष्ट्रीय खेलकूद संगठन का एक कार्यक्रम तैयार किया गया है। इस योजना में यह व्यवस्था की गई है कि डिग्री पाठ्यक्रम के पहले तथा दूसरे में छात्र राष्ट्रीय छात्रसेना दल, राष्ट्रीय सेवा दल तथा राष्ट्रीय खेलकूद संगठन इन तीनों कार्यक्रमों में से एक अथवा दूसरे कार्यक्रम में भाग लेंगे चाहे राष्ट्रीय खेलकूद संगठन में केवल ऐसे चुनींदा विद्यार्थियों को लिया जायेगा जो खेलकूद में दक्षता प्राप्त किये हों। योजना का अग्रेतर मसौदा तैयार किया जा रहा है।

निम्नलिखित योजनाओं को चौथी पंचवर्षीय योजना अवधि में कार्यान्वित करने के लिये शामिल किया गया है :

1. कैम्पस वर्क्स फोरम्स
2. प्लैनिंग फोरम्स
3. स्काउटिंग एण्ड गाइडिंग
4. युवक सेवा के क्षेत्र में काम करने वाले स्वयं सेवी संगठनों को सहायता
5. देख के एक भाग में रहने वाले विद्यार्थियों का देश के दूसरे भाग में रहने वाले विद्यार्थियों को मिलने के लिये आना जाना
6. विश्वविद्यालयों द्वारा स्थापित युवक कल्याण बोर्ड को सहायता

इन योजनाओं के अलावा मंत्रालय निम्नलिखित तो योजनायें 1969-70 में चलायेगा :

(1) विश्वविद्यालयों द्वारा युवक नेतृत्व तथा नाटकीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन

(2) श्रम तथा समाज सेवा शिविरों का आयोजन ।

पालम हवाई अड्डे पर सुविधाएं

7674. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री क० मि० मधुकर :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 17 मार्च, 1969 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में प्रकाशित उस समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें पालम हवाई अड्डे पर ऐसी अनिवार्य सुविधाओं तथा आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है और जो इस समय वहां उपलब्ध नहीं है ;

(ख) यदि हां, तो इस समाचार में कौन-कौन सी कमियां बताई गई हैं ; और

(ग) उन्हें दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग). समाचार रिपोर्ट में निर्दिष्ट पालम हवाई अड्डे की त्रुटियों तथा उनको सुधारने के लिए सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही का ब्योरा नीचे दिया गया है :

(i) **रनवे, एप्रन तथा टैक्सी-ट्रैक सुविधाओं में सुधार :**

मुख्य रनवे को 12,500 फीट तक बढ़ाने, तथा एक लिंक टैक्सी ट्रैक और एक अतिरिक्त जेट वे का निर्माणकार्य शुरू हो गया है। एक रात्रिकालीन पार्किंग एप्रेन के निर्माण का प्रस्ताव

विचाराधीन है। और अधिक सुधार, 24-4-69 को सरकार को प्रस्तुत की गई अन्तर्राष्ट्रीय विमानक्षेत्र समिति की रिपोर्ट के आधार पर, करने का प्रस्ताव है।

(ii) **तिलपत तथा तुगलकाबाद चान्दमारी स्थल, जब वहां चान्दमारी हो रही हो, आने जाने वाले विमानों के लिए खतरा पैदा करता है, और इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम सुविधा को नाकाम कर देता है।**

इन चान्दारियों को निष्क्रिय करने की व्यवस्था विद्यमान है, जिनसे कि विमान खराब मौसम की अवस्था में इन्स्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम का प्रयोग कर सकें। सरकार इस दिशा में आवश्यक दीर्घकालीन व्यवस्थाओं पर भी विचार कर रही है।

(iii) **एक नये कन्ट्रोल टावर की आवश्यकता**

वर्तमान कन्ट्रोल टावर विमानन में उन्नति के कारण परिमाण तथा तकनीकी दोनों ही दृष्टियों से अनुपयोगी हो गया है। हवाई अड्डे के लिये नये टर्मीनल काम्प्लेक्स के एक भाग के रूप में एक आधुनिक कन्ट्रोल टावर के निर्माण का प्रस्ताव है।

(iv) **राडारों की व्यवस्था**

पालम पर एयर रूट सर्वेलैन्स राडार (एक लौंग रेंज राडार) तथा एयरपोर्ट सर्वलैन्स राडार (एक शार्ट रेंज राडार) लगाने का काम चालू है। पहले के लिये उपस्कर अप्रैल, 1968 में आना प्रारम्भ हुआ था, तथा इसके वितरण के 1969 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है। स्थान का चयन कर लिया गया है तथा आवश्यक भूमि के अभिग्रहण और अपेक्षित भवन के निर्माण तथा बिजली पहुंचाने की व्यवस्था का काम केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने प्रारम्भ कर दिया है। जहां तक एयरपोर्ट सर्वेलैण्ड राडार का सम्बन्ध है, उपस्कर के वितरण का काम जून/जुलाई, 1969 में प्रारम्भ हो जायेगा। इसको हवाई अड्डे के क्षेत्र में ही लगाया जायेगा। भवन के निर्माण तथा सम्बद्ध कार्यों के प्राक्कलनों की समीक्षा की जा रही है।

(v) **हवाई यातायात नियंत्रकों की असन्तोषजनक सेवा विषयक परिस्थिति**

सरकार विभिन्न संवर्गों का, उनके बढ़ते हुए उत्तरदायित्वों को दृष्टि में रखते हुए, पुनर्गठन करने के उपायों की जांच कर रही है। इन उपायों के कार्यान्वित किये जाने पर हवाई यातायात नियंत्रकों को भी लाभ पहुंचने की आशा है।

मनीपुर में सैटलमेंट आफिसरों को विशेष भत्ता

7675. **श्री एम० मेघचन्द्र :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मनीपुर सरकार के सैटलमेंट विभाग के असिस्टेंट सैटलमेंट आफिसरों, डिप्टी सैटलमेंट आफिसरों तथा सैटलमेंट आफिसर के लिये कुछ विशेष भत्ता मंजूर किया है क्योंकि आसाम में ऐसे अधिकारियों को यह भत्ता दिया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो पदवार भत्ते की राशि कितनी है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो क्या आसाम की तरह यह भत्ता देने का सरकार का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). मनीपुर सरकार के अधीन सैटलमेंट आफिसर का कोई पृथक पद नहीं है। मनीपुर के भूमि अभिलेख तथा सैटलमेंट के निदेशक के पद के साथ 150 रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन संलग्न है। असिस्टेंट सैटलमेंट आफिसर के पद के लिये 100 रु० प्रतिमाह का विशेष वेतन और 30 रु० प्रतिमाह का मकान किराया भत्ता स्वीकृत किया गया है। डिप्टी सैटलमेंट आफिसर के पद के लिये 150 रु० प्रतिमाह के विशेष वेतन की स्वीकृति के लिए मनीपुर सरकार के एक प्रस्ताव की जांच की जा रही है।

मनीपुर में बस दुर्घटना का शिकार होने वाले व्यक्तियों को मुआवजा

7676. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 18 मई, 1968 को मनीपुर राज्य परिवहन की बस की हुई दुर्घटना में मरने वाले और घायल होने वाले व्यक्तियों को मुआवजे के भुगतान की मंजूरी दे दी है ;

(ख) यदि हां, तो क्या मनीपुर सरकार ने दिये जाने वाले मुआवजे का भुगतान कर दिया है ;

(ग) यदि उक्त भाग (ख) का उत्तर स्वीकारात्मक है तो व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उनको कितना-कितना मुआवजा दिया गया है ; और

(घ) यदि अभी तक भुगतान नहीं किया गया, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

संसद्-कार्य तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया): (क) जी, हां।

(ख) मनीपुर सरकार के अनुसार 11 मृत तथा 15 घायल यात्रियों के सम्बन्ध में मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है।

(ग) लोगों के नाम तथा मुआवजे की राशि दर्शाने वाली एक सूची सभा-पटल पर रखी जाती है। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी०** 900/69]

(घ) मनीपुर सरकार के अनुसार 3 मृत तथा 23 घायल व्यक्तियों के सम्बन्ध में अभी तक मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सकता है क्योंकि सम्बन्धित व्यक्तियों ने नोटिस दिये जाने के बावजूद भी मुआवजे की राशि इकठ्ठी नहीं की है।

मनीपुर में सरकारी कर्मचारियों की सेवा-निवृत्ति

7677. **श्री एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1968 तथा 1969 में अब तक मनीपुर संघराज्य क्षेत्र में मूल नियमों के नियम 56 के अन्तर्गत कितने सरकारी कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के आदेश दिये गये थे ;

(ख) क्या उक्त कर्मचारियों को सेवा-निवृत्ति नियम 56 (क) के अन्तर्गत ही की गई थी अथवा नियम 56 के अन्य उपनियमों के अन्तर्गत ;

(ग) क्या कुछ सेवा-निवृत्त कर्मचारियों को मूल नियम 56 (ग) के अन्तर्गत लाभ दिया गया था ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). मनीपुर सरकार ने सूचित किया है कि सन् 1968 में मूल नियम 56 (क) के अन्तर्गत 1968 में 19 अधिकारी तथा सन् 1969 में आज तक 6 अधिकारी सेवा-निवृत्ति हुए। सन् 1968 में मूल नियम 56 (त्र) के अन्तर्गत एक अधिकारी सेवा निवृत्त किया गया था। सन् 1969 में आज तक मूल नियम 56 (त्र) के अन्तर्गत कोई भी अधिकारी सेवा-निवृत्त नहीं किया गया।

(ग) और (घ). मूल नियम 56 (ग) के अन्तर्गत कोई भी अधिकारी सेवा-निवृत्त नहीं किया गया क्योंकि यह नियम सम्बन्धित अधिकारियों पर लागू नहीं होता।

सरकारी कर्मचारियों के सम्बन्धियों को सरकारी सेवा में नियुक्ति के लिये प्राथमिकता

7678. **श्री० एम० मेघचन्द्र** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम में तथा मनीपुर संघराज्य क्षेत्र में ऐसा नियम है जो पुलिस को नियम पुस्तिका में दिया गया है कि पुलिस तथा अन्य सरकारी सेवा में उत्तम सेवा करने वाले व्यक्तियों के पुत्रों तथा सम्बन्धियों को, यदि वे अर्हताप्राप्त हों, अन्य उम्मीदवारों की अपेक्षा प्राथमिकता दी जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों में संघराज्य क्षेत्र मनीपुर में उक्त नियम के अन्तर्गत पुलिस में उत्तम सेवा करने वाले व्यक्तियों के कितने पुत्रों तथा सम्बन्धियों को उपयुक्त नौकरी दी गई है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक है, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) मनीपुर द्वारा अपनाई गई पुलिस की नियम-पुस्तिका में ऐसी व्यवस्था है। असम के बारे में सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) मनीपुर प्रशासन द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार ऐसे व्यक्तियों की संख्या दो है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के घेराव की घटनाएं

7679. **श्री यज्ञ दत्त शर्मा :**
श्री रा० कृ० सिंह :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल में संयुक्त मोर्चे की सरकार स्थापित होने के पश्चात् श्रमिकों के असन्तोष के कारण केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों के घेराव की कितनी घटनाएं हुई हैं ?

(ख) इन घटनाओं का पूरा ब्योरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

Attack on an Adivasi Village in Puri

7680. **Shri Ramavatar Shastri :**
Shri Rabi Ray:
Shri Kanwar Lal Gupta :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an Adivasi village situated at a distance of about 10 miles from Puri (Orissa) was burnt to ashes on the 9th March, 1969 by the caste people of an adjoining village ;

(b) if so, the name of the village burnt and the names of those villages whose people did it and the reasons therefor ;

(c) the number of persons killed and the value of the property lost as a result thereof ;

(d) whether the State Government have made any arrangements for the rehabilitation of the residents of the village burnt to ashes ;

(e) if so, the details thereof ;

(f) whether any action has been taken against the culprits ;

(g) if so, the details thereof ; and

(h) the action proposed to be taken by Government to avoid recurrence of such incidents in future ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) and (b). According to information furnished by State Government, on March 8, 1969, some caste Hindus clashed with the villagers of Saharashahi of Kerandipur of Puri District over fishing rights in a tank, and set fire to two huts as a result of which the entire village consisting of 24 houses was gutted.

(c) The amount of loss of property is estimated at Rs. 9,270/-. Information regarding the number af persons killed is awaited.

(d) and (e). An amount of Rs. 4,000/- has been granted out of the Chief Minister's relief fund. Further details about measures taken for the rehabilitation of the affected persons are awaited.

(f) to (h). Information from the State Government is awaited.

पटना में भाषा गोष्ठी

7681. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में 25 से 28 जुलाई, 1968 तक बिहार नागरिक शिक्षा परिषद् के तत्वावधान में एक भाषा गोष्ठी का आयोजन किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उसमें कितने शिक्षा-शास्त्रियों और विचारकों ने भाग लिया था और उनमें विख्यात व्यक्तियों के नाम क्या हैं ;

(ग) गोष्ठी में किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई है और क्या निष्कर्ष निकले ;

(घ) क्या गोष्ठी ने प्रादेशिक भाषाओं में अनुसंधान कार्य के बारे में भी कोई सिफारिशें की हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार लगभग 424 लोगों ने भाग लिया । जिन कर्मचारियों ने भाग लिया उनमें निम्नलिखित व्यक्ति प्रमुख थे :

श्री जय प्रकाश नारायण, डा० रामधारी सिंह, 'दिनकर', डा० के० के० दत्त, उप-कुलपति पटना विश्वविद्यालय, डा० बालभद्र प्रसाद, भूतपूर्व उप-कुलपति, बिहार और इलाहाबाद विश्वविद्यालय, श्री त्रिवानी सेन, श्री गोपाल हाल्दर, डा० समर राम चौधरी तथा अचुत्य मेनन, संसद् सदस्य ।

(ग) निम्नलिखित मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी :

(एक) (1) मानव शास्त्र तथा सामाजिक विज्ञान, (2) मूल तथा प्राकृतिक विज्ञान, (3) इंजीनियरी, (4) चिकित्सा शिक्षा, (5) विधि शिक्षा तथा (6) शिक्षा में प्रादेशिक भाषायें लाने की समस्यायें ।

(दो) त्रि-भाषायी सूत्र कार्यान्वित करने की समस्यायें ; और

(तीन) राज्य के भीतर अल्पसंख्यक भाषाओं की समस्यायें। यह बताया गया है कि गोष्ठी में यथासम्भव शीघ्र प्रादेशिक भाषायें लाने के पक्ष में निर्णय किया गया था। इस प्रयोजन के लिये अनेक आनुषंगिक कार्यवाहियां किये जाने के अलावा इसने यह भी सिफारिश की है कि त्रि-भाषायी सूत्र को कार्यान्वित किया जाये तथा अल्पसंख्यक भाषाओं को, विशेषकर आदिम जातीय भाषाओं को, विशेष संरक्षण दिया जाये।

(घ) इस विषय पर कोई सीधी सिफारिश नहीं की गई है परन्तु यह सिफारिश की गई है कि अनुसंधान पत्रिकाओं तथा संदर्भ पुस्तकों के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

(ङ) गोष्ठी में की गई मुख्य सिफारिशों को राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पहले ही शामिल कर लिया गया है तथा भारत सरकार नीति को यथासम्भव उचित कार्यान्वित करने की दिशा में आवश्यक कार्यवाही करेगी।

दिल्ली में अपराधों के बारे में जांच अधिकारियों की रिपोर्टें

7682. **श्री मुहम्मद शरीफ :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस आयोग के अनुसार राजधानी में अपराधों की जांच करने वाले अधिकारियों की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेजने की बजाय नीचे के अधिकारियों को भेज दी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) दिल्ली पुलिस आयोग ने अपने प्रतिवेदन में व्यक्त किया है कि पुलिस के अधीक्षकों तथा उप-मण्डल पुलिस अधिकारियों के विधि तथा व्यवस्था के कार्यों में व्यवस्त होने और तुलना में बड़े कार्यक्षेत्र के कारण जांच अधिकारियों की केस डायरियों की संवीक्षा उप-मण्डल पुलिस अधिकारियों के रीडरों, जो जांच अधिकारियों के नीचे के पद के होते हैं, द्वारा की जाती है।

(ख) और (ग). दिल्ली पुलिस के कार्य को सरल व कारगर बनाने के उपाय किये जा रहे हैं। जांच कर्मचारी वर्ग तथा पर्यवेक्षी अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करने का भी प्रस्ताव है। यह भी अनुदेश जारी किये गये हैं कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी/उपमंडल पुलिस अधिकारी व्यक्तिगत रूप से केस डायरियों की संवीक्षा करें और जांच अधिकारियों को उपयुक्त अनुदेश जारी करें।

कोडाइकनल खगोल वेधशाला के लिए एक मीटर रिफलैक्टर वाली दूरबीन

7683. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोडाइकनल खगोल वेधशाला ने पूर्व जर्मनी से एक मीटर रिफलैक्टर वाली दूरबीन मंगाने का आर्डर दिया है;

(ख) यदि हां, तो दूरबीन को किन कार्यों के लिये प्रयोग में लाया जायेगा;

(ग) दूरबीन की लागत क्या होगी; और

(घ) क्या भारत में किसी अन्य वेधशाला ने भी ऐसी दूरबीन का आर्डर दिया है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। दूरबीन (टेलीस्कोप) अभी हाल में ही प्राप्त हुई है।

(ख) दूरबीन का आकाश-गंगा (गैलेक्सी) के केन्द्र तथा दक्षिणी गोलार्ध में नक्षत्रों की दृष्टि से तारों के विकास, तारों की रचना तथा आकाशगंगीय संरचना के अध्ययन करने के लिए प्रयोग करने का प्रस्ताव है।

(ग) 17,71,252 रुपये।

(घ) जी, हां; उत्तर प्रदेश राज्य वेधशाला, नैनीताल द्वारा।

दीक्षान्त अभिभाषण के समय दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों द्वारा प्रदर्शन

7684. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 21 फरवरी, 1969 को दिल्ली विश्वविद्यालय के दीक्षान्त अभिभाषण के समय कुछ विद्यार्थियों ने नारे लगाये थे और दरवाजों को पीटा था;

(ख) यदि हां, तो उन विद्यार्थियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों की मांगें क्या थीं।

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ग). जी हां। 21 फरवरी, 1969 को जब दीक्षान्त समारोह हो रहा था तो कुछ थोड़े से व्यक्तियों ने प्रदर्शन किया था और जब समारोह चल रहा था तो वे हाल में जबरदस्ती घुस गए।

प्रदर्शनकारी कुलपति को एक ज्ञापन देना चाहते थे किन्तु श्रोताओं ने उन्हें भगा दिया।

(ख) कोई कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि प्रदर्शनकारियों के बारे में यह मालूम नहीं हो सका कि वे विश्वविद्यालय के विद्यार्थी थे।

पहाड़गंज में एक लड़की की मृत्यु

7685. **श्री मुहम्मद शरीफ** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पहाड़गंज, नई दिल्ली, की एक लड़की तृप्ता की मृत्यु के कारणों की जांच इस बीच पूरी कर ली गई है;

(ख) क्या पहाड़गंज के निवासियों का एक प्रतिनिधिमण्डल 3 मार्च, 1969 को गृह-कार्य मंत्री तथा पुलिस के महानिदेशक को मिला था और उसने इस मामले की जांच का कार्य दिल्ली की सी० आई० डी० की क्राइम ब्रांच (अपराध शाखा) को सौंपने का निवेदन किया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) पहाड़गंज के निवासियों का एक प्रतिनिधिमण्डल दिल्ली पुलिस के महानिदेशक से मिला।

(ग) मामले की जांच का कार्य अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को सौंप दिया गया है।

बम के भय के कारण एयर इंडिया के विमान का आधे रास्ते से वापिस आ जाना

7686. **श्री देवेन सेन** :

श्री मृत्युंजय प्रसाद :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में एयर इंडिया का एक बोइंग जेट 707 विमान लन्दन से न्यूयार्क जाते हुए आधे रास्ते से इस कारण वापिस आ गया था कि विमान के पायलट को यह सूचना मिली थी कि विमान में एक बम छिपाकर रखा गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). जी, हां। 17 मार्च, 1969 को उड़ान संख्या 101 के लंदन से रवाना होने के लगभग $2\frac{1}{2}$ घंटे बाद न्यूयार्क में एक गुमनाम संदेश प्राप्त हुआ था कि उस विमान में एक बाम्ब रखा हुआ है। इसकी सूचना विमान के कमाण्डर को प्रसारित कर दी गयी थी जिसने इस बारे में आवश्यक जांच करने के लिये शैनन जाने का फैसला किया। शैनन में विमान का निरीक्षण किया गया, परन्तु कोई बाम्ब नहीं मिला। उन सब यात्रियों को जिन्हें शैनन में उतारा गया था 18 मार्च, 1969 को एयर इंडिया की लंदन से न्यूयार्क जाने वाली उड़ान संख्या 103 द्वारा, जिसे कि इस उद्देश्य से शैनन में विशेष रूप से उतारा गया, उठा लिया गया।

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा (राजस्थान)

7687. **श्री देवेन सेन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें कोटा (राजस्थान) स्थित तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र के प्रशिक्षणार्थियों से यह शिकायत मिली है कि उन्हें मिट्टी हटाने वाले भारी उपकरणों की मरम्मत आदि के लिये कोई व्यवहारिक प्रशिक्षण नहीं दिया गया है जिस कार्य के लिये उन्हें बुलाया गया था; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव०) : (क) जी, हां ।

(ख) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय के एक अधिकारी तथा सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का एक दूसरे अधिकारी ने प्रशिक्षण केन्द्र का दौरा किया था तथा उन्होंने यह बताया कि प्रशिक्षण कार्यक्रम यथासम्भव उचित ढंग से तैयार किया गया है तथा उसमें मुख्य रूप से व्यवहारिक कार्य ही किया जाता है । प्रशिक्षणार्थियों की शिकायत अनुचित है ।

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी संस्था

7688. **श्री वेणीशंकर शर्मा** :

श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकारी कर्मचारी उपभोक्ता सहकारी समिति के बारे में लेखा परीक्षा प्रतिवेदन में सुझाव दिया गया है कि समिति कम से कम तीन वर्ष के कार्यकरण की, विशेषत: धन के हिसाब, स्टाक का हिसाब रखने, स्टाक की वास्तविक जांच करने पर अथवा अन्यथा बट्टे खाते में डालने के तरीके की, जांच करने के लिए एक एजेंसी बनाई जाये;

(ख) क्या प्रतिवेदन में यह सिफारिश भी की गई है कि प्रस्तावित समिति सामान खरीदने तथा अन्य समायोजनों के लिए इस समिति द्वारा मंजूर की गई भारी धन राशियों की जांच करे ताकि समिति द्वारा समिति के उपनियमों की उपेक्षा करके की गई भूल चूक का पता लग सके; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). जी हां, श्रीमान् । ये सुझाव संस्था के सहकारिता वर्ष 1966-67 के लेखे की लेखा परीक्षा करने वाले सांविधिक लेखा-परीक्षकों के प्रतिवेदन में निहित हैं ।

(ग) मामला विचाराधीन है ।

हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची को क्षति पहुंचाना

7689. **श्री रामगोपाल शालवाले** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन, रांची के संयंत्रों को नष्ट करने के आरोप में प्रत्येक पाकिस्तानी षडयंत्रकारी को दस वर्ष के कठोर कारावास का दंड दिया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि पाकिस्तानी षडयंत्रकारियों द्वारा बोकारो और अन्य इस्पात कारखानों तथा ऐसी अन्य महत्वपूर्ण परियोजनाओं को नष्ट किये जाने के बारे में समाचार प्राप्त हो रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो विदेशी षडयंत्रकारियों को संरक्षण देने वाले व्यक्तियों की गतिविधियों पर सरकार ने क्या प्रतिबन्ध लगाये हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) रांची हैवी इंजीनियरिंग कार्पोरेशन के 1964 के आगजनी मामलों में 5 दोषियों को, जो भारतीय राष्ट्रजन थे, 22 मार्च, 1969 को सिद्धदोष किया गया और प्रत्येक को 10 वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया गया ।

(ख) और (ग). सरकार के पास पाकिस्तानी षडयंत्रकारियों द्वारा बोकारो तथा अन्य ऐसे महत्वपूर्ण यंत्रों को नष्ट करने की योजना के बारे में कोई सूचना नहीं है । फिर भी, सतत सतर्कता बरती जाती है और विशाल अधिष्ठापनों की रक्षा के लिये उपयुक्त उपाय किये जाते हैं ।

Gambling in Clubs in Delhi

7690. **Shri Om Prakash Tyagi :**
Shri Ram Swarup Vidyarthi :

Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 5278 on the 20th December, 1968 and state :

(a) the action taken so far in regard to the six cases of gambling filed against the clubs in Delhi;

(b) whether it is a fact that the Police connives in the gambling in Delhi ; and

(c) if so, the action proposed to be taken by Government in this regard ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) All these six cases are at present subjudice.

(b) No such instance has come to notice.

(c) Does not arise.

अन्तरिक्ष इंजीनियरी तथा राकेट विज्ञान में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम

7691. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिड़ला इंस्टीच्यूट आफ टेक्नालोजी, रांची में अन्तरिक्ष इंजीनियरी तथा राकेट विज्ञान में दो वर्ष का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरम्भ करने के प्रस्ताव पर विचार करने और कर्मचारियों, उपकरण, भवन तथा प्रशिक्षण आदि की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिये भूतपूर्व शिक्षा मंत्री द्वारा नियुक्त समिति ने इस बीच अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी हां ।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि पाठ्यक्रम और बढ़ाया जाना चाहिये तथा उसके लिए उस संस्था में आवश्यक निदेशात्मक सुविधाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए जिसपर अनुमानतः 6.5 लाख रुपए अनावर्तक तथा प्रतिवर्ष 2.40 लाख रुपए आवर्तक व्यय होंगे ।

(ग) समिति की सिफारिशों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के माध्यम से क्रियान्वित किया जा रहा है । तब तक पाठ्यक्रम में शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर छात्रवृतियां देने की मंजूरी दी गई है ।

बिड़ला इंस्टीच्यूट आफ टेकनालोजी, रांची

7692. **श्री कार्तिक उरांव :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिड़ला इन्स्टीच्यूट आफ टेकनालोजी, रांची ने अन्तरिक्ष इंजीनियरी तथा राकेट सम्बन्धी अनुसन्धान में डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम आरम्भ किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र में स्नातक इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के लिये केन्द्रीय सरकार ने इन्स्टीच्यूट को क्या वित्तीय अथवा अन्य प्रकार की सहायता दी है ;

(ग) इस सम्बन्ध में संस्था द्वारा भेजे गए अभ्यावेदनों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) उनपर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां । इस विषय में एम० ए० की डिग्री का पाठ्यक्रम है ।

(ख) से (घ). नए पाठ्यक्रम के लिए उपकरणों, भवनों, कर्मचारियों तथा अन्य अनुदेशात्मक सुविधाओं के बारे में विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमान लगाया गया है तथा समिति का प्रतिवेदन विचाराधीन है। प्रतिवेदन स्वीकार किए जाने के बाद पाठ्यक्रम का विकास करने के लिए संस्था को दी जाने वाली सहायता के बारे में निर्णय किया जाएगा।

तब तक पाठ्यक्रम शिक्षा प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को स्नातकोत्तर छात्रवृत्तियां देने की मंजूरी दे दी गई है।

'आई० ए० सी० डीनाइस क्रेडिट टू इन्वेन्टर शीर्षक के अन्तर्गत' समाचार

7693. **श्री गाडिलिंगन गौड :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 1 मार्च, 1969 के 'ब्लिट्ज' साप्ताहिक में "आई० ए० सी० डीनाइस क्रेडिट टू इन्वेन्टर" शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यटन यथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इंडियन एयरलाइन्स ने सूचित किया है कि तारीख 1 मार्च, 1969 के साप्ताहिक ब्लिट्ज में प्रकाशित समाचार निराधार है और वे इसे सम्पादक के नोटिस में ला चुके हैं।

डालर कारपोरेशन आफ इंडिया द्वारा ट्रांजिस्टर रेडियो की बिक्री

7694. **श्री बेणीशंकर शर्मा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के कुछ समाचारपत्रों में "डालर कारपोरेशन आफ इण्डिया" का एक विज्ञापन प्रकाशित हुआ था जिसमें अच्छी किस्म के ट्रांजिस्टर रेडियो 200 रुपए की दर से बेचे जाने का उल्लेख था ;

(ख) क्या यह सच है कि यह एक जाली फर्म थी और खरीदने वाले व्यक्ति को केवल खाली डिब्बा ही मिलता था ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं ; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है और उस फर्म ने कितनी धन-राशि की जालसाजी की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली पुलिस के ध्यान में कोई ऐसा विज्ञापन नहीं आया है। फिर भी, बताया जाता है कि डालर कारपोरेशन ने छपे हुए कुछ हश्तिहार परिचालित किए हैं जिनमें यह बताया गया था कि वे ऐसे रेडियो और ट्रांजिस्टरों का निर्माण करते हैं जिनको वे आसान किस्तों पर बेचते हैं।

(ख) से (घ). तथाकथिक जाली ट्रांजिस्टरों के भेजे जाने के लिए फर्म के विरुद्ध दिल्ली पुलिस को दो शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस सम्बन्ध में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420 के अन्तर्गत एक मामला दर्ज किया गया है और जांच की जा रही है।

चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को शायिका (स्लीपर) शुल्क का भुगतान

7695. **श्री श्रीकान्तन नायर** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चौथी श्रेणी के कर्मचारियों को, जब वे अर्जित छुट्टी लेकर अपने मूल निवासस्थान को जाते हैं, तो वर्तमान नियमों के अनुसार उनको शायिका (स्लीपर) शुल्क नहीं दिया जाता है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) छुट्टी यात्रा रियायत की योजना के अन्तर्गत रेल में स्थान की श्रेणी, जिसके लिये एक सरकारी कर्मचारी और उसका परिवार हकदार हैं, वह श्रेणी है जिसके लिए वह सामान्य यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत हकदार है। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी दौरे अथवा स्थानांतरण पर यात्राओं के सम्बन्ध में यात्रा भत्ता नियमों के अन्तर्गत केवल तृतीय श्रेणी के स्थान के हकदार थे। अभिभार के भुगतान पर तृतीय श्रेणी शायिका-स्थान को प्रारम्भ करने को ध्यान में रखते हुए कुछ शर्तों के अधीन दौरे अथवा स्थानान्तरण पर यात्राओं के सम्बन्ध में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के मामले में शायिका-स्थान के व्यय की प्रतिपूर्ति की अनुमति देने वाला आदेश जारी किए गए हैं। छुट्टी यात्रा रियायत पर यात्राओं को शामिल करने के लिए इन आदेशों के विस्तार का प्रश्न भी विचाराधीन है।

राज्यपालों की नियुक्ति

7696. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार पश्चिम बंगाल राज्य के लिए राज्यपाल की नियुक्ति के सम्बन्ध में उस राज्य सरकार की सहमति लेने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या भविष्य में यही पद्धति अन्य राज्यों के मामले में भी अपनाई जाएगी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार यह उपबन्ध करने के लिए संविधान में संशोधन करने का है कि राज्यपालों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकार की पूर्व अनुमति आवश्यक होगी ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). संविधान बाह्य परिपाटी के रूप में राज्यपाल की नियुक्ति से पूर्व सम्बन्धित राज्य के मुख्य मंत्री से अनौपचारिक रूप से परामर्श करने की प्रथा अब तक रही थी। सरकार का इस परिपाटी से विचलित होने अथवा ऐसी नियुक्तियों के लिए राज्य सरकारों को पूर्वानुमति की व्यवस्था के लिए संविधान में संशोधन करने का विचार नहीं है।

पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे वापिस लेना

7697. **श्री वि० नरसिम्हा राव** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उन कर्मचारियों के विरुद्ध चलाये जा रहे मुकदमे वापिस ले लिये हैं जिन्होंने 19 सितम्बर, 1968 को हड़ताल में भाग लिया था ;

(ख) क्या इनमें उन कर्मचारियों के मुकदमे भी शामिल हैं जिनके विरुद्ध फौजदारी के मुकदमे चलाए जा रहे थे ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने न्यायालय में पड़े मुकदमों को वापस लेने के लिये तथा पुलिस के पास जांच के लिये पड़े मामलों को छोड़ देने के लिये हिदायतें निकाली हैं। यह कार्यवाही भारत की नीति, अर्थात् कानून को अपनी कार्यवाही करने देना तथा सामान्य न्याय-करण में हस्तक्षेप न करना, के विरुद्ध है। ऐसी कार्यवाही संविधान के अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत राज्य सरकार के सांविधिक दायित्व के अनुरूप भी नहीं है जो यह व्यवस्था करता है कि अन्य बातों के साथ-साथ प्रत्येक राज्य के कार्यकारी अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा कि संसद् द्वारा बनाये गये नियमों का पालन सुनिश्चित हो। राज्य सरकार की कार्यवाही से केन्द्रीय सरकार और उनके कर्मचारियों के बीच सामान्य नियोजन-कर्मचारी संबंधों को भंग करने का अवाँछनीय प्रभाव भी पड़ता है।

मैथोडिस्ट चर्च के विशपों को मिली हुई विदेशी मुद्रा

7699. **श्री भारत सिंह चौहान** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में दक्षिण एशिया में मैथोडिस्ट चर्च के विशपों को नकद तथा वस्तुओं के रूप में प्राप्त विदेशी सहायता का ब्योरा क्या है ; और

(ख) प्रत्येक विशप द्वारा उस सहायता का कैसे उपयोग किया गया ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) केवल धर्म प्रचार संस्थाओं द्वारा विदेशों से प्राप्त की गई राशियों के पृथक आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। आदान-प्रदान लेखा में ये बाहर से आई हुई रकमें सामान्य शीर्ष "नीजी दानों" के अन्तर्गत आती हैं। सन, 1968 तक इस शीर्ष के अधीन एक उप-शीर्ष में धर्म प्रचारकों, धर्मार्थ संस्थानों और अन्य व्यक्तियों द्वारा प्राप्त राशियों का लेखा रखा जाता था। यथासम्भव निकाली गई सूचना के अनुसार दक्षिण एशिया में मैथोडिस्ट चर्च द्वारा 1965 से 1967 तक के वर्षों के दौरान, जिसकी सूचना उपलब्ध है, प्राप्त धनराशि इस प्रकार है :—

वर्ष	राशि (रुपयों में)
1965	9,86,707
1966	42,92,804
1967	34,73,857

वस्तुओं के रूप में प्राप्त सहायता के सम्बन्ध में सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ख) ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके अन्तर्गत प्रत्येक धर्मप्रचारक को अपने द्वारा किये गये खर्च का लेखा रखना और उसे सरकारी संवीक्षा के लिए प्रस्तुत करना पड़ता हो अतः पूछी गई सूचना प्राप्त नहीं की जा सकती है।

लुमुम्बा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये समाचार-पत्रों में विज्ञापन

7700. **श्री हेम बरुआ** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान, भारत-रूस सांस्कृतिक संस्था द्वारा कुछ भारतीय समाचार-पत्रों में दिये गये विज्ञापनों की ओर दिलाया गया है जिसमें मास्को में लुमुम्बा विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिये आवेदन-पत्र आमंत्रित किये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो ये विज्ञापन भारत के किन पत्रों में प्रकाशित हुए हैं ; और

(ग) क्या अन्तिम रूप से विद्यार्थियों का चयन करते समय सरकार की सलाह ली जायेगी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) समिति के राष्ट्रीय परिषद् मुख्यालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार विज्ञापन 16-3-69 को निम्नलिखित समाचारपत्रों/पत्रिकाओं में छपे थे :

दि पेटरिआट (दिल्ली), दि संडे स्टैंडर्ड (दिल्ली तथा बम्बई) ; दि हिंदू (मद्रास) और अमृत बाजार पत्रिका (कलकत्ता) ।

समिति ने अपनी राज्य परिषदों के माध्यम से प्रचार करने की भी व्यवस्था की थी । जिन समाचारपत्रों के माध्यम से इन निकायों ने लुमुम्बा विश्वविद्यालय में छात्रवृत्तियों की घोषणा का विज्ञापन दिया था, उनके सम्बन्ध में जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ग) ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि इस मंत्रालय का एक प्रतिनिधि समिति द्वारा स्थापित चयन समिति में काम करेगा ।

Enquiry Against Principal Publication Officer of CSTT

7701. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) the number of cases in which inquiries are being conducted against the Principal Publication Officer of the Commission for Scientific and Technical Terminology for the irregularities committed by him ;

(b) the nature of these irregularities ;

(c) the total amount involved therein ; and

(d) the time by which a final decision is likely to be taken in these cases ?

The Minister of Education and Youth Services (Dr. V. K. R. V. Rao) : (a) to (d). No enquiry as such is being conducted against the Principal Publication Officer of the Commission for Scientific and Technical Terminology. However, mention has been made in the audit report about some financial irregularities in the Publication Unit and the matter is under examination. It is not possible, at this stage, to indicate when the examination will be completed.

Cancellation of Invitation issued by Chief Publication Officer of C.S.T.T.

7702. **Shri Shashi Bhushan :** Will the Minister of **Education and Youth Services** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that during the month of February, this year the Chief Publication Officer of the Commission for Scientific and Technical Terminology had sent invitations on behalf of the Standing Committee for Publications for a function proposed to be held in the Vithalbhai Patel House, New Delhi ;

(b) the number of Members of Parliament to whom the invitations were sent besides other persons ;

(c) whether it is also a fact that on the date on which the function was to be held, it was cancelled at the last moment ;

(d) if so, the reasons therefor ; and

(e) the total expenditure incurred on printing of invitation cards and on organising the function, etc., and who is responsible for this loss ?

The Minister of State in the Ministry of Education nnd Youth Services (Shri Bhakht Darshan): (a) Presumably, the Hon'ble Member is referring to the function, which was proposed to be organised for the release of a magazine, called 'Vishav Vidyalaya Wangmaya'. For that function, invitations were issued on behalf of the Standing Committee of the Conference of the Vice-Chancellors of the Hindi Speaking State.

(b) About 500 invitations to Members of Parliament were sent.

(c) to (e). The function had to be postponed on account of certain unavoidable circumstances. The 'Vishav Vidyalaya Wangmaya' was subsequently released on the 24th of April, 1969, at the time of the Conference of State representatives on book production at university level in Hindi. The expenditure incurred on the printing of invitation cards and on organising the function is not known, because the accounts have not yet been closed.

जूनियर हाई स्कूलों में दक्षिण भारतीय भाषाओं/हिन्दी को लागू करना

7703. **श्री न० कु० सांधी :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी शिक्षा वर्ष से समूचे राज्य में जूनियर हाई स्कूलों में दक्षिण भारत की एक भाषा, तामिल अथवा तेलगू लागू करने का निर्णय किया है ;

(ख) क्या दक्षिण भारतीय राज्यों ने भी इसी प्रकार जूनियर हाई स्कूलों में हिन्दी लागू करने का निर्णय किया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) उत्तर प्रदेश सरकार से टेलीफोन पर प्राप्त जानकारी से पता चलता है कि उनके द्वारा अपनाये गये त्रि-भाषायी सूत्र के अन्तर्गत हिन्दी और अंग्रेजी के अलावा संविधान की अनुसूची 8 में उल्लिखित भाषाओं अथवा नेपाली में से एक तीसरी भाषा की शिक्षा अनिवार्य है। दक्षिण-भारतीय भाषाओं में से तीसरी भाषा अनिवार्य न करने के बारे में इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग). उपर्युक्त भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

संघ राज्य क्षेत्रों में विधान सभाएं

7704. **श्री भोगेन्द्र झा :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली तथा कुछ अन्य संघ राज्य-

क्षेत्रों में विधान सभाओं के गठन की मांग की जा रही है ;

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली महानगर परिषद् कोई भी निर्णय क्रियान्वित करने में असमर्थ है और वह केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना किसी चपरासी को भी नियुक्त नहीं कर सकती है ;

(ग) क्या सरकार दिल्ली तथा अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में जहां इस समय विधान सभाएं स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) सरकार को हाल में कोई ऐसी मांगें प्राप्त नहीं हुई हैं ।

(ख) निर्णयों का कार्यान्वयन तथा नियुक्तियां करना कार्यकारी कार्य है जो प्रशासन द्वारा किये जाने हैं न कि महानगर परिषद् द्वारा, जो एक विचारक निकाय है न कि एक कार्यकारी निकाय ।

(ग) और (घ). कोई ऐसा प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है । दिल्ली भारत की राजधानी होने के कारण इस संघ राज्य क्षेत्र में विधान सभा का गठन करना व्यावहारिक नहीं समझा गया था और अन्य संघ राज्य क्षेत्र जिनके विधान मण्डल नहीं हैं, ऐसे ढांचे के औचित्य के लिए अत्यन्त छोटे हैं ।

बेरोजगारी के विरोध में विद्यार्थियों तथा नवयुवकों द्वारा अनशन

7705. **श्री ना० रा० देवघरे** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बढ़ती हुई बेरोजगारी के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिये 14 तथा 15 मई को संसद् भवन के बाहर विद्यार्थियों तथा नवयुवकों द्वारा दो दिन का अनशन करने के निर्णय के बारे में 28 मार्च, 1969 के "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में प्रकाशित समाचार की ओर सरकार का ध्यान दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां ।

(ख) यह सही है कि रोजगार के अवसर मांग के अनुरूप नहीं हैं । तथापि, सरकार ने इंजीनियरी के स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों में बेरोजगारी कम करने के लिये कुछ उपाय किये हैं । शिक्षा मंत्री द्वारा सुझाव दिये जाने पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने हाल में एक समिति नियुक्त की है जो अग्रिम परियोजना के रूप में दिल्ली में एक ऐसा कालेज खोलने पर विचार करेगी जिसमें डिग्री स्तर के ऐसे चुनींदा पाठ्यक्रम होंगे जिनसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे ।

अखिल भारतीय कृषि और शिक्षा सेवाएं

7706. **श्री ना० रा० देवघरे :** **श्री देवराव पाटिल :**
श्री तुलसीदास दासप्पा : **श्री भोगेन्द्र झा :**

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा आरम्भ करने का विचार त्याग दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कौन-कौन से राज्य इन सेवाओं को बनाने के पक्ष में हैं ; और

(घ) कौन-कौन से राज्य इन सेवाओं को बनाने के पक्ष में नहीं हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). कुछ नई सरकारों ने जिनका राज्यों में 1967 में आम चुनावों के पश्चात् गठन हुआ है भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा के निर्माण की आवश्यकता पर अपने दृष्टिकोण का पुनरीक्षण किया है। राज्य सरकारों के विचारों को ध्यान में रख कर केन्द्रीय सरकार ने मई, 1968 में समस्त प्रश्न का पुनरीक्षण किया और निश्चय किया कि फिलहाल नई अखिल भारतीय सेवाएं, जिनकी व्यवस्था अखिल भारतीय सेवा अधिनियम 1951 में होनी थी, कार्यवाही न की जाय। तदनुसार भारतीय कृषि सेवा और भारतीय शिक्षा सेवा के गठन की कार्यवाही फिलहाल नहीं की जा रही है।

(ग) **भारतीय कृषि सेवा** : आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें।

भारतीय शिक्षा सेवा : असम, बिहार, गुजरात, जम्मू व काश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारें।

(घ) **भारतीय कृषि सेवा** : मैसूर और तमिलनाडु की राज्य सरकारें।

असम, जम्मू व काश्मीर और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों ने सेवा में भाग लेने या न लेने के बारे में अपना अन्तिम निर्णय नहीं बतलाया था।

भारतीय शिक्षा सेवा : आन्ध्र प्रदेश, हरियाणा, मैसूर, राजस्थान और तमिलनाडु की राज्य सरकारें।

पंजाब राज्य सरकार ने सेवा में भाग लेने या न लेने के बारे में अपना अन्तिम निर्णय नहीं बतलाया था।

विश्व पर्यटन आन्दोलन

7707. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही के अपने वक्तव्य में उन्होंने यह आशय व्यक्त किया था कि भारत विश्व पर्यटन आन्दोलन का लाभ नहीं उठा सकेगा ;

(ख) यदि हां, तो इस निराशावादी विचार के क्या कारण हैं ; और

(ग) देश में और अधिक विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करने विश्व पर्यटन आन्दोलन का पूरा लाभ उठाने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) यह निराशावादी होने की बात नहीं है, परन्तु इस तथ्य को अस्वीकार नहीं किया जा सकता कि पर्यटन विषयक योजना परिव्यय में विकट घटौती कर दिये जाने के कारण पहले इसे 85 करोड़ रुपये से घटाकर 40 करोड़ कर दिया गया और अब 25 करोड़ कर दिया गया है, हमारे लिये यह संभव नहीं हो सकेगा कि हम पर्यटन के आधारभूत उपादानों (इन्फ्रा स्ट्रक्चर) का उस मात्रा में सुधार एवं पुष्टि कर सकें जो पर्यटकों को उतनी बड़ी संख्या में आकृष्ट करने के लिये आवश्यक है जिसकी हमने आशा की थी ।

(ग) उपलब्ध साधनों की परिसीमाओं के अंतर्गत, विदेशी पर्यटकों को और अधिक संख्या में भारत आने के लिये आकृष्ट करने के उद्देश्य से किये जा रहे उपायों में से कुछ निम्नलिखित हैं :—

(i) अन्युन्नत प्रकार के प्रचार साहित्य द्वारा विदेशी तथा भारत में जोरदार प्रचार कार्यक्रम ।

(ii) चार्टर उड़ानों के बारे में नीति को और अधिक उदार बनाना ।

(iii) अनेक देशों के साथ पारस्परिक आधार पर वीजा-शुल्क को समाप्त करना ।

(iv) हवाई अड्डों पर सरलीकरण प्रक्रियाओं में सुधार ।

(v) हवाई अड्डों के पहुंच मार्गों का सुधार ।

(vi) गुलमर्ग, कोवालम और गोआ में इन स्थानों को लक्ष्य बनाकर आने वाले पर्यटकों के लिये अवकाश-विहारों का निर्माण ।

(vii) सरकारी क्षेत्रीय उद्यम, एवं निजी क्षेत्र को ऋण व प्रोत्साहन प्रदान इन दोनों के द्वारा अधिक शय्याओं तथा अधिक अच्छी परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था ।

(viii) पुरातत्वीय स्मारकों सहित पर्यटन रुचि के स्थानों का और अच्छा अनुरक्षण ।

(ix) भिखारियों तथा दलालों (टाउट्स) जैसे पर्यटकों के लिए अरुचिकर अनिष्ट तत्वों के निवारण के प्रयत्न ।

(x) हमारे चार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में महत्वपूर्ण सुधार ।

इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन को निदेश

7708. **श्री वि० नरसिम्हा राव :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन को निदेश दिया है कि उसके पदाधिकारियों को तीन-तीन वर्ष के दो कार्यकाल से अधिक समय तक अपने पद पर नहीं रहना चाहिये ;

(ख) क्या इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन की हाल ही में दिल्ली में हुई बैठक में इस निदेश पर विचार किया गया था ;

(ग) यदि हां, तो क्या इण्डियन ओलम्पिक एसो सिएशन ने इस निदेश के विरुद्ध सरकार से विरोध प्रकट किया है ; और

(घ) इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन ने उपर्युक्त निदेश का विरोध करने के क्या कारण बताये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन समेत सभी राष्ट्रीय खेलकूद संघों को यह निदेश दिया है कि उन्हें पदाधिकारियों का कार्यकाल तीन वर्ष तक रखना चाहिये तथा उन्हें तीन वर्ष के एक और कार्यकाल के लिये पुनः चुनाव लड़ने का विकल्प प्राप्त होना चाहिये ।

(ख) से (घ). इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन के प्रधान ने 31 जनवरी, 1969 के अपने पत्र में परिषद् को यह सूचना दी थी :—

"इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन ने आप के निदेश पर विचार कर लिया है तथा खेद प्रकट करता है कि संघों/संस्थाओं के भीतरी कार्यों पर किसी सरकारी अधिकरण द्वारा किसी भी तरह से नियंत्रण नहीं किया जाना चाहिये ।"

अखिल भारतीय खेलकूद परिषद् ने अपनी हाल की बैठक में इण्डियन ओलम्पिक एसोसिएशन के उत्तर पर विचार किया था तथा अपनी पहली सिफारिश पर बल दिया था । परिषद् ने यह आशा भी व्यक्त की थी कि 1969 के अन्त तक सभी राष्ट्रीय खेलकूद संघ/संस्थायें इस काम के लिये उचित रूप से अपने नियमों में संशोधन कर सकेंगी ।

दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को वेतन का भुगतान

7709. **श्री वी० नरसिम्हा राव :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में सहायता प्राप्त स्कूलों के 1500 अध्यापकों को गत तीन महीनों से उनका वेतन नहीं मिला है ;

(ख) क्या यह सच है कि सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों को वेतन लेने से पहले अपने वेतन का पांच से पन्द्रह प्रतिशत भाग अपने स्कूलों को दान के रूप में देने के लिये बाध्य किया जाता है ;

(ग) क्या सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों तथा सरकारी स्कूलों के अध्यापकों के वेतन, पेंशन, उपदान, चिकित्सा लाभ, आवास आदि सुविधाओं में भारी अन्तर है ; और

(घ) सहायता प्राप्त स्कूलों के अध्यापकों की शिकायतों को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) से (घ). अपेक्षित जानकारी एकत्रित की जा रही है तथा यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ?

सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ना

7710. **श्री देवकीनन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट', जोधपुर के निदेशक ने सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस सफलता से केवल भारतीय सभ्यता पर ही, जो सिन्धु घाटी में विद्यमान है, नया प्रकाश नहीं पड़ता बल्कि इससे आर्यों और द्रविड़ों की संस्कृति के बारे में इतिहासकारों के बहुत से सिद्धान्त झूठे पड़ गये हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में उपमंत्री (श्रीमती जहांआरा जयपाल सिंह) : (क) ओरियंटल रिसर्च इन्स्टीट्यूट, जोधपुर ने दावा किया है कि उसने सिंधु घाटी की लिपि को पढ़ लिया है ।

(ख) चूंकि पढ़ने की रीति तथा निकाले गये निष्कर्षों को अधिकांश भारतीय इतिहासकारों, प्राचीन वस्तुओं के अध्ययनकर्ता तथा भाषाविज्ञों ने स्वीकार नहीं किया है इसलिये इस स्तर पर उसके विचारों, वाचनों तथा विवेचनों को अन्तिम रूप से स्वीकार करना सम्भव नहीं है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

राजस्थान में शिक्षा का प्रसार

7711. **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तीसरी पंचवर्षीय योजना में राजस्थान राज्य में निर्धारित लक्ष्यों के अनुसार साक्षरता की प्रतिशतता बढ़ी थी;

(ख) यदि नहीं, तो क्या केन्द्रीय सरकार का विचार राज्य में शिक्षा का प्रसार करने के लिये राज्य को अधिक सहायता देने का है; और

(ग) इस अवधि में केन्द्रीय सहायता के साथ-साथ उस राज्य में तकनीकी तथा गैर-तकनीकी शिक्षा में क्या सफलता मिली थी ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : यद्यपि राजस्थान अथवा किसी अन्य राज्य में कोई निश्चित लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया था तथापि राजस्थान में साक्षरता की प्रतिशतता 1951 में 8.9 से बढ़कर 1961 में 15.2 हो गई थी तथा 1966-67 में 24 तक बढ़ने का अनुमान है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) शिक्षा की प्रगति का पता 1960-61 (दूसरी योजना के अन्तिम वर्ष) तथा 1965-66 (तीसरी योजना के अन्तिम वर्ष) की विभिन्न शिक्षा शाखाओं में दाखिले के निम्न-लिखित आंकड़ों से पता चलता है :—

	1960-61	1965-66 (अस्थायी)
	दाखिला	
सामान्य शिक्षा		
प्राथमिक	11,14,502	16,18,364
माध्यम	2,07,070	3,29,910
उच्च/उच्चतर	76,904	1,39,156
बी० ए०/बी० एस० सी०	9,071	20,981
एम० ए०/एम० एस० सी०	2,004	2,242
अनुसंधान	25	437
व्यावसायिक शिक्षा (कालेज स्तर)		
कृषि	859	2,017
वाणिज्य	6,636	7,512
अध्यापक प्रशिक्षण	503	10,525
इंजीनियरिंग/तकनीकी	1,551	8,002
औषध	1,494	5,278
विधि	725	1,198
अन्य व्यवसाय	290	746

केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की बहाली

7712. **श्री स० मो० बनर्जी :**

श्री रामावतार शास्त्री :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1968 की हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों की मुअत्तिली को समाप्त करने तथा उन्हें बहाल करने के बारे में गृह-कार्य मंत्रालय के तारीख 15 मार्च, 1969 के पत्र में दिये गये आदेशों को क्रियान्वित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मंत्रालय-वार कितने अस्थायी और स्थायी कर्मचारियों को बहाल किया गया;

(ग) उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिनके मामलों में मुअत्तिल करने के आदेशों को वापस ले लिया गया है; और

(घ) कितने मामले वापिस लिये गये ?

गृह-कार्य मन्त्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). 15 मार्च, 1969 के हमारे अनुदेशों का क्रियान्वयन सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अलग-अलग कर्मचारियों के मामलों की जांच करने के बाद किया जाता है। अनुदेशों के क्रियान्वयन की प्रगति के बारे में मांगी गई सूचना कुछ मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त हो गई है। अब तक प्राप्त सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 901/69]

उच्च स्तरीय पदों पर राजनैतिक नेताओं की नियुक्ति

7713. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन भूतपूर्व मंत्रियों तथा संसद् सदस्यों के नाम क्या हैं जिन्हें 31 मार्च, 1967 से अब तक राजनयिक, सरकारी उपक्रमों के अध्यक्षों तथा सरकारी समितियों अथवा विभागों के उच्च स्तर के पदों पर नियुक्त किया गया है;

(ख) उन्हें किन शर्तों पर नियुक्त किया गया है तथा 31 मार्च, 1967 से अब तक उन पर कितना धन व्यय किया गया है;

(ग) उनमें से प्रत्येक को मकान, भत्ते, कार आदि की क्या-क्या सुविधाएं दी गई हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन पदों पर राजनैतिक नेताओं को नियुक्त करने की अपनी नीति में परिवर्तन करने का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री(श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (ग). अपेक्षित सूचना शीघ्र उपलब्ध नहीं है। यह एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

(घ) और (ङ). सरकार के अधीन किसी पद या नौकरी में नियुक्ति करने के लिए उस विशेष नौकरी या पद के लिए व्यक्ति की उपयुक्तता पर ही मुख्य रूप से विचार किया जाता है और यह तथ्य कि कोई व्यक्ति किसी समय मंत्री अथवा संसद् सदस्य था ऐसी नियुक्ति के लिए कोई अनर्हता नहीं है।

महिला कालेज, देवनगर, नई दिल्ली के लेखों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच

7714. **श्री ए० श्रीधरन :**
श्री रामचन्द्र जे० अमीन :
श्री द० रा० परमार :
श्री प्र० न० सोलंकी :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिला कालेज, देवनगर, नई दिल्ली के लेखों में अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरों द्वारा की गई जांच का क्या परिणाम निकला;

(ख) क्या लेखों में इन अनियमितताओं के कारण दिल्ली प्रशासन ने कालेज को सहायता देना बन्द कर दी है; और

(ग) इन अनियमितताओं के लिये कौन जिम्मेवार पाया गया था ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) कालिन्दी महिला कालेज, देवनगर, नई दिल्ली के हिसाब में अनियमितताओं के बारे में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा कोई जांच नहीं की जा रही है।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्टोर विभाग में अनियमितताएं

7715. **श्री द० रा० परमार :**
श्री रामचन्द्र जे० अमीन :
श्री प्र० न० सोलंकी :
श्री ए० श्रीधरन :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के स्टोर विभाग में अनियमितताएं हुई हैं;

(ख) क्या यह सच है कि उक्त परिषद के कुछ सरकारी कर्मचारियों पर विभिन्न आरोपों के कारण न्यायालयों में मुकदमें चलाये जा रहे हैं; और

(ग) परिषद के उन कर्मचारियों की संख्या कितनी है जिन्हें निलम्बित किया गया है अथवा जिन पर न्यायालयों में मुकदमें चलाये जा रहे हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद में कोई भण्डार विभाग नहीं है । तथापि, राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों और वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के केन्द्रीय कार्यालय में भण्डार विद्यमान हैं । इनकी जांच की जाती है ।

(ख) परिषद के कुछ कर्मचारियों पर न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं । किन्तु यहां यह उल्लेखनीय है कि वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं हैं ।

(ग) चौदह कर्मचारियों के विरुद्ध विभिन्न आरोपों के लिए न्यायालयों में मुकदमें चल रहे हैं और तैंतीस कर्मचारी मुअत्तिल हैं ।

विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में विद्यार्थियों को शामिल किया जाना

7716. **श्री ओंकार लाल बेरवा :**

श्री देवेन सेन :

श्री किकर सिंह :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालयों के प्रबन्ध में विद्यार्थियों को शामिल करने के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और शिक्षा आयोग की सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है;

(ख) इस सम्बन्ध में अब तक जिन विश्वविद्यालयों ने कार्यवाही की है, उनके नाम क्या हैं; और

(ग) उन विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस निर्णय को क्रियान्वित नहीं किया है और इस सम्बन्ध में उन विश्वविद्यालयों के सामने क्या कठिनाइयां आई हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल. टी. 902/69]**

साहित्य अकादमी द्वारा भाषाओं को मान्यता

7717. **श्री किकर सिंह :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

श्री देवेन सेन :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) साहित्य अकादमी ने किन-किन भाषाओं को मान्यता दी है;

(ख) क्या राजस्थानी तथा पंजाबी भाषाओं को मान्यता देने की कोई मांग की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार का निर्णय क्या है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) साहित्य अकादमी ने निम्नलिखित 17 भाषाओं को मान्यता दी है :—

1. आसामी
2. बंगाली
3. गुजराती
4. हिन्दी
5. कन्नड़
6. काश्मीरी
7. मलयालम
8. मराठी
9. उड़िया
10. पंजाबी
11. संस्कृत
12. सिंधी
13. तमिल
14. तेलगु
15. उर्दू
16. मैथिली
17. अंग्रेजी

(ख) और (ग). अकादमी ने पहले ही पंजाबी को मान्यता दी हुई है अकादमी को कुछ समय पहले राजस्थानी को मान्यता देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। अकादमी ने उसे अपनी भाषा विशेषज्ञ समिति को उस पर अपनी सिफारिशें देने के लिये सौंप दिया था। समिति द्वारा सिफारिश किये जाने पर अकादमी ने राजस्थानी को अपने कार्यक्रमों के लिये आधुनिक भाषा के रूप में मान्यता न देने का निश्चय किया था।

मुहर्रम के दिन अश्रु गैस का छोड़ा जाना

7718. **श्री वेणी शंकर शर्मा :**

श्री ए० श्रीधरन :

श्री क० लकप्पा :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुहर्रम के दिन दिल्ली में कोई गड़बड़ हो गई थी और पुलिस ने अनियंत्रित

भीड़ पर अश्रु गैस के चार 'शैल' छोड़े थे और लाठी प्रहार किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). दिल्ली प्रशासन द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार 29 मार्च, 1969 को, जब एक ताजिया का जलूस दिल्ली में अजमेरी गेट के पास से गुजर रहा था, कुछ लड़कों ने आरोप लगाया कि एक निकटवर्ती भवन से कोई जलती हुई वस्तु फैंकी गई है। उन्होंने ताजियादारों को ताजिये नीचे उतारने और अपराधी के पकड़े जाने तक आगे न बढ़ने के लिए बाध्य किया। जिला प्राधिकारियों ने उन्हें आश्वासन दिया कि मामले की जांच की जाएगी और यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया तो उचित कार्रवाई की जाएगी। किन्तु लड़कों ने भवन में घुसने का आग्रह किया जिसका पुलिस ने विरोध किया। उनमें से कुछ लड़कों ने भवन की सीढ़ियों पर खड़े एक व्यक्ति पर प्रहार किया और कुछ ने पथराव शुरू कर दिया। स्थिति को नियन्त्रण में लाने के लिए अश्रुगैस के चार 'शैल' छोड़े गये और बदमाशों को तितर-बितर कर दिया। ताजिये के जलूस की रक्षा के लिए बिना किसी और घटना के पुलिस साथ-साथ गई।

दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर अग्निकांड

7719. **श्री देवेन सेन :**
श्री कंवर लाल गुप्त :
श्री ओम प्रकाश त्यागी :
श्री हरदयाल देवगुण :
श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 30 मार्च, 1969 को दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित एक ट्रांसपोर्ट कम्पनी में आग लग गई थी जिसके परिणामस्वरूप सात व्यक्ति मारे गये थे और बहुत से व्यक्ति जख्मी हो गये थे;

(ख) क्या सरकार आग लगने के कारणों की जांच करायेगी;

(ग) क्या यह भी सच है कि सीमा सम्बन्धी विवाद के कारण आग बुझाने में दमकल को देरी हुई; और

(घ) क्या इस दुर्घटना में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ गई है और यदि हां, तो कितनी तथा सरकार का विचार मृतकों के परिवारों को क्या सहायता देने का है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान्। आग लगने के परिणामस्वरूप आठ व्यक्तियों की मृत्यु हुई और कुछ व्यक्ति घायल हुए।

(ख) पुलिस ने एक मामला दर्ज कर लिया है और जांच की जा रही है।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्।

(घ) छः व्यक्तियों की घटनास्थल में और दो की अस्पताल में मृत्यु हुई। दिल्ली के उप आयुक्त ने प्रत्येक मृतक के परिवार को एक-एक हजार रुपये की सहायता की घोषणा की है।

फ्लाइंग क्लब

7720. **श्री रामावतार शर्मा :** क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में ऐसे फ्लाइंग क्लबों की संख्या कितनी है जिनमें उड़ान का समय प्रतिवर्ष 1000 घण्टों से कम होता है ;

(ख) गत दो वर्षों में जिन क्लबों ने उड़ानें की हैं उनकी संख्या क्या है ; और

(ग) इन क्लबों के कार्यों में सुधार करने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जिन फ्लाइंग क्लबों ने एक वर्ष में 1000 घण्टों से कम प्रशिक्षणात्मक उड़ान किया उनकी 1967-68 में संख्या तीन थी तथा 1968-69 में पांच थी।

(ख) देश में 24 फ्लाइंग क्लबें है जिनकी सूची सभा-पटल पर रखी जाती हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 903/69]**

(ग) सरकार ने दिसम्बर, 1967 में मौजूदा उपदान स्कीमों का पुनरालोकन करने तथा फ्लाइंग/ग्लाइडिंग क्लबों के भविष्य में कार्य के स्वरूप के बारे में सिफारिशें करने के लिये एक समिति नियुक्त की थी। इस समिति ने क्लब के कार्य-चालन में सुधार करने के लिये तथा उड़ान के प्रयोजन के लिये उपलब्ध सीमित निधियों के अन्तर्गत सार्थक उड़ान कार्य को प्रोत्साहित करने के लिये सिफारिशें की हैं। समिति की रिपोर्ट पर सरकार विचार कर रही है।

सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी

7721. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसा कोई उपबन्ध है जिसके अन्तर्गत एक सरकारी कर्मचारी एक पत्नी के रहते दूसरी शादी कर सकता है ;

(ख) क्या गत तीन वर्षों में सरकारी कर्मचारियों के ऐसे मामले सामने आये हैं जिनमें उन्होंने पत्नियों तथा बच्चों के रहते हुए भी दूसरी शादी की ; और

(ग) यदि हां, तो पत्नी के रहते हुए उन्होंने किस नियम के अन्तर्गत दूसरी शादी की ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शक्ल) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 904/69]

पूर्व एशिया पर्यटन का साझा बाजार बनाने के लिए प्रस्ताव

7722. **श्री रा० बरुआ** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पूर्व एशिया पर्यटन के लिए एक साझा बाजार बनाने के हेतु प्रस्ताव के बारे में पता है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है तथा इसे प्राप्त होने वाले लाभ में से भारत को कितना अंश मिलेगा ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय

7723. **श्री क० प्र० सिंह देव** :

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सरकार को ही अपने प्रतिवेदन में शिकायत की है कि शिक्षा विकास पर होने वाले प्रति व्यक्ति व्यय में बहुत कमी हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो प्रति व्यक्ति व्यय में कितनी कमी की गई है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा की गई अन्य सिफारिशों का ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अपने वर्ष 1967-68 के प्रतिवेदन में निम्न विचार व्यक्त किये हैं :—

"गत पांच वर्षों में अर्थात 1963-64 से 1967-68 तक विश्वविद्यालयों की संख्या 61 से 70 तथा कालेजों की संख्या 2,111 से 2,899 हो गई है। उसी अवधि में उच्चतर शिक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 13.85 लाख से बढ़कर 22.16 लाख हो गई थी जिसकी औसतन दर प्रति वर्ष 12 प्रतिशत थी। 1963-64 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को 7.80 करोड़ रुपये

का अनुदान दिया गया था। तथा 1967-68 में 11.00 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया। विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय दाखिले की बढ़ती हुई संख्या में तथा भवनों, पुस्तकों, उपकरणों तथा अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई लागत की तुलना में बहुत तेजी से गिर गया है।"

(ख) योजना परियोजना के लिये धन में से विकास पर प्रति व्यक्ति व्यय 1963-64 में 56 रुपये से कम होकर 1967-68 में 49 रुपये हो गया था। यह सब कुछ विद्यार्थियों की संख्या में तेजी से वृद्धि होने के कारण हुआ है।

(ग) अन्य विचार इस प्रकार व्यक्त किये गये थे :—

(एक) सीमित धन उपलब्ध होने के कारण विश्वविद्यालयों से प्रार्थना की गई थी कि वे दौरा करने वाली समितियों द्वारा सुझाये गये तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वीकार किये गये कार्यक्रमों में से सर्वप्रथम ऐसी योजनाओं और परियोजनाओं का चयन करें जिन पर चालू योजनाओं की लागत समेत कुल मिलाकर 70 प्रतिशत से अधिक पूंजी न लगे।

(दो) यह नहीं कहा जा सकता कि उच्च शिक्षा पर व्यय इस समय किये जा रहे व्यय से (देश की समस्यायों के सम्बन्ध में) बहुत अधिक होना चाहिए। पर्याप्त साधनों का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है तथा उच्च शिक्षा पर पूंजी में अत्यधिक पूंजी लगाने की आवश्यकता पर बल देने की आवश्यकता नहीं है।

(तीन) जो धन जुटाया गया था वह आवश्यकता से बहुत कम था तथा विकास पर व्यय कम करना और अनेक योजनाओं और परियोजनाओं की क्रियान्विति स्थगित करना आवश्यक समझा गया :

(घ) आयोग को उपलब्ध संसाधनों में पर्याप्त धन देने के लिए हर वर्ष प्रयास किया जाता है। 1967-68 के लिए 11.00 करोड़ रुपये की योजना अनुदान की तुलना में 1968-69 में आयोग को 12.50 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया था। 1969-70 में इस काम के लिये 15.41 करोड़ रुपये की आयव्ययक में व्यवस्था की गई है।

भारत द्वारा बैंकाक में एशियाई युवक फुटबाल प्रतियोगिता में भाग लेना

7724. **श्री क० प्र० सिंह देव :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने बैंकाक में होने वाली एशियाई युवक फुटबाल प्रतियोगिता में भाग न लेने का निर्णय किया था क्योंकि सरकार ने संघ द्वारा मांगी गयी वित्तीय सहायता देने से इन्कार कर दिया था ;

(ख) यदि हां, तो अखिल भारतीय फुटबाल संघ ने कितनी वित्तीय सहायता की मांग की थी ; और

(ग) सरकार द्वारा यह सहायता न दिये जाने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) :(क) अखिल भारतीय फुटबाल संघ के अनुसार बैंकाक में होने वाले एशियाई युवक फुटबाल प्रतियोगिता में भारतीय टीम को इस लिये नहीं भेजा गया था क्योंकि संघ के पास धन की कमी थी और भारत सरकार ने वित्तीय सहायता की उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी थी।

(ख) लगभग 22,000/-रुपये (बाईस हजार रुपये)

(ग) अखिल भारतीय खेल कूद परिषद ने दौरे के लिये कोई वित्तीय सहायता देने की सिफारिश नहीं की थी, क्योंकि वर्ष 1968 में सिलोऊ में हुए खेल कूदों में भारतीय टीम का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं था और वह क्वाटर-फाइनल तक भी नहीं पहुंच सकी थी। इसके अतिरिक्त एक और का खर्च मेजबान देश द्वारा उठाया जा रहा था, तथा दूसरी ओर का कलकत्ता से बैंकाक तक का खर्च, जो कि 631/-रुपये प्रति व्यक्ति था, भारतीय फुटबाल संघ द्वारा उठाना कठिन नहीं था।

फ्लाइंग क्लब

7725. **श्री रा० कृ० बिड़ला** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक फ्लाइंग क्लबों के बन्द होने की आशंका है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या यह सच है कि फ्लाइंग क्लब के अधिकारी हाल में उनसे मिले हैं ; और

(घ) यदि हां, तो प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को उन्होंने क्या आश्वासन दिये तथा ये आश्वासन कहां तक पूरे किये गये हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ). जी, हां। एयरो क्लब ऑफ इण्डिया के अध्यक्ष के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें इसकी प्रबन्धक परिषद के छः सदस्य भी सम्मिलित थे, 12 मार्च, 1969 को मुझसे मिले। उनको परामर्श दिया गया कि वे नागर विमानन के महानिदेशक से मिलें और वे बाद में उसी दिन उनसे मिले। बातचीत के दौरान, महानिदेशक ने उन्हें आश्वासन दिया कि ईंधन, तेल तथा विमान के फालतू पुर्जों पर उत्पादन शुल्क एवं दूसरे टैक्सों में हाल में हुई वृद्धि को, प्रति घण्टा उड़ान की पुनरीक्षित लागत को निर्धारित करते समय, ध्यान में रखा जायेगा।

उपूसी सीमा विवाद

7726.**श्री विश्वनाथ पाण्डेय**: क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उपूसी के लोग पिछले 15 वर्षों से अनेक अभ्यावेदनों तथा ज्ञापनों द्वारा उपूसी सीमा विवाद के बारे में आवश्यक कार्यवाही करने के लिये सरकार से अनुरोध कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उपूसी के कुछ क्षेत्र 1951 में आसाम को 'हस्तान्तरित कर दिये गये थे और इन क्षेत्रों को अभी तक हस्तान्तरित क्षेत्र कहा जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि आसाम राज्य और उपूसी की वर्तमान सीमा उपूसी की जनता से परामर्श किये बिना ही आसाम द्वारा मनमाने ढंग से निर्धारित की गई थी ;

(घ) क्या यह भी सच है कि पिछले कुछ वर्षों में सीमा विवाद के सम्बन्ध में कुछ लोग मारे गये थे और अनेक घटनाएं भी घटी थीं और लोगों को वहां से निकाल भी दिया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही का ब्योरा क्या है ; और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). "सीमान्त क्षेत्र" के कुछ मैदानी भागों को संविधान की छठी अनुसूची के पैरा 20 (3) के परन्तुक के अधीन 23-2-1951 को जारी की गई अधिसूचना द्वारा छोड़ दिया गया था और असम सरकार के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार को हस्तान्तरित कर दिया गया था। यह परिवर्तन उत्तर-पूर्व सीमान्त (असम) जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए भारतीय संविधान सभा की उप समिति की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए असम के राज्यपाल द्वारा उन क्षेत्रों का दौरा करने और लोगों से परामर्श करने के बाद लागू किया गया था ।

(घ) मारे जाने के बारे में सरकार को कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है । किन्तु सीमा-रेखांकन के सम्बन्ध में कुछ घटनाएं और क्रियाकलाप हुए हैं ।

(ङ) स्थानीय जानजातीय आबादी की कठिनाइयों को हटाने और अनावश्यक भ्रम दूर करने के लिये नेफा प्रशासन और असम सरकार द्वारा संयुक्त रूप से सभी सम्भव कार्यवाही की जा रही है ।

बंगलौर विश्वविद्यालय के प्रबन्ध के अधिकार का लिया जाना

7727. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**

श्री नरसिम्हा राव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के विकास के उद्देश्य से बंगलौर विश्वविद्यालय

के प्रबन्ध को वास्तव में अपने अधिकार में लेने के बारे में विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम क्या होगा ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). मैसूर सरकार का विचार है कि राष्ट्रीय एकता के हित में दक्षिण में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए और इस सम्बन्ध में बंगलौर विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तन करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था। यह प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है।

राज्यों की लाटरियों के बारे में शिकायतें

7728. **श्री तुलसीदास दासप्पा :**

श्री मुहम्मद शरीफ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक ही नम्बर के दो टिकट जारी किये जाने के बारे में सरकार को शिकायतें प्राप्त हुई हैं और राज्य लाटरियों की बढ़ती हुई लोकप्रियता के परिणामस्वरूप इनाम जीतने वालों के बारे में भ्रान्ति उत्पन्न होना सामान्य बात हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि बाजार में जाली टिकट बेचे जा रहे हैं ; और

(ग) जनता को धोखे से बचाने के लिये सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का प्रस्ताव है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (ग). अब तक हरियाणा, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, राजस्थान, तामिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल सरकारों ने राज्य लाटरियां चलाई हैं। राजस्थान के अतिरिक्त इन सभी राज्य सरकारों से प्राप्त सूचना बताने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 905/69]

राजस्थान सरकार का उत्तर प्राप्त होने पर सदन के सभा-पटल पर रख दिया जायगा।

तकनीकी विशेषज्ञों तथा साधारण स्नातकों में बेरोजगारी

7729. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 21 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4001 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इसके क्या कारण हैं कि हमारे विदेशी दूतावासों में तकनीकी विशेषज्ञों के लिये ही विशेष प्रयास किये जायेंगे तथा साधारण स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों, जिनमें बेरोजगारी अधिक है, के लिये ये प्रयास नहीं किए जायेंगे ; और

(ख) क्या भारतीय स्नातकों तथा डिप्लोमाधारियों के लाभार्थ उनके मंत्रालय का विचार विदेशों में उपलब्ध रोजगार के अवसरों हेतु जानकारी प्राप्त करने तथा विज्ञापन करने का है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) उपलब्ध जानकारी के अनुसार विदेशी सरकारों को अपने विकास कार्यक्रमों के लिए तकनीकी विशेषज्ञों तथा अन्य अनुभवी व्यक्तियों की जरूरत है। इसलिये उन सरकारों की भारतीयों की सेवाओं की आवश्यकताओं सम्बन्धी प्रार्थनायें इन श्रेणियों के व्यक्तियों तक सीमित हैं।

(ख) विदेशी सरकारें विदेशों में स्थित हमारे दूतावासों के माध्यम से भारतीय व्यक्तियों सम्बन्धी आवश्यकता भेजती हैं।

मरवांथे में पर्यटन केन्द्र की स्थापना

7730. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री मरवांथे में पर्यटन केन्द्र की स्थापना के बारे में 14 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3162 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिस वर्ष यह योजना मंत्रालय के बजट में शामिल की गई थी तथा मंत्रालय के वर्तमान बजट में योजना परिव्यय में अत्यधिक की गई कटौती के कारण क्या हैं ;

(ख) क्या अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की योजनाओं को इसी कारण नहीं लिया गया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं ; और

(ग) भूमि कब अर्जित की गई थी और क्या यह बेकार पड़ी है और क्या केन्द्रीय सरकार का कम से कम राज्य को योजना आरम्भ करने के लिये अनुपातानुरूप अनुदान देने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). मरवांथे के विकास को 25.00 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत के साथ 1966 में बनाई गयी चौथी पंचवर्षीय योजना के मसौदे में भाग II के अन्तर्गत अनन्तिम रूप से सम्मिलित किया गया था। बाद में, भाग II स्कीमों के चौथी योजना में से निकाल देने से, इस स्कीम को 40.34 करोड़ रुपये की प्रस्तावित लागत के साथ केन्द्रीय योजना में सम्मिलित कर लिया गया। साधनों के समग्रतः परिसीमित होने के कारण, योजना के पर्यटन विषयक परिव्यय को 40.34 करोड़ रुपये से घटाकर अनन्तिम रूप से 25.00 करोड़ रुपये कर दिया गया है, तथा मरवांथे की स्कीम को, दूसरे राज्यों की कई और स्कीमों के साथ-साथ योजना से निकाल देना पड़ा है।

(ग) चूंकि भाग 2 की योजनाओं की क्रियान्विति 1 अप्रैल, 1969 से बन्द कर दी गई है। अतः राज्य सरकारों को अनुदान देने का प्रश्न ही नहीं उठता। किन्तु मालूम हुआ है कि

मैसूर राज्य सरकार के पास अपनी राज्य योजना के अन्तर्गत मारवांथे में पर्यटक सुविधाओं का विकास करने के लिये योजनायें हैं।

महाजन आयोग का प्रतिवेदन

7731. **श्री स० अ० अगड़ी :** क्या **गृह-कार्य** मंत्री 29 नवम्बर, 1968 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2760 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाजन आयोग को मैसूर-महाराष्ट्र-केरल सीमा विवादों के बारे में रिपोर्ट देने के लिये किन बातों को ध्यान में रखते हुए नियुक्त किया गया था ;

(ख) क्या आयोग के प्रतिवेदन को, जिसे सरकार को पहले ही प्रस्तुत किया जा चुका है, सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) आयोग की नियुक्ति महाराष्ट्र तथा मैसूर और मैसूर तथा केरल राज्यों के बीच सीमा विवादों को हल करने की दृष्टि से की गई थी।

(ख) और (ग). चूंकि प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां सदस्यों को परिचालित कर दी गई हैं और संसद् पुस्तकालय में भी रख दी गई हैं, अतः प्रतिवेदन को सदन के सभा-पटल पर रखना आवश्यक नहीं समझा जाता है।

अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिये स्वतंत्र हवाई अड्डा प्राधिकार

7732. **श्री क० प्र० सिंह देव :** **श्री देवकी नन्दन पाटोदिया :**
श्री रा० बरुआ : **श्री नन्द कुमार सोमानी :**

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की देखभाल करने के लिए एक पृथक स्वतंत्र हवाई अड्डा प्राधिकार स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) इससे क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). सरकार द्वारा जुलाई, 1967 में नियुक्त की गयी अन्तर्राष्ट्रीय विमान क्षेत्र समिति द्वारा की गई सिफारिशों में से एक यह है कि हमारे चारों अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के लिये एक स्वतंत्र कारपोरेशन स्थापित की जाये। समिति की रिपोर्ट की एक प्रति सभा-पटल पर 24-4-1969 को रख दी गयी है। सरकार समिति की अन्य सिफारिशों के साथ-साथ इस सिफारिश की भी गौर से जांच करेगी।

हुगली जिले में दंगे

7733. **श्री क० प्र० सिंहदेव :**

श्री सु० कु० तापड़िया :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में, पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के कुछ क्षेत्रों में, कुछ साम्प्रदायिक दंगे हुए थे, जिनके परिणामस्वरूप अनेक लोगों की मृत्यु हो गई ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस मामले में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है ;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(घ) इस मामले में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्या चरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) से (घ). राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार चुनाव के दिन और होली व मुहर्रम के अवसरों पर कुछ घटनाएं हुईं । 30 और 31 मार्च, 1969 को भी गड़बड़ी हुई थी । पुलिस को अनेकों अवसरों पर उपद्रवी भीड़ को तितर-बितर करने के लिये बल का प्रयोग करना पड़ा था । इन घटनाओं में 15 व्यक्ति मारे गये थे । होली पर हुई घटनाओं के कारण 123 व्यक्ति गिरफ्तार किये गये थे और पांच आपराधिक मामले दर्ज किये गये थे । दर्ज किये गये मामलों की संख्या तथा बाद की घटनाओं के सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों के बारे में तथ्यों का पता लगाया जा रहा है ।

ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन द्वारा दमदम हवाई अड्डे पर कैन्टीन खोलने के लिये प्रार्थना

7734. **श्री क० प्र० सिंह देव** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन ने दमदम हवाई अड्डे पर एक कैन्टीन खोलने के लिये सरकार से भूमि प्रदान करने की प्रार्थना की है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कारपोरेशन द्वारा की गई इस प्रार्थना को स्वीकार कर लिया है ;

(ग) यदि हां, तो भूमि देने के सम्बन्ध में क्या शर्तें निर्धारित की गई हैं ; और

(घ) यदि उपर्युक्त (ख) भाग का उत्तर नकारात्मक है तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री : **(डा० कर्ण सिंह)** : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ). प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है ।

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्लि के प्रिंसिपल के विरुद्ध आरोप

7735. **श्री किरुतिनन :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 28 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4715 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचिरापल्लि के कर्मचारियों ने कालेज के प्रिंसिपल के विरुद्ध कुछ आरोप लगाये थे और क्या तमिलनाडु के शिक्षा विभाग के सचिव ने शासकीय बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों को एक बैठक बुलाने तथा आरोपों की मौखिक जांच करने को कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या आरोप लगाये गए हैं और शासकीय बोर्ड ने क्या निष्कर्ष निकाले हैं ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस कालेज के भूतपूर्व अध्यक्ष ने भूतपूर्व शिक्षा मंत्री को एक अभ्यावेदन भेजा है, जिसमें इस कालेज के प्रिंसिपल के आचरण तथा प्रशासन के बारे में कुछ आरोप लगाये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उन आरोपों का ब्योरा क्या है और सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किये गये संयुक्त ज्ञापन की मागों/आरोपों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 906/69]

कालेज के शासकीय बोर्ड ने 23-4-1968 तथा 18-7-1968 को हुई अपनी बैठकों में यह राय व्यक्त की है कि कालेज की सेवा की शर्तों तथा अन्य नियमों में कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के पर्याप्त असंवैधानिक उपबन्ध हैं। बोर्ड को संयुक्त ज्ञापन में लगाये गये अस्पष्ट आरोपों में कोई आधार नहीं मिला था तथा बोर्ड ने निर्णय किया था कि प्रिंसिपल विशिष्ट आरोपों की जांच करे और प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। बोर्ड ने यह भी निर्णय किया था कि प्रत्येक कर्मचारी जो हड़ताल में शामिल हुआ था अपनी विशिष्ट तथा सामान्य शिकायतें प्रिंसिपल को पेश करे तथा उनके सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही करने के लिये प्रिंसिपल प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। बोर्ड का संकल्प कर्मचारियों को बता दिया गया था, परन्तु किसी भी कर्मचारी ने अभी तक प्रिंसिपल को कोई शिकायत पेश नहीं की है।

(ख) और (ग). जी हां, भूतपूर्व अध्यक्ष की शिकायत का सारांश यह है कि प्रिंसिपल ने उनके निदेशों तथा आदेशों का पालन नहीं किया और उसने उनके पत्र की पावती भेजने की भी परवाह नहीं की।

कालेज एक स्वायत्त शासी निकाय है तथा इसका एक प्रशासकीय बोर्ड है। भूतपूर्व अध्यक्ष द्वारा प्रिंसिपल, जो कि कालेज का शैक्षिक तथा कार्यकारी प्रधान है, के विरुद्ध की गई शिकायतें सामान्य प्रकार की थी। प्रिंसिपल से तथा बोर्ड में केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि से प्राप्त हुई रिपोर्ट से पता चलता है कि शिकायतों का कोई आधार नहीं है। कालेज अब सुचारु रूप से चल रहा है। इन परिस्थितियों में केन्द्रीय सरकार इस मामले में अग्रेतर कार्यवाही करना आवश्यक नहीं समझती है।

रामेश्वरम पत्तन के कर्मचारियों को दिये जाने वाले द्वीप-भत्ते में कटौती

7736. **श्री किरुतिनन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तमिलनाडु के रामेश्वरम पत्तन के सिपाहियों तथा अन्य कर्मचारियों को दिये जाने वाले द्वीप भत्ते में वर्ष 1968 से कटौती कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस कटौती के क्या कारण हैं जब कि यह भत्ता पुलिस, रेलवे तथा डाक आदि अन्य राज्य सरकारों के तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को अब भी दिया जाता है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इस द्वीप में पत्तन कर्मचारियों को 5 रुपये मासिक द्वीप भत्ता मिलता था जब कि अन्य राज्य सरकारों तथा केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को 9 रुपये मासिक यह भत्ता मिलता है ;

(घ) क्या इस बारे में कोई अभ्यावेदन किया गया है और यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ङ) क्या सरकार का विचार इस मामले में हस्तक्षेप करके यह आदेश देने का है कि वर्ष 1966 से कटौती किये गये द्वीप भत्ते की बकाया राशि दी जाये और यह भत्ता दिया जाता रहे ?

संसद् कार्य विभाग और नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ङ). बड़े पत्तनों को छोड़कर अन्य पत्तनों का प्रशासन सम्बन्धित राज्य सरकारों के हाथ में है। चूंकि रामेश्वरम एक बड़ा पत्तन नहीं है, इसलिये केन्द्रीय सरकार के पास अपेक्षित जानकारी नहीं है, क्योंकि वह तो केवल बड़े पत्तनों के प्रशासन की उत्तरदायी है।

Fire in Heavy Engineering Corporation

7737. **Shri Ram Gopal Shalwale** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Foundry Forge Plant of the Heavy Engineering Corporation, Hatia, was set on Fire in 1967 ;

(b) whether five Pakistanis have been convicted on the charge of setting the fire ;

(c) whether Government are aware of the decision given by the Additional Judicial Commissioner of Chhota Nagpur in this connection ; and

(d) if so, the names of the accused, the dates when they entered into India and names of the persons who provided them shelter and of the persons and institutions which have been helping them ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla): (a) to (c). There were eight instances of small fires in the Heavy Engineering Corporation, Ranchi in 1967. All these were accidental fires due to sparks caused during welding. Five Indian nationals were, however, convicted, cases arising out of fire incidents which occurred in 1964 in the Ranchi Heavy Engineering Corporation. They have been sentenced by the Second Additional Judicial Commissioner, Chhota Nagpur, to 10 year R. I. each.

(d) The names of the convicted persons are Bashirul Haque, Nisar Ahmad, Ali Hasan, Allauddin and Mohammad Yunus. Three other accused viz. Mohd. Moin, Abdul Quayum and Badruddin are absconding. As they were all Indian nationals, the question of the date of their entry into India, etc. does not arise.

त्रिपुरा का राजनीतिक दर्जा बढ़ाये जाने की मांग

7738. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा सरकार ने केन्द्रीय सरकार से त्रिपुरा को भारतीय संघ राज्य में स्थित हिमाचल प्रदेश, गोआ और पांडीचेरी के समान स्थिति तथा राजनीतिक दर्जा दिए जाने का अनुरोध किया है ;

(ख) क्या यह सच है कि त्रिपुरा की जनसंख्या हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या के बराबर है और गोआ तथा पांडीचेरी की जनसंख्या से अधिक है; और

(ग) यदि हां, तो त्रिपुरा का राजनीतिक दर्जा बढ़ाये जाने के बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान्; विधान मण्डलों वाले अन्य राज्य क्षेत्रों की तुलना में त्रिपुरा के राजनीतिक स्तर और स्थिति में कोई भेद नहीं है।

(ख) त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, गोआ और पाण्डीचेरी की अलग-अलग जनसंख्या 1961 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित है :—

त्रिपुरा	11,42,005
हिमाचल प्रदेश	28,11,739

(पुनर्गठन को ध्यान में रखते हुए)

गोवा	6,26,667
पाण्डीचेरी	3,69,079

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में पाकिस्तानी घुसपैठिये

7739. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1968-69 में त्रिपुरा में कितने पाकिस्तानी घुसपैठिये पकड़े गये और इस अवधि में कितने घुसपैठियों को त्रिपुरा से उनके देश भेजा गया;

(ख) त्रिपुरा में इस समय अवैध पाकिस्तानी घुसपैठियों के कुल कितनी संख्या में होने का अनुमान है;

(ग) त्रिपुरा में घुसपैठियों को पकड़ने और उन्हें उनके देश वापस भेजने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है; और

(घ) त्रिपुरा से पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकालने के कार्य में तेजी लाने के लिए और क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) राज्य सरकार के अनुसार 1968-69 के दौरान त्रिपुरा में 1075 पाकिस्तानी घुसपैठिये गिरफ्तार किये गये। इस अवधि में कोई पाकिस्तानी अपने देश को नहीं भेजा गया।

(ख) इस समय त्रिपुरा में पाकिस्तानी घुसपैठियों की संख्या का कोई निश्चित अनुमान उपलब्ध नहीं है।

(ग) भारत में अवैध प्रवेश करने के लिए पकड़े गये पाकिस्तानी राष्ट्रिकों के विरुद्ध पारपत्र (भारत में प्रवेश) अधिनियम तथा नियमों और विदेशियों के लिए अधिनियम के अधीन कार्रवाई की जाती है। उपरोक्त के अन्तर्गत जारी किये गये "चले जाने के आदेशों" के विरुद्ध एक निश्चित अवधि के भीतर किये गये अभ्यावेदन विशेष रूप से गठित न्यायाधिकरण को सौंपे जाते हैं। इस न्यायाधिकरण के निष्कर्ष सम्बन्धित व्यक्तियों को उसी समय बता दिये जाते हैं जब वे चले जाने के आदेश देने वाले प्राधिकारी को भेजे जाते हैं। यदि न्यायाधिकरण यह ठहराता है कि सम्बन्धित व्यक्ति वास्तव में पाकिस्तानी राष्ट्रिक हैं तो चले जाने का आदेश लागू किया जाता है। किन्तु, यदि न्यायाधिकरण इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि वह व्यक्ति, जिसके विरुद्ध कार्रवाई की गई है, भारतीय नागरिक है तो उसको दिया गया चले जाने का आदेश रद्द कर दिया जाता है।

(घ) पाकिस्तानी घुसपैठियों को निकालने के कार्य में तेजी लाने को सुनिश्चित करने के लिए न्यायाधिकरण की स्थापना तथा त्रिपुरा प्रशासन के स्थानीय अधिकारियों को पर्याप्त अधिकारों के प्रत्यायोजन के अतिरिक्त राजस्व कर्मचारियों और गांव स्तर पर प्रधानों को सम्भावित घुसपैठियों के बारे में सतर्क रहने के लिये हिदायतें जारी कर दी गई हैं।

संगकार्क की गतिविधियां

7740. **श्री किरित विक्रम देव बर्मन** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास इस बात का प्रमाण है कि तथाकथित संगकार्क के सदस्य पाकिस्तान से शस्त्र, सैन्य सामग्री तथा प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे तथा पूर्वी पाकिस्तान में बसें चला रहे थे, यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है ; और

(ख) इन विद्रोहियों को पाकिस्तान से शस्त्र तथा प्रशिक्षण प्राप्त करने से तथा पाकिस्तान को भारत के घरेलू मामलों में सक्रिय हस्तक्षेप करने से रोकने के लिये उस समय के बाद के गत चार महीनों में, जब त्रिपुरा के वन में पहली बार पाकिस्तानी शस्त्रास्त्रों के ढेर पाये गये थे, सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) और (ख). सूचना एकत्रित की जा रही है और सदन के सभा-पटल पर रख दी जायगी।

उत्तरी बिहार पर्यटन केन्द्रों का विकास

7741. **शिवचन्द्र झा** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार के पास उत्तरी बिहार में पर्यटन केन्द्रों का विकास करने के लिये कोई विशिष्ट योजना है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) और (ख). केन्द्रीय सरकार का चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान बिहार में बोधगया-राजगीर-नालन्दा का समेकित विकास करने का प्रस्ताव है। राज्य सरकार का भी पर्यटन महत्व के चुने हुए स्थानों पर कुछ आवास एवं पर्यटन सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है। चौथी योजना के दौरान पर्यटन स्कीमों के विस्तृत ब्योरे तैयार किये जा रहे हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

तिब्बती शरणार्थियों के लिये शैक्षिक संस्थाएं

7742. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा तिब्बती शरणार्थियों के लाभ के लिये शैक्षिक संस्थाएं चलाई जाती हैं ;

(ख) क्या उक्त संस्थाओं के खातों की लेखा परीक्षा सरकारी लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है ; और

(ग) इन शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासन की देखभाल करने वाले अधिकारी का वेतन क्या है और उसकी शैक्षिक योग्यताएं क्या हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री भक्त दर्शन) : (क) जी, नहीं। इन संस्थाओं को तिब्बती स्कूल सोसाइटी नामक एक स्वायत्तशासी संगठन द्वारा चलाया जाता है जिसे इस उद्देश्य के लिये स्थापित किया गया है और जिसका वित्त पोषण पूर्णतया भारत सरकार द्वारा किया जाता है।

(ख) जी हां।

(ग) सोसाइटी का प्रधान कार्यवाहक अधिकारी उसका सचिव होता है, जो सोसाइटी तथा शैक्षिक संस्थाओं के प्रशासन की देख-भाल करता है। इस पद का वेतनमान 1,100-50-1,300-60-1,600-100-1,800 रुपये होता है। संघ के ज्ञापन अथवा सोसाइटी के नियमों और विनियमों में कोई शैक्षिक योग्यता निर्धारित नहीं की गई है। इस पद पर अब तक शिक्षा मंत्रालय में भारत सरकार के सहायक शिक्षा सलाहकार अथवा उससे बड़े पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता रहा है।

हिमाचल प्रदेश को प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मचारी

7743. **श्री हेमराज** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्षों, अर्थात् 1966, 1967 तथा 1968 में हिमाचल प्रदेश को प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये कर्मचारियों की संख्या कितनी है ;

(ख) इस अवधि में उन्हें कितना प्रतिकारात्मक भत्ता तथा विशेष भत्ता दिया गया ;

(ग) पंजाब के पर्वतीय क्षेत्रों के हिमाचल प्रदेश के साथ विलय के बाद इन पदों के लिये वहां कितने अधिकारी उपलब्ध थे तथा उनकी उपेक्षा किये जाने के क्या कारण थे ; और

(घ) उन अधिकारियों की संख्या कितनी है जो मूलतः हिमाचली हैं, परन्तु हरियाणा और पंजाब राज्यों में सेवा कर रहे हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) से (घ). हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश में प्रतिनियुक्त अधिकारियों की संख्या 1966 में 60, 1967 में 40 और 1968 में 25 थी। उनके वेतन का 20 प्रतिशत की दर से प्रतिनियुक्ति भत्ते के अतिरिक्त राज्य में अन्य अधिकारियों को ग्राह्य भत्ते प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को दिये जाते थे, लोक निर्माण विभाग को छोड़कर जिसके सम्बन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है, प्रतिनियुक्ति पर व्यक्तियों को प्रतिपूर्ति भत्ते में दी गई रकम 1966 में 1030.40 रुपये, 1967 में 1902.20 रुपये और 1968 में 643.20 रुपये थी। हिमाचल प्रदेश के पुनर्गठन के पश्चात् यद्यपि 679 अधिकारी (मुख्यत: तकनीकी विभागों में) उन पदों को भरने के लिए अन्यथा उपलब्ध थे जिन पर प्रतिनियुक्त व्यक्ति नियुक्त किये गये थे, ऐसे अधिकारियों पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि या तो वे अपेक्षित अर्हताएं और अनुभव नहीं रखते थे या संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से बनाए गये भर्ती और पदोन्नति के नियमों के अनुसार उन पदों के लिए पात्र नहीं थे। हरियाणा और पंजाब में कार्य कर रहे हिमाचली अधिकारियों की संख्या से सम्बन्धित आंकड़े शीघ्र उपलब्ध नहीं हैं।

होटल पुनरीक्षण और सर्वेक्षण समिति का प्रतिवेदन

7744. **श्री मीठालाल मीना :**
श्री दे० अमात :
श्री वि० नरसिम्हा राव :
श्री रामावतार शर्मा :
श्री रा० रा० सिंह देव :
श्री क० प्र० सिंह देव :

क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री 21 फरवरी, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 708 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या होटल पुनरीक्षण तथा सर्वेक्षण समिति भारत सरकार को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर चुकी है ;

(ख) क्या यह प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा जायेगा ; और

(ग) हमारे देश में होटल उद्योग को प्रोत्साहन देने के लिये विदेशी सहयोग आदि के बारे में प्रतिवेदन में की गई विभिन्न सिफारिशों का ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है, तथा शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र में पर्यटन

7745. **श्री जुगल मंडल** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र राज्यों में पर्यटन बढ़ाने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ;

(ख) क्या सरकार को उन राज्यों से इस बारे में विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उन प्रस्तावों का ब्योरा क्या है तथा सरकार का इस बारे में क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) से (ग). चौथी योजना की अवधि के दौरान पश्चिम बंगाल तथा महाराष्ट्र समेत विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रारंभ की जाने वाली पर्यटन स्कीमों को सम्बन्धित राज्य सरकारों के परामर्श से तैयार किया जा रहा है।

भवनों के विस्तार, उपकरणों तथा संग्रहालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण हेतु पश्चिम बंगाल को सहायता

7746. **श्री जुगल मंडल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल को वर्ष 1966-67, 1967-68 तथा 1968-69 में भवनों के विस्तार, उपकरणों तथा प्रकाशनों अथवा संग्रहालय के कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिये कोई वित्तीय सहायता दी गई है ;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल के राजकीय संग्रहालय से कोई ऐसा प्रस्ताव प्राप्त हुआ था ; और यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ; और

(ग) उक्त अवधि में पश्चिम बंगाल राज्य को कितनी राशि की सहायता दी गई ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (ग). जी हां। पश्चिम बंगाल में संग्रहालयों को निम्नलिखित अनुदान दिये गये हैं। अनुदान का उद्देश्य प्रत्येक अनुदान के साथ उल्लिखित है :—

1966-67——— कुछ नहीं

1967-68——— 25,000 रुपये, प्रदर्शन उपकरणों के अर्जन हेतु

1968-69——— 7,500 रुपये, प्रदर्शन व्यवस्था को सुधारने के लिये दीर्घाओं को नया रूप देने के लिये।

राज्य सरकार द्वारा समस्त चौथी पंचवर्षीय योजना के लिये कुल 33,30,000 रुपये मांगे गये हैं।

भाषाओं के विकास के लिये पश्चिम बंगाल को सहायता

7747. **श्री जुगल मंडल** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों में पश्चिम बंगाल को भाषाओं के विकास के लिये कितनी वित्तीय सहायता अथवा अन्य प्रकार की सहायता दी गई है ;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्षेत्रीय भाषाओं के विकास के लिये वहां की राज्य सरकार ने किस ढंग से धन खर्च किया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) हिन्दी, संस्कृत और बंगला भाषाओं के विकास और/अथवा प्रसार तथा प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण के लिए 13,54,483 रु० दिये गये हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) आर्य शास्त्र, भारत कोश, श्रीमद्भागवतम्, उपनिषद और भारत के संग्रहालयों की डाइरेक्टरी आदि जैसे उपयुक्त बंगला प्रकाशनों को प्रकाशित करने के लिए, राज्य सरकार द्वारा 1,07,010 रुपये खर्च किये गए हैं । प्रादेशिक भाषाओं में विश्वविद्यालय स्तर की पुस्तकों के निर्माण के लिए, राज्य सरकार को 1968-69 में 32,778 रुपये की राशि दी गई हैं ; राज्य सरकार द्वारा यह रकम किस प्रकार खर्च की गई, इसके हिसाब का विवरण अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है ।

तमिलनाडू में सड़क और पुल परियोजनाएं

7748. **श्री किरुतिनन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सड़क निधि तथा केन्द्रीय सरकार की अन्तर्राज्यीय सड़क योजनाओं के अन्तर्गत लाभ लागत अध्ययन किये जाने के बाद किन-किन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया गया है अथवा क्रियान्वित किये जाने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि तमिलनाडू में कोई परियोजनाएं हैं तो उनका ब्योरा क्या है ; और

(ग) तमिलनाडू में, विशेषतः पूर्वी तट सड़क में, सड़क और पुल परियोजनाओं के संबंध में किये गये अध्ययन के क्या परिणाम रहे हैं ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) से (ग). अपेक्षित जानकारी एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

बिहार तथा उत्तर प्रदेश में उर्दू का अध्ययन

7749. **श्री ई० के० नायनार** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में उर्दू के अध्ययन के लिये समुचित सुविधायें उपलब्ध नहीं है ; और

(ख) क्या यह भी सच है कि इन राज्यों में उर्दू में लिखी गई याचिकायें तक भी उच्च अधिकारियों द्वारा स्वीकार नहीं की गईं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) राज्य सरकारों के अनुसार ऐसा कोई दृष्टान्त उनके ध्यान में नहीं आया है ।

दमदम हवाई अड्डे पर 'टर्मिनल' इमारत

7750. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दमदम हवाई अड्डे की टर्मिनल इमारत वर्ष 1970 तक पूरी हो जायेगी, परन्तु वहां वाहक-पट्टा, सार्वजनिक सूचना सेवा, मौसम सम्बन्धी अनुभाग तथा अन्य महत्वपूर्ण व्यवस्थायें करने में अभी कुछ और समय लगेगा;

(ख) क्या यह भी सच है कि ठेकेदार ने इमारत का निर्माण-कार्य इस कारण रोक दिया है कि सम्बन्धित विभाग ने उसे धन का भुगतान नहीं किया है; और

(ग) क्या हवाई अड्डे पर पानी की सप्लाई बहुत कम है जिसके कारण सभी लोगों को बड़ी कठिनाई हो रही है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) टर्मिनल इमारत के 1970 में चालू हो जाने की आशा है । वाहक पट्टों (कन्वेयर बेल्ट्स), सार्वजनिक सूचना सेवा तथा अन्य सम्बद्ध सुविधाओं की व्यवस्था करने में कुछ और अधिक समय लगने की संभावना है ।

(ख) जी, नहीं । ए० टी० सी० ब्लाक का निर्माण-कार्य ठेकेदार की व्यक्तिगत कठिनाइयों के कारण रुक गया था । अब इस इमारत तथा यात्री टर्मिनल, दोनों का निर्माण-कार्य जारी है, और इसकी प्रगति को और तीव्र कर दिया जायेगा ।

(ग) अतिरिक्त कर्मचारी-क्वार्टरों के निर्माण सहित हवाई अड्डे के विस्तार तथा सामान्य विकास के कारण मांग में वृद्धि के परिणामस्वरूप हाल ही में पीने के पानी की अपर्याप्तता अनुभव की गयी है । और अधिक जल प्रदाय की व्यवस्था के प्राक्कलन तैयार किये जा रहे हैं ।

दमदम हवाई अड्डे पर राडार की स्थापना में विलम्ब

7751. **डा० रानेन सेन** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दमदम हवाई अड्डे पर स्थापित करने के लिये कुछ महीने पहले इटली से एक शक्तिशाली राडार मंगाया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस राडार को स्थापित करने के लिये अभी तक किसी स्थान का चयन अथवा अभिग्रहण नहीं किया गया है तथा इस सम्बन्ध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, हां। उपस्कर की डिलीवरी (वितरण) जनवरी, 1969 में प्रारम्भ हुई और उसके सितम्बर, 1969 के अन्त तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ख) और (ग). जी, नहीं; राडार लगाने के लिये स्थान चुन लिया गया है और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा भूमि के अभिग्रहण के लिये कार्यवाही प्रारंभ कर दी है।

गैर-सरकारी क्षेत्र में जहाज बनाने का कारखाना

7752. **श्री के० रमानी** :
श्री विश्वनाथ मेनन :
श्री पी० राममूर्ति :
श्री पी० पी० एस्थोस :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को जहाज बनाने के कारखाने स्थापित करने की अनुमति देने का एक प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस प्रस्ताव का ब्योरा क्या है ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

सेक्शन अफसर के संवर्ग में पदोन्नति

7753. **श्री सी० के० चक्रपाणि :**

श्री प० गोपालन :

श्री उमानाथ :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सचिवालय सेवा में सेक्शन अफसर के संवर्ग में पदोन्नतियां अंशतः वरिष्ठता के आधार पर तथा अंशतः प्रतियोगी परीक्षा के आधार पर की जाती हैं;

(ख) क्या यह सच है कि 70 प्रतिशत अंक पाने वाले बहुत से उम्मीदवारों को नियुक्त नहीं किया गया है जबकि पहली परीक्षा में 55 प्रतिशत अंक पाने वाले उम्मीदवारों को नियुक्त किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस पक्षपात के क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) अनुभाग अधिकारी ग्रेड में अधिकारियों का प्रवेश केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली, 1962 के अनुसार किया जा रहा है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह व्यवस्था है कि 1959 और 1960 में हुई सीमित विभागीय परीक्षाओं के छोड़े हुए उम्मीदवार के लिए पांच वर्ष की अवधि के लिए पदों का एक विशेष प्रतिशत नियत किया जायगा । सन् 1963 से और उसके बाद हुई विभागीय परीक्षाओं के मामलों में उम्मीदवारों को विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया था कि परीक्षाएं प्रतियोगी हैं न कि अर्हकारी । अतः उनके मामलों में चोटी के सफल उम्मीदवारों को उनके लिये उपलब्ध कोटे में अनुभाग अधिकारी के रूप में वास्तव में पदोन्नत किया गया था । तथापि, 1959 व 1960 की परीक्षाओं के छोड़े हुए उम्मीदवारों के मामले में, यह निश्चय किया गया था कि जिन्होंने 55 प्रतिशत अथवा इससे अधिक अंक प्राप्त किये उन पर, उनके लिये नियत कोटे में नियुक्ति के लिये विचार किया जायगा ।

(ग) चूंकि नियुक्तियां पूरी तरह 1962 के नियमों के अनुसार की जाती हैं, अतः कोई पक्षपात नहीं हुआ है ।

बी० ओ० ए० सी० के विमान-चालकों द्वारा हड़ताल के कारण एयर इंडिया को हानि

7754. **श्री मंगलाथुमाडोम** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बी० ओ० ए० सी० के विमान-चालकों की हड़ताल से एयर इंडिया को हानि हुई थी;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में बी० ओ० ए० सी० और एयर इंडिया के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग). एयर इंडिया कई वर्षों से बी० ओ० ए० सी० तथा क्वेन्टास को मिला कर बनाये गये एक त्रिपक्षीय पूल का सदस्य रहा है । इसके परिणामस्वरूप इन एयरलाइनों में से यदि किसी में भी हड़ताल होती है तो पूल के दूसरे साझीदार सम्मत मार्गों पर उसके यात्रियों को ले जायेंगे ।

दिल्ली के कालेजों में दाखिले की समस्या

7756. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री मुहम्मद शरीफ :
श्री वि० नरसिम्हा राव :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नागरिक परिषद ने धमकी दी है कि इस वर्ष परीक्षाफल निकल जाने के बाद यदि दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारियों तथा सरकार ने कालेजों में दाखिले की समस्या का समाधान करने के लिये तुरन्त कार्यवाही नहीं की तो वह आन्दोलन आरम्भ करेगी;

(ख) यदि हां, तो इस समस्या का समाधान करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या सरकार तथा सम्बन्धित अधिकारी आगे अध्ययन जारी रखने के इच्छुक छात्रों में दाखिला देने की स्थिति में होंगे ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) और (ख). दिल्ली नागरिक परिषद से न तो सरकार को और न ही दिल्ली विश्वविद्यालय को आन्दोलन शुरू करने की कोई सूचना प्राप्त हुई है । फिर भी संबंधित प्राधिकारी इस समस्या के प्रति जागरूक हैं । दिल्ली प्रशासन ने अस्थायी तौर पर दो नए कालेज खोलने का निर्णय किया है । इसके अतिरिक्त, विद्यमान कालेजों में से कुछ को विस्तृत कालेजों की योजना के क्षेत्र में यथासम्भव आने के लिए राजी किया जा रहा है ।

(ग) क्योंकि दाखिला केवल योग्यता के आधार पर और विभिन्न कालेजों में उपलब्ध सीटों के अनुसार किया जाएगा, इसलिए इस समय यह बताना कठिन है कि ऐसे सभी विद्यार्थियों

को दाखिला मिल जाएगा जो उच्च अध्ययन करना चाहते हैं। आशा की जाती है कि कोई भी योग्य विद्यार्थी दाखिले से वंचित न रहेगा, यद्यपि सभी विद्यार्थी अपने मन पसन्द कालेजों में दाखिला नहीं पा सकेंगे।

सस्ती पाठ्य-पुस्तकें

7757. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री रा० बरुआ :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को कम मूल्य वाली पाठ्य-पुस्तकें प्रकाशित करने, निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों की संख्या को कम करने तथा उनको चार अथवा पांच वर्ष तक न बदलने के लिए कहा है।

(ख) यदि हां, तो इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या उक्त प्रस्ताव को क्रियान्वित कराने के लिये केन्द्रीय सरकार ने राज्यों को सहायता देने की पेशकश की है; और

(घ) इस प्रस्ताव से कितने राज्य सहमत हो गये हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) से (घ). राष्ट्रीय स्कूल पाठ्य-पुस्तक बोर्ड की सिफारिशें, जिसकी बैठक 5 और 6 अप्रैल कोई नई दिल्ली में हुई थी, इस प्रकार हैं :—

(1) यह वांछनीय है कि स्कूल स्तर के लिए माध्यमिक स्तर तक की सभी पाठ्य-पुस्तकों का निर्माण राज्य सरकारों के पर्यवेक्षण में किया जाना चाहिए। इससे लागत में कमी के साथ-साथ कोटि में भी सुधार होगा। प्रत्येक राज्य सरकार को माध्यमिक स्तर के अन्त तक पाठ्य-पुस्तकों के राष्ट्रीयकरण का क्रमिक कार्यक्रम तैयार करना चाहिए। इस सम्बन्ध में पाठ्य-पुस्तकों के निर्माण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(2) राज्य के सभी भागों में पर्याप्त संख्या में और स्कूली वर्ष शुरू होने से काफी समय पहले, बच्चों के लिए पाठ्य-पुस्तकें उपलब्ध करने हेतु, निम्नलिखित प्रक्रिया को अपनाना आवश्यक मालूम पड़ता है :—

(क) आमतौर पर, स्कूलों की पाठ्य-पुस्तकों को पांच वर्ष से पहले नहीं बदला जाना चाहिए।

(ख) आमतौर पर दो वर्ष की सप्लाई के लिए पुस्तकें एक बार ही अग्रिम रूप से छपवा लेनी चाहिए।

बोर्ड में अपने अभिभाषण में शिक्षा मंत्री ने सुझाव दिया था कि निर्धारित पाठ्य-पुस्तकों की संख्या को उपयुक्त रूप से सीमित कर देनी चाहिए।

बोर्ड की सिफारिशें राज्य सरकारों को उनके विचारार्थ तथा कार्यान्विति के लिए भेजी जा रही हैं। यद्यपि, इस प्रयोजन के लिए केन्द्र की ओर से कोई विशिष्ट, सहायता देने की योजना नहीं है, किन्तु पाठ्य-पुस्तक सामग्री आदर्श पाठ्य-पुस्तक, और अन्य तकनीकी तरीकों के रूप में केन्द्रीय सरकार अन्य प्रकार की सहायता देती रहेगी।

साम्प्रदायिक दंगे

7758. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री रा० बरुआ :

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अप्रैल, 1969 में बिहार, उत्तर प्रदेश, आसाम और पश्चिम बंगाल में कुछ साम्प्रदायिक दंगे हुए थे;

(ख) यदि हां, इसके क्या मुख्य कारण थे;

(ग) क्या कोई गिरफ्तारियां की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो क्या कुछ विदेशी राष्ट्रजनों को भी गिरफ्तार किया गया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (घ). राज्य सरकारों से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

पश्चिम बंगाल में बम विस्फोट

7759. **श्री नि० रं० लास्कर :**

श्री रा० बरुआ :

श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रपति शासन हटने के बाद पश्चिम बंगाल में बम विस्फोट की घटनाओं में वृद्धि हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि में बम विस्फोट की कितनी घटनायें हुईं;

(ग) क्या यह सच है कि ये बम विदेशों में बने हुए थे तथा मुख्यतः चीनी थे;

(घ) क्या इन बम विस्फोटों से कुछ केन्द्रीय कार्यालय नष्ट हो गये थे;

(ङ) क्या इन बम विस्फोटों के बारे में किसी विदेशी को गिरफ्तार किया गया है; और

(च) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस बारे में राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : (क) से (च). राज्य सरकार से तथ्य मालूम किये जा रहे हैं।

राष्ट्रीय स्कूल पाठ्य-पुस्तक बोर्ड का सम्मेलन

7760. **श्री रा० बरुआ :**
श्री नि० रं० लास्कर :
श्री चेंगलराया नायडू :

क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 5 अप्रैल, 1969 को राष्ट्रीय स्कूल पाठ्य-पुस्तक बोर्ड को दो दिन का सम्मेलन 5 अप्रैल, 1969 को नई दिल्ली में हुआ था;

(ख) यदि हां, तो किन मुख्य विषयों पर चर्चा हुई थी;

(ग) क्या सम्मेलन ने समस्त देश में स्कूल पाठ्य-पुस्तकों की राष्ट्रीय नीति बनाये जाने की सिफारिश की है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 907/69]**

(ग) बोर्ड द्वारा इस विषय में कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की गई थी। यथापि उसने पाठ्य-पुस्तक सामग्री के आदान-प्रदान तथा समान पाठ्य-क्रम की वांछनीयता की सिफारिश की थी और कहा था कि पाठ्य-पुस्तकों का उद्देश्य राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना होना चाहिये।

(घ) सरकार इन प्रस्तावों से सामान्यतया सहमत है।

गुजरात में सिक्का में जहाज निर्माण कारखाना

7761. **श्री नि० रं० लास्कर :**
श्री रा० बरुआ :
श्री चेंगलराया नायडू :
श्री तुलसीदास दासप्पा :
श्री अदिचन :
श्री हिम्मतसिंहका :
श्री सु० कु० तापड़िया :
श्री देवकीनन्दन पाटोदिया :

क्या **नौवहन तथा परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने गुजरात में सिक्का गैर-सरकारी क्षेत्र

में एक जहाज-निर्माण कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है ;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) इस कारखाने की स्थापना के बारे में कब तक अन्तिम निर्णय किया जायेगा ?

संसद्-कार्य विभाग तथा नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री इकबाल सिंह) : (क) यह ज्ञात होता है कि राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने 4 अप्रैल, 1969 को हुई अपनी बैठक में सिक्का में गैर-सरकारी क्षेत्र में जहाज निर्माण कारखाना स्थापित करने के प्रस्ताव को जहाज-निर्माण, जहाज-मरम्मत तथा जहाज-उपकरण निर्माण की स्थायी समिति को सौंपने का निर्णय किया था। यद्यपि अभी तक बोर्ड से कोई औपचारिक पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठते।

इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के विमानों की बैंकोक को उड़ानें

7762. **श्री बृजराज सिंह** : क्या **पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन के विमान इस समय बैंकोक जाते हैं ;

(ख) क्या दोनों देशों के बीच स्वीकृत शर्तों के अनुसार इंडियन एयरलाइंस कारपोरेशन अपने विमान वहां भेज सकती है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके पूरे कारण क्या हैं ?

पर्यटन तथा असैनिक उड्डयन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग). जी, हां। भारत-थाईलैंड विमान सेवा करार के अधीन, जिस पर जनवरी, 1969 में बातचीत हुई थी, भारत को बैंकाक के लिये अथवा बैंकाक से होकर करार में विनिर्दिष्ट अनुसूचित सेवाओं के परिचालन के लिये एक से अधिक वाहक नामजद करने का अधिकार प्राप्त हो गया है। एयर इण्डिया बोइंग 707 से बैंकाक से होकर पहले ही सप्ताह में चार सेवायें परिचालित कर रही है। इंडियन एयरलाइंस द्वारा कारबेल विमान से कलकत्ता तथा बैंकाक के बीच सप्ताह में दो सेवायें परिचालित करने का प्रश्न विचाराधीन है।

Pay Scales of Senior Stenographers in various Ministries of Government of India

7763. **Shri Ramavatar Shastri :** Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that orders revising the pay scales of the Senior Stenographers in the various Ministries of the Government of India were issued in 1966 and that they have not been implemented so far ;

(b) if so, the details of the said orders and the reasons for their non-implementation ;

(c) whether any revised proposals in this regard were under consideration of Government and, if so, whether they have since been finalised ; and

(d) if so, the time by which these proposals would be issued and implemented ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a) and (b). Orders regarding revision of pay scales of Grade I Central Secretariat Stenographers' Service were issued on the 18th June, 1966 to be effective from the 1st July, 1966. The details of the orders were as follows :—

(i) The scale of pay of Grade I CSSS was to be revised from Rs. 350-650 to Rs. 350-770 with a higher initial start of Rs. 400/-for persons promoted from the lower grade of Stenographers' Service.

(ii) Officers of Grade I CSSS working as Private Secretaries to Secretaries Special Secretaries/Additional Secretaries and first P. As. to Ministers were to get a special pay of Rs. 125/- p. m. in addition to their Grade I pay.

(iii) Joint Secretaries and officers of equivalent rank were to be provided with Private Secretaries in Grade I instead of Grade II Stenographers.

The orders were subsequently withdrawn on the 28th June, 1966 to review the scope of the orders.

(c) and (d). Fresh revised proposals for the pay Scales etc. of the Central Secretariat Stenographers' Service have been approved by Government and the necessary orders are expected to be issued shortly.

क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज, तिरुचेरापल्लि

7764. **श्री किरुतिनन** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री 28 मार्च, 1969 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4715 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्षेत्रीय इंजीनियरिंग कालेज तिरुचिरापल्लि के कर्मचारियों तथा निम्न श्रेणी के कर्मचारियों की विशिष्ट मांगें क्या हैं ; और

(ख) उनकी मांगों पर अलग-अलग क्या विशिष्ट कार्यवाही की गई है ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) विशिष्ट मांगें संलग्न विवरण में दी गई हैं। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 908/69]

(ख) कालेज के शासकीय बोर्ड ने 23-4-1968 तथा 18-7-68 को हुई अपनी बैठकों में यह राय व्यक्त की थी कि कालेज की सेवा की शर्तों तथा अन्य नियमों में कर्मचारियों की शिकायतों को दूर करने के पर्याप्त संवैधानिक उपबन्ध हैं। बोर्ड ने संयुक्त ज्ञापन में लगाये गये अस्पष्ट आरोपों में कोई आधार नहीं मिला था। बोर्ड ने निर्णय किया था कि प्रिंसिपल विशिष्ट आरोपों की जांच करें और प्रतिवेदन प्रस्तुत करे। बोर्ड ने यह भी निर्णय किया था कि प्रत्येक कर्मचारी जो हड़ताल में शामिल हुआ था अपनी विशिष्ट तथा सामान्य शिकायतें प्रिंसिपल को पेश करे। बोर्ड का संकल्प कर्मचारियों को बता दिया गया था, परन्तु किसी भी कर्मचारी ने अभी तक प्रिंसिपल को कोई शिकायत पेश नहीं की है।

नेफा, मनीपुर तथा त्रिपुरा के आदिवासी लोगों की समस्याओं के बारे में प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें

7765. **श्री कं० हाल्दर** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रशासनिक सुधार आयोग ने उपूसी, मनीपुर और त्रिपुरा के आदिवासियों की समस्याओं के बारे में प्रधान मंत्री को जनवरी, 1969 में अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की थीं ; और

(ख) यदि हां, तो इन सिफारिशों को क्रियान्वित करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) जी हां, श्रीमान् । नेफा, मनीपुर तथा त्रिपुरा के आदिवासियों की समस्याओं के सम्बन्ध में सिफारिशें संघ राज्य क्षेत्रों तथा नेफा प्रशासन पर आयोग के प्रतिवेदन में समाविष्ट हैं जिसकी एक प्रतिलिपि 20 फरवरी, 1969 को लोक सभा के पटल पर रखी गई थी ।

(ख) सरकार प्रतिवेदन की जांच कर रही है ।

वैज्ञानिक विभागों तथा नेहरू स्मारक पुस्तकालय को अनुदानों में वृद्धि

7766. **श्री लोबो प्रभु** : क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ग्रान्ट्स शीर्ष के अन्तर्गत वैज्ञानिक विभागों तथा नेहरू स्मारक पुस्तकालय के लिये अनुदान की राशि में कितनी असमानुपातिक वृद्धि की गई है ; और

(ख) नेहरू स्मारक पुस्तकालय पर अनुमानतः कितनी पूंजी लगाई जायेगी और अन्य राजनैतिक नेताओं के योगदान को इस में न मिलाये जाने के क्या कारण हैं ताकि वह देश में उस राजनैतिक विचारधाराओं का पूरी तरह प्रतीक बन जाता ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्रालय की मांग संख्या 11-अन्य राजस्व खर्च के अन्तर्गत वर्ष 1969-70 के आय-व्ययक में "बी-साईंटिफिक डिपार्टमेंट्स-बी०-6-ग्रान्ट्स इन एड कन्ट्रीब्यूसन्स् एटसेटरा" शीर्ष के अन्तर्गत लगभग 25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है । वर्ष 1968-69 में इस शीर्ष के अन्तर्गत 1,07,30,700 रुपये की धनराशि नियत की गई थी । नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय के आय व्ययक में जोकि वर्ष 1968-69 में 11 लाख रुपये का था, लगभग 101 प्रतिशत वृद्धि हुई है । वर्ष 1969-70 के नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय का आयव्ययक में 10 लाख रुपये की वह राशि भी शामिल है जो अतिरिक्त भवन निर्माण के हेतु रखी गई है और यदि इस अनावर्ती खर्च को निकाल दिया जाय तो वृद्धि केवल लगभग 10 प्रतिशत रह जाती है, जोकि असमानुपातिक नहीं है ।

इस शीर्ष के अन्तर्गत वह राशि भी शामिल है जो कि चौथी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय संग्रहालयों तथा अन्य संगठनों की कुछ विकास योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिये रखी गई है ।

(ख) वर्ष 1969-70 में नेहरू संग्रहालय तथा पुस्तकालय के अनुदान देने के लिये 2204 लाख रुपये की राशि का उपबन्ध किया गया। इसमें 12.14 लाख रुपये रखरखाव तथा 10 लाख रुपये अतिरिक्त भवन के निर्माण के लिये हैं।

नेहरू स्मारक संग्रहालय तथा पुस्तकालय का कार्य-क्षेत्र केवल जवाहर लाल नेहरू के अध्ययन तक सीमित है परन्तु इसमें अन्य राजनीतिक नेताओं, राष्ट्रीय आन्दोलन के विभिन्न चरणों तथा राजा राम मोहन राय से जवाहर लाल नेहरू तक भारत के समूचे आधुनिक इतिहास का अध्ययन भी शामिल है ।

शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण की राष्ट्रीय परिषद्

7767. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय शिक्षा अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण परिषद् द्वारा हिन्दी तथा प्रादेशिक माध्यम भाषाओं में प्रवीणता सम्बन्धी अध्ययन तथा प्राथमिक शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के लागत-लाभ अनुपात के अध्ययन का कार्य सम्भाल लेने के क्या कारण हैं ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद् से प्राप्त हुए प्रतिवेदन के अनुसार अध्ययन का उद्देश्य स्कूल पाठ्यक्रमों में भाषाओं की शिक्षा की स्थिति का सर्वेक्षण करना है न कि माध्यम के रूप में विभिन्न भाषाओं की तुलनात्मक प्रवीणता का पता लगाना ।

जहां तक बुनियादी शिक्षा का सम्बन्ध है, इस बात का पता लगाने के लिये कि क्या यह धारणा सही है कि बुनियादी शिक्षा गैर-बुनियादी शिक्षा से महंगी है, राष्ट्रीय बुनियादी शिक्षा संस्थान ने वर्ष 1960 में दिल्ली के स्कूलों में बुनियादी तथा गैर-बुनियादी शिक्षा के लागत-अनुपात का अध्ययन किया था ।

प्रौढ़ शिक्षा की लागत के अनुपात में लाभ के बारे में कोई अनुसंधानात्मक अध्ययन नहीं किया गया है ।

सांस्कृतिक कार्यों पर व्यय

7768. **श्री लोबो प्रभु :** क्या **शिक्षा तथा युवक सेवा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1969-70 में सांस्कृतिक शिष्टमंडलों तथा सांस्कृतिक संगठनों के लिये निश्चित राशि बढ़ाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या शिष्टमंडलों तथा संगठनों के कार्य का रिकार्ड मिल गया है और उनके मंत्रालय द्वारा उसकी जांच की जा रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य क्यों नहीं किया गया है जिससे तुलनात्मक तथा वास्तविक लागत लाभ का अनुपात मालूम हो सके ?

शिक्षा तथा युवक सेवा मंत्री (डा० वी० के० आर० वी० राव) : (क) मुख्यतः निम्नलिखित कार्यवाहियों से यह वृद्धि हुई है ।

(1) भारत-विदेश सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्यकलापों का विस्तार ।
(2) शताब्दी वर्ष के दौरान गांधी शताब्दी समारोह
(3) बम्बई में एक अन्तर्राष्ट्रीय छात्र-गृह का निर्माण
(4) गालिब शताब्दी समारोह
(5) चौथी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सांस्कृतिक संगठनों को भवन निर्माण सहायता ।

(ख) जी हां ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ

7769. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ को, उसके संविधान के अनुसार, कार्य करते रहने की अनुमति है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) दिल्ली पुलिस अराजपत्रित कर्मचारी संघ अब कार्य नहीं कर रहा है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Shankaracharya's Views on Untouchability

7772. **Shri Ram Avatar Sharma** : Will the Minister of **Home Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government's attention has been drawn to the statement of Jagadguru Shankaracharya of Govardhan Peeth, Puri published in the Statesman dated the 8th April, 1969, wherein he has clarified his earlier statement about untouchability and has claimed to be against untouchability ;

(b) if so, whether Government propose to take steps to stop anti-Shankaracharya propaganda so as to avoid injury to the sentiments of the Hindus ; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of State in the Ministry of Home Affairs (Shri Vidya Charan Shukla) : (a). Government have seen the press report.

(b) and (c). The Government can initiate a proceedings against any person only for any specific violation of any law in force.

केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारी

7773. **श्री म० ला० सोंधी** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सचिवालय सेवा में कुल कितने अनुभाग अधिकारी हैं ;

(ख) कितने अनुभाग अधिकारी अस्थायी हैं ;

(ग) अस्थायी अनुभाग अधिकारियों में ऐसे कितने अनुभाग अधिकारी हैं जिन्होंने अनुभाग अधिकारी के पद पर (i) 5 वर्ष से अधिक, (ii) 10 वर्ष से अधिक तथा (iii) 15 वर्ष से अधिक कार्य किया है ;

(घ) क्या सरकार को इस श्रेणी के कर्मचारियों में व्याप्त भारी निराशा तथा असंतोष की भावना की जानकारी है ; और

(ङ) यदि हां, तो उन अधिकारियों को जिन्होंने 5 वर्ष से अधिक सेवा को स्थायी बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : (क) और (ख). तत्काल उपलब्ध सूचना के अनुसार 1-12-1967 को स्थायी अनुभाग अधिकारियों की संख्या 1325 थी और अस्थायी अनुभाग अधिकारियों की संख्या 770 थी।

(ग) चूंकि केन्द्रीय सचिवालय सेवा में अनुभाग अधिकारियों का ग्रेड 1-10-1962 से विकेन्द्रीकृत कर दिया गया था अतः अपेक्षित सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है।

(घ) और (ङ). किसी ग्रेड में एक कर्मचारी का स्थायीकरण अन्य बातों के साथ-साथ स्थायी रिक्तियों की उपलब्धि, अधिकारियों की वरिष्ठता और उनकी उपयुक्तता पर निर्भर रहता है और केवल उस ग्रेड में की गई सेवावधि से ही सम्बद्ध नहीं है। विभिन्न संवर्ग प्राधिकारियों से निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार प्राधिकृत स्थायी संख्याबल का पुनरीक्षण शीघ्र करने और प्राधिकृत स्थायी संख्या बल पर अस्थायी पात्र अधिकारियों को स्थायी बनाने का अनुरोध किया गया है।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

परिवहन मार्गों के लिये शाह ईरान की भारत को कथित पेशकश

श्रीमती इलापाल चौधरी (कृष्णनगर) : मैं वैदेशिक कार्य मंत्री का ध्यान निम्नलिखित

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर दिलाती हूं और उनसे निवेदन करती हूं कि वे इस बारे में एक वक्तव्य दें :

"स्वेज नहर के विकल्प स्वरूप यूरोप को ईरान के रास्ते दो परिवहन मार्गों के प्रयोग की भारत को शाह ईरान की कथित पेशकश और ईरान के साथ भारत सरकार के बर्ताव की आलोचना करते हुए उनके द्वारा दिया गया कथित वक्तव्य"

वैदेशिक-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह) : जनवरी, 1969 में ईरान के शहंशाह जब भारत आये थे उस समय भारत के तिजारती माल को ईरान होकर स्थल मार्गों से यूरोप में गंतव्य स्थानों को भेजने के लिये भारत द्वारा इन मार्गों के इस्तेमाल किये जाने की सम्भावनाओं की चर्चा हुई थी। सरकार इन स्थल मार्गों का प्रयोग करने की सम्भावनाओं की जांच कर रही है और उसने ईरान की सरकार से विस्तृत विवरण मांगा है।

इस संदर्भ में ईरान की सरकार द्वारा भारत सरकार की किसी तरह की सांकेतिक आलोचना किये जाने के विषय में भी भारत सरकार ने नहीं सुना है। लेकिन सरकार ने इस आशय की खबरें अखबारों में देखी हैं। जनवरी, 1969 में भारत और ईरान के बीच आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के लिये सम्मिलित आयोग की स्थापना के विषय में पत्रों का आदान-प्रदान हुआ था जिसमें यह व्यवस्था निहित थी कि इस आयोग की पहली बैठक मार्च, 1969 में होगी। ईरान की सरकार ने इस बैठक को स्थगित करने का सुझाव दिया। मई, 1969 के शुरू में अधिकारियों की बैठक और उसके बाद मंत्रियों की बैठक की प्रक्रिया को अन्तिम रूप दिया जा रहा है। इस बैठक में विभिन्न आर्थिक, औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग के स्वरूप, विस्तार और आकार के बारे में ठोस निर्णय लिये जाने की आशा है। चूंकि किसी भी पक्ष ने सम्मिलित आयोग की इस बैठक से पहले कोई निर्णय लेने का प्रश्न नहीं उठाया है इसलिए विलम्ब अथवा असंतोष से सम्बद्ध खबरें मात्र दुर्भावना पर आधारित हैं।

श्रीमती इला पालचौधरी : इस बात को देखते हुए कि ईरान के रास्ते इन परिवहन मार्गों से भारत को बहुत लाभ होगा, क्यों कि एक मार्ग तुर्की को जायेगा तथा दूसरा रूस को तथा शाह ईरान की कथित पेशकश को देखते हुए सरकार द्वारा तुरन्त इस सम्बन्ध में मंजूरी दे दी जानी चाहिए। इतनी बड़ी परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए हमें अपनी रेलों का विद्युतीकरण करना होगा और उसमें कुछ समय लगेगा। मैं सरकार से यह जानना चाहती हूं कि इस बारे में कितनी जल्दी निर्णय किया जायेगा।

इसके अतिरिक्त मैं जानना चाहती हूं कि ईरान के साथ विभिन्न अन्य परियोजनाओं को अन्तिम रूप देने के लिए वैदेशिक-कार्य मंत्री ईरान कब जायेंगे।

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह : यह मामला सरकार के विचाराधीन है। वास्तव में इस मामले पर भारत ईरान संयुक्त आयोग के अन्तर्गत नियुक्त की गई उप समिति द्वारा विचार कर लिया गया है और

उन्होंने इसकी जांच कर ली है। हमें ईरान सरकार से जो जानकारी प्राप्त हुई है, वह पर्याप्त नहीं है। हमने ईरान सरकार से कुछ और जानकारी मांगी है। पर्याप्त जानकारी प्राप्त होने पर इस मामले में निर्णय किया जायेगा। मंत्री महोदय के ईरान जाने से पूर्व निर्णय कर लिया जायेगा।

श्री श्रद्धाकर सूपकार (सम्बलपुर) : हमारे एक पड़ोसी तथा मित्र देश का राष्ट्राध्यक्ष हमारी आलोचना करता है तथा हमारी सरकार इस तरह व्यवहार करती है जिससे सारा संसार यह समझता है कि हमारे देश में सबसे अधिक लालफीता शाही है तथा हम अपने देश के हितों की अवहेलना कर रहे हैं तो ऐसी हालत में हमारी स्थिति बड़ी शोचनीय हो जाती है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि ऐसे प्रचार को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है तथा एक मित्र देश के गणमान्य व्यक्ति की ऐसी बातों को व्यापक प्रचार किये जाने से कैसे रोका जा सकता है ?

वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री दिनेश सिंह) : यदि माननीय सदस्य ने मेरे सहयोगी के वक्तव्य को ठीक तरह से समझ लिया होता, तो वह यह निष्कर्ष न निकालते। ईरान सरकार से हमें इस मामले में कोई आलोचना प्राप्त नहीं हुई है। समाचार पत्रों में कुछ समाचार प्रकाशित हुए हैं। मैं माननीय सदस्य के निष्कर्ष से सहमत नहीं हूं।

Shri Kameshwar Singh (Khagaria) : It is a matter of great regret that the statement contains many incorrect things and that is why it has been read by the Deputy Minister and not by the External Affairs Minister himself. Is it not correct that the Shah of Iran has said, "We must have your Government's answer soon" ? The Shah of Iran wants an early decision from the Government of India in this regard. So I want to know whether this statement read by the Deputy Minister that reports about delay or dissatisfaction are baseless ? Can this matter be considered keeping in view the remarks of the Shah of Iran.

It has been said that the Sub-committee has examined this matter. I would like to know the recommendations of the Sub-committee. I want to know whether this matter does not warrant an early decision because the Shah of Iran has said that in case Government of India decides to utilise their land route it will take them some time to make their railways suitable in this regard. Keeping in view the difficulties of the Shah of Iran I want to know the recommendations of the Sub-committee and how soon a decision will be taken by the Government in this regard ?

Shri Dinesh Singh : In the course of time the Hon. Member will come to know that a Minister never gives an incorrect statement.

So far as the questions regarding the recommendations of the Committee and delay on the part of the Government are concerned if the Hon. Member sees the map he will come to know that in case the route which is being offered is accepted our goods have to go through Persian gulf and then those will be sent over land and then those goods have to pass the Caspian sea. So trans-shipment is involved at two points. Moreover we have to add the expenses of over land

route. So after adding all the expenditure we have to see whether this route will be cheap or not. Unless all the pros and cons are taken into consideration how can we decide whether this route will be cheap or not and whether it will be in our interest or not.

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : मीठापुर उर्वरक परियोजना जिसका कि भारत-ईरान सम्बन्धों से गहरा ताल्लुक है बहुत अधिक समय से अनिर्णीत पड़ी है। प्रधान मंत्री सहित अन्य अधिकांश मंत्रिमण्डलीय स्तर के मन्त्रियों ने इस बारे में निर्णय लेने में विलम्ब किया है और इसका कारण यह बताया है कि चूंकि यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसलिये इसके सब पहलुओं पर ध्यानपूर्वक विचार करना है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या जानबूझ कर विलम्ब करना ताकि गैर-सरकारी उद्यमी उस परियोजना को छोड़ दें और उसे सरकारी क्षेत्र में शामिल किया जा सके, सरकार की नीति है ?

श्री दिनेश सिंह : माननीय सदस्य ने कई बातें कही हैं। यदि हमारे उद्योगपति शोषण छोड़ दें और लाभों में श्रमिकों को हिस्सा देना आरम्भ कर दें तो अधिक अच्छा रहेगा।

जहां तक मीठापुर परियोजना का सम्बन्ध है, वह सरकार के विचाराधीन है।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र
PAPERS LAID ON THE TABLE

व्यापारिक नौवहन (अग्नि साधन) नियम

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं व्यापारिक नौवहन अधिनियम 1958 की धारा 458 की उप-धारा (3) के अधीन व्यापापिक नौवहन (अग्नि साधन) नियम, 1969 जो दिनांक 12 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 932 में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 880/69]**

बिड़ला ग्रुप के उद्योगों इत्यादि के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के ज्ञापन-पत्र

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : मैं तारांकित प्रश्न संख्या 935 पर अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में 8 अप्रैल, 1969 को दिये गये एक आश्वासन के अनुसरण में निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) राज्य सभा के सदस्य श्री चन्द्र शेखर द्वारा प्रस्तुत किये गये ज्ञापन संख्या I से III जिनमें बिड़ला ग्रुप के उद्योगों के विरुद्ध आरोप दिये गये हैं।

(2) परिशिष्ट I से IX जिनमें उपर्युक्त ज्ञापनों में दिये गये आरोपों पर सरकार की उपपत्तियां दी गई हैं।

[पुस्तकालय में रखी गईं। देखिये संख्या एल० टी० 881/69]

उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम इत्यादि

औद्योगिक विकास, आन्तरिक व्यापार तथा समवाय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री रघुनाथ रेड्डी) : श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) अधिनियम 1954 की धारा 24 की उपधारा (3) के अधीन उच्च न्यायालय न्यायाधीश यात्रा भत्ता (संशोधन) नियम, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 5 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 891 में प्रकाशित हुए थे। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 882/69]

(2) विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 3-क की उप-धारा (2) के अधीन विदेशी (रिहायश पर प्रतिबन्ध) संशोधन आदेश, 1969 की एक प्रति जो दिनांक 29 मार्च, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 858 में प्रकाशित हुआ था। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०** 883/69]

(3) अखिल भारतीय सेवायें अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अधीन निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :

(एक) अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन तथा अपील) नियम, 1969 जो दिनांक 12 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 926 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1969 जो दिनांक 12 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 927 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियम, 1954 में 1969 का चौथा संशोधन जो दिनांक 12 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 928 में प्रकाशित हुआ था।

(चार) अखिल भारतीय सेवायें (पेंशन का राशिकृत करना) संशोधन विनियमन 1969 जो दिनांक 12 अप्रैल, 1969 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 929 में प्रकाशित हुए थे।

[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 884/69]

सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

44वां तथा 48वां प्रतिवेदन

श्री प्रेम चन्द वर्मा (हमीरपुर) : मैं सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) फर्टिलाइजर्ज एण्ड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड के बारे में 44वां प्रतिवेदन ।

(2) सरकारी उपक्रमों की प्रबन्ध व्यवस्था तथा प्रशासन (परियोजनाओं का आयोजन) के बारे में सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति (तीसरी लोक-सभा) के 13वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 48वां प्रतिवेदन ।

प्राक्कलन समिति
ESTIMATES COMMITTEE

77वां प्रतिवेदन इत्यादि

श्री एस० कंडप्पन (मैटूर) : मैं प्राक्कलन समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :

(1) रेलवे मंत्रालय भारतीय रेलवे सम्बन्धी वाणिज्यिक तथा अन्य सम्बद्ध विषयों के बारे में प्राक्कलन समिति के दसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 77वां प्रतिवेदन ।

(2) शिक्षा मंत्रालय—विश्व भारती विश्वविद्यालय—के बारे में प्राक्कलन समिति (तीसरी लोक सभा) के 83वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के विषय में 80वां प्रतिवेदन ।

(3) स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन और निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास मंत्रालय (निर्माण, आवास तथा नगरीय विकास विभाग)—मुद्रण तथा लेखन-सामग्री विभाग (मुद्रण विंग)—के बारे में 83वां प्रतिवेदन ।

(4) गृह-कार्य मंत्रालय-केन्द्रीय सतर्कता आयोग—के बारे में 84वां प्रतिवेदन ।

52वें प्रतिवेदन की सिफारिशों के बारे में सरकार द्वारा भेजे गये अन्तिम उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण

श्री एस० कंडप्पन (मैटूर) : मैं प्राक्कलन समिति के 52वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में सम्मिलित सिफारिशों के सरकार द्वारा अन्तिम उत्तर, जो शिक्षा मंत्रालय—अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय—सम्बन्धी उक्त "की गई कार्यवाही प्रतिवेदन" में शामिल किये जाने के लिये सरकार द्वारा समय पर नहीं भेजे गये थे, दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखता हूं ।

सभा का कार्य
BUSINESS OF THE HOUSE

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : जैसा कि सभा को ज्ञात है वर्ष 1969-70 के बजट (सामान्य) सम्बन्धी अनुदानों की सभी शेष मांगों पर सोमवार, 28 अप्रैल, 1969 को 6-30 बजे म० प० पर मतदान किया जायेगा। सोमवार, 28 अप्रैल, 1969 से आरम्भ होने वाले सप्ताह के शेष दिनों के लिए निम्नलिखित सरकारी कार्य होगा :

(1) वित्त विधेयक, 1969

(विचार तथा पास करना)

(2) जन्म तथा मृत्यु रजिस्ट्रीकरण विधेयक, 1968 राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में।

(आगे विचार तथा पास करना)

(3) संघ राज्य क्षेत्र (न्यायिक तथा कार्यपालिका कृत्यों का प्रथक्करण विधेयक, 1968 संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में।

(विचार तथा पास करना)

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Though I agree with the Business of the House which has been announced for the next week, yet I want to submit that sometime should be given for raising a discussion on the Synthetics and Chemicals Ltd. As you know a meeting of the share holders of this company is being called on 28th instant. It will be decided in that meeting as to what action should be taken against Tulsi Dass Kila Chand the sole selling Agents of the last year who have taken away an amount of Rs. 22 lakhs of the company, whereas no dividend was given to the share holders. The L. I. C. have major shares in this concern. I have written to the Finance Minister that by utilising the voting strength the sole selling Agency System should be done away with and the Commission and royalty which is being paid to the Firestone Company should either be reduced or stopped altogether. This is an important matter because it concerns the L. I. C. and the company law. So sometime must be given for raising it. I appeal that either a short notice question should be accepted by the Minister or Calling Attention Notice should be accepted by you.

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : सिंथैटिक्स एण्ड कैमिकल्ज लिमिटेड का मामला एक असाधारण तथा महत्वपूर्ण मामला है। यह मामला भविष्य में सहयोग सम्बन्धी हमारी नीतियों का द्योतक है। इस मामले को इतने लम्बे समय तक विवादग्रस्त नहीं रखा जाना चाहिये चूंकि इससे हमारी अर्थ-व्यवस्था पर कुप्रभाव पड़ेगा। अत: मैं श्री मधु लिमये की बात का समर्थन करता हूं। मैंने पहले ही इस सम्बन्ध में एक ध्यान आकर्षण नोटिस तथा एक अल्प सूचना प्रश्न दिया हुआ है। मैं इस बात का पुरजोर शब्दों में समर्थन करता हूं कि इस मामले में

सोमवार को बैठक होने से पहले सरकार द्वारा हस्तक्षेप किया जाना चाहिये और सभा में वाद-विवाद का अवसर दिया जाना चाहिये अथवा सरकार की ओर से एक वक्तव्य दिया जाना चाहिये।

संसद् कार्य और नौवहन तथा परिवहन मंत्री (श्री रघुरामैया) : मैं माननीय सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं। परन्तु आप इस बात से सहमत होंगे कि यह कार्य प्रक्रिया के अनुसार होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को स्वीकार अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया अध्यक्षपीठ के स्वविवेक पर निर्भर है। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि इस सम्बन्ध में अल्प सूचना प्रश्न दिया गया है परन्तु यदि अल्प सूचना प्रश्न दिया गया है तो सम्बन्धित मंत्री अवश्य इस मामले पर जरूर विचार कर रहे होंगे।

श्री रंगा (श्रीकाकुलम) : मंत्री महोदय को अपने सद्भाव का प्रयोग करके सम्बन्धित मंत्री को अल्प सूचना प्रश्न को स्वीकार करने को कहना चाहिये।

श्री रघुरामैया : मैं माननीय सदस्य की भावना उन तक पहुंचा दूंगा।

अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं यह भी कहना चाहता हूं कि अगले सप्ताह के कार्य में सम्पदा शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक, 1969 भी शामिल है। अपने वक्तव्य में मैं इसका उल्लेख करना भूल गया था।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि सोमवार सायं तक अनुदानों की मांगों पर चर्चा पूरी हो जायगी। परन्तु श्री रंगा ने कहा है कि संसद् कार्य मंत्री को अपने सद्भाव का प्रयोग करना चाहिये और इस मामले को कम से कम सोमवार से पहले इस सभा के समक्ष लाया जाना चाहिये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : आपने एक अच्छे काम के लिये हमारी सहायता की है। परन्तु दो और बातें हैं जिनके बारे में हम चिन्तित हैं। हमने उन पर कल कार्य मंत्रणा समिति में विचार-विमर्श किया था। माननीय मंत्री इस बात पर सहमत हो गये थे कि कम्पनियों के चन्दे पर प्रतिबन्ध लगाने वाले विधेयक पर इस सत्र में चर्चा की जायेगी तथा उसके लिये 7 मई का दिन निश्चित किया गया था। माननीय मंत्री को इस बात को ध्यान में रखना चाहिये और इसे पूरा किया जाना चाहिये।

दूसरे 19 सितम्बर की सांकेतिक हड़ताल में भाग लेने के कारण जिन केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को बर्खास्त अथवा मुअत्तिल किया गया था उनके बारे में एक आश्वासन दिया गया था, परन्तु खेद की बात है कि उसे क्रियान्वित नहीं किया गया है। चूंकि उस आश्वासन को क्रियान्वित नहीं किया गया है इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में सभा में चर्चा करने के लिये एक अथवा दो घण्टे का समय दिया जाना चाहिये। कार्य मंत्रणा समिति में भी इस बात

का उल्लेख किया गया था। अतः मंत्री महोदय को इस बारे में अभी "हां" अथवा "नहीं" में जवाब देना चाहिये।

श्री रघुरामैया : कार्य मंत्रणा समिति में जो कुछ निर्णय किया गया है, उसे अवश्य ही अगले सप्ताह के सभा के कार्य में शामिल किया जायेगा। माननीय सदस्य ने एक घण्टे की चर्चा के बारे में जो कुछ कहा है उसकी मुझे जानकारी नहीं है। मैं उसकी जांच करूंगा। मैं नहीं कह सकता कि माननीय सदस्य तथा अध्यक्ष महोदय के बीच क्या तय हुआ है।

श्री स० मो० बनर्जी : महोदय, वहां, अध्यक्ष महोदय, सचिव तथा माननीय मंत्री उपस्थित थे। मैं कार्य मंत्रणा समिति में जो कुछ चर्चा हुई उसका उल्लेख न करते हुए केवल यह निवेदन करता हूं कि जिन लोगों के रोजगार छिन गये हैं उनके मामले पर चर्चा करने की वांछनीयता माननीय मंत्री श्री चह्वाण तथा श्री शुक्ल को बतायें।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री ने कहा है कि कार्य मंत्रणा समिति में जो कुछ तय हुआ है उसे लिया जायेगा, बाकी आपके तथा कुछ माननीय सदस्यों अथवा अध्यक्ष महोदय के बीच क्या तय हुआ है, इसका इस समय सम्बन्ध नहीं है।

अनुदानों की मांगें—जारी
DEMANDS FOR GRANTS—Contd.

इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय

अध्यक्ष महोदय : अब सभा में इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय की वर्ष 1969-70 की मांग संख्या 83, 84 और 130 पर चर्चा तथा मतदान होगा। निम्नलिखित मांगें प्रस्तुत हुईं :—

मांग संख्या	शीर्षक	राशि
		रुपये
83	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय	19,00,000
84	इस्पात और भारी इंजीनियरी मंत्रालय के अन्य राजस्व व्यय	1,33,68,000
130	इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय का पूंजी परिव्यय	1,42,53,75,000

श्री नन्द कुमार सोमानी (नागौर) : उपाध्यक्ष महोदय, देश के भावी विकास के लिये इस मंत्रालय के प्रशासन का बहुत महत्व है।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य अपना भाषण मध्याह्न भोजन के बाद जारी रखें।

**इसके पश्चात् लोक-सभा मध्याह्न भोजन के लिये दो बजे म० प०
के लिये स्थगित हुई ।**

The Lok Sabha then adjourned till Fourteen of the Clock.

**मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक-सभा दो बजकर 7 मिनट
म० प० पर पुनः समवेत हुई ।**

The Lok Sabha reassembled after Lunch at Seven Minutes past Fourteen of the Clock.

[श्री गाडिलिंगन गौड पीठासीन हुए
Shri Gadilingana Gowd in the Chair]

श्री नन्द कुमार सोमानी : सभापति महोदय, मध्याह्न भोजन से पहले मैं कह रहा था कि हमारे देश में तेजी से विकास करने के लिये इस्पात तथा भारी इंजीनियरी मंत्रालय का सुचारु रूप से तथा सफलतापूर्वक कार्य संचालन बहुत जरूरी है। आधुनिक उद्योगों तथा प्रतिरक्षा के लिये सस्ते इस्पात उत्पादों की जरूरत है तथा इसके लिये यह जरूरी है कि न केवल हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, बल्कि सरकारी क्षेत्र के अन्य चार एककों में भी जिन पर इस मंत्रालय का नियंत्रण है, सुचारु रूप से काम किया जाये। समूचे सरकारी क्षेत्र में कुल 3,500 करोड़ रुपये का सार्वजनिक धन लगा हुआ है, जिसमें से 2000 करोड़ रुपये इस मंत्रालय द्वारा विनियोजित किये गये हैं। अतः यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि यह मंत्रालय और इसके एकक अच्छी तरह से काम करे।

हम इस दलील को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हैं कि इन परियोजनाओं में से अधिकांश परियोजनायें कठिन स्थिति में रही हैं। इनमें जो कुछ भी गड़बड़ियां हैं, उन्हें दूर करना होगा और इसके लिये एक समय सीमा निर्धारित करनी होगी। वर्तमान स्थिति यह है किसी सरकारी अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्यम को जो प्रत्याशित लाभ राष्ट्रीय राजकोष को अथवा समवाय के अंशधारियों को देना चाहिये उसकी तुलना में इस मंत्रालय में 80 से 100 करोड़ रुपये तक का वार्षिक घाटा हो रहा है और इसकी जिम्मेदारी हिन्दुस्तान स्टील पर है।

अतः यह बहुत जरूरी है कि इस सम्बन्ध में अविलम्ब कार्यवाही की जानी चाहिए। इस देश में पूंजी की कमी है और सरकारी क्षेत्र ने जो उदाहरण प्रस्तुत किया है वह इतना निराशाजनक है कि अब न तो और पूंजी लगाई जा सकती है और न ही इस मामले में विलम्ब को बर्दास्त किया जा सकता है। अतः अब समय आ गया है जबकि इन परियोजनाओं की गड़बड़ी को तुरन्त दूर किया जाना चाहिए।

दुनिया में इस्पात उद्योग के समक्ष इस समय एक कठिनाई यह है कि इस उद्योग की उत्पादन क्षमता दुनिया की कुल मांग से अधिक है। मूल्य, विभिन्न प्रकार की चीजें, मिले-जुले उत्पादन भुगतान, नई प्राद्योगिकी क्रियायें, ये सब चीजें इतने महत्व की बातें हैं कि इस मंत्रालय

को न केवल अपने देश के अन्दर अपितु बाहर भी स्थिति की जरूरतों से अवगत होना पड़ेगा। अतः हमें अपने विभिन्न प्रकार की तैयार वस्तुओं को इन बातों को ध्यान में रख कर बनाना होगा, हमें अपनी उत्पादन लागत को कम करना होगा और हमें अपनी सप्लाई को, देशी संयंत्रों, जो अन्ततः निर्यातोन्मुख भी हों, और इस्पात मिलों के प्राथमिक उत्पाद को भी, जो दुनिया के प्रतिस्पर्धी बाजारों में बेचा जाना चाहिए, अनुसूचित करना होगा। इसके लिये आमूल, प्रगतिशील और प्रतिस्पर्धा बिक्री नीति और एक कुशल संगठन की आवश्यकता है। इसके लिये मंत्रालय में कुशल योजना विशेषज्ञों के एक दल की आवश्यकता है जो अल्पकालिक तथा दीर्घकालिक मांगों का अनुमान लगा सके और इस्पात ढांचे को तदनुसार बनाने का प्रयत्न कर सके। परन्तु यह खेद की बात है कि हमारी योजना इस बारे में असफल रही है।

बोकारो इस्पात कारखाना हमारे लिए एक सफेद हाथी सिद्ध होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि न केवल इस्पात की मांग को ध्यान में रखते हुये बल्कि एक ओर हमारे देश की गरीबी और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए तथा दूसरी ओर अकुशलता और सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं को ध्यान में रखते हुए किसी भी दृष्टिकोण से बोकारो जैसी परियोजना के लिए लगभग 1000 करोड़ रुपये की राशि को स्वीकृत करना एक अपराध होगा। जब रांची की एक वृहत योजना के पास वर्ष 1972 के बाद कोई क्रयादेश नहीं है, तो एक अन्य खर्चीली व्यवस्था कायम करने की क्या जरूरत है। बोकारो के पास कोई काम नहीं होगा। परन्तु फिर भी यदि सरकार इस परियोजना को आगे बढ़ाना चाहती है तो यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि इस धन को कुशलता और किफायत से इस्तेमाल में लाया जायेगा।

इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहता हूं कि जब किसी देश के साथ किसी सामग्री की सप्लाई के लिये पैकेज सौदा किया जाता है, उस समय यह जरूरी है कि स्वयं हमारे विशेषज्ञ लागत के अनुमानों की जांच करें। आप ईरान का उदाहरण लीजिये। रूस ने ईरान को इस्पात संयंत्र सप्लाई करने की पेशकश की थी। ईरान के विशेषज्ञों ने अनुमानित लागत तथा परामर्शदात्री खर्च की पूर्ण रूप से जांच की और उसे बहुत अधिक बताया। इसका परिणाम यह हुआ कि उस खर्च को न केवल अधिक बताया तथा अपितु मूल अनुमानों में भी 30 प्रतिशत कमी करायी गई। परन्तु बोकारो के बारे में ऐसा नहीं किया गया है। मैं नहीं जानता कि भारतीय विशेषज्ञों में क्या कमी है और भारतीय इंजीनियरों को दूर रखने के लिए रूसी डिजाइनरों की मर्जी के अनुसार मास्को से विवरणी-कार्य नक्शे क्यों लाये गये हैं।

जहां तक विभिन्न संयंत्र स्तर के दलों के संगठनात्मक पहलू का सम्बन्ध है किसी प्रदत्त एकक का वित्तीय नियंत्रण पर्यवेक्षण अथवा अनुशासन अथवा प्रबन्ध की दृष्टि से संयंत्र स्तर के प्रबन्ध निदेशक के प्राधिकार के अधीन नहीं होता है। वह अपना प्रतिवेदन सीधे वित्त मंत्रालय के उप सचिव के पास भेजता है। आधुनिक प्रबन्ध प्रविधि की दृष्टि से तथा अनुशासन की दृष्टि से यह सही नहीं है। प्रदत्त संयंत्र के सभी पहलू वित्तीय, उत्पादन, बिक्री, प्रबन्ध और औद्योगिक सम्बन्ध प्रबन्ध निदेशक के अधीन होने चाहिए।

रांची परियोजना तथा एम० ए० एम० सी०, दुर्गापुर—इन दोनों परियोजनाओं में बहुत हानि हो रही है। हैवी इंजीनियरिंग, रांची में लगभग 220 करोड़ रुपये लगाये गये हैं, परन्तु वर्ष 1972 के बाद उनके पास क्रयादेश नहीं हैं। यह समझना असम्भव है कि वे किस तरह क्रियादेश प्राप्त कर सकेंगे। रांची संयंत्र में मार्च, 1968 तक 26 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है और एम० ए० एम० सी० में अब तक 20 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है। हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड का जो नवीनतम संतुलन पत्र इस समय संसद् सदस्यों को उपलब्ध है वह वर्ष 1967-68 से सम्बन्धित है। हम मानते हैं कि वर्ष 1968-69 का लेखा इतनी जल्दी बन्द नहीं हो सकता कि नवीन रूप में अन्तिम लेखा जांच संतुलन पत्र सदस्यों को प्राप्त हो सके। मैं इस सम्बन्ध में एक सुझाव देना चाहता हूं और वह यह है कि यदि एक प्रकार का वित्तीय और प्रत्यक्ष कार्य बनाम लक्ष्यों को बताने वाला छमाही प्रलेख उपलब्ध हो सके और सभा के समक्ष एक सामान्य चित्र प्रस्तुत किया जाये, तो इससे हमारी बातचीत निःसन्देह अधिक लाभप्रद होगी।

अब मैं हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड, दुर्गापुर की समस्याओं की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। दुर्गापुर इस्पात कारखाना पूरी तरह से श्रमिक वर्ग स्तर पर अनुशासनहीनता, अधिकारियों तथा अन्य लोगों के हस्तक्षेप, हड़तालों, घेरा और तोड़-फोड़ की मनमानी कार्यवाइयों से घिरा हुआ है। मेरे मित्र श्री देवकी नन्दन पाटोदिया ने एक ध्यान आकर्षण प्रस्ताव के द्वारा इस ओर ध्यान दिलाया था। वहां स्थिति बड़ी चिन्ताजनक है। इसलिये इसमें जितनी जल्दी सुधार किया जाये, सम्बन्धित लोगों के लिए यह उतना ही अच्छा होगा।

हैदराबाद प्रशासन स्टाफ कालेज ने दुर्गापुर के जन पहलुओं का अध्ययन किया है और उसने बताया है कि वहां पर काम करने वाले 20,000 श्रमिकों में से कम से कम 25 प्रतिशत श्रमिक इस संयंत्र की जरूरतों से फालतू हैं। ऐसी स्थिति में इस संयंत्र को मितव्ययिता के आधार पर कैसे चलाया जा सकता है। इन फालतू कर्मचारियों की समस्या का हल ढूंढना होगा। मेरा सुझाव यह है कि बोकारो की बढ़ती हुई जरूरतें दुर्गापुर के फालतू श्रमिक संवर्ग से पूरी की जानी चाहिये।

मैं देश के रि-रोलिंग एककों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। इस समय देश में लगभग 400 इस्पात रि-रोलर हैं। उनके उत्पादन के लिये 80 करोड़ रुपये की कुल क्षमता की जरूरत है और उनमें 40,000 लोगों को काम पर लगाया गया है तथा उनके उत्पाद से निर्यात द्वारा देश को प्रतिवर्ष लगभग 13 से 15 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आय होती है। इस्पात उत्पादों से होने वाली विदेशी मुद्रा की कुल आय का यह लगभग 38 प्रतिशत है। हमें बताया गया था कि स्वयं राज समिति वर्ष 1962 से पहले यह आशा करती थी कि एकल पारी क्षमता के आधार पर प्रतिमास कम से कम 750 लाख टन बिलेटों की जरूरत पड़ेगी। फिर भी यह समझ में नहीं आता है कि सरकार ने बिलेटों की उपलब्धी को प्रतिमास 50 या 60 हजार टन तक सीमित क्यों कर रखा है। इसका परिणाम यह हुआ है कि हमारे संयंत्र के इस्पात और रेल मिलों में काफी क्षमता बेकार पड़ी है।

कर्मचारी प्रबन्ध के सम्बन्ध में यह बताया गया है कि मंत्रालय हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक, जिसने इस पद को कुछ महीने पहले छोड़ दिया था, के स्थान पर किसी उत्तराधिकारी को नियुक्त नहीं कर सका है। मुझे यह भी बताया गया है कि पिछले कुछ महीनों में हिन्दुस्तान स्टील लिमिटेड के तीन कार्य निदेशकों के बारे में मंत्रालय सक्रियता से विचार कर रहा है, परन्तु स्थिति अभी तक ज्यों की त्यों है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं मंत्री महोदय का ध्यान प्रतिवेदन के पृष्ठ 19 की ओर दिलाना चाहता हूं। मंत्रालय के प्रतिवेदन में दुर्गापुर ही नहीं अपितु दोनों अन्य कारखानों में भी संयंत्र और उपकरणों के समुचित रखरखाव न करने के बारे में टिप्पणियां की गई हैं। यह बड़े खेद की बात है। यह 10 लाख टन का संयंत्र गत 9 वर्षों से किसी निरोधक रखरखाव के बिना ही चल रहा है। अब उसकी स्थिति काफी खराब हो गई है तथा जब तक निरोधक रखरखाव और नियमित रखरखाव की योजना चालू की जायेगी तब तक उसकी स्थिति बड़ी दयनीय हो जायेगी।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि बोकारो परियोजना में लगातार घाटा हो रहा है और इसका कारण न केवल विभिन्न उपकरणों को देर से सप्लाई करना है, अपितु मंत्रालय के अन्तर्गत विभिन्न विभागों के कार्य में समन्वय की कमी होना है। 11365 टन के पट्टावाही सहायक और विविध उपकरणों में से, जो बोकरो को सप्लाई किये जाने थे, वर्ष 1968 के अन्त तक केवल 194 टन सप्लाई किये गये हैं। जब तक अच्छी तरह समन्वय स्थापित न किया जायेगा, तब तक हम यह आशा नहीं कर सकते हैं कि यह मंत्रालय सफलतापूर्वक काम करेगा।

इस्पात और भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय की मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
130	3	श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	एन० सी०ई०ए० आर० द्वारा इस्पात की मांग की दोबारा जांच और इस बारे में सचिवालय समिति की सिफारिशों के बावजूद भी विशाखापटनम् में पांचवां इस्पात कारखाना स्थापित करने की मूल सिफारिश लागू करने में असफलता।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
130	4	श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	समस्त देश में कच्चे लोहे के मध्यम-वर्ग के कारखाने तथा ऐसा एक कारखाना विजियानगरम (आंध्र प्रदेश) में स्थापित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
130	5	श्री तेन्नेटि विश्वनाथम	भारत हैवी प्लेट्स एण्ड वैसल्ज लिमिटेड, विशाखापत्तनम् में नियुक्ति सम्बन्धी नीति ।	100 रुपये
83	7	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	इस्पात कारखानों में उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करने में असफलता ।	100 रुपये
83	8	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	इस्पात कारखानों का असंतोषजनक प्रबन्ध	100 रुपये
83	9	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	निर्मित इस्पात के निर्यात के सम्बन्ध में उचित ध्यान रखने में असफलता ।	100 रुपये
83	10	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	निर्मित इस्पात के वितरण की भेदभाव पूर्ण और दोष-पूर्ण प्रणाली ।	100 रुपये
83	11	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	इस्पात कारखानों में कर्मचारियों तथा इंजीनियरों की नियुक्ति में स्थानीय बेरोजगार व्यक्तियों को प्राथमिकता देने में असफलता ।	100 रुपये
83	12	श्री यशवन्त सिंह कुशवाह	इस्पात कारखानों में कर्मचारियों के लिये आवास स्थानों की कमी ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
83	13	श्री रामावतार शास्त्री	गैर-सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योगपतियों को मनमानी कार्यवाही करने की अनुमति देना ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
83	14	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात के मूल्यों में वृद्धि को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
83	15	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी क्षेत्र में इस्पात उद्योग में हानि को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
83	16	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता बढ़ाने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
83	17	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात और भारी इंजीनियरी उद्योग को तारपीडो करना।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
83	18	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी क्षेत्र के इस्पात और भारी इंजीनियरी उद्योग के बदनाम करने के लिये एकाधिकारवादी पूंजीपतियों के साथ गठबन्धन ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
83	19	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात उद्योग में हेरफेर और मनमानी कार्यवाही को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
83	20	श्री रामावतार शास्त्री	बोकारो इस्पात कारखाने को यथाशीघ्र चालू करने की आवश्यकता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
83	21	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात कारखाने की दुर्व्यवस्था को समाप्त करने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
83	22	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात कारखाने में श्रमिकों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने में असफलता ।	राशि घटाकर 1 रु० कर दी जाये
83	23	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात उद्योग के कर्मचारियों में असंतोष दूर न करना ।	100 रुपये
83	24	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरिंग उद्योग रांची के मुस्लिम कर्मचारियों की कठिनाइयां दूर न करना ।	100 रुपये
83	25	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरी निगम रांची के कर्मचारियों में असंतोष ।	100 रुपये
83	26	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरी निगम रांची के दंगा पीड़ित मुस्लिम कर्मचारियों का उचित पुनर्वास न करना ।	100 रुपये
83	27	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरी निगम रांची के दंगा पीड़ित मुस्लिम कर्मचारियों को मुआवजा न देना ।	100 रुपये
83	28	श्री रामावतार शास्त्री	भारी इंजीनियरी निगम रांची के सी० टी० आई० होस्टल की दयनीय स्थिति ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
83	29	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी क्षेत्र में इस्पात और भारी इंजीनियरी उद्योग के प्रबन्ध में कर्मचारियों का भाग लेने का अधिकार देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
83	30	श्री रामावतार शास्त्री	टाटा इस्पात कारखाना जमशेदपुर के लाभ की सीमा निश्चित करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
83	31	श्री रामावतार शास्त्री	सरकारी क्षेत्र में इस्पात तथा भारी इंजीनियरी उद्योग में ठेका प्रणाली समाप्त न करना ।	100 रुपये
83	32	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात तथा भारी इंजीनियरी उद्योग में अखिल भारतीय श्रमिक संघ कांग्रेस से सम्बद्ध श्रमिक संघों को मान्यता न देना ।	100 रुपये
83	33	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात तथा भारी इंजीनियरी उद्योग में दलाल संघ खड़े करने में सहायता देना ।	100 रुपये
83	34	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात तथा भारी इंजीनियरी उद्योग के मामले में देश को आत्म-निर्भर न बनाना ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
83	35	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात कारखाने बनाने के लिये अर्जित भूमि का उचित मुआवजा न देना ।	100 रुपये
83	36	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात कारखाने बनाने के लिये अर्जित भूमि के लिये किसानों को मुआवजे का समय पर भुगतान न करना ।	100 रुपये
83	37	श्री रामावतार शास्त्री	बोकारो इस्पात कारखाने के लिये भूमि के अर्जन के फलस्वरूप उजड़े किसानों को पुनर्वास करने की आवश्यकता ।	100 रुपये
83	38	श्री रामावतार शास्त्री	किसानों के पीड़ित परिवारों को, उनकी भूमि अर्जित कर लिये जाने के कारण बोकारो इस्पात कारखाने में रोजगार देने में प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये
83	39	श्री रामावतार शास्त्री	बिहार राज्य में इस्पात कारखानों में उच्च पदों पर नियुक्तियों के मामले में बिहार के लोगों को प्राथमिकता देने की आवश्यकता ।	100 रुपये

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
1	2	3	4	5
83	40	श्री रामावतार शास्त्री	इस्पात कारखाने को अपने पांव पर खड़ा करने के लिये समाजवादी देशों से सहायता लेने की आवश्यकता ।	100 रुपये

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : The Steel and Heavy Engineering have to play a vital role in the industrialisation of the country.

Prior to independence even a small needle, a pencil sharpner or a knife used to be imported. Hindustan Steel was established in 1954 and in fifteen years time we manufacture heavy machines upto 100 tonnes and we have factories which produce complete plants for the manufacture of steel and also machinery for various other industries. This was all due to the planning of our great leader Shri Jawahar Lal Nehru. People used to ridicule his ideas. The war with Pakistan of 1965 was enough to prove the usefulness of our industrialisation especially steel industry.

Some members judge these public sector enterprises only with one criterion of profit they yield. But this sector has to play a vital role in the task of nation building by making our country self-reliant. Previous year Hindustan Steel incurred a loss of 40 crores of rupees and this year the loss was 20 crores of rupees. There are about a lakh of workers employed in these steel plants and they all earnestly wish that public sector should flourish. While some people say that it should not continue. I have documentary evidence that disturbances created in Durgapur were the result of blackmailing by Tatas.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं । माननीय सदस्य ने अभी कहा कि उनके पास प्रमाण हैं कि गड़बड़ी टाटा की ओर से करवाई गई थी । यह गम्भीर आरोप हैं इसलिए सदस्य को प्रमाण सभा-पटल पर रखने की अनुमति मिलनी चाहिए जिससे कि उन आरोपों का प्रत्युत्तर देने का अवसर मिल सके ।

Shri Prem Chand Verma : I have valid proof that labour was misguided with a view to end public sector.

श्री अंबाजागन (तिरुचेंगोड) : जब कि एक सदस्य ने इस सदन में आरोप लगाया है उसे सभा-पटल पर प्रमाण प्रस्तुत करने को कहा जाये ।

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया सदस्य महोदय को तथ्य सभा-पटल पर रखने को कहें । मेरे पास प्रमाण हैं कि कांग्रेस दल फरीदाबाद के पंजाब नेशनल बैंक के स्थान पर बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रश्न पर विचार हो रहा है ।

सभापति महोदय : इसमें व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है। श्री बर्मा अपना भाषण जारी रखें।

Shri Rabi Ray (Puri) : Is the Hon. Member prepared to produce the documents ?

Shri Prem Chand Verma : If we are anxious that public sector should succeed, then all parties must co-operate. For that it is essential that there is peace in the factories and the workers do their jobs honestly. That will lead towards more production and consequently cost of production would be reduced.

We every day face demands for increase in wages and dearness allowance. I find that the cost price of Tatas, who were established long ago in the industry, is more in some cases. The loss of 20 crores of rupees incurred by Hindustan Steel is not much. However I feel that there should not be any loss.

The three steel plants, **viz.**, Rourkela, Bhilai, Durgapur, even if they work to their full rated capacity, cannot meet the steel demand of the country and for that we have to expand them.

It is commendable that the exports of these plants have increased by 100%. It is also said that this year these will not run under losses but incur profits.

The Heavy Engineering of Ranchi after a long time of its establishment is still incurring losses. Efforts should be made to remove its drawbacks. There had been frequent changes, about 7-8 administrators were changed. I wish that these frequent changes of top positions should not take place. If they cannot succeed, they should be made to explain the failures. These officers should not strive hard for the post of the Secretary in the Ministry.

In Bokaro we find the image of new India. It will definitely lead the country towards prosperity. Suitable incentive should be given to those who are able to show progress. The Managing Directors should also be assured that if they are able to convert losses into profits they will be suitably rewarded and given due honour.

There has been a mistake in the report of the Ministry of Steel and Heavy Engineering. It is deplorable. The concerned secretary should be held responsible for it. Para 7 at page 7 contains :

1878-79 will be as follows. Such mistakes should be avoided.

In order to bring socialism in India it is very necessary that Steel & Heavy Engineering Plants of the public sectors may succeed. I support the demands for grants of this Ministry.

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त (नैनीताल) : शुद्धि पत्र के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूल सुधार की गई है।

Shri Yogendra Sharma (Begusarai) : The Steel and Heavy Engineering have a vital role to play in the building of modern India. A sabotage in any of these industries is a matter of national concern. It was mentioned a little while ago that sabotage took place in Durgapur was initiated at the instance of Tatas. The Hon. member should have the courage to admit that it was done by Shri Atulya Ghosh a leader of his party.

I am the President of Trade Union of Bokaro. On the 1st, a large meeting of ten thousand workers took place. But our union has no recognition. There are about 30 thousnd workers and a look on their residental units is adequate to exhibit as if all the slaves of the land have assembled there. The construction work is undertaken by a company named Hindustan Steel Construction Ltd. That is an organisation of 34 big contractors having various petty contractors under them. So a large part of the money being invested there goes to the contractors. They will take away 50% of the investment being made. The high officials of Bakaro are merely concerned with awarding work to their kith and kins who are functioning in the capacity of contractors. This is one of the main causes of the failaure of Public sectors industries.

About 34,000 workers are employed in construction and factory jobs. But it is a pity no trade union is recognized there.

If the full rated capacity of the Heavy Engineering is put into operation there is no reason why it should incur losses. A tendency in Government Departments has developed that they prefer to import the machinery that is being manufactured here, as it goes against the vested interest of the big officials to acquire it from the Heavy Engineering.

The Minister of State in the Ministry of Steel and Heavy Engineering (Shri K. C. Pant): In Bokaro it is imported from Russia.

Shri Yogendra Sharma: The Railway Board purchased cranes from foreign countries, whereas it ought to purchase from Heavy Engineering. Had all the purchases been from this concern it would have yielded profits.

Certain vested interests like Tata's & U. S. A. do not want that Bokaro should succeed. The Agents of these vested interest are managing the affairs of Bokaro. On the one hand the Government has established Public sector and on the other hand the persons who have interests in Private sector are put at the helm of the affairs in Public sector enterprises.

Shri Lakhan Lal Gupta (Raipur): I welcome the re-organisation of this Ministry. The Minister Shri Poonacha and Shri Pant are young and I feel that the new Ministry will prosper under their guidance. In the present era development of steel has a very vital role to play.

In the 3rd Five Year Plan a target of 10.2 million tonnes of steel production was kept, whereas the actual production was only 4.5 million tonnes. The production has been low in all the three steel plants. These public sector undertakings are run by the Hindustan Steel Ltd. that concern has till 31-3-68 suffered a loss of 122.4 crores of rupees whereas the total investment on the projects was to the tune of 1072 crores of rupees. The people have been made to make up these losses by way of additional taxation.

The role of Hindustan Steel Ltd. in the industrial development has been commemdable. Prior to its establishment we had been importing 100 million tonnes of steel and now we are exporting steel worth 53.48 crores of rupees. We export steel even to the developed countries like Russia and Japan.

The high rate of investment on steel factories which is double than the investment made by Tata's is responsible for the losses. So far steel worth 1700 crores of rupees has been produced. It has enabled us to avoid import worth 1100 crores of rupees. Hindustan Steel has earned foreign exchange worth 85 crores of rupees.

These steel plants employ about a lakh personnel and have imparted training to 17000 workers and engineers.

It has been stated that Durgapur Steel Plant incurred losses worth 13, 18 and 21 crores of rupees during the last three financial years. A one man committee known as Pande Committee was appointed in 1966. It submitted its report in April, 67 and the Government gave its decision in July 1967. Its recommendations relating to the removal of deficiencies in management, equipment and the capacity of workers were agreed to by the Government. The Hindustan Steel Ltd. initiated action in that direction. In spite of that the West Bengal Government has not helped in over coming the indisciplinary elements.

The Rourkela Steel Plant is running very well. Various categories of steel sheets are being manufactured there, which are in great demand.

The steel plant at Bhilai is manufacturing Wire rods as well. These are made in the form of coils and as such small dealers cannot benefit from them. In order to popularise the products that system should be changed. A rehearsal of the full rated capacity of the factory for one week was held and 2.5 million tonnes of steel was manufactured. A big factory has been established in Chhatisgarh at a cost of over 200 crores of rupees but it could not provide employment to the local people. It would have been far better if half the amount have been spent on irrigation facilities in the interest of the farmers of the area. The Government should endeavour to employ the local people in the future.

The estimated consumption of steel assessed by the National Council of Applied Economics Research is 7.125 million tonnes for 1973-74 and 10.97 million tonnes in 1978-79 whereas our rated capacity in those years would be 7.05 million tonnes. There is thus a chance for the establishment of another steel plant in the Fourth Plan period. In the aboriginal district of Bastar, 40 lakh metric tonnes of iron stone is being exported to Japan. It will be a matter of great advantage if a steel plant is established there.

Shri Bhagban Das (Ausgram) : We have not been able to meet our demands of steel in spite of the fact that we have undergone Three Five Year Plans. We are much short of steel plants. The public sector undertakings have been running in losses whereas private sector steel plants are yielding profits. It has been said that the workers have been creating chaos in Durgapur and for that reason the production could not rise. But that is not correct. In fact the workers do their jobs peacefully but their democratic rights are being denied. The cooperation of workers is necessary to increase the production.

Even after 21 years of independence we have not been able to bring our steel production upto the required mark. The labour trouble cannot be held responsible for that. It has been said that chaos was created by private sector. In this connection I want to draw the attention of the Hon. Minister towards the statement given by the chairman in respect of Durgapur incident of September 3rd.

If the steel and Heavy Engineering have not yielded any profit, it is not correct to blame the workers. Ballast furnace no 2 had to be closed down as it was made in the diamension of 28 inches whereas actually it should have been 27 inches. At the time of establishing Heavy Engineering Factory it was decided that coal mining mechinery would be manufactured there in view of the persistent demand. But when that machinery was manufactured it was found that there were no buyers for that and as a result of defective planning machines worth crores of rupees are lying unsold. With these words I oppose the demands for grants of this Ministry.

इस्पात तथा भारी इंजीनियरिंग मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त) : माननीय सदस्यों ने अनेक उपयोगी सुझाव दिये हैं, जिन पर ध्यान दिया जाएगा। हम, हमारे समक्ष आई चुनौती का सामना करने के लिये सभी के सहयोग की आकांक्षा करते हैं। हमारे इस्पात तथा दूसरे कारखानों में कठिनाइयां तो हैं परन्तु उन पर काबू पाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं।

माननीय श्री सोमानी का सुझाव, कि वित्तीय परामर्शदाताओं को वित्त-मंत्रालय की ओर ही नहीं देखना चाहिए अपितु इकाई के अध्यक्ष के प्रशासनिक आदेश तथा नियंत्रण में रहना चाहिए, को स्वीकार कर लिया गया है। प्रशासन सुधार आयोग ने सिफारिश की थी कि सरकारी क्षेत्र के निगमों के वित्तीय सलाहकारों की नियुक्ति, यदि वह निदेशक नहीं है, तो निगम द्वारा ही की जाए। इस पर इसी रूप में कार्य हो रहा है। सरकार ने यह भी निश्चय किया है कि किसी निगम के मुख्य कार्यकारी, भले ही वह अध्यक्ष हो अथवा प्रबन्ध निदेशक, को वित्तीय सलाहकार के परामर्शों के विरुद्ध निश्चय लेने का अधिकार है परन्तु ऐसे मामलों को उसे निदेशक मण्डल के समक्ष लाना होगा। वित्तीय परामर्शदाता अपने त्रैमासिक प्रतिवेदन सरकार के प्रमुख कार्यकारी को प्रस्तुत करता है और मुख्य कार्यकारी उस पर अपनी टिप्पणी देते हैं। मंत्रालय और वित्त मंत्रालय इस पर ध्यान देते हैं।

बोकारो के बारे में उनका मत स्पष्ट नहीं। सम्भवतः उनका अभिप्राय यह है कि वहां की निर्मित वस्तुओं को खरीददार नहीं मिलेंगे। उन्हें ज्ञात है कि चादरों की पर्याप्त मांग है। बोकारो के उत्पादन करने के पश्चात 90 करोड़ रुपया तक के माल के आयात किए जाने की आवश्यकता रहेगी।

यह ठीक है कि 17 लाख टन के स्तर के उत्पादन पर निर्माण-व्यय अधिक पड़ता है। क्षमता के विस्तार के बारे में दो विचार व्यक्त किए गए हैं। एक यह कि क्षमता का शनैःशनैः विकास किया जाए और दूसरा यह कि एक साथ किया जाए। उस पर पर्याप्त विचार के पश्चात स्थापित क्षमताओं का निर्णय किया गया है।

श्री जी० भा० कृपलानी (गुना) : अति निर्णायक।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : इस्पात कारखाने दस वर्ष तक कार्य करने के पश्चात नए युग में

प्रवेश कर रहे हैं और नई समस्यायें उत्पन्न हो रही हैं। अनुरक्षण की समस्या भी गम्भीर होती जा रही है। संचालन क्षमता में सुधार आ रहा है। अनुरक्षण उच्च स्तर का हो इस पर विशेष ध्यान दिया जाता है। कर्मचारी एवं अभियंता दिन रात उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न में लगे हुए हैं।

श्री गुप्त ने अभी बताया कि इस्पात कारखानों ने 1700 करोड़ रुपये के इस्पात का निर्माण किया है और 1100 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा बचाई है। हिन्दुस्तान स्टील द्वारा किया जाने वाला निर्यात 1963-64 में 0-81 करोड़ रुपये का था वह 1968-69 में अनन्तिम रूप से 42 करोड़ रुपये हो गया है।

यह इस्पात कारखाने भारतीय जनता के औद्योगीकरण की दिशा में दृढ़ संकल्प को व्यक्त करते हैं। तथ्य यह है कि इन परियोजनाओं पर हमने प्रयास किया और आज वे हमें लाभ दे रही हैं। इनसे हमारी विदेशी मुद्रा बची है और औद्योगिकरण में प्रगति आई है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

इन इस्पात कारखानों का अन्य पहलू भी है। उद्योगों और तकनीकी कार्यों का केन्द्र बिन्दु इन्हें ही माना जाता है। हैवी इन्जीनियरिंग कार्पोरेशन द्वारा निर्मित मशीनों की संख्या में निरन्तर वृद्धि से हमारी विदेशी मशीनों पर निर्भरता कम होती जा रही है। उनकी परामर्शदातृ सेवायें निधि क्षेत्रों में भी उपलब्ध होने लगी हैं। ज्ञान और क्षमता के स्रोत बढ़ते जा रहे हैं। वह स्वर्णिम दिन निकट आ रहा है जबकि हम अपने भावी इस्पात कारखानों के रूपांकन का निर्माण स्वदेश में ही कर सकेंगे।

श्री एस० कन्डप्पन : हमें जो हानि हुई है उस पर हमने संतोष कर लिया है ?

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैं उन्हें हानि की स्थिति से कुछ ऊपर ले जा रहा था परन्तु वह तुरन्त ही नीचे आ पहुंचे हैं।

पिछले दो वर्ष में 40 करोड़ की हानि हुई और संचित हानि 160 करोड़ रुपये की थी। हम 7000 करोड़ की लागत से बने इन कारखानों की हानि से चिन्तित हैं और उहें दूर करने के लिए सचेष्ट हैं।

हिन्दुस्तान स्टील के निष्पादन पर एक पुस्तिका सदन में सभा-पटल पर रखी गई थी। लागत के सीमित स्रोत, सामाजिक सेवाओं पर व्यय तथा स्थापित क्षमताओं के कारण लागत मूल्य में बढ़ोत्तरी हुई। दो वर्ष की मन्दी का भी उस पर प्रभाव पड़ा।

हिन्दुस्तान स्टील के उत्पादनों का मूल्य 1962 में टाटा के मूल्यों के आधार पर नियत किया गया जोकि 1,176 रुपया प्रति टन पड़ता है, जबकि वर्तमान मूल्य 2,500 रुपया बैठता है।

यदि हम मूल्य वृद्धि कर दें तो हानि के स्थान पर लाभ अर्जित कर सकते हैं । इस्पात धातु पिण्डों के मूल्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि सरकारी क्षेत्र के संस्थानों के मूल्य निधि क्षेत्र के मूल्यों की तुलना में कम हैं । विस्तार की गई क्षमतानुसार पूरा उत्पादन होना चाहिये । मंदी का दौर समाप्त हो गया है और हम आशा कर सकते हैं कि आने वाले समय में हम अपने सभी उत्पादनों की बिक्री कर पायेंगे । जिन वस्तुओं की देश में खपत नहीं हो सकती उनके निर्यात के लिए बाजार खोजेंगे । किन्हीं कारणों से हम क्षमता भर उत्पादन का 90% तक उपलब्ध करने में कठिनाई अनुभव कर रहे हैं । 1967-68 में हम निर्धारित क्षमता का 68% ही उत्पादन कर पाये थे, परन्तु उसका मुख्य कारण मन्दी ही था । बिक्री योग्य इस्पात का हमारा लक्ष्य 1968-69 के लिये 26.2 है जब कि 1967-68 में यह 24.2 लाख टन था ।

हमारा विचार एक सूचना केन्द्र स्थापित करने का है जो कि हिन्दुस्तान स्टील के लिए उपयोगी होगा और बाद में मंत्रालय को भी इससे लाभ प्राप्त हो सकेगा । इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण बातों को ही प्रकाश में लाना है जो कि प्रबन्ध कार्य की क्षमता को बढ़ायेगा । यह भी प्रस्ताव है कि इन आकड़ों को नियंत्रण कक्ष में सरकार तथा संसद् सदस्यों के सूचनार्थ एकत्रित किया जाये । हम संसद् सदस्यों को आमंत्रित करेंगे और उनके सुझावों पर विचार करेंगे । आरम्भ में यह हिन्दुस्तान स्टील पर लागू की जाएगी और उपयोगी सिद्ध होने पर इसे अन्य परियोजनाओं में लागू किया जायेगा ।

दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र लागत नियंत्रण से सम्बन्धित है, मैं सभा के सूचनार्थ उन दो बातों को बताना चाहता हूं जो कि पहली अप्रैल 1969 को लिया गया था । निर्माण प्रक्रिया के प्रत्येक चरण में सामग्री तथा ऊर्जा के प्रयोग के प्रतिमान स्थापित करने के लिए विस्तृत अध्ययन किया गया । इन अध्ययनों से जो प्रतिमान निकले हैं उन्हें 1 अप्रैल, 1969 से लागू किया गया है, इससे प्रबन्धक कारखाने की कार्य-क्षमता पर नियंत्रण रखकर लागत को कम से कम करेंगे ।

हिन्दुस्तान स्टील में पहली अप्रैल, 1969 से मानक लागत सम्बन्धी व्यवस्था लागू की गई है जो न केवल प्रत्येक प्रक्रिया में लाभ व हानि का मूल्यांकन करेगा अपितु काफी सीमा तक दोष निवारक उपायों को भी बताएगा ।

उत्पादन लागत सम्बन्धी जानकारी एकत्रित करने का मैंने प्रयत्न किया है । समय की दृष्टि से उत्पादन लागत 1967-68 में 8·24 थी, अब घटकर 1968-69 में 6·84 महीने रह गई है । उत्पादन की दृष्टि से यह संतोषजनक परिणाम है और हम यथासंभव कार्यपूंजी को घटाने की दृष्टि से और अधिक वित्तीय नियंत्रण लागू करने का प्रयत्न करेंगे ।

मेरे माननीय मित्र श्री सोमानी ने इस्पात उत्पादन के क्षेत्र में विश्व में जो तकनीकी सुधार हो रहे हैं, उसके बारे में कहा है । निस्सन्देह इस क्षेत्र में विभिन्न सुधार हो रहे हैं । हम इन सुधारों से अवगत हैं और जहां कहीं भी सम्भव हो सकता है वहां इसे कार्यान्वित भी कर

रहे हैं। वास्तव में अधिक उत्पादन और कम लागत के लिए तकनीकी सुधार सबसे आसान और उत्तम तरीका है। यह सच है कि खपत और उत्पादन के तरीकों में हम अन्य देशों की तुलना में बहुत पीछे हैं। तकनीकी सुधारों को लागू करने के लिए एक परियोजना प्रतिवेदन को तैयार किया गया है। हम इस्पात पिघलाने के कारखाने में कार्य प्रक्रिया के कई पक्षों की ओर ध्यान दे रहे हैं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy Speaker in the Chair]

मैं इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाऊंगा कि इस्पात कारखानों के कार्य संचालन में कोयले की किस्म का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अतएव हमने मंत्रालय के अन्तर्गत हाल ही में दो समितियों की स्थापना की है। पहली समिति का कार्य यह देखना है कि किस प्रकार कोयला खान को इस्पात कारखानों की आवश्यकताओं से सम्बन्धित किया जा सकता है, दूसरी समिति का कार्य यह देखना है कि क्या धुले हुए कोयले की कीमतों को तय करना सम्भव है ताकि सभी इस्पात कारखानों को समान कोयला समान कीमत में उपलब्ध हो सके। ये समितियां सचिव के अन्तर्गत अपना कार्य करेंगी। इन समितियों को अपना प्रतिवेदन दो-तीन महीनों में दे देने को कहा गया है।

जहां तक अतिरिक्त श्रमशक्ति का सम्बन्ध है, हम अध्ययन के समाप्त हो जाने के बाद ही इसका निर्धारण कर सकते हैं। मैं इस सुझाव को स्वीकार करता हूं कि इन अतिरिक्त श्रमिकों को अन्य कारखानों में विशेषकर बेकारो कारखाने में लगाया जाये।

मैं दुर्गापुर की स्थिति के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। आज सबेरे सुरक्षा अधिकारी ने वहां का कार्य-भार संभाल लिया। इस कार्य में हमें पश्चिमी बंगाल के सरकार का सहयोग मिला है, धमन भट्ठी नं० 2 ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है और तकनीकी विशेषज्ञ उसकी प्रगति को देख रहे हैं। रूसी विशेषज्ञ भी भिलाई लौट आये हैं और धमन भट्ठी अपना कार्य समुचित रीति से कर रही है।

यह भी कहा गया है कि हमारे कुछ एककों में उच्च प्रबन्धक नहीं हैं और इनके स्थानों में नियुक्तियां नहीं हुई हैं। मैं यह बता देना चाहता हूं कि ऐसा नहीं है और इनके स्थानों की नियुक्तियां को गई हैं। बोकारो स्टील लिमिटेड के प्रबन्ध निदेशक श्री के० एम० जार्ज के त्याग-पत्र देने से वहां का कार्य प्रबन्धकों की समिति चला रही है।

जहां तक एस० ई० सी० और एम० ए० एम० सी० का सम्बन्ध है, यह सच है कि वहां निष्क्रिय क्षमता अथवा अतिरिक्त क्षमता की समस्या है। मैं सभा को यह बताना चाहता हूं कि इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये गये हैं। मंत्रालय में एक सेल खोलने का निर्णय है जो कि विभिन्न मंत्रालयों और गैर-सरकारी उपक्रमों से सम्बन्धित कार्य को देखेगा और इनके लिये आर्डर उपलब्ध कराने में भी मदद देगा।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के 48 वें प्रतिवेदन के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE. FORTY-EIGHTH REPORT OF THE COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS BILLS AND RESOLUTIONS

Shri Ram Avatar Shastri: I move "that this House do agree with the forty- eight report of the Committee on Private Members' bills and resolutions presented to the House on the 23rd April 1969."

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

The motion was adopted

राज्यपालों की शक्तियों तथा कृत्यों के बारे में संकल्प

RESOLUTION REGARDING POWERS AND FUNCTIONS OF GOVERNORS

उपाध्यक्ष महोदय : यह सभा श्रीमती सुशीला रोहतगी के 28 मार्च, 1968 को पेश किये गये, राज्यपालों की शक्तियों और उनके कृत्यों के बारे में विवाद की दृष्टि से भारत के संविधान में आवश्यक संशोधन करने के प्रस्ताव पर विचार करेगी। हमने इस पर न केवल दो घंटे ही लगाये हैं अपितु पांच मिनट आगे भी बढ़ गये हैं।

श्री पार्थसारथी (राजनपेट) : चूंकि यह महत्वपूर्ण संकल्प है अतएव इस पर अधिक समय दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल आधे घंटे का समय और बढ़ा सकता हूं और वह मैंने कर दिया है।

श्री हनुमन्तय्या (बंगलौर) : जहां तक आपकी व्यवस्था का प्रश्न है उसको कोई चुनौती नहीं दे सकता है। मैं नहीं जानता कि कोई इसका उल्लंघन करना चाहता है। मैं सभा से केवल प्रार्थना ही कर रहा हूं कि हमें महत्वपूर्ण व अमहत्वपूर्ण विषयों में भेद करना है। यह सब जानते हैं कि केन्द्र व राज्यों के सम्बन्धों का विषय बहुत महत्वपूर्ण है और सबकी इसमें रुचि है, अतएव मेरा सुझाव है कि अगर सभा समय बढ़ाना चाहती है तो ऐसा किया जाये।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : हमने गृह-मंत्रालय के अनुदान मांग, अविश्वास प्रस्ताव तथा अन्य वाद-विवादों में केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के बारे में चर्चा की है, सभा में इस प्रश्न पर अब वाद-विवाद नहीं होना चाहिए। यह उचित रहेगा कि गृह-कार्य मंत्री इन विवादों का उत्तर दें।

उपाध्यक्ष महोदय : आमतौर पर समिति में गैर-सरकारी सदस्यों के प्रस्ताव को अधिकतम दो घंटे नियत किया जाता है, अगर कोई विशेष मामला है तो सम्बन्धित सदस्य सरकार के पास अतिरिक्त समय के लिए जा सकता है। मेरी शक्तियां सीमित हैं। मैं केवल इसे आधा घंटा ही बढ़ा सकता हूं। मेरी व्यवस्था अन्तिम है।

श्री रा० धो० भण्डारे : (बम्बई-मध्य) : मैं आपकी व्यवस्था को चुनौती नहीं दे रहा हूं, मैं आपकी व्यवस्था का आदर करता हूं । मैं जानता हूं कि आपको अपनी सीमाएं हैं । मैं आशा करता हूं कि आप मुझे इस बात की अनुमति देंगे कि मैं सरकार से समय बढ़ाने के लिए प्रार्थना कर सकूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : दुर्भाग्यवश इस प्रकार की कोई प्रक्रिया नहीं हैं । इस समय सरकार कुछ नहीं कर सकती है । अगर सभा सर्वसम्मति से इस निर्णय पर पहुंचती है कि यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है और समय को बढ़ाया जाना चाहिए तो मैं इस प्रार्थना पर विचार कर सकता हूं । हमें इस प्रकार गैर-सरकारी सदस्यों का समय खराब नहीं करना चाहिए । यहां और भी कई प्रस्ताव हैं, मुझे प्रस्ताव के विषय से कोई सम्बन्ध नहीं है । हमें यहां के कार्य-प्रक्रिया के आधार पर चलना चाहिए । अब मंत्री महोदय को इसका उत्तर देना है ।

गृह-कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री के० एस० रामास्वामी) : 1967 के आम चुनावों के बाद केन्द्र-राज्य सम्बन्ध का विषय काफी महत्वपूर्ण हो गया है । अन्य संघों की भांति यहां भी कभी-कभी केन्द्र-राज्य सम्बन्धी विवाद उठ खड़े होते हैं । संविधान के निर्माता इस देश के लिए एकात्मक सरकार स्थापित नहीं करना चाहते थे । अतएव संविधान सभा इस परिणाम पर पहुंची कि "संविधान की समुचित व्यवस्था के लिए ऐसा संघ होना चाहिए जिसमें केन्द्र शक्तिशाली हो ।

स्वतन्त्रता के पश्चात् केन्द्र तथा अन्य कई राज्यों में एक ही दल का शासन रहा । यहां भी कई बार केन्द्र-राज्य अनेक विषयों में सहमत नहीं हुए तथा कई समस्याएं थीं । विभिन्न पक्षों ने अपनी-अपनी आवाजें उठायीं और राज्यों ने भी अपनी-अपनी समस्याएं रखीं जिनको केन्द्र सुलझा नहीं सका, वे हमेशा अधिक धन तथा अन्य बातों की मांगे करते रहे । चूंकि कई राज्यों में विभिन्न विचारधारा तथा कार्यक्रमों वाले दल हैं तो केन्द्र व राज्य के मध्य थोड़ा तनावपूर्ण सम्बन्ध होना आश्चर्य की बात नहीं है । परन्तु संविधान में पर्याप्त व्यवस्थाएं हैं जिनके द्वारा हम इस समस्या को सुलझा सकते हैं ।

केन्द्र के विरुद्ध एक बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि राज्यों के पास अधिक वित्तीय अधिकार होने चाहिए । जहां तक योजना पर होने वाले व्यय का सम्बन्ध है इसके लिए राष्ट्रीय विकास निगम है । वे यहां अपने पूरे विचार व्यक्त कर सकते हैं । वित्तीय आयोग एक निष्पक्ष संस्था है जोकि इस प्रश्न पर विचार करती रहती है और अभी तक वित्तीय आयोग के निर्णय के विरुद्ध कोई बात नहीं कही गई है । इस विषय में उन्हें शंका नहीं होनी चाहिए, अन्तरराज्यीय जल विवाद को सुलझाने के लिए भी एक संविधान निकाय है । विभिन्न राज्यों के मतभेदों को दूर करने के लिए क्षेत्रीय परिषद् बनाई गई है । अगर विभिन्न दल चाहते हैं कि केन्द्र व राज्य के मध्य सम्बन्ध बने रहें तो मेरे विचार में वे ऐसा कर सकते हैं और तब किसी भी संकट को दूर किया जा सकता है । हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुए अधिक समय नहीं हुआ है अतएव यह

स्वाभाविक है कि मतभेद उठ खड़े हों परन्तु कोई कारण नहीं है कि इनको दूर नहीं किया जा सकता है ।

गत आम चुनावों के पश्चात् केन्द्र व राज्यों के मध्य मतभेद होने के कारण राज्यपाल के अधिकारों का प्रश्न सामने आया है। कई राज्यपाल का पद समाप्त करना चाहते हैं और कई उसे बनाए रखना चाहते हैं। इस समय, जबकि विभिन्न राज्यों में विभिन्न दल शासन कर रहे हैं, राज्यपाल का पद महत्वपूर्ण बन गया है। प्रश्न राज्यपाल द्वारा निर्णय लेने के सम्बन्ध से है। यह सच है कि पहले ऐसे भी उदाहरण सामने आये हैं जबकि दलों और राज्यपाल के मध्य मत-भेद रहे हैं। परन्तु सरकार को विश्वास है कि राज्यपालों ने निर्णय लेते समय सब बातों को ध्यान में रखा है।

अगर फिर भी वास्तव में कोई मतभेद हैं तो दल तथा नेता आपस में मिलकर ऐसे नियम बना सकते हैं जो राज्यपाल के लिए मार्गदर्शक बन सकें।

संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत अन्तरराज्यीय परिषद् को गठित करने की मांग उठाई गई है। हमारा इस समय ऐसी परिषद् को स्थापित करने का विचार नहीं है, प्रधान मंत्री जी ने भी राज्य सभा में इस आशय की घोषणा की थी।

श्री हनुमन्तय्या : मैं मंत्री महोदय को एक सुझाव देना चाहता हूं। चूंकि केन्द्र-राज्य सम्बन्ध के बारे में प्रशासन सुधार आयोग को प्रतिवेदन देने के लिये कहा गया है अतएव इस निर्णय के बारे में सरकार को कुछ नहीं कहना चाहिए। प्रशासन सुधार आयोग का अगला प्रतिवेदन इस विषय पर होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे आशा है कि सरकार ने इस प्रतिवेदन में उल्लिखित अमूल्य सुझावों को ध्यान में रखा है। अतएव मंत्री महोदय उत्तर देते समय श्री हनुमन्तय्या के सुझाव को ध्यान में रखें।

श्री के० एस० रामास्वामी : मैंने केवल प्रधानमंत्री द्वारा राज्य सभा में दिये गये वक्तव्य का उदाहरण दिया है। मैं यह कहने वाला था कि प्रशासन सुधार आयोग इस विषय पर अपना प्रतिवेदन देगा और हम उस पर विचार करेंगे। यह प्रस्ताव समयानुकुल है और मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु परिस्थितियों को देखते हुए मेरा अनुरोध है कि इसको वापिस ले लिया जाये।

श्रीमती सुशीला रोहतगी (बिल्हौर) : सबसे पहले मैं उन विभिन्न राजनीतिक दलों को अपना आभार प्रकट करती हूं जिन्होंने इस वाद विवाद में भाग लिया है। कुछ समय के लिए उन्होंने अपनी राजनीतिक विचाराधारा तथा लगाव को भूलकर इस विषय पर स्वतन्त्र रूप से अपना मत प्रकट किया। इस वाद-विवाद के दौरान वातावरण काफी उत्तेजित रहा परन्तु संसदीय

परम्परा का निर्वाह किया गया। मेरे विचार में लोकतंत्रीय भावना को ध्यान में रखते हुए हम सहमत भी हो सकते हैं और नहीं भी।

यह एक ऐसा विषय है जिस पर विभिन्न मत हो सकते हैं, इस सभा में एक वर्ग ऐसा भी है जिसके विचार में राज्यपालों को दी गई शक्तियां पर्याप्त नहीं हैं और इनकी शक्तियों में वृद्धि करनी चाहिए ताकि वे राजनीतिक जटिलताओं से उत्पन्न स्थिति का सामना कर सकें। कुछ का विचार है कि राज्यपाल की प्रथा को समाप्त कर देना चाहिये। अंग्रेजों के चले जाने के बाद अब इनकी आवश्यकता नहीं रह गई है। इस प्रकार विभिन्न सदस्यों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं। इसको देखते हुए मुझे यह कहना चाहिए कि इन वक्तव्यों में सार है और सरकार को इस विषय पर ध्यान देना चाहिये। मुझे आरम्भ में इस प्रस्ताव को पेश करते समय संकोच हो रहा था, परन्तु माननीय सदस्यों ने इस पर जो दिलचस्पी दिखाई है उससे पता चलता है कि यह प्रस्ताव कितना सामयिक है। इस बात को विपक्षी सदस्यों ने भी स्वीकार किया है। मैं जानती हूं कि कुछ सीमाएं होती हैं और प्रक्रिया नियमों के अनुसार समय को नहीं बढ़ाया जा सकता है। इन सबके होते हुए भी अध्यक्ष महोदय ने इस प्रस्ताव की महत्ता को देखते हुए जो 30 मिनट का समय बढ़ाया है उसके लिए मैं अनुगृहीत हूं।

इस प्रस्ताव को पेश करते समय मेरा उद्देश्य सभा का ध्यान इस महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर दिलाना था। कई मामलों में राज्यपालों की शक्तियों की व्याख्या नहीं की गई है। उदाहरण के लिए राज्यपाल के 'स्वविवेक अधिकार' की व्यवस्था नहीं की गई है। इसलिये जब कभी भी राज्यपाल 'स्वविवेक अधिकार' का उपयोग करता है तो उसे इस सभा तथा उसके अपने राज्य के लोगों की आलोचना का शिकार बनना पड़ता है। केरल, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल अथवा मध्य प्रदेश जहां कहीं भी सभा का सभावसान राज्यपाल के स्वविवेक अधिकार से हुआ वहां उसे जनता के क्रोध का सामना करना पड़ा। यह स्वाभाविक है कि यह सभा तथा सम्बन्धित राज्य की जनता कुछ मामलों में उत्तेजित हो सकती है। यह प्रस्ताव ही इस स्थिति की गम्भीरता का सूचक है।

मैं इस मामले को और आगे नहीं ले जाना चाहती हूं। केन्द्र-राज्य का सम्बन्ध तथा राज्यपाल का अधिकार ऐसा विषय नहीं है जो दो घंटों में ही समाप्त किया जा सकता है। मेरा सुझाव है कि इस मामले को विभिन्न स्तरों जैसे राज्य स्तर, प्रशासन स्तर, राजनीतिक स्तर आदि पर लेकर इस पर चर्चा की जाए ताकि सब लोग स्वतंत्र रूप से अपने विचार प्रकट कर सकें। मैंने प्रधान मंत्रीजी से भी अनुरोध किया था कि राष्ट्रीय विकास परिषद् की बैठक में विभिन्न राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ इस विषय पर बातचीत की जाये।

इस विषय के महत्व को देखते हुए मेरा प्रधान मन्त्रीजी से अनुरोध है कि वे समय-समय पर मुख्य मन्त्रियों की बैठकें आयोजित किया करें ताकि केंद्र-राज्य सम्बन्धों पर नए राजनैतिक

शक्तियों, विचारधाराओं के उद्भव के सन्दर्भ में चर्चा की जाए। इस प्रकार का आयोजन समय-समय पर किया जाना चाहिए और गृह मंत्री तथा मुख्य मंत्रियों के मध्य बातचीत होनी चाहिए। मुझे पूर्ण विश्वास है कि उप मंत्री महोदय दलों के विभिन्न सदस्यों की समिति की बैठक का आयोजन करके ऐसा मार्गदर्शक सिद्धान्त निकालेंगे जो राज्यपालों के अधिकारों की व्याख्या करे।

मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर कुछ कहना चाहती हूं। गत दो वर्षों से दल-बदल की प्रवृत्ति बहुत बढ़ती जा रही है। यह रोग न केवल कांग्रेस दल में है अपितु सभी दलों का यही हाल है। अभी हाल ही में जो मध्यावधि चुनाव हुये हैं, उससे यह सभा तथा समूचा देश अवगत है, इस प्रकार निर्धारित समय से पूर्व के चुनाव राजनीतिक व नैतिक दृष्टि से उचित नहीं हैं। यह कोई ऐसी बुराई नहीं है जो कि एक ही दिन में समाप्त हो जायगी। यह हमारी नैतिकता की कमजोरी है और हमें इससे ऊपर उठना चाहिये। इसकी शुरुआत संसद् सदस्यों से ही होनी चाहिए। मेरे विचार में राज्यपालों की शक्तियों के बारे में जो विवाद उठ खड़ा हुआ है, वह दल बदल के कारण ही हुआ है। इस दल बदल के कारण ही सरकार डांवाडोल हुई है क्योंकि अल्प संख्यक तथा बहुसंख्यक दल वाली सरकार का प्रश्न इसी कारण से उठा। राजस्थान तथा हरियाना में यही बात हुई, इसी कारण मैं इस प्रस्ताव को वापिस नहीं लेना चाहती हूं क्योंकि सभी दलों के सदस्यों ने इसका समर्थन किया है, परन्तु सभा एक बात पर विभिन्न मत रखती है और वह यह है कि कुछ राज्यपाल के अधिकार में वृद्धि करना चाहते हैं जब कि कुछ राज्यपाल का पद ही समाप्त करना चाहते हैं। मेरे विचार में वामपंथी कम्युनिस्ट दल पर पाबन्दी लगानी चाहिए।

श्री नम्बियार (तिरुचिरापल्लि) : कम्युनिस्ट दल पर पाबन्दी लगाने की बात बार-बार उठायी जाती है। हमें यहां होने का कानूनी अधिकार है। हम इस देश के नागरिक हैं और कोई यह नहीं कह सकता है कि कम्युनिस्ट दल पर पाबन्दी लगायी जाये, हमें ऐसी बातें दुःख देती हैं।

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जब तक मैं यहां पर हूं तब तक आप मुझे यह कहते सुनोगे कि कम्युनिस्ट दल पर पाबन्दी लगा देनी चाहिए। यह एक बड़ी बात है कि श्री नम्बियार और उनके दल के सदस्यों ने 'भगवान' का नाम लिया है। इससे यह पता चलता है कि उनमें अन्तरात्मा का निवास है। मैं इसके लिए उन्हें बधाई देती हूं। मेरा मन्तव्य किसी की निन्दा करना न था, अगर उनमें अन्तरात्मा है तो वे पश्चिमी बंगाल में जले हुए मकानों पर दृष्टिपात करें जो नक्सलबाड़ी घटनाओं के कारण हुआ। कम्युनिस्ट दल में विद्वान और अच्छे भाषणकर्ता हैं। वे अपनी योग्यता को राष्ट्र की भलाई में नहीं लगाते। मेरा उनसे अनुरोध है कि वे अपनी शक्ति को देश की एकता को मजबूत बनाने में लगायें।

राज्यपाल के अधिकारों के बारे में विभिन्न राय दी गई हैं। कुछ इनके अधिकार को बढ़ाना चाहते हैं जबकि कुछ राज्यपाल के पद को ही समाप्त करना चाहते हैं। मेरा

मंत्री महोदय से निवेदन है कि वे प्रवर समिति को गठित करके इस विषय पर विचार विमर्श करें।

मेरा विश्वास है कि प्रशासन सुधार आयोग ने यह सुझाव दिया है कि अनुच्छेद 164 के अन्तर्गत एक कानून बनाकर राज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया जाये। अभी तक प्रशासन सुधार आयोग ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया है। मुझे आशा है कि सरकार किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पूर्व प्रशासन सुधार आयोग के प्रतिवेदन का अध्ययन करेगी।

जहां तक संशोधनों का सम्बन्ध है, मैं श्री शिकरे के मत को समझ नहीं सकती हूं। वे एक विद्वान तथा शान्त व्यक्ति हैं। वे 'संसद' के आगे 'सब राज्य तथा संघीय राज्य क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले' शब्दों को जोड़ना चाहते हैं। यह कैसे सम्भव हो सकता है? इस संशोधन के पीछे जो भावना है उसका मैं आदर करती हूं परन्तु यह तो प्रस्ताव के उद्देश्य को ही समाप्त कर देगा।

इन शब्दों के साथ मैं अनुरोध करूंगी कि कार्य सूची के अगले प्रस्ताव पर चर्चा की जाए :—

उपाध्यक्ष महोदय : क्या वे अपना प्रस्ताव वापिस लेने के लिये सभा से अनुमति चाहती हैं?

श्रीमती सुशीला रोहतगी : जी हां।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य को अपना प्रस्ताव वापिस लेने की अनुमति है।

श्री सु० कु० तापड़िया : जी नहीं, हम अनुमति नहीं देते हैं।

श्री शिकरें (पंजिम) : मैं अपनी संशोधन संख्या 1 वापिस लेता हूं।

संशोधन संख्या 1 अनुमति से वापिस ले लिया गया।

The amendment No. 1 was, by leave, withdrawn

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री समर गुह का संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखता हूं।

संशोधन संख्या 2 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

The amendment No. 2 was put and negatived

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है

"राज्यपालों की शक्तियों और उनके कृत्यों के बारे में हाल ही के विवाद की दृष्टि से, और निर्बाध केन्द्र-राज्य सम्बन्धों के प्रसंग में, इस सभा की राय है कि भारत के संविधान में आवश्यक संशोधनों के बारे में विचार करने के लिये 30 संसद सदस्यों की एक समिति गठित की जाय।"

लोक-सभा में मत विभाजन हुआ।

The Lok Sabha divided

पक्ष में	53;	विपक्ष में	102
Ayes	53;	Noes	102

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

The motion was negatived

बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों के विरुद्ध आरोपों की जांच के लिये आयोग की नियुक्ति के बारे में प्रस्ताव

RESOLUTION REGARDING APPOINTMENT OF COMMISSION TO GO INTO CHARGES AGAINST BIRLA GROUP OF CONCERNS

श्री विश्वनाथ मेनन (एरणाकुलम) : मैं प्रस्तुत करता हूं कि :

"बिड़ला ग्रुप की कम्पनियों के विरुद्ध बहुत जिम्मेदार व्यक्तियों द्वारा, जिनमें संसद् सदस्य भी शामिल हैं, लगाये गये आरोपों की गम्भीरता की दृष्टि से, इस सभा की राय है कि उन आरोपों की जांच करने और उचित कार्रवाई की सिफारिश करने के लिये एक उच्च शक्ति आयोग नियुक्त किया जाना चाहिए।"

मैं इस प्रस्ताव को इस आशा से पेश कर रहा हूं कि समूची सभा इसका समर्थन करेगी। स्वयं कांग्रेसी सदस्यों ने भी बहुत से अभियोग लगाये हैं। श्री चन्द्रशेखर तथा अन्य कांग्रेसियों ने भी खुले तौर पर अभियोग लगाये हैं।

गत 22 वर्षों में इस देश में कांग्रेसियों ने शासन किया। श्री बिड़ला ने थोड़े से समय में काफी सम्पत्ति जमा कर ली। तीन वर्षों के दौरान श्री बिड़ला की आय 200 करोड़ रुपये से बढ़कर 500 करोड़ रुपये हो गई। इससे पता चलता है कि देश की अर्थ व्यवस्था को उन्होंने कितना प्रभावित किया है। हम समाजवाद को लाना चाहते हैं पर वास्तव में क्या हो रहा है। एक साधारण व्यक्ति एक दिन एक रुपया भी नहीं कमा सकता है और इन बड़े एकाधिकारियों ने शासनारूढ कांग्रेस दल से मिलकर बहुत सम्पत्ति बना ली है।

मैं सभा का ध्यान श्री चन्द्रशेखर द्वारा आरोपित अभियोग की ओर दिलाऊं। राज्य सभा में इस पर विस्तृत चर्चा हुई है। कुछ अभियोग सिद्ध कर दिये गए हैं परन्तु भारत सरकार विशेषकर वित्त मंत्रालय तथा मंत्रिमंडल श्री बिड़ला के पक्ष में है। मैं प्रत्येक अभियोग का विस्तृत विवेचन तो नहीं कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास समय कम है।

मैं एक विशेष तथ्य की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वह यह कि हम सरकारी क्षेत्र के कारखानों की वकालत करते हैं परन्तु वास्तव में बिड़लाओं को सहायता व संरक्षण दिया जाता है और इस प्रकार सरकारी क्षेत्र को कुचला जा रहा है। श्री चन्द्रशेखर ने अपनी पुस्तिका में बिड़लाओं पर आरोप लगाये हैं। एक आरोप यह लगाया गया है कि हिन्दुस्तान कीटाणु नाशक औषधि बनाने वाला कारखाना सरकारी क्षेत्र में है। देश में डी० डी० टी० की वार्षिक आवश्यकता लगभग 7,000 टन है और इसमें अब तक 2,800 टन का उत्पादन हुआ है। इस सरकारी क्षेत्र के कारखाने ने 4,000 टन अतिरिक्त डी० डी० टी० उत्पादन करने का दावा किया है। परन्तु इसके बावजूद भी पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय ने एक बिड़ला कम्पनी "मेसर्स सैन्चुरी कैमिकल्स" को लाइसेंस दिया है। और इस प्रकार सरकारी क्षेत्र में

कीटाणु नाशक औषधि बनाने वाले कारखाने की उपेक्षा की है। इस बिड़ला कम्पनी का आवेदन-पत्र बहुत शीघ्र ही स्वीकार कर लिया गया था। यहां तक कि सरकारी क्षेत्र के कारखाने ने अपने विस्तार के लिए जो आवेदन-पत्र दिया था, उस पर कोई विचार नहीं किया गया।

यद्यपि केन्द्रीय सरकार यह दावा करती है कि वह सरकारी क्षेत्र की समर्थक है परन्तु उसने अपने कार्य से यह सिद्ध कर दिया है कि वास्तव में वे बिड़ला तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के कारखानों का समर्थन कर रही है।

मैं श्री चन्द्रशेखर की पुस्तक से एक और उदाहरण देना चाहता हूं जो कि 'न्यू एशियाटिक इनश्योरेन्स कम्पनी' के हिसाब-किताब से सम्बन्धित है। इस कम्पनी में कर्मचारी तथा अधिकारी वर्ग के मध्य एक नियमित षड़यन्त्र चल रहा था जिसके अनुसार प्रत्येक वर्ष झूठा लाभ दिखा कर अंशधारियों और जनता को सब्ज बाग दिखाया जा रहा था। इसका कार्य करने का ढंग इस प्रकार का था जिससे साधारण रूप से इसका पता लगाना कठिन था।

मैं कुछ अन्य उदाहरण देकर यह दिखा देना चाहता हूं कि ये बिड़ला सबसे अधिक चालाक है। एक स्थान पर यह लिखा गया है कि 15 जून 1967 को बिड़ला समूह की अनेकों कपड़ा मिलों पर छापे मारे गये। उसी समय दो मिलों में आग लगा दी गई जिसका उद्देश्य महत्वपूर्ण कागजातों को नष्ट करना था।

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : और तीसरी घटना आज सबेरे फरीदाबाद में घटी।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को यह शोभा नहीं देता कि कांग्रेस दल के साथ घटी दुर्घटना का यहां उल्लेख करें।

श्री स० मो० बनर्जी : मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही है जो कांग्रेस दल के लिए अपमान-जनक हो। मैं कांग्रेस दल का सम्मान करता हूं।

श्री विश्वनाथ मेनन (एर्णाकुलम) : मैंने बिड़ला बन्धुओं के बारे में तीन बातें उद्धृत की हैं। वे झूठे बही खाते रखने से लेकर गोदामों को जला देने तक का कोई भी अनुचित काम व्यापार के नाम पर करने के लिए तैयार रहते हैं। सरकार का उनके प्रति जो रवैया है उससे मैं चिन्तित हूं। कांग्रेस दल का पंडाल जला इससे हमें भी दुख हुआ, परन्तु यह सब कांग्रेस वाले ही करते हैं। वहां पर केवल उन सदस्यों को बोलने की अनुमति दी गई थी जो बिड़ला-समूह के पक्ष में बोलने वाले थे। बिड़ला समूह गरीब लोगों का खून चूस रहा है। छोटे उद्योगों को निगलता जा रहा है और सारे भारत में औद्योगिक क्षेत्र में अपना एकाधिकार जमाता जा रहा है। बिड़ला-समूह के प्रश्न पर दलगत नीति से ऊपर उठकर विचार किया जाना चाहिए।

बिड़ला-समूह के उद्योगों के बारे में जांच कराने से सरकार क्यों हिचकती है? सरकार ने डालमिया, श्री कैरों, श्री बीजू पटनायक, श्री बख्शी गुलाम मोहम्मद के बारे में जांच कराई

है । फिर वह बिड़ला बन्धुओं को पवित्र क्यों समझती है । हम तो इसका कारण यह समझते हैं कि वे कांग्रेस को धन देते हैं । हमारी जानकारी के अनुसार फरीदाबाद के कांग्रेस मेले के लिए भी उन्होंने 3 लाख रुपये कांग्रेस को दिये हैं ।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : यह आरोप झूठा और निराधार है । मैं इसका विरोध करता हूं ।

श्री विश्वनाथ मेनन : श्री फख्रुद्दीन अली अहमद के वक्तव्य के अनुसार कांग्रेस को बिड़ला बन्धुओं से 1963 और 1966 के बीच 38,25,651 रुपये, 1966-67 में 21,27,000 रुपये और 1967-68 में 13,64,000 रुपये प्राप्त हुए । दिल्ली में ऐसी अफवाह है कि उन्होंने कांग्रेस को फरीदाबाद मेले के लिए 3 लाख रुपये पहले ही दे दिये थे । अस्तु, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इसके लिये जांच समिति नियुक्त करेगी ? आज प्रश्न बिड़ला-समूह के बारे में है कल यही प्रश्न टाटा-समूह या किसी अन्य बड़ी फर्म के विरुद्ध उठाया जा सकता है ।

साक्ष्य आदि को समन्वित करने के लिए श्री राजगोपाल को नियुक्त किया गया है । श्री राजगोपाल वह व्यक्ति है जिसने एकाधिकार आयोग के प्रतिवेदन में एकाधिकारवादियों के कृत्यों का समर्थन किया था । इस प्रकार से आंख में धूल झोंकने से काम नहीं चलेगा । कार्ल मार्क्स ने ठीक ही कहा है कि पूंजीवादी समाज में सरकार धनवान वर्ग की कार्यकारी समिति होती है । हमारे देश में भी सरकार बिड़ला-समूह, टाटा-बन्धुओं तथा अन्य एकाधिकारवादियों की कार्यकारी समिति के रूप में काम कर रही है ।

अन्त में मेरा यह अनुरोध है कि श्री चन्द्रशेखर द्वारा बिड़ला बन्धुओं पर लगाये गये आरोपों के आधार पर जांच कराई जानी चाहिए और जो अपराधी पाये जायें उन्हें दंडित किया जाना चाहिए ।

उपाध्यक्ष महोदय : संकल्प प्रस्तुत हुआ । अब उस पर आगे चर्चा की जायेगी ।

श्री स० मो० बनर्जी : मैं निम्नलिखित संशोधन का प्रस्ताव करता हूं :—

"कि संकल्प के अन्त में—

"और आयोग को यह आदेश दिया जाये कि वह अपना प्रतिवेदन तीन महीने के अन्दर ही प्रस्तुत करे ।"

शब्द जोड़ दिये जायें"

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिए आज 1 घंटे और 15 मिनट शेष हैं । प्रत्येक सदस्य को केवल 10 मिनट मिलेंगे । श्री शान्तिलाल शाह ।

Shri Prem Chand Verma (Hamirpur) : It will be insufficient if a Member wants to give facts and figures in this respect.

श्री बाकर अली मिर्जा (सिकंदराबाद) : इस बारे में सरकार को पहले एक वक्तव्य देना चाहिए । तभी इस पर वाद-विवाद की सार्थकता सिद्ध होगी ।

श्री तेन्नेटि विश्वनाथम (विशाखापत्तनम) : इस बारे में बिना सरकार के विचार जाने इस विषय पर होने वाली चर्चा निर्जीव रहेगी, इसकी कोई उपयोगिता न होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : यह वाद-विवाद है और सरकार इस पर बाद में उत्तर देगी । साथ ही मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य राज्य सभा में हुई तत्सम्बन्धी चर्चा को ध्यान से रखते हुए इस सभा में उस पर चर्चा कर सकते हैं । श्री शान्तिलाल शाह ।

श्री शान्तिलाल शाह (बम्बई-उत्तर-पश्चिम) : मेरा यह निवेदन है कि यह संकल्प निरर्थक है । क्या हमारे देश के किसी कानून के अनुसार राजनीतिक दलों को चंदा देना अपराध है या राजनीतिक दलों द्वारा चंदा लिया जाना अपराध है ? यदि यह वैध है तो फिर इसे गलत क्यों बताया जाता है । कुछ राजनीतिक दलों को शायद कांग्रेस से इस बात के लिये ईर्ष्या हो गई है कि बिरलाओं ने कांग्रेस को कुछ लाख रुपये चंदे में दे दिये हैं । इस संकल्प का उद्देश्य यह है कि इसके समर्थक कांग्रेस दल और बिरलाओं को आतंकित करना चाहते हैं, जिससे बिरला बन्धु कांग्रेस को चन्दा न दें और कांग्रेस उनसे चन्दा न ले ।

इस सकल्प से कोई भी लाभ नहीं होगा । संकल्प में यह नहीं बताया गया है कि किस कानून के अन्तर्गत आयोग नियुक्त किया जाये या आयोग किन-किन बातों को लेकर जांच करें । यह माना जा सकता है कि जांच आयोग अधिनियम के अन्तर्गत आयोग की स्थापना की जानी चाहिये । परन्तु यदि आयोग के सामने जांच के लिये कोई निश्चित मामला नहीं होगा, तो आयोग ही व्यर्थ सिद्ध होगा । वस्तुतः जांच इस बात की होनी चाहिए कि क्या सरकार गलती पर है या नहीं । बिरला बन्धुओं के बारे में जांच का तो सवाल ही नहीं उठता ।

दो बातों का उल्लेख किया गया है । एक है झूठे हिसाब-खाते रखना और दूसरी है दस्तावेजों का जलाना । साक्ष्य को जलाना अपराध है परन्तु अपने कागजातों को जलाना तो अपराध नहीं है । यदि उपरोक्त दो बातों के बारे में जांच के लिये आयोग नियुक्त किया गया तो वह असफल रहेगा, क्योंकि साक्ष्य एकत्र करने के काम पर नहीं लगाया जा सकता । जब साक्ष्य ही एकत्र नहीं होगी तो मुकदमा किस आधार पर चलाया जा सकता है ।

क्या आप इस मामले में शीघ्र ही निर्णय चाहते हैं या इसको लम्बा खींचना चाहते हैं । यदि आप निर्णय शीघ्र चाहते हैं तो आयोग नियुक्त करने से उद्देश्य की प्राप्ति न होगी । बिना आयोग की नियुक्ति के ही सरकार को बिरलाओं पर मुकदमा चलाना चाहिए । यदि

सरकार ऐसा नहीं करती तो विपक्ष को उनके विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव सभा में लाना चाहिए। [अन्तर्बाधाएं] यदि बिरलाओं ने कोई गलत काम किया या उन्होंने अपराध किया है तो उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिये। पश्चिमी बंगाल में भी बिरला वालों की मिलें और कार्यालय हैं। वहां पर संयुक्त दल की सरकार उनपर मुकदमा क्यों नहीं चलाती। यदि बिरलाओं ने कोई अपराध किया है, यदि उन्होंने कम्पनी कानून को तोड़ा है, तो उनपर कम्पनी कानून या दंड प्रक्रिया संहिता के आधार पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। जांच आयोग नियुक्त करने से कोई लाभ नहीं होगा क्योंकि वह केवल रिपोर्ट देगा जिसके आधार पर उनपर फिर मुकदमा चलाया जाएगा। मेरे विचार से आयोग को नियुक्त करने का सुझाव देने का उद्देश्य सस्ती प्रसिद्धि प्राप्त करना है। आयोग न्यायिक जांच नहीं कर सकता, फिर उससे वांछित उद्देश्य कैसे सफल होगा। [अन्तर्बाधाएं]

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Mr. Deputy Speaker, at the outset I would like to extend my thanks to Shri Vishwanath Menon the mover of this resolution. He has afforded us an opportunity to discuss a very important issue. The Birlas are taking keen interest in the politics of Delhi. They arrogate to themselves the powers of a king maker. After passing away of Shri Jawaharlal Nehru, they supported Shri Lal Bahadur Shastri and thereafter they supported Shrimati Indira Gandhi for premiership and opposed Shri Morarji Desai. But simultaneously they extended the hand of friendship towards Shri Morarji Desai through his son, Shri Kanti Desai. Last year in August I raised this matter in the House and mentioned the names of 6-7 Companies. In April while speaking on the Finance bill he said that they are in no way related to his son's business. But when I mentioned the names of 6-7 companies Shri Morarji himself admitted that it was not in his khowledge. I laid more emphasis on Industrial and Chemical Company. I clearly stated that this company got the sole selling agency from M/s Kesho Ram Cotton Mill and one other mill belonging to Birla group. Shri Kanti Desai has been earning a lot from this business. While replying to Debate Shri Morarji Desai made no mention of the Industrial and Chemical Company either in Rajya Sabha or Lok Sabha. Moreover as Shri Morarji himself admitted he invested his money into his son's firm after withdrawing the amount from Small Saving Certificates. 75 % benefit of this Co. goes to Desai Family and 25% of it goes to company's other partner i.e. Munshi family. I submit that Shri Morarji is also a partner in it. I will not spare even the Prime Minister. She is also playing tricks in this matter. It is she who persuaded some Congress Members to ask for an enquiry in Birla Group's affairs. Being afraid of enquiry they had a meeting with Shrimati Gandhi at Calcutta and declared Shrimati Gandhi as there family friend.

Though giving donations to the political parties or taking donations from the Companies is not a legal offence as Shri Shantibhai said, yet it is a well known fact and all people of the country including the judge of Bombay High Court admit it that the donations given by cmpanies to political parties are striking at the very root of democracy. It is not a legal offence but it is an ethical offence. It is a blot on democracy. In 1967 I brought a bill before this House making provision for putting a ban on companies to give donations to political parties. At that time all political parties favoured it.

I have a specific charge against Shri Morarji Desai that eversince he occupied the office of the Deputy Prime Minister he has not declared that he has got financial interest in the Kanti Lal Company. He may deny it and say that he has only deposited the money with that Company and has not purchased any share. Even then he would be equally interested in the prosperity of that Company. May I know whether he will be willing to present himself before an enquiry Committee which might be set up to prove this matter ?

Will the hon. Prime Minister be pleased to state the reasons for evading the questions asked in the Rajya Sabha pertaining to her decision of giving up the idea of making enquiry into the matters connected with Birlas ? She is afraid of the fact that if Birlas become sure that there will be no enquiry they may stop their financial assistance to her party. Therefore, she wants to keep this issue as a lurking sword. The Government, the bureaucrats and the big industrialists, are corrupt and the people of these three categories have been exploiting the country by colluding with one another. I warn you that unless all the matters and issues are looked into in a democratic way true democracy can not prevail in this country and a day may come when the exploited public of this country would be forced to rise in revolt against the Government and shunt them out of the office as the Pakistanis have done.

श्री रा० ढो० भण्डारे (बम्बई-मध्य) : यद्यपि संकल्प उत्तम उद्देश्यों को ध्यान में रख कर प्रस्तुत किया गया होगा तथापि मैं इस संकल्प का विरोध करता हूं ।

सरकार को तथ्यों की भलीभांति परीक्षा करनी ही चाहिये । जहाँ कहीं त्रुटियां या कानूनी उल्लंघन पाया जाय और सरकार को वहां कानूनी कार्यवाही भी करनी चाहिए। वस्तुतः कुछ मामलों में सरकार ने ऐसा किया भी है । सरकार का या संसार के व्यक्तियों का किसी ओर ध्यान दिलाने के लिये ऐसे मामलों पर वाद-विवाद किया जा सकता है किन्तु फिर भी तथ्य तो सरकार को ही जुटाने पड़ेंगे तथा कार्यवाई भी उसी को करनी होगी । ऐसे कानूनी मामलों की जांच के सम्बन्ध में यह तो कहा जा सकता है कि सभा के सदस्यों की एक समिति बनाई जाय किन्तु सभा मतदान लेकर आयोग नियुक्त करने की प्रक्रिया उचित नहीं है । इस विषय पर कोई आयोग नियुक्त करने का काम अंततोगत्वा सरकार पर ही जाता है । यदि किसी कम्पनी ने अपराध किया है अथवा लेखों में हेर-फेर किया है तो उसके विरुद्ध सरकार अथवा उसके भागीदार मुकदमा चला सकते हैं । नितांत कानूनी दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए मैंने यह निवेदन किया है । सरकार ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जहां कानूनों का उल्लंघन होगा वहां वह निश्चित ही मुकदमा चलाएगी । अतः ऐसी स्थिति में इस संकल्प का कोई अर्थ नहीं रह जाता ।

श्री लोबो प्रभु (उदीपी) : श्री विश्वनाथ मेनन ने मुख्य रूप से बिड़ला पर दो आरोप लगाये हैं । किन्तु यदि वह सभा-पटल पर रखे गये पत्रों को देखने का कष्ट करते तो सम्भवतः उन्हें इस मामले की सही स्थिति प्राप्त हो जाती । कपड़ा आयुक्त की जांच के

अनुसार इस मिलों में लगी आग से थोड़ी सी कपास ही जली थी तथा आग भी आकस्मिक रूप से लगी थी ।

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

दूसरा आरोप रूवी तथा राष्ट्रीय सीमा कम्पनियों से सम्बन्धित है । इस मामले की जांच अतिरिक्त महान्यायाभिकर्ता ने की थी तथा उनके अनुसार हम दोनों कम्पनियों के विरुद्ध कोई बात नहीं पाई गई । अतः इस दस्तावेज के आधार पर दो भारी आरोपों का खण्डन हो जाता है । सम्भवतः माननीय सदस्य को ज्ञात नहीं है कि केरल साम्यवादी दल के बारे में श्री चन्द्रशेखर की क्या मान्यताएं हैं । माननीय सदस्य श्री चन्द्रशेखर का बहुत भरोसा करते हैं । किन्तु श्री चन्द्रशेखर 'बिड़ला की साम्यवादी सरकार की सम्वेदना प्राप्त करने की क्षमता' का उल्लेख करते हैं । अतः यदि आप भी बिड़ला को सहयोग देना चाहते हो तो उसपर विभिन्न आरोप कैसे लगा सकते हो । सभी शिकायतों की जांच कराई जा रही है अतः उनके विरुद्ध तभी दबाव डालना उचित होगा जब उनकी जांच के पश्चात भी कोई त्रुटि दिखाई पड़े ।

समिति तथा इस संकल्प के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है । मेरा विचार है कि समिति नियुक्त करना ठीक नहीं है । प्रतिवेदन को ध्यान में रखते हुए ही इस मामले में कोई कार्यवाही होनी चाहिए ।

यद्यपि सदन में सभी प्रकार के विचार रखे जा सकते हैं तथा सभी प्रकार के मामलों पर बहस हो सकती है किन्तु हमें यह भी देखना चाहिये कि बिड़ला ने 2.5 लाख व्यक्तियों को काम दिया है तथा वह यहां अपने आरोपों का उत्तर देने को मौजूद भी नहीं हो सकते अतः इस प्रकार के आरोपों से देश की जनता तथा मजदूरों को हानि हो सकती है । आप ही लोग हैं जिन्होंने पड़ताल तथा पूंजी को देश से भगाने का कार्य किया है । आप देश के दुश्मन हैं तथा देश इसे सहन नहीं करेगा ।

साम्यवादियों के बाद मैं कांग्रेस सरकार से भी कुछ कहना चाहता हूं । यदि बिड़ला को आयकर बचाने तथा लाइसेंस आदि की सुविधाओं का पाने का अवसर सरकार ने ही दिया है । सरकार ने देश का व्यापार अपने हाथों में ले लिया है । सरकार ने नियंत्रण प्रथा अपनाई है और इससे व्यापारियों को लाभ उठाने का अवसर मिल जाता है । देश की आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिये प्रतिद्वन्द्विता आवश्यक है । प्रतिस्पर्द्धा के द्वारा ही लोगों को उपभोक्ता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं प्राप्त हो सकती हैं । इतना ही नहीं कर्मचारी, साम्यवादी लोग तथा पूंजीपतियों ने परस्पर सांठ-गांठ करके उपभोक्ताओं को हानि उठाने को विवश कर दिया है । मूल्यों में वृद्धि हो गई है । देश के उत्पादन तथा रोजगार को ध्यान में रखकर ही कोई बात कहनी उचित है । सरकार को भी नियंत्रण, लाइसेंस पद्धति तथा परमिट प्रणाली पर ध्यान से सोचना चाहिये ।

Shri Randhir Singh (Rohtak): I support this resolution on the grounds that in our country the property amounting to crores of rupees should not be concentrated in the hands of few individuals, whether it is Birla or any-body else, and that a large section of the people should live in abject poverty. It is unbearable that big capitalist should dominate the political and economic life of our country.

The spirit of socialism can not be disavowed by any sensible person. The affluents and the big capitalists have been exploited the interest of the country and, therefore, we are supposed to deal with them effectively. I am not inclined to criticise any individual but I am constrained to mention that these big businessmen can not be said to have a modicum of humanity because they are even exploiting the name of God. In this context I will be the first man to support the idea of confiscating the property of Birla and distributing it among the stravelings and the Harijans.

The procrastinatory attitude of the Government in this matter would necessarily invite upheavel in the country. This resolution has been interpreted in its legal terms by one of our friends who has vainly tried to argue that it would not be advisable to adopt this resolution.

Where there is a will, there is a way and, therefore, the implementation of this resolution depends upon the intention of Government. Ceiling has been imposed on an agriculturist who owns only 30 **bighas** of land but there is no ceiling on Birlas who have amassed property amounting to more than Rs. 500 crores. Where is the spirit of true socialism ? Therefore, there should be a ceiling on the property and efforts should be made to promote the standard of living of farmers, workers and the Harijans through out the country.

A commission should be appointed to tackle all the big industrialists who have concentrated the heaviest wealth of the country with them.

Shri Shantilal Shah has disclosed the legal implications involved in this resolution. But there is a wide difference between the dialectics and the unequivocal manifestation of the intention. It is hightime, therefore, to bring these industrialists to books. I request the Hon. Minister to show more courage and take stringent steps to recover the big amount of income-tax which has been evaded by the various industrialists and capitalists who are also purchasing big farms in rural areas.

The Non.Congress Governments of Bengal and Punjab should also appoint commissions to unearth the black money in their respective States. This issue should be dealt at National level because almost all the political parties are under the influence of Birlas and other industrialists. Therefore, this is the duty of all the parties to expose the exploiting attitude of these capitalists who were engaged in dragging other countries also in the grip of dependence. We cannot tolerate to be dependent financially or otherwise on any country. Nor are we interested in making any other country dependent. No credit facilities are available to the poor people of rural areas, the Harijans and farmers but it is strange that crores of rupees are easily available as credit to these exploiters. I am not aware of the exact names of the companies which dodge the income-tax but it is learnt that Birlas are one of the 65 industrialists who follow these tactics.

श्री एस० कन्डप्पन (मैटूर) : महोदय, बिड़ला समूह के बारे में यह संदेह उत्पन्न हो गया है कि उन्होंने अनुचित रूप से लाइसेंस लिये हैं। अतः यह सरकार तथा स्वयं बिड़ला के पक्ष में होगा कि इस मामलों की जांच कराई जाय जिससे लोगों के मनों से सब सन्देह दूर हो जायं।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
Mr. Deputy-Speaker in the Chair]

श्री शांतिलाल शाह और अन्य जिन माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का विरोध किया है, उन्होंने कानूनी अड़चनों का उल्लेख करके इसे अव्यवहार्य सिद्ध किया है।

यह सच है कि पहली जांचों के कोई परिणाम नहीं निकले तथा किसी भी उद्योगपति की सम्पत्ति को जब्त नहीं किया गया। किन्तु उन जांच कार्यों से इतना अवश्य हुआ था कि देश में एक जागृति आई थी तथा सरकार के प्रक्रिया सम्बन्धी कार्यों में कुशलता बढ़ी थी। समिति नियुक्त करने से इतना लाभ तो अवश्य ही होगा।

बिड़ला समूह के विरुद्ध दिन रात चर्चा होती रहती है तथा सभी माननीय सदस्य इस मामले से परिचित हैं। वास्तव में स्वयं केन्द्रीय सरकार ही इस मामले में दोषी है जिसने ईमानदारी से आय कर नीति नहीं अपनायी अन्यथा बिड़ला ही क्या कोई भी उद्योगपति इतनी पूंजी इकट्ठी नहीं कर सकता था जितनी उन्होंने कर रखी है। देश में विद्यमान एकाधिकार तथा अन्य दोषों के लिये सरकार तथा उसकी नीतियां ही उत्तरदायी हैं। अब भी सरकार कम्पनियों द्वारा दिये जाने वाले चंदे पर प्रतिबन्ध लगाने के लिये तैयार नहीं हैं।

कुछ समय पूर्व राजनीतिक दलों को विभिन्न सूत्रों से मिलने वाली आर्थिक सहायता के बारे में प्रश्न उठाया गया था। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने तब विविध सूत्रों से प्राप्त धन की मात्रा को बताने से इन्कार कर दिया था। सभी यह मानते हैं कि सभी दलों को उद्योगपतियों से चन्दा प्राप्त होता है किन्तु मैं गौरव के साथ कह सकता हूं कि मेरे दल ने किसी भी छोटे या बड़े उद्योगपति से चन्दा नहीं मांगा। आशा है हमें आगे भी इसमें सफलता मिलेगी।

सरकार बिड़ला और टाटा आदि से मिली हुई है तो वह देश की अर्थ-व्यवस्था तथा अन्य व्यक्तियों के हितों की रक्षा कैसे कर सकती है।

अभी एकाधिकार तथा निर्बन्धक व्यापार कार्यप्रणाली विधेयक भी अनिर्णीत पड़ा है। आशा है इस सत्र के अन्त तक सरकार विधेयक को स्वीकार कर लेगी।

यह आरोप लगाया गया था कि केरल सरकार ने भी बिड़ला को केरल राज्य में उद्योग खोलने को आमंत्रित किया है। इस विषय में मैं स्पष्ट रूप में बता देना चाहता हूं कि जब केन्द्र सरकार बिड़ला या किसी अन्य उद्योगपति को तमिलनाडु में कोई उद्योग खोलने के लिये लाइसेंस देती है तो हमारे पास सिवाये उनका स्वागत करने के और कोई चारा ही नहीं रहता। सरकार

की लाइसेंस सम्बन्धी ऐसी नीति रही है जिससे नये उत्साही या छोटे उद्योगपतियों को कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। इतना ही नहीं स्वयं सरकारी क्षेत्र के उद्योगों को भी प्रोत्साहन नहीं मिला। बड़े-बड़े उद्योगपतियों को तो लाइसेंस आदि की सभी सुविधाएं मिल जाती हैं किन्तु अन्यों को इस मामले में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अतः यह सारी स्थिति स्वयं सरकार ने उत्पन्न की है।

Shri Amrit Nahata (Barmer) ; Sir, I support this resolution with the view that the politics and the Government of our country are dominated by the Birlas to the extent that any law or regulation can be circumvented easily so far as the interests of Birlas are involved in them. All sorts of opportunities and facilities are being provided to them. Life Insurance Corporation advanced them a loan of Rs. 30 crores. It also financed them 35 lakhs of rupees for the purpose of constructing an air-conditioned building at Curzon Road while the Corporation could not show their generosity to the people of Rajasthan who have been perishing for want of drinking water.

Birlas can get financial assistance from U. K. as well as from State Banks. So far as the facilities are concerned they have been given electricity generated at Rihand Dam at negligible rates. The entire forest in Mysore was given to them free of cost. Kerala Government sold them bamboos at throw away price. On the other side a heavy amount was paid to Birlas by the Government as compensation for the land which was acquired for the purpose of Khetri Plant.

In the interest of Birlas the provision made in the Industrial Policy Resolution to the effect that the manufacture of transformers and Aluminiums would be reserved to the public sectors only was changed deliberately. Birlas are producing air-conditioners which are not good in quality but the Government have been purchasing them at exorbitant rates. Birlas are also producing linoneum the prices of which are increased by them without informing the Government and the Government also do not pay any heed to what has been going on in the companies. Birlas are free to circumvent law are free to dodge income-tax and are free to follow any practice which goes in their interest.

It has correctly been stated that the creation of monopolies in the country and to prosperity of Birlas and other big industrialists have been encouraged by the Government itself. When the Government have been directly protecting the Birlas and others it is impossible to pin our faith in the enquiries made against them. The motive behind the Commission of Enquiries Act passed was this that whenever any doubt is expressed by the representatives of the public in the dealings of the Government in connection with the partial inquiries against anyone, they can demand the appointment of a commission to look into the matter. In the circumstances a commission should be appointed by the Government to prick the bubble of these big industrialists who have been monopolising the business of the country and who have been exploiting the poor public of our country. In the memorandum given by Shri Chandra Shekhar it has been unequivocally mentioned that there is a Prima-facie, case against the Birlas in that they have violated the laws and they have been maintaining false accounts.

If Government want to indicate their probity and impartiality they should accept the demand of appointing a commission to look into this matter independently.

श्री ही० ना० मुकर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : इस संकल्प के प्रस्तुतकर्त्ता के हम आभारी हैं। बिड़ला समूह ने देश की जनता पर अपना प्रभुत्व बहुत दिनों से जमाया हुआ है। स्वयं गांधी जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले बिड़ला से प्राप्त धन को एक ऋण के रूप में माना था। ये ऐसे व्यक्ति हैं जो बिना लालच के कोई भी काम नहीं करते। बिड़ला भवन का रहस्य नामक एक पुस्तक स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रकाशित हुई थी किन्तु किसी प्रकार उसका वितरण बन्द करा दिया गया।

महोदय, हजारी प्रतिवेदन, एकाधिकार सम्बन्धी प्रतिवेदन, तथा श्री चन्द्रशेखर द्वारा दिये गये ज्ञापन के बारे में कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं दिया जाता। 'ब्लिट्ज' पत्रिका ने बहुत से समाचार छापे हैं किन्तु उस पर भी कोई कार्यवाई नहीं की गई। किसी भी देश की जनता ऐसी बातों को सहन नहीं कर सकती किन्तु हमारा भाग्य ही ऐसा है कि हमें इस प्रकार की बातें सहनी पड़ रही हैं। श्री मोरार जी देसाई अपने नाम से या अपने सम्बन्धियों के नाम से क्या कर रहे हैं, जनता सब समझती है।

समाचार-पत्रों में इस आशय के समाचार पढ़े थे कि श्री मोरारजी देसाई अपने बारे में तथा बिड़ला समूह के बारे में जांच कराने के लिये तैयार हैं किन्तु उन्होंने यह काम प्रधान मंत्री जी को सौंपा है। प्रधान मंत्री को इस मामले में द्विविधा में नहीं पड़ना चाहिए तथा उन्हें अपनी स्थिति भी स्पष्ट कर देनी चाहिए। ऐसे व्यक्तियों को दण्ड मिलना ही चाहिए जिन्होंने देश की राजनीति तथा अर्थ-व्यवस्था पर काबू कर रखा है।

माननीय प्रधान मंत्री तथा माननीय उप-प्रधान मंत्री को इस महत्वपूर्ण वाद विवाद में भाग लेना चाहिये था।

श्री शांतिलाल शाह तथा श्री लोबो प्रभु ने बहुत सी कानूनी तथा अन्य बातें कहीं। मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है किन्तु मैं कहना चाहता हूं कि धनी वर्ग का भारतीय राजनीति पर प्रभुत्व बढ़ता जा रहा है तथा एकाधिकार भी बढ़ता जा रहा है। ये बातें देश के लिए शुभ नहीं हैं। हम देश में नैतिक उत्थान चाहते हैं तथा मामलों की जांच के लिये आयोग की नियुक्ति चाहते हैं। सरकार इस संकल्प को सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार कर ले तथा बाद में कार्य प्रक्रिया निश्चित कर दे।

हमारा सरकार की विभागीय जांच पर कोई विश्वास नहीं रहा। सरकार के अनेक अधिकारी बिड़ला समूह की जेब में हैं, स्वयं सरकार भी उसकी जेब में है। अतः हम इस मामले की पूरी-पूरी जांच कराना चाहते हैं।

*विस्थापित व्यक्तियों की पिछली सरकारी सेवा को मान्यता दिया जाना
RECOGNITION OF PAST GOVERNMENT SERVICE OF DISPLACED PERSONS*

[श्री रा० ढो० भण्डारे पीठासीन हुए
Shri R. D. Bhandare in the Chair]

श्री बे० कु० दासचौधरी (कूच-बिहार) : सभापति महोदय, इसी मास की 18 तारीख को मैंने विस्थापित सरकारी कर्मचारियों की कठिनाइयों का उल्लेख किया था। मंत्री महोदय ने केवल इतना बताया था कि पहले अविभाजित बंगाल के सरकारी कर्मचारियों को, जिन्होंने पहले पाकिस्तान में रहने की इच्छा व्यक्त की थी तथा फिर 15 अगस्त को या उसके बाद भारत में चले आये थे, उनके लिये कोई पेंशन सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान करने की योजना नहीं है।

सभापति महोदय : गणपूर्ति नहीं है। अतः 28 अप्रैल तक सभा स्थगित होती है।

इसके पश्चात लोक-सभा सोमवार, 28 अप्रैल, 1969/8 वैशाख, 1891 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, April 28, 1969/Vaisakha 8, 1891 (Saka).

*आधे घण्टे की चर्चा

*Half-an-hour discussion.

Tej Kumar Press, Lucknow. 10-9-69—600.